खण्ड-480, अंक-1
मंगलवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(12 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा सदस्यों की सूची एवं मंत्रि-परिषद्	1-12
उपस्थित सदस्य	13-18
-प्रश्नोत्तर	19-61
-श्रीमती माधुरी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यक्तिगत घटना का उल्लेख	61-67
-श्री विशम्भर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यक्तिगत घटना का उल्लेख	67-68
-नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	68-69
-जनपद बरेली के लक्ष्मणपुर मजरा, रामनगर थाना आंवला में मिट्टी खोदते समय हुई दुर्घटना में 03 लड़कियों की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतकों को 01-01 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
-10 मई, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 83 अज्ञात सैनिकों के नाम तथा जन्म स्थान का पता लगाकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने एवं उनके परिवारों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
-जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा के अजुहा एवं बालकमऊ में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
-जनपद प्रबुद्धनगर के थानाभवन में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
-जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह में जलस्तर बहुत नीचे पहुंचने एवं सरकार द्वारा नगर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
-डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकाय पदों पर भर्ती कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समकक्ष वेतन भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	72-73
-जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा क्षेत्र में अग्निशमन विभाग में दमकल गाड़ियों के अभाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73

विषय	पृष्ठ-संख्या
-जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत अर्द्धनिर्मित 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73-74
-जनपद शाहजहांपुर के गन्ना शोध केन्द्र को उच्चीकृत करके कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
-जनपद बस्ती के कतिपय चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75
-सहारनपुर में नकुड विधान सभा में मुन्सिफ कोर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के अनूपशहर में अर्द्धनिर्मित बनी 56 कि0मी0 सड़क का शेष बचा 19 कि0मी0 का हिस्सा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
-जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत क्रय किसान सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
-प्रदेश में प्रगतिशील किसान मित्र के नाम से कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्यरत किसान मित्रों का शेष मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
-जनपद हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उप खण्ड स्थापित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
-औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	78-79
-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 तक के पुनरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा तथा वर्ष 2007-2008, 2008-2009 के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा (सदन के पटल पर रखी गयी)	79
-उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (सदन के पटल पर रखा गया) ...	79
-उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 ... (सदन के पटल पर रखी गयी)	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव .... (स्वीकृत)	80-83
-कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	83-93
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	93
-बजट अनुदानों की चर्चा हेतु समय बढ़ाये जाने की मांग (स्वीकृत) ...	93-164
-अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	93-164
-अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ...	93-164
-अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)	93-164
-अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) (स्वीकृत) ...	93-164
-अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	93-164
-अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	164-179
-उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) ...	179-197
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	197-199
-जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र निघासन में पेयजल के आर्सेनिक युक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	199-202
-जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा खोठा बाजार में बन्द पड़े स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	202
-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	203
-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में राशन की दुकानों का राशन माफियाओं द्वारा अधिक संख्या में वितरित व निरस्त कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ...	203-204

विषय	पृष्ठ–संख्या
–जनपद गाजीपुर स्थित बीरपुर पम्प कैनाल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में सिवगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	204
–उत्तर प्रदेश में एन0सी0टी0ई0 ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य किया है। टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राघव लखन पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	205-207
–जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मडिहान में वर्ष 2011-12 में किसानों की धान की खरीद से सम्बन्धित रुपयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेश पति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	207-208
–निर्वाचन क्षेत्र महोबा में ब0स0पा0 समर्थक उम्मीदवारों का स्थानीय चुनाव की घोषणा होने के उपरान्त उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	208-209
–जनपद गाजियाबाद स्थित कविनगर इन्डस्ट्रीयल एरिया सेक्टर-17 को परिवर्तित कर इन्स्टीट्यूट आफ लॉ एकेडमी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	209-210
–जनपद महाराजगंज स्थित विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में विकास खण्ड ब्रजमनगंज अन्तर्गत लोटन कालहुई मार्ग केन्द्र परिपथ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए मार्ग का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	210-211
–नत्थियां	212-254

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
11. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकरनगर
12. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
35. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराजनगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं

51. इकबाल, श्री बिजनौर
52. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
53. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
58. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
59. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
60. उदयराज, श्री उन्नाव
61. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
62. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
63. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
64. उमा भारती, सुश्री महोबा
65. उमांशकर, श्री बलिया
66. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
67. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
68. ओम कुमार, श्री बिजनौर
69. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
70. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
71. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
72. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
73. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
74. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
75. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
76. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
77. कामेश्वर, श्री देवरिया
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर

108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
113. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत

161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
172. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
174. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
175. फेरन लाल, श्री ललितपुर
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
178. बदलू खां, श्री उन्नाव
179. बब्बन, श्री चन्दौली
180. बाबू खां, श्री हरदोई
181. बाबूलाल, श्री गोण्डा
182. बावन सिंह, श्री गोण्डा
183. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
184. बृज लाल सोनकर, श्री आजगगढ़
185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
187. बेचई सरोज, श्री आजगगढ़
188. बैजनाथ, श्री मऊ
189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
190. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
191. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
193. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
194. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
195. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
196. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
197. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
199. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
200. मनबोध, श्री देवरिया
201. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
202. मनीष रावत, श्री सीतापुर
203. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
205. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
206. ममतेश शाक्य, श्री काशीरामनगर
207. महबूद अली, श्री जे0पी0नगर
208. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
209. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
212. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
213. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
214. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
216. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
217. मानपाल सिंह, श्री कांशीराम नगर

218. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
219. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
220. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
221. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
222. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
223. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
224. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
225. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
226. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
227. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
228. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
229. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
230. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
231. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
232. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
233. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
234. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
235. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
236. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
237. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
238. मोहम्मद युसूफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
239. यासर शाह, श्री बहराइच
240. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
241. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
242. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
243. रघुनन्दन सिंह भदौरया, श्री कानपुर नगर
244. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
245. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
246. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
247. रणजीत सुमन, श्री एटा
248. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
249. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
250. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
251. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
252. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
253. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
254. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
255. रवि शर्मा, श्री झांसी
256. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
257. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
258. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
259. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
260. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
261. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
262. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
263. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
264. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
265. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
266. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
267. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
268. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
269. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
270. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
271. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली

272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
274. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
275. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
276. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
277. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराजनगर
278. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
279. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
280. राम करन आर्य, श्री बस्ती
281. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
282. रामगोपाल श्री बाराबंकी
283. राम गोविन्द, श्री बलिया
284. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
285. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
286. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
287. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
288. राम प्रसाद चौधरी,श्री बस्ती
289. राम मगन, श्री बाराबंकी
290. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
291. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
292. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
293. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
294. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
295. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
296. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
297. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
298. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
299. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
301. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
302. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
303. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
304. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
305. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
306. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
307. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
308. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
309. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
310. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
311. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
312. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
314. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
316. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
317. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
318. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
319. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
320. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
321. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
322. विजय सिहं, श्री रामपुर
323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
324. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी

325. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
326. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाईनगर
344. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
345. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
346. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
347. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
348. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
349. शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
350. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
351. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
352. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
353. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
354. श्री भगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
355. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
356. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
357. संजय कपूर, श्री रामपुर
358. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
359. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
360. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
361. सतवीर सिंह, गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
362. सतीश कुमार निगम "एडवोकेट" कानपुर नगर
363. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
365. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
366. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
367. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
368. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
369. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
370. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
371. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
372. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर

377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
395. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
396. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
397. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
398. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
399. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
400. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
401. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
402. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
403. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
404. रिक्त मथुरा

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), सहकारिता, न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्य निषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, औद्योगिक विकास, भू-तत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, दुग्ध विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, विकलांग कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन।
2	श्री मोहम्मद आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
5	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
6	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
7	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य।
8	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
9	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद, कारागार
10	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
11	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
12	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
13	श्री पारस नाथ यादव	लघु सिंचाई, पशुधन
14	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
15	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा
16	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा
17	श्री कामेश्वर उपाध्याय	वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद, युवा कल्याण।
18	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
19	श्री राजकिशोर सिंह	उद्यान
20	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री इकबाल महमूद	खाद एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण तथा कारागार
2	श्री महबूब अली	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
3	श्री शाहिद मंजूर	श्रम, सेवायोजन
4	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
6	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
7	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
8	श्री शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
9	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
10	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
11	श्री अभिषेक मिश्रा	प्रोटोकाल
12	श्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन
13	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण।
14	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
15	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
16	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
17	श्री मानपाल सिंह वर्मा	परिवहन
18	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
19	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
20	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
21	श्री रामपाल राजवंशी	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण तथा कारागार।
22	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा
23	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, खेलकूद व युवा कल्याण।
24	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

2-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)

3-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

4-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

5-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

6-प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 जून, 2012

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-336

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमित गौरव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
27. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
29. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
30. अविनाश, श्री — सोनभद्र
31. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
32. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
33. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
34. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
35. आलोक कुमार, श्री — मैनपुरी
36. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
37. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
38. आशीष यादव, श्री — बदायूं
39. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
40. इकबाल, श्री — बिजनौर
41. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
42. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ

43. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
45. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
50. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
51. उमाशंकर, श्री बलिया
52. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम कुमार, श्री बिजनौर
55. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
56. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
57. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
58. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
59. कामेश्वर, श्री देवरिया
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
66. कैलाश, श्री गाजीपुर
67. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
68. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
69. गंगा, श्री कुशीनगर
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
72. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
73. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
74. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
83. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जगपाल, श्री सहारनपुर
86. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
87. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
88. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
89. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
90. जय प्रकाश, श्री गोरखपुर
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
96. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
97. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
98. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
99. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
100. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
101. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
102. दलजीत सिंह, श्री बांदा
103. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़

104. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
105. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
106. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
107. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
108. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
110. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
111. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
112. धर्मराज, श्री बाराबंकी
113. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
114. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
115. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
116. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
120. नारद राय, श्री बलिया
121. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
122. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
123. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
124. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
125. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
126. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
127. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
128. पीतमराम, श्री पीलीभीत
129. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
130. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
131. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
132. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
133. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
134. प्रदीप कुमार, श्री औरैया
135. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
136. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
137. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
138. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
139. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
140. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
141. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
142. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
143. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
144. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
145. बदलू खां, श्री उन्नाव
146. बाबू खां, श्री हरदोई
147. बाबूलाल, श्री गोण्डा
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
150. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
151. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
152. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
153. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
154. बैजनाथ, श्री मऊ
155. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
156. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
157. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
158. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
159. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
160. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
161. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
162. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
163. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
164. मनबोध, श्री देवरिया
165. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
166. मनीष रावत, श्री सीतापुर

167. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
171. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
172. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
173. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
174. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
175. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
176. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
177. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
178. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
179. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
180. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
181. मानपाल सिंह, श्री कांशीराम नगर
182. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
183. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
184. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
185. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
186. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
187. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
188. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
189. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
190. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
191. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
192. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
193. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
194. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
195. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
196. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
197. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
198. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
199. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
200. यासर शाह, श्री बहराइच
201. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
202. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
203. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणजीत सुमन, श्री एटा
208. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
209. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
210. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
211. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
212. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
213. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
214. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
216. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
217. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
218. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
219. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
220. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
221. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
222. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
223. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
224. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
225. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
226. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर

227. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
228. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
229. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
230. राम करन आर्य, श्री बस्ती
231. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
232. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
233. राम गोविन्द, श्री बलिया
234. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
235. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
236. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
237. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
238. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
239. राम मगन, श्री बाराबंकी
240. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
241. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
243. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
244. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
245. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
246. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
247. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
248. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
249. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
250. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
251. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
252. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
253. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
254. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
255. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
256. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
257. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
258. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
259. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
260. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
261. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
262. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
263. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
264. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
265. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
266. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
267. विजय सिंह, श्री रामपुर
268. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
269. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
270. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
271. वीरपाल राठी, श्री बागपत
272. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
273. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
274. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
275. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
276. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
277. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
278. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
279. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
280. शाकिर अली, श्री देवरिया
281. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
282. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
283. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
284. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
285. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
286. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
287. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़

288. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
289. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
290. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
291. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
292. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
293. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
294. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
295. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
296. संजय कपूर, श्री रामपुर
297. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
298. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
299. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
300. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
301. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
302. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
303. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
304. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
305. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
306. सन्तराम, श्री जालौन
307. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
308. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
309. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
310. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
311. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
312. सियाराम सागर, डा0 बरेली
313. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
314. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
315. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
316. सुधाकर, श्री मऊ
317. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
318. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
319. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
320. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
321. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
322. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
323. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
324. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
325. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
326. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
327. सुल्तान बेग, श्री बरेली
328. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
329. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
330. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
331. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
332. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
333. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
334. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
335. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
336. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के बेसिक/जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कारगर योजना बनाये जाने की मांग

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री सत्यवीर मुन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक/जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब के कारण शिक्षा सत्र, 2012-13 का अध्यापन कार्य प्रभावित होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बेसिक/जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद सीधी भर्ती के हैं, राज्य सरकार द्वारा 72,825 पदों का विज्ञापन 30-11-2011 को प्रकशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भर्तियों को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया है।

प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्र0अ0/स0अ0 के पद पदोन्नति के हैं जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अतः पठन-पाठन प्रभावित नहीं होता है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद सीधी भर्ती के हैं, राज्य सरकार द्वारा 72,825 पदों का विज्ञापन 30-11-2011 को प्रकाशित किया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद उक्त भर्तियों को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस कारण से उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भर्तियों को प्रतिबन्धित किया गया है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, टी0ई0टी0 का जो परीक्षा परिणाम निकला था उसके बाद ही माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक ।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद दाखिल किया गया है उसमें इस बात की चुनौती दी गयी है कि शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशन का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को है न कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 को तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के निर्णय और दृष्टिकोण को माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर रखा गया और उस स्टे को खत्म कराने का प्रयास किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, स्टे खत्म कराने का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी -

मान्यवर, हमारे वकील वहाँ लगे हुए हैं, बहस हो रही है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का आशय था कि बेसिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से विलम्ब के कारण शिक्षा सत्र 2012-13 का अध्यापन कार्य प्रभावित होगा। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जबकि मान्यवर, सच्चाई यह है कि ज्यादातर स्कूलों में शिक्षा मित्र की तैनाती ही नहीं है। अकेले बहराइच जनपद में 200 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं हैं तथा कई स्कूलों में एक ही शिक्षा मित्र कार्यरत हैं 'साथ में' इस बात से अवगत हों कि शिक्षा मित्रों को मात्र कक्षा 1, 2, 3 में ही अध्ययन कार्य कराये जाने का प्राविधान है जबकि प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक होते हैं परन्तु बाकी कक्षा 4 एवं 5 को कैसे पढ़ाया जायेगा यह मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया जहाँ तक शिक्षण कार्य प्रभावित होने को प्रश्न है तो मैं जनपद बहराइच का बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

एक-एक प्रश्न माननीय मुकेश जी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है इसीलिए टी0ई0टी0 परीक्षा का आयोजन किया गया था उसका परिणाम भी निकल गया था लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है और जहाँ तक पठन-पाठन बाधित होने का सवाल है कहीं भी पठन-पाठन बाधित नहीं हो रहा है। हर जगह अध्यापक हैं जहाँ अध्यापक नहीं हैं वहाँ शिक्षा मित्र हैं?

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बहराइच में अकेले 200 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं हैं और मान्यवर, जहाँ तक शिक्षण कार्य प्रभावित होने का प्रश्न है तो मैं केवल बहराइच जनपद का उदाहरण देता हूँ कि पूरे जनपद में प्राइमरी स्कूलों की संख्या 2476 है, स्वीकृत पद सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के मिलाकर 8743 पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष मात्र 28-2900 सहायक अध्यापकों की ही तैनाती है यानि 70 प्रतिशत पद खाली हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कैसे चलाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती कर रहे थे, हाईकोर्ट से रोक लग गयी जब हाईकोर्ट से रोक लग गयी तो भर्ती तो कर नहीं सकतें। उन्होंने कहा है कि उसे खुलवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी जून का महीना है जुलाई से क्लास चलेंगे उनका कहना है कि कोई बाधक नहीं होगा तो इस तरह से पूरा उत्तर तो आ गया है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, जूनियर स्कूल में भी काफी पद खाली हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल में जो आप कह रहे है कि पद रिक्त है तो जूनियर हाई स्कूल में सीधी भर्ती के पद नहीं होते उसमें प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रमोशन से जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं और सहायक अध्यापक जो होते हैं वह प्रमोशन पर जाते हैं तो सीधी भर्ती प्राथमिक विद्यालय में होती है और सीधी भर्ती पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश हैं और कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं हैं जिसमें अध्यापक न हो इसलिए किसी स्कूल में अध्यापक न रहने के कारण कोई स्कूल बन्द नहीं हैं, पढ़ाई चल रही है हर जगह।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षा का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसके कारण विद्यालयों में छात्र संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। क्या इसको रोकने के लिए मा0 मंत्री जी कोई उपाय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इनका कहना यह है कि प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है वह पहले के मुकाबले कम हो रहा है क्या इसे सुधारने के लिये आप कोई योजना बनाएंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। छात्रों की संख्या कम होती जा रही है उसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान में निर्देशित कर दिया गया है कि जो 'स्कूल चलें' जुलूस बगैरह निकलता है अब वह जुलूस नहीं निकलेगा बल्कि उस एरिया के जितने भी ग्राम होंगे उन ग्रामों में अध्यापक स्वयं जाकर घर-घर कहेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारे प्राथमिक स्कूल में भेजिये और उसे बढ़िया से पढ़ा करके, अच्छे अंक से पास करके, उसे ऊपर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए हमको आशा है कि अगले सत्र में प्राथमिक विद्यालय में लड़कों की संख्या भी बढ़ेगी और पढ़ाई की गुणवत्ता को भी बनाये रखा जाएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछले जवाब में बताया था कि एक कमेटी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के बाद और हाईकोर्ट से स्टे हटवाने के बाद टी0ई0टी0 या जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मान्यवर, इसके बाद भी एक कैबिनेट की मीटिंग हो गई तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस कैबिनेट में कब तक निर्णय का अनुपालन करा लेगें ?

श्री अध्यक्ष-

देखिये श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और जब तब स्टे वैकेट नहीं हो जाता तब तक कैबिनेट क्या करेगी ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न थे एक हाईकोर्ट से सम्बन्धित था और दूसरा कैबिनेट से। मान्यवर, यह जाँच कमेटी बिठाये है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं बनता। इस मामले पर हाईकोर्ट से स्टे है और जब तक स्टे वैकेट नहीं होता तब तक मा0 मंत्री जी क्या कर सकते हैं, आप दूसरा कोई सवाल कीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, कैबिनेट सेक्रेटरी की जाँच रिपोर्ट में क्या आया यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इससे जाँच रिपोर्ट से क्या मतलब है, इसमें तो यह है कि हाईकोर्ट का स्टे है इसलिए नहीं हो रहा है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जाँच के आधार पर ही तो हाईकोर्ट जाएंगे।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो-दो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अकेले बहराइच जनपद में 3470 की अपेक्षा 3500 कार्यरत हैं दो सौ स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षा मित्र नहीं हैं और मा0 मंत्री जी ने कहा है कि दो-दो शिक्षा मित्र हर स्कूल में हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बहराइच जनपद में जो पद खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी भर दिया जाए और उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ शिक्षा मित्रों की कमी है उनकों भी जल्दी से जल्दी भर दिया जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हमारी जिम्मेदारी है छात्रों को पढ़वाना चाहे शिक्षा मित्र पढ़ाएं या अध्यापक पढ़ाएं अगर आपके यहाँ कोई स्कूल बन्द है जिसमें न कोई अध्यापक हो और न शिक्षा मित्र हो, तब तो बात समझ में आ सकती है हो सकता है कि दो-दो शिक्षा मित्र न हों लेकिन अध्यापक तो हैं पढ़ाने वाले तो अगर कोई स्कूल पढ़ाने से वंचित रह जाता हो तब तो बात समझ में आती है। मैंने कहा कि जहाँ अध्यापक नहीं हैं वहाँ दो-दो शिक्षा मित्र हैं और जहाँ अध्यापक हैं वहाँ एक भी शिक्षामित्र हो सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन पढ़ाई तो बाधित नहीं हो रही है।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जिनमें 30-30, 35-35 साल से अध्यापक एक ही स्कूल में कार्यरत हैं और उन्हें स्कूल का दरवाजा देखना बुरा लगता है तो क्या सरकार जो अध्यापक स्कूल नहीं जाते हैं उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई करने पर विचार करेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी -

मान्यवर, जो अध्यापक स्कूल नहीं जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अध्यापक एक ही स्कूल में 30-40 वर्ष से पड़े हुए हैं उनके स्थानान्तरण की भी व्यवस्था की जाएगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न तो अभी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उससे सम्बन्धित है और मेरा दूसरा प्रश्न यह है जैसा कि अभी आपने कहा कि जहाँ अध्यापक नहीं हैं वहाँ शिक्षा मित्र हैं और पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है। कक्षा-1 से लेकर कक्षा-5 तक के क्लासेज हैं हर क्लास में 25-30 बच्चे हैं, सवा सौ, डेढ़ सौ बच्चे स्कूल में बैठते हैं। एक शिक्षा मित्र है और शिक्षा मित्र एक होते हुए पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है। जब तक हमारी सोच यह बनी रहेगी, हम मानेंगे हीं कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है एक शिक्षा मित्र के माध्यम से 05 क्लासों को नियंत्रित करना, पढ़ाना सम्भव है क्या ? 01 से लेकर 05 तक की क्लास और पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। मान्यवर, जब हमारी सोच यही रहेगी कि पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। तो हम करेंगे क्या ? सोच हमारी यह होनी चाहिए कि हाँ, कमी है। अभी हम सरकार में आये हैं, कमी को दूर करने में समय लगेगा, एक बात तो यह समझ में आ सकती है। लेकिन अगर यह सोच करके बैठ गये कि प्रभावित नहीं हो रही है तो आगे मैं कार्रवाई क्या करूँगा। दूसरी बात, अभी एक प्रश्न यहाँ से किया गया था कि 30-30 साल से अध्यापक बैठे हैं, दूसरा इसका पहलू है कि अब अध्यापक भी उच्च श्रेणी में आ गया और बहुत से सीनियर अध्यापक स्कूल में जाना नहीं चाहते और अपने ऐवजी में 1500-2000 रूपये में आदमी रखे हुए है, वह न शिक्षामित्र है, न अध्यापक है, उनके भरोसे पर स्कूल चल रहा है, यह बच्चों की किस्मत है, उनका भाग्य है। यह कोई आपकी और मेरी कमी नहीं है, यह व्यवस्था की कमी है और व्यवस्था को ठीक करना उनका काम है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं दोनों प्रश्नों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अगर स्पष्ट हो जाए तो ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय हुकुम सिंह जी ने सवाल किया मैं पहले ही इस बात का आग्रह कर चुका हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है। लगभग 02 लाख 58 हजार पद रिक्त हैं जो स्वीकृत पद हैं, लेकिन जितने अध्यापक और शिक्षा मित्र हैं उनसे काम लिया जा रहा है। जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा कि एक ही प्राथमिक विद्यालय में, एक ही शिक्षा मित्र 05 क्लास तक कैसे पढ़ायेगा। यह कठिनाई है जरूर लेकिन आपको याद होगा, आप भी प्राथमिक स्कूल में पढ़े होंगे, मै भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, एक ही मास्टर 01 से

05 क्लास तक पढ़ाता था। उस समय अध्यापकों की बिल्कुल कमी थी, तनख्वाह भी नहीं था लेकिन पढ़ाई प्रभावित नहीं होती थी। पहले तो कमरे भी नहीं होते थे, पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे और एक अध्यापक कक्षा 01 से लेकर पाँच तक पढ़ाता था। आज भी शिक्षा मित्र मेहनत कर रहे है, जहाँ अध्यापक है वह मेहनत कर रहे है। इसलिए मैने कहा कि पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। यह जरूर है कि शिक्षकों की कमी हैं। एन0सी0टी0ई0 हम लोग परमीशन लेकरके शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हाईकोर्ट में स्थगनादेश होने से हम लोगों के सामने दिक्कत पैदा हो गयी। हम चाहते थे कि शिक्षकों की भर्ती हो जाए जिससे कोई कठिनाई न हो ज्यों ही मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश समाप्त होगा हम शिक्षकों की भर्ती करना प्रारम्भ कर देंगे।

(कई सदस्यों द्वारा अनुपूरक पूछने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, अब इसमें काफी प्रश्न हो गये। अब अगले प्रश्न में पूछ लीजिएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने आपकी अनुमति से यह भी कहा था कि आज बहुत से स्कूल ऐसे है जहाँ पर अध्यापक नहीं जाते है और अपनी ऐवजी में पढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को रख लिया है। उसके बारे में भी विचार करेंगे कार्यवाई करेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 हुकुम सिंह जी ने जो प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न है, उस पर हम जाँच कराकर, अगर ऐसा कोई अध्यापक करता है तो जो स्वयं न पढ़ाकर किसी दूसरे से पढ़वाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जायेगी और इस बात के लिए बाध्य किया जायेगा कि वह स्वयं स्कूल में जा करके पढ़ाने का काम करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय मंत्री जी का आशय केवल प्राइमरी विद्यालय का दरवाजा खुल जाए इससे हैं। जो मा0 मंत्री जी ने कहा कि मैं भी पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ, माफ करना मेरी उम्र 52 साल है, उस समय अनुशासन था, ये नर्सरी कालेज वगैरह नहीं थे। आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आयी है और बच्चे प्राइमरी विद्यालयों में पलायन कर रहे है। दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही हाऊस में, आप गुमराह कर रहे हैं हाउस को कि प्रत्येक स्कूल में दो अध्यापक शिक्षा मित्र हैं। मेरा कहना है कि यह है जिन शिक्षा मित्रों विशेषकर महिला शिक्षा मित्रों की शादी हो जाती है तो उसके स्थानान्तरण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ शिक्षा मित्र की एक जगह भरेगी और न खाली होगी। अध्यक्ष जी, इस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम सदन को गुमराह कर रहे हैं तो गुमराह शब्द का उनकों अर्थ नहीं मालूम। हमने सदन को गुमराह नहीं किया है। जो प्रश्न पूछा गया था उसका हमने उत्तर दिया है। जहाँ तक शिक्षा मित्रों की बात है तो शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर का प्राविधान ही नहीं है। उसकी नियुक्ति स्कूल विशेष के लिए होती है इसलिए उनके ट्रांसफर का प्राविधान नहीं है और उनका स्थानान्तरण नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ।

राज्य सरकार से पेट्रोल पर वैट को समाप्त करने की मांग

*2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केंन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल की दरों में की गयी अत्यधिक वृद्धि से प्रदेश के नागरिकों के सामने पैदा हुये आर्थिक संकट से बचाने के लिए क्या राज्य सरकार पेट्रोल पर लगाये गये 'वैट' को समाप्त करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत युक्तिसंगत रूप से प्रदेश में पेट्रोल पर कर की दर निर्धारित की गयी है तथा यह दर देश के कई राज्यों की पेट्रोल पर कर की दर से कम है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय आवश्यकता और सीमित संसाधन अर्थात यह दो चीजे नहीं रही होती तो सरकार ने शायद पेट्रोल पर वैट कम करने पर विचार किया होता। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार को पेट्रोल पर वैट से प्रतिवर्ष कितना कर राजस्व प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर आ आए तो मैं दूसरा प्रश्न करूँ ?

श्री फरीद महफूज किदवई-(नियोजन मंत्री)

दो हजार सात सौ एक करोड़।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो विभाग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट हम लोगों के सामने रखी गई अगर विभाग अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर ले तो कितने की गुंजाइश है मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के हिसाब से 16 हजार 665 करोड़ का व्यापार कर विभाग के ऊपर बकाया है जिसमें से 10 हजार 195 करोड़ रुपए की वसूली का विभाग ने प्रयास ही नहीं किया। दो हजार सात सौ के मुकाबले 16 हजार 665 करोड़ का बकाया और 10 हजार 195 करोड़ के बकाए की वसूली की कोई प्रक्रिया ही नहीं चलाई। जो जाँच की गई कर अनारोपण, कम आरोपण, कम वसूली गलत कर मुक्ति कर योग्य टर्न ओवर इन सबके आधार पर कुल जितने 4 हजार मामले जाँच किए गए मामले तो पाँच लाख थे जितने जाँच किए गए उनमें 1569 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। मैं कहना चाहता हूँ कि 2700 करोड़ का कुल मामला है। और यहाँ एक लम्बी सूची पड़ी हुई है अगर माननीय मंत्री जी अपने विभाग की प्रक्रिया को ही ठीक कर लिए होते तो उनको इतना कर राजस्व मिला होता कि यह जो 2700 करोड़ की छूट दी जाएगी इसका लाभ सीधे-सीधे 20 करोड़ नागरिकों को मिलने वाला है। क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि यह जो सीमित संसाधन आपने लिखा है आप इस कर वसूली को बेहतर करके इसके सापेक्ष पेट्रोल पर वैट हटाने पर विचार करेंगे ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अभी बताया यह सब मेरी जानकारी में नहीं है जो उन्होंने बताया।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बधित था ही नहीं।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मैं इतना जानता हूँ कि करीब 6 या 7 प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में जो दरे हैं पेट्रोल पर वह 6 या 7 प्रदेशों से कम हैं। इसमें बी0जे0पी0 का मध्य प्रदेश है वहाँ पर आपकी जो दरे हैं उससे हम कम हैं।

श्री अध्यक्ष-

उनका उत्तर तो सुन लीजिये पहले।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 7-8 ऐसे प्रदेश हैं देश में जहां पर जो दरें हैं वह उत्तर प्रदेश से ज्यादा हैं फिर भी मान्यवर हम आपसे एक बात और बताना चाहते हैं कि यह

जो दरें हमारी हैं यह 2009 से लेकर आज तक एक ही दर हैं जो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर लगी हुई है और इसके बदले मान्यवर, बारह बार केन्द्र सरकार ने दाम बढ़ाये हैं लेकिन हमने एक बार भी नहीं बढ़ाया है। बहरहाल जो हमारे साधन हैं उस हिसाब से इस समय सम्भव नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब पूरा उत्तर आ गया है आप लोग बैठ जाइये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, अगर केन्द्र सरकार ने बारह बार दाम बढ़ा दिया और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने तो टैक्स बढ़ाया नहीं। टैक्स बढ़ा या नहीं बढ़ा अगर दर बढ़ गया तो उस अतिरिक्त दर पर टैक्स भी बढ़ा। तो क्या माननीय मंत्री जी यही कहेंगे कि 2009 में हम जितना टैक्स लिया करते थे उतना ही टैक्स लेंगे ? यह जो बारह बार दाम बढ़ाया गया है उस पर हम अतिरिक्त वैटे की वसूली नहीं करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र ने तेल की कीमत बढ़ाई उसी हिसाब से यहां टैक्स बढ़ना चाहिए था। पूरा प्रदेश जानता है, सदन जानता है कि एक अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपनी पिछली सरकार में भी वैट लागू नहीं किया था। लागू नहीं किया, जब उसे मजबूर किया गया केन्द्र द्वारा कि वैट लगना चाहिए तब लागू किया गया। आज भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां बहुत सी समस्या हैं, अभी आपने देखा है माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा है कितने विकास की योजनाएं हैं, कितना गरीबों को दिया जा रहा है, कितना उदारता का व्यवहार हो रहा है। ढ़ाई परसेन्ट वैट आज भी उत्तर प्रदेश में कम लिया जा रहा है। ऐसी हालत में वैट को कम करने की स्थिति में प्रदेश नहीं है। लिहाजा आगे इस पर कोई विचार सम्भव नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश में हम लोग 22.55 प्रतिशत वैट लेते हैं। हरियाणा 20 प्रतिशत लेता है, दिल्ली ने तो 20 प्रतिशत से भी कम किया है। उड़ीसा 18 प्रतिशत लेता है, गुजरात 23 प्रतिशत लेता है। आखिर यह सारे प्रान्त हैं तो उत्तर प्रदेश से कम टैक्स ले रहे हैं। यह कहना है कि जो हमसे अधिक ले रहा है उसको कोट करेंगे और जो हमसे कम ले रहा है उसके हवाले हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं यह कह रहा हूँ कि क्या आप जो वित्तीय संसाधन बढ़ा सकते थे अपने विभाग के बेहतर कारणों से क्या उससे आप अपने राजस्व की बढ़ोत्तरी

नहीं कर सकते ? माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है इस साल का कर राजस्व पिछले साल 45 हजार करोड़ था। इस साल के बजट में कर राजस्व 60 हजार करोड़ हो गया तो 15 हजार करोड़ राजस्व की वृद्धि तो आप पहले दिखा रहे हैं। जब 15 हजार करोड़ की वृद्धि दिखा रहे हैं तो 2700 सौ की छूट क्यों नहीं दे सकते ? 20 करोड़ लोगों का मामला है अध्यक्ष जी, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 4 लाख लोगों को आप लैपटाप दे रहे हैं। 20 करोड़ लोगों के लिये 2700 की छूट नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये माननीय हुकुम सिंह जी आपने सवाल किया था आर्थिक संकट से बचाने के लिए क्या राज्य सरकार पेट्रोल पर लगाये गये वैट को समाप्त करने का निर्णय लेगी, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। आपने कई प्रदेशों का हवाला दिया। उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर बचा क्या प्रश्न में। उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें मिला क्या है? आप कह रहे हैं ना कि इसमें बचा क्या है। मान्यवर, बचा यह है कि हम सवाल कर लें और वह जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जवाब हो गया है पूरा।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मान्यवर, जब सवाल का पता नहीं तो जवाब कैसे होगा। मेरा सवाल सुन लीजिये।

मान्यवर कर या आमदनी दो बातों पर निर्भर करती है। जो कर की दर एक हिस्सा है। वाल्यूम दूसरा हिस्सा है। हमारी बिक्री कितनी बढ़ रही है जितनी बिक्री बढ़ेगी उतना हमें कर मिलेगा। दो चीजें इसमें ऐसी हैं दिल्ली और हरियाणा, पश्चिम में तो खासतौर से ऐसी जगह हैं कि लाखों-लाखों लीटर पेट्रोल इसलिए बाहर से आ रहा है क्योंकि कर में कमी है। दिल्ली में भी हरियाणा में भी है। उसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पर पड़ा रहा है व्यापार पर पड़ा रहा है और हमारी सरकार पर पड़ रहा है अगर हम वॉल्यूम बढ़ना चाहें और कई गुना वाल्यूम बढ़ जाए बिक्री का, तो जो कमी आप बता रहे हैं उससे कई गुना आमदनी बढ़ सकती है। हम लकीर के फकीर हो गए हैं जो किसी ने एक बार मन में बैठा दिया उससे आगे सोचने को हम तैयार नहीं और अकेले खता इनकी नहीं है मान्यवर, खतावार तो हम भी

हैं और लोग भी हैं। हमें सोचना यह चाहिए कि जिस अन्तर के कारण हमारे व्यवसाय पर, हमारे व्यापार पर, इतना प्रभाव पड़ रहा है तो इसमें सर्वे तो करा, सर्वे आप करा लेंगे तो पता लग जाएगा। अगर पेट्रोल की बिक्री हरियाणा की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती वहां से स्मगल होकर न आता, तो कितना पेट्रोल की बिक्री बढ़ती। और बिक्री बढ़ती तो हमारा राजस्व भी बढ़ता। इसमें हां, ना, का जवाब न देकर आप इसमें सर्वे करा लीजिए। अगर आप सर्वे कराते हैं तो इसमें चौकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। यह सवाल आज का नहीं है यह सवाल पुराना है हमारी सरकार थी तब भी यह सवाल उठा हमें दुख है इस बात का, मंत्री रहते हमने इस बात का बहुत प्रयास किया कि इसमें सुधार ले आऊँ कर में फर्क पड़ जाएगा। कई लोगों ने राय दी, वित्त विशेषज्ञों ने राय दी कि आप लकीर के फकीर हैं लेकिन तब भी नौकरशाही ने कहा कि यह हो ही नहीं सकता है यह आँकड़े हैं और वह आँकड़े हैं और जिनकी व्यवहारिक सोच है यह लोग उसको अपने आँकड़ों के बीच दबा कर रख देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सर्वे करा लें और आपको मेरी बात में सत्यता लगे तो आप सर्वे करा ले इससे आपका राजस्व बढ़ेगा और पेट्रोल की बिक्री बढ़ेगी। आप सर्वे कराने पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप सर्वे कराने पर विचार करेंगे।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, जैसे आपके आदेश हों।

श्री अध्यक्ष-

हम क्या बतायेंगे।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, कुकिंग गैस पर उत्तर प्रदेश में कोई कर नहीं है। जीरो परसेंट कर है। मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और प्रदेशों में चार परसेंट है।

(शोर)

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, यह बहुत ज्वलन्त प्रश्न है और इसको बहुत आसानी से दफा रफा किया जा रहा है। हमारे सत्तापक्ष में 30 तारीख को बंद किया कि जनता पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है । बंद किया कि केन्द्र सरकार ने तेल के दाम क्यों बढ़ाए। तेल का दाम बढ़ता है आपकी आय बढ़ती है। उत्तराखण्ड में देहली, में केरला में सबनें तत्काल बढ़े हुए, जो उनको लाभ होना था उस अंश को तत्काल उन्होंने छोड़ दिया। कहा कि हम जनहित में इसको कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश बंद का काल देते हैं मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि जो

इस बार दाम बढ़े हैं आपकी सरकार सत्ता में आई है तो क्या बढ़े हुए मूल्य से जो लाभ आपको हो रहा है उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आ गया कि हम कम नहीं करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, सराकर का दबाव और विशेष रूप से कांग्रेस की हमारी विधान सभा, सदस्य श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी का प्रश्न ये तो ऐसे हुआ-

"कभी चिलमन में ये झाँकें, कभी चिलमन में वो झाँके।

लगा दो चिलमन में आग, न ये झाँकें, न वो झाँके।"

मान्यवर, जो आज पेट्रोल की महंगाई है, यह दोनों की मिलीजुली साठगांठ का प्रतीक है। पेट्रोल के दाम बढ़ाने के लिए रात में बैठक करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और दूसरे दिन पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप पेट्रोल का दाम घटा दें, अगर नहीं घटा रहे हैं तो आप अपना वैट हटा दो।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल अपनी जगह पर है, जवाब आ चुका था। आदरणीय नेता विरोधी दल ने ताकझांक की आदत छोड़ी नहीं है, मान्यवर और कहा कि "कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झाँके", लेकिन सच्चाई मान्यवर, यह है कि चिलमन से झाँक कर देखा तो आप सब लेकर भाग चुके थे।

(हँसी)

(श्री सतीश महाना और श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब नत्थी-ख, प्रश्न सं0-1, महाना जी, आपका भी आगे सवाल है। महाना जी, अब हो गया, बैठ जाओ। मंत्री जी ने सीधा जवाब दे दिया है और अब हम आगे बढ़ गए हैं, माथुर साहब, बैठ जाइये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मथुरा आयल रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की यह एक ही रिफाइनरी है। आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा रिफाइनरी से 1600 करोड़ रुपये इन्ट्री टैक्स के रूप में वसूल करती है जो पाइप लाइन जा रही है और आज स्थिति यह है कि मथुरा रिफाइनरी बन्द होने की कगार पर है। जो 1600 करोड़ रुपये आप इन्ट्री टैक्स के रूप में वसूलते हैं, यह इस सदन के संज्ञान में नहीं होगा। यहाँ पर तमाम मंत्रीगण बैठे हैं, उनके संज्ञान में भी नहीं होगा। मान्यवर, इसके कारण वहाँ के ई0डी0, वहाँ के आफिसर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के चेयरमैन सब परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप बैठ जाइये। आप मेरा निवेदन मान लीजिए। मंत्री जी ने सीधा जवाब दे दिया, सीमित संसाधनों के नाते वैट कम नहीं कर सकते हैं। बैठिए। अब हो गया।

(श्री प्रदीप माथुर बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलते रहिए, लिखा ही नहीं जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, इस समस्या को देखते हुए क्या सरकार इसमें वैट कम करने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने सीधे कह दिया कि सीमित संसाधनों के नाते हम वैट नहीं कम कर सकते। अब आप बार-बार उसी सवाल को उठा रहे हैं, क्या फायदा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, श्री माथुर जी कांग्रेस के नेता, विधान मण्डल दल के हो गए है। कांग्रेस इनको प्रदेश में भेजना चाहती है लेकिन यह मथुरा छोड़ना नहीं चाहते। हर जगह यह मथुरा ही आ जाते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाये आप, वैट लगायें आप, वैट लागू न करें तो डण्डा बजायें आप। यहाँ जो उत्तर प्रदेश में हड़ताल हुई या दूसरे प्रदेशों में हुई, वह पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए हुई थी, वैट की कीमत कम करने के लिए नहीं हुई थी, चुनांचे दोनों सूरतों में कांग्रेस ही अपना पल्ला भारी रखे, मान्यवर, यह कैसे सम्भव होगा ? और जहां तक माथुर साहब का सवाल है।

माथुर साहब जब तक बीच में नहीं आयेंगे जो उनकी असल कुर्सी है। तब तक वह मथुरा से बाहर नहीं निकलेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जीं ने कहा कि वैट लगायें ये, पेट्रोल के दाम बढ़ायें ये, और अभी माननीय सदस्य श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी ने भी कहा कि अभी 31 तारीख को सत्तापक्ष ने भी बंद किया था। उस दिन मैंने अपनी तरफ से आपको लिखकर भी दिया उस पर आप निर्णय करेंगे। वह आपके पास है। उस पर निर्णय करने का सर्वाधिकार आपके पास है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सदन केन्द्र सरकार को सर्वसम्मति से यह सिफारिश करेगा कि उन्होंने जो पेट्रोल के दाम बढ़ाये हैं उसको कम कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

यह इससे संबंधित प्रश्न ही नहीं है। आगे बढ़िये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गोवंश वध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध

*1-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रहे अवैध गो-वंश हत्या पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)

जी नहीं। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 2002 के द्वारा प्रदेश में गोवंश वध पहले से ही पूर्णतया निषिद्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। यह अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका कारण यह भी है कि भारतीय संस्कृति की जब-जब चर्चा होती है तो गोवंश की चर्चा न हो ऐसा नहीं होता और देश के प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावना गोवंश के साथ जुड़ी हुयी है। उत्तर में आया है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 2002 के द्वारा प्रदेश में गोवंश वध पहले से ही पूर्णतया निषिद्ध है। यह सही है लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर प्रदेश में गोहत्यायें हो रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस अधिनियम के तहत कितने लोगों पर मुकदमें कायम हुये और कितने लोगों को सजा हुयी।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 01 जनवरी, 2011 से लेकर 31 दिसम्बर, 2011 तक पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न थानों पर गोवध के 2456 अपराध दर्ज हुये हैं और 6374 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 23672 गोवंशी पशुओं को बचाया गया।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहा था कि क्या किसी को इस अधिनियम के तहत सजा हुयी है।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, जो केस दर्ज हैं उसका मुकदमा चल रहा है। अभी यह सूचना नहीं है, सूचना मिलने पर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, वर्ष 2002 से अधिनियम लागू है और अब 2012 है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा है कि वह आपको सूचना भेज देंगे।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ और बात की शुरूआत माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की तारीफ से करना चाहता हूँ और उन्हें बधायी भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरठ के अन्दर एक ऐतिहासिक कदम उठाकर उन्होंने बूचड़खाने को हटवाया और साथ-साथ यह पूछना चाहता हूँ कि महानगरों, कस्बों में बड़े पैमाने पर जो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उन्हें समाप्त करने के लिए क्या सरकार कोई कठोर नीति बनायेगी।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग प्रश्न है। इसके बावजूद भी पशुधन का यह जो पशुवधशालायें चल रही हैं। उसमें कोई मतलब नहीं होगा, यह पीडा जो भारत सरकार की एक संस्था है, जिलाधिकारी की एन0ओ0सी0 देने के बाद पीडा उनको परमिट करती है और राज्य प्रदूषण बोर्ड भी एन0ओ0सी0 देता है तब यह पशुवधशालायें चलती हैं। हमारे प्रदेश में 15 पशुवधशालायें चल रही हैं।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में 15 पशुवधशालायें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे वह पशुवधशालायें नहीं हैं, वह भैंस वगैरह से सम्बन्धित है, मा0 मंत्री जी के कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्रदेश में 15 पशुवधशालायें चल रही हैं।

श्री पारस नाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य उतावले न हो, मा0 अध्यक्ष जी मैं उसको संशोधित करते हुए दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में 15 पशुवधशालायें चल रही हैं। अगर भूल हो गयी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

श्री पारस नाथ यादव-

मान्यवर, 15 पशुवधशालायें चल रही हैं पूरे प्रदेश में और पीडा के द्वारा इनको अनुमति मिली हुई है और उसमें पशुधन का कोई हाथ नहीं है और न ही पशुधन से उसका कोई मतलब है। पशुधन के डाक्टर केवल जहां यह पशुवधशालायें चलती हैं, वहां के अनुरोध पर यह निगरानी करने के लिए लगाये गये है कि कोई जानवर ऐसा न हो जिसके अन्दर बच्चा हो और वह बीमार न हो, जिससे उसके कटने में जो बीमारियां या अन्य चीजें जो पैदा होगी उसको रोकने के लिए हम यह डाक्टर लगाते हैं, लेकिन जहां भी कोई शिकायत मिलती है, हम उन डाक्टरों को वापस कर लेते हैं।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया मुझे खेद है, मंत्री जी ने रटा रटाया जवाब दिया है। हम रहते हैं बुन्देलखण्ड में जाकर के स्वयं सर्वे करवा लें, बड़े पैमाने पर गायें ट्रकों में भर कर के पशुवधशाला में काटी जा रही हैं और जहां गायों को काटने पर प्रतिबन्ध लगा है वहां जंगलों में नालों में जाकर के काटी जा रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से रटा रटाया या पुराना प्रश्न का उत्तर हम नहीं चाहते। हम वर्तमान में मा0 मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं कि जाकर के स्वयं सर्वे करायें जहां पशु काटे जाते है वहां के डाक्टर और वहां के जो कटवाने वाले लोग हैं, गायें कटवाने में उनका भी शेयर रहता है, इसलिए मा0 मंत्री जी से चाहूँगी, जैसा कि हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत सराहा कि प्रतिबन्ध लगा बूचड़ खानों पर गायें नहीं कटेंगे। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में चूंकि मैं सन्त हूं, इसलिये पूरे प्रदेश में जाती हूं, बड़े पैमाने पर अभी एक महीना पहले

गोवंश के दो ट्रक पकड़े गये थे, जो पशुवधशाला में कटने जा रही थीं, इसलिए मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी आश्वासन देंगे और इसकी जांच करवा कर के क्या अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि बार-बार मेरा, यानी संसदीय कार्यमंत्री का नाम आया है, मैं इस बात को साफ कर दूँ, शहर के बीच में गैर-कानूनी वधशाला चल रही थी, पिछले 45 साल से। उस गैर-कानूनी वधशाला को जो कि नगर निगम की जमीन पर था, और एक प्राईवेट व्यक्ति जो कई बार सरकारों में मंत्री भी रहे, उन्होंने अवैधानिक तौर पर वधशाला चला रखी थी, उसे हमने रोका है। उसे रोका है, खाली कराया है और ऐसी वधशालायें जो गैर-कानूनी होगी, शहरों के अन्दर चल रही होंगी, आगे भी प्रयास रहेगा उन्हें रोकने का। दोनों सवाल अलग है, आपका प्रश्न अलग है, हमने जो किया है वह अलग है। वह शहर में एक ऐसी गन्दगी थी जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति को बहुत तकलीफ थी, एक आम आदमी को उस तकलीफ से निजात मिली है, जहां और होगा, उसे भी रोकेंगे, लेकिन जहां तक गोवध शाला चलाने का या गोवध का सवाल है उस पर मा0 मंत्री जी का बड़ा मुकम्मल उत्तर आ गया। संविधान में हमारे इसकी इजाजत नहीं है, कानून में इसकी इजाजत नहीं है। अगर कोई गोवध करता है तो इसके लिए हमारे यहां कानून है। आप बता चुके हैं कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, किसको सजा हुई या नहीं हुई उसकी सूचना दे देगें। मा0 न्यायालय क्या सजा देता है, उस पर सदन का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, केवल 2456 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। यह कहीं-न-कहीं इस बात का गवाह है कि इसमें कहीं-न-कहीं लापरवाही है।

श्री अध्यक्ष-

राणा साहब अब आप बैठ जाएं पूरे सवाल का जबाब अब आ गया है। अब आप बैठिए। जब नियम बना हुआ है तो जहाँ आपको इस तरह की शिकायत मिले तो लिखकर दीजिए और उन्हें पकड़वाइये, अब आप बैठ जाएं, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रदेश में बी.एड. डिग्री धारक बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति किये जाने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी.एड. डिग्रीधारक बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बी0एड0 उपाधि परिषदीय अध्यापक हेतु निर्धारित योग्यता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्तमान प्रश्न जो हमारा है उसमें मान्यवर दो पीड़ायें झलकती हैं, पहली मान्यवर, बी0एड0 बेरोजगार वर्षों से खाली घूम रहे हैं और दूसरी मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2 लाख 58 हजार पद प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में रिक्त हैं।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा पीछे मुड़कर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप पीछे क्यों बात कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक तरफ तो बी0एड0 बेरोजगार मान्यवर, खाली है और दूसरी ओर स्कूलों में ढ़ाई लाख पद रिक्त हैं।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा कुछ पढ़कर बताए जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप नीचे से क्या बता रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। मा0 सुरेश खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें पूछ लेने दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, देखिए मै उत्तर पढ़ रहा था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप इसे अपने सामने रख लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि पठन-पाठन प्रभावित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

अब फिर उसी पर खिसक गए अब आप इस प्रश्न पर पूछिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं तो सोच रहा था कि पहले प्रश्न को इससे क्लब करा लें, मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष-

अब ऐसा कैसे होगा, पहले कहते तो लगा देते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन मान्यवर, क्योंकि यह उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न से यह भी संबंधित है। अभी मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है। अभी इसी वर्ष 2012 में प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बनी थी और उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा के लिए इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, वह यह है कि कक्षा पाँच का विद्यार्थी कक्षा-1 की योग्यता रखता है तथा कक्षा-8 का विद्यार्थी कक्षा-3 से ज्यादा योग्यता नहीं रखता है, मान्यवर। यह मेरी नहीं है यह प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी की रिपोर्ट है, जो इसी वर्ष 2012 में आई है। तो, जब शिक्षा की गुणवत्ता मान्यवर, इतनी प्रभावित है कि ढाई लाख पद रिक्त हैं। मान्यवर, एक तरफ जहाँ 4-5 लाख युवा बी0एड0 बेरोजगार खाली घूम रहे हैं, और आपने नियमों का हवाला देकर, उसको समाप्त कर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय की प्रक्रिया तो अपनी जगह चलती रहेगी लेकिन क्या इसमें कोई प्रभावी कदम उठाकर, न्यायालय में विशेष रूप से पैरवी करके, चाहे आपको अपना अलग से वकील खड़ा करना पड़े, वैसे तो सरकार के पास सारे संसाधन हैं एडवोकेट जनरल से लेकर के तमाम तरह के संसाधन है लेकिन क्या विशेष पैरवी करके उसमें प्रभावी कार्यवाही करने के लिए उस स्टे को खारिज कराने की कोई कार्यवाही करेंगे यह मेरा पहला बिन्दु है। मेरा दूसरा बिन्दु यह है कि जो 4-5 लाख बी0एड0 बेरोजगार हैं, उनका फेट क्या होगा, इसकी मान्यवर, मा0 मंत्री जी, जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जहाँ तक स्टे खारिज कराने की बात है उसमें पहले ही उत्तर आ गया। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि क्या बी0एड0 डिग्री धारकों को रखने का तो उसका जवाब भी आ गया है कि यह उपाधि परिषदीय अध्यापक हेतु निर्धारित योग्यता नहीं है। आप इस पर अनुपूरक पूछिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप तो हमारे संरक्षक हैं, अब अगर सारी बातों को जवाब अगर आप दे देंगे तो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप जवाब दे दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो जिज्ञासा जाहिर की उसमें कहना है कि बी0एड0 के जो अभ्यर्थी हैं, इसमें वर्ष 1981 का जो नियम बना है, उसमें वह आते नहीं हैं। विशिष्ट बी0टी0सी0 की केन्द्र सरकार से अनुमति माँग करके पिछली सरकार जब मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी की थी, उसमें उन्होंने विशिष्ट बी0टी0सी0 में 6 महीने अलग से ट्रेनिंग कराकर उन्हें अध्यापक नियुक्त करने का प्राविधान किया गया था। वर्ष 2011 में भी जब पिछली सरकार थी, उसके समय में भी यह आया था कि अगर आप वर्ष 2011 तक चाहते हैं कि विशिष्ट बी0टी0सी0 करा करके उनको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया। इसी के बाद बाल शिक्षा अधिकार कानून लागू हो गया और कोई भी आदमी तभी अध्यापक होगा जब टी0ई0टी0 परीक्षा पास करेगा। फिर हम लोगों ने अनुमति मांगी है केन्द्र सरकार से बी0एड0 वालों के लिये कि बी0एड0 जो पास है उनको आप अनुमति दीजिये कि हम विशिष्ट बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग करा करके उनको भी नियुक्त करने की दिशा में कार्यवाही करें।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर आ गया। उत्तर पूरा आ गया है अब क्या बाकी बचा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या केन्द्र सरकार का कोई उत्तर आया। मान्यवर, यह प्रश्न तो उससे जुड़ा हुआ है। आपने यह चाहा मैं आपके इस कदम का स्वागत करता हूं कि आपने लाखों बी0एड0 बेरोजगारों को आपने चिन्ता की। मान्यवर, क्या केन्द्र सरकार का उसमें कोई उत्तर आया और उसमें अग्रिम कार्यवाही क्या हुयी, ये जानकारी और दिलवा दें मान्यवर।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, अभी तो लिखा गया है। अभी 5 और 6 को दो दिन मीटिंग थी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जिसमें हम लोगों ने भाग लिया था, उसमें भी आग्रह किया गया है

और प्रदेश सरकार ने लिख कर भी भेजा है। जैसे ही अनुमति मिलेगी इस पर कार्यवाही होगी।

*3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री सत्यवीर मुन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी।

*4-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) (अनुपस्थित)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा का अधिकार कानून तत्काल प्रभाव से लागू होने और मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटें कमजोर वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से मिल सके इस हेतु कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाकर लागू की गयी है। यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01-04-2010 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा 12(1), (ख) के अनुसार सहायता प्राप्त विद्यालयों में वार्षिक अनुदान की 25 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत विद्यालय की पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों को कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिये जाने और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्राविधान है। यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था संचालित है तो प्रवेश हेतु 25 प्रतिशत की यह सीमा उस स्तर से ही लागू होगी। रिट याचिका संख्या 95/2010 सोसाईटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान एवं अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-04-2012 के अनुसार प्रधानतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें, मदरसा एवं वैदिक पाठशालायें इत्यादि जो सेकुलर एजूकेशन प्रदान नहीं करती है, इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखी गयी है।

अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 दिनांक 27-07-2011 को प्रख्यापित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बात खत्म हो गयी। प्रश्न सं0-4 श्यामदेव राय चौधरी जी।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी कुछ प्रश्न बाकी रह गया है क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसी में रुचि है प्रश्न 4 में।

श्री अध्यक्ष-

अरे रूचि है तो अंतिम हो जाने दीजिये, अंतिम माने पांचवाँ।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नत्थी 'ख' का तारांकित प्रश्न संख्या 4 ले लेते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के उत्तर का जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें उन्होंने कहा अधिनियम, 2011 दिनांक 27-7-2011 को प्रख्यापित की जा चुकी है। मान्यवर, तब से 27-7-2011 के बाद से कितने जनपदों में कितने स्कूलों में कितने छात्र इस योजना के तहत लाभान्वित हुए मान्यवर, अगर सूचना हो तो माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो जुलाई में जो सत्र चलेगा उसमें इस बात का प्राविधान होगा कि कितने स्कूल इसमें दाखिला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अभी तो यह जून है, जब जुलाई से स्कूल खुलेंगे तब इसके बारे में इन्क्वायरी की जायेगी, सर्वे कराया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मानयवर, 27-7-2011 से जब यह नीति लागू हो गयी तो उस समय एडमीशन की प्रक्रिया चलती होती है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी विधायक हैं, मंत्री जी जवाब दे देंगे। यह प्रवेश तो प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो जाते हैं।

नोट :-नत्थी 'ख' का तारांकित प्रश्न सं0-4 श्री सुरेश कुमार खन्ना की रुचि पर प्रश्न सं0-5 के उपरान्त लिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एडमीशन पूरे जुलाई भर चलते हैं, मैंने इसीलिए पूछा कि अगर कोई सूचना हो तो बता दें इसमें लगभग 11 महीने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कोई सूचना हो तो बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कोई सूचना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी तो अभी दो ढ़ाई महीने ही हुए हैं। नया सत्र प्रारम्भ होगा तो हम इसका सर्वे कराकर प्राविधान करायेंगे।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जुलाई से सत्र प्रारम्भ होगा जो इन्होंने 25 प्रतिशत रिजर्वेशन का है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जो पब्लिक स्कूल्स के ऊपर भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना भी चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि अधिकांशतः पब्लिक स्कूलों में जो एडमीशन्स हैं वह फरवरी मार्च में हो जाते हैं, जुलाई में नहीं होते हैं तो वह मार्च निकल चुका है अब जून चल रहा है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पब्लिक स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ एडमीशन मार्च तक 90 प्रतिशत हो जाते हैं तो क्या उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है, तो उनमें क्या हुआ ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसमें तो वह लोग मुकदमा ही लड़ रहे थे कि यह जो 25 प्रतिशत का प्राविधान हुआ है यह गलत है, नहीं होना चाहिए अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि नहीं 25 प्रतिशत आपको एडमीशन करना ही है तो उसके बाद अब नया सत्र खुलेगा जब नया सत्र खुलेगा तो हम लोग इसका सर्वे करवायेंगे और हम लोग बाध्य करेंगे चाहे डीपीएस हो या सैनिक स्कूल हो, हर तरह के स्कूलों में ये बच्चे और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब माँ बाप के बच्चों को उन स्कूलों को कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और जिस तरह की व्यवस्था वह अपने स्कूल के और बच्चों की करते हैं हास्टल का, कपड़े का, खाने का वह तमाम व्यवस्था इनके लिए करेंगे और जिस तरह से वह अपने परिवहन से लड़कों को ले आते हैं उसी तरह से वह परिवहन की भी व्यवस्था करेंगे इसकी समुचित व्यवस्था कराने के लिए हम लोग उनको प्रेरित करेंगे।

प्रदेश में आर्थिक पिछड़ापन दूर करने की प्रस्तावित रणनीति

*5-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक जोन के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

राज्य सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से सभी क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु कटिबद्ध है। प्रदेश के सीमित संसाधनों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की रणनीति प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-5, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल..

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सभी क्षेत्रों के लिये नहीं है। यह प्रश्न स्पेशिफिक है और पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक जोन जो इकाई है सरकार के अपने साहित्य में, उसके आर्थिक पिछड़ेपन के लिये है। हम सब संविधान में जानते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये विशेष अवसर का सिद्धान्त लागू होता है। इस संवैधानिक व्यवस्था के रहते हुये यदि कोई पूरा का पूरा क्षेत्र ही बहुत पिछड़ा हुआ है तो प्रश्न यह है कि अगर संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये विशेष अवसर के सिद्धान्त होंगे तो ये जो हम नीतियां बनाते हैं विकास की तो इस क्षेत्र में पूंजी निवेश हो सके, हमें नीतियों को बनाते समय विशेष अवसर का सिद्धान्त जोड़ना चाहिये। मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह जनरल जवाब है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है जिसके तहत प्रदेश में आने वाले उद्योग प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुये यहां लगाये जाने के लिये आकर्षित कर सकें।

श्री फरीद महफूज़ किदवई-

जैसे मैंने अभी बताया कि आर्थिक जोन किस्म की चीज का मान्यवर, हमारे यहां कोई जिक्र हुआ है लेकिन पूर्वी क्षेत्र के लिये जिसको पूर्वांचल कहेंगे, उसके लिये अलग से कुछ चीजें हैं जो प्रस्तावित हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने एक संवैधानिक संकट पैदा किया है। आपका कहना है कि कोई आर्थिक जोन परिभाषित नहीं हुआ। जो साहित्य हम लोगों को मिलता है, जो सरकार के बजट की ऐन्युल रिपोर्ट मिलती है, वह प्रदेश को चार आर्थिक जोन में बांटती है, अधिकृत रूप से बांटती है पूर्वी, पश्चिमी, बुन्देलखण्ड और केन्द्रीय। मा0 मंत्री जी कह रहे है कि कोई जोन बंटा ही नहीं। जब मा0 मंत्री जी के संज्ञान में यही नहीं है कि कोई आर्थिक जोन बंटा ही नहीं है तो वे स्वाभाविक रूप से इस सवाल का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक जोन न होता तो उनके विभाग ने यह सवाल उसी समय लिख के भेज दिया होता कि कोई आर्थिक जोन जैसी चीज नहीं है, नहीं भेजा माने है। मैं सिर्फ आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूं, बहुत छोटी-छोटी सी। उद्योग आकर्षित हो सके इसके लिये उद्योगपतियों को कुछ सुविधायें देनी पड़ेगी। आप सिर्फ मेरी बातें सुन लें, हम नहीं कह रहे हैं कि आप अभी कह देंगे कि मैं दूंगा लेकिन उस पर विचार कर सकते हैं। इसी सरकार ने पहले एक टेक्सटाइल पार्क योजना प्रारम्भ की थी, 2011 तक की योजनाा थी, बीच में बंद कर दी गयी, जिसमें उद्योगपतियों को कैपिटल सब्सिडी दी जाती थी 50 प्रतिशत तक। इन्टरेस्ट जो ब्याज लगता है उस पर छूट 5 परसेंट केन्द्र सरकार देती थी और 5 परसेंट राज्य के देने की बात थी। तीसरी चीज वैट का 300 प्रतिशत छूट जो बिहार में दी जाती है जिसके नाते आज उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगह बिहार में भाग रहे हैं। उसको छूट देने की बात थी मान्यवर। जो उद्योगपति अपने कैप्टिव प्लाण्ट लगायेंगे उसमें 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी देने की बात थी। अभी आपके पास पूरे 5 साल का कार्यकाल बाकी है आप निवेश के लिए नीतियां बना सकते हैं इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे जमीन लेनी है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट हो। इस तरह से आप पूर्वी उ0प्र0 में उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों को कैसे लाया जाये। तो क्या इन सारी छूटों को अपनी नीति में शामिल करने के लिए आप विचार करेंगे ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए योजना है। जो हमारा पूर्वान्चल है या पूर्वी क्षेत्र है उसमें भी निजी पूंजी आकर्षित करने की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर पूर्वांचल विकास निधि है, जो पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। इसमें 253.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुति पर रूपये 37.50 करोड़ रुपये का प्राविधान हुआ है। यह पूर्वान्चल के लिए है। इसी तरह से वाराणसी सोनभद्र, फतेहपुर, कौशाम्बी, संतकबीरनगर, फैजाबाद, चन्दौली में खेलकूद अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए पृथक से बजट की व्यवस्था की गयी है। नक्सल प्रभावित 03 जनपदों यथा- मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चन्दौली के लिये रूपये 90 करोड़ की

धनराशि विभिन्न कार्यों के लिए रखी गयी है। गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए लगभग रुपये 6.58 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है, आजमगढ़ मेडिकल कालेज के लिए लगभग रुपये 55 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर आप सुन लें यह सब पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रश्न नाक का है, और जवाब टाँग का दे रहे है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर अभी मंत्री जी ने पूर्वान्चल विकास निधि का जिक्र किया है। मान्यवर, पूर्वान्चल में इस प्रदेश के 40 प्रतिशत नागरिक निवास करते हैं और 4 प्रतिशत लोग बुन्देलखण्ड में निवास करते हैं। मान्यवर 40 प्रतिशत लोगों के लिए आपने पूर्वान्चल विकास निधि में कुल 291 करोड़ रुपये का अर्थात् 36 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से प्राविधान किया हैं। मान्यवर इसी तरह से 4 प्रतिशत नागरिकों के लिए 1090 करोड़ का प्राविधान अर्थात् 1150 रुपये प्रति व्यक्ति का प्राविधान किया गया है। यह सरकारी आँकड़े हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बुन्देलखण्ड की भाँति पूर्वान्चल विकास निधि में धनराशि को बढ़ा कर इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि 1150 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय का बजट प्रस्तावित हो जाये।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, वहाँ के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रही है वह मैने बताया। मान्यवर जो हमने प्राविधान अभी बताये वह पूर्वी क्षेत्र के लिए है।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[3सरे बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद खीरी के कतिपय विकास खण्डों में बटने वाले पौष्टिक आहार का उच्च स्तरीय भौतिक सत्यापन कराये जाने की मांग

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में आंगनबाड़ी केन्द्रों से निम्न स्तर के बंटने वाले पौष्टिक आहार से ग्रामीण अंचलों में बीमारियां फैल रही ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका उच्च स्तरीय भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त रुचि पर लिये गये तारांकित प्रश्न सं0-4 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद खीरी के विकास खण्ड-मोहम्मदी व पसगंवा आंगनबाड़ी केन्द्रों से कम गुणवत्ता के पुष्टाहार के कारण बीमारी फैलने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिलाधिकारी खीरी को निर्देशित कर दिया गया है कि वे वितरित किये जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता की जाँच कराकर उच्च गुणवत्तायुक्त पुष्टाहार का वितरण सुनिश्चित करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा तथा देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कराये जाने की मांग

3-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा कई वर्षों से बन्द कर दी गयी है तथा केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी, 2012 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान नहीं किया गया हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा तथा देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास संबंधी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए नकदीकरण की सुविधा दिया जाना संभव नहीं है। जनवरी, 2012 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते की धनराशि 50 प्रातिशत से अधिक होने पर मूल वेतन में समाहित करने की मांग

4-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मंहगाई भत्ते की धनराशि 50 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी मंहगाई भत्ते की धनराशि 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को समाहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय भत्तों यथा शिशु शिक्षा भत्ता, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता तथा यात्रा भत्ता की दरों में परिवर्तन किया गया है।

जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई 2011 से प्रभावी 58 प्रतिशत की दर को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार महंगाई भत्ते की धनराशि 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को समाहित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की 58 प्रतिशत की दर को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार महंगाई भत्ते की धनराशि 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को समाहित नहीं किया गया है।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों के कतिपय भत्तों में बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग

5-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता देने एवं मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्तों एवं सुविधाओं के संबंध में केन्द्र सरकार से समकक्षता की राज्य सरकार की नीति नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम स्तर पर संचालित दुग्ध समितियों का विवरण तथा दुग्ध समितियां खोले जाने की मांग

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम स्तर पर संचालित दुग्ध समितियों के नाम व पते क्या हैं? क्या सरकार पयागपुर

विधान सभा क्षेत्र के गांवों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त दुग्ध समितियां खोलने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में दुग्ध पट्टी/मार्ग पर ग्राम स्तर पर गठित समितियों के नाम व पता की सूची संलग्न* है।

पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में दुग्ध पट्टी/मार्ग पर पड़ने वाले जिन ग्रामों में मार्केटेबुल सरप्लस दूध अधिक है उन ग्रामों में समिति गठित किये जाने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के एन0सी0सी0 निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की मांग

7-श्री अभय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एन0सी0सी0 निदेशालय में राज्याधीन सेवा के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त नियमावली कब तक प्रख्यापित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम एवं उसमें प्राप्त धनराशि के विनियोजन के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के अनुसार कौन-कौन कार्यक्रम, योजनायें एवं परियोजनायें सम्पन्न हो चुकी हैं और कौन-कौन सी प्रचलित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि समय-समय पर सर्वशिक्षा अभियान हेतु कब-कब कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा उसका विनियोजन कहां-कहां हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विनियोजन पूर्ण है अथवा अपूर्ण ?

---

* देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 212-213 पर।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में प्रमुख कार्यों के निर्धारित लक्ष्य तथा उनके सापेक्ष प्रगति

वर्ष 2011-12	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन भौतिक एवं वित्तीय		प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को स्कूल बैग का वितरण भौतिक एवं वित्तीय		समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं बी0पी0एल0 परिवार के बच्चों को यूनिफार्म का वितरण भौतिक एवं वित्तीय		समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक का वितरण भौतिक एवं वित्तीय		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण भौतिक एवं वित्तीय		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्री इन्ट्रीग्रेशन कैम्प का संचालन भौतिक एवं वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भौतिक	9	9	157076	115136	1/2056	1/2003	158441	158441	31008	284.38	2	2
वित्तीय	392.61	379.35	141.36	103.62	344.11	344.01	130.07	116.67	55.76	23.49	41.52	28.39

निर्माण कार्य

वर्ष 2011-12	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण			उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण			अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण			चहारदीवारी		
	लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन	लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन	लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन	लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भौतिक	36	31	4	4	2	1	829	813	16	100	100	0
वित्तीय	18648	18648	0	36.04	27.04	0	1666.29	1666.29	0	36.38	36.38	0

1-राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ से प्राप्त धनराशि का उपयोग व विनियोजन उसी मद में किया गया है जिसमें धनराशि स्वीकृत की गई थी।

2-निर्माण कार्य के अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत की धनराशि रु0 20,52,000/- प्राप्त न हो पाने के कारण विनियोजन अपूर्ण है। शेष योजनाओं में प्राप्त धनराशि का विनियोजन पूर्ण हो चुका है।

3-वर्ष 2011-12 में जनपद में 03 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के भवन निर्माण की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें से कार्यदायी संस्था द्वारा एक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया गया तथा शेष 2 विद्यालयों के भवनों का कार्य निर्माणाधीन है।

4-*वर्ष 2011-12 में 04 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य था लेकिन भूमि उपलब्ध न होने के कारण 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय अनारम्भ है।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारियों के किये गये कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्वशिक्षा अभियान के तहत कार्य देखने का अतिरिक्त चार्ज मिला है अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त को यदि प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया है तो किस आधार पर प्रतिनियुक्ति वाले भत्ते (एल0टी0सी0 व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति) उन्हें दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जनपदों में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा निदेशालय से संबंधित कार्य के अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान से संबंधित समस्त कार्य भी करते हैं।

इस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है और परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पीलीभीत में बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

10-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत वर्ष 1994 में बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों का साक्षात्कार किया गया था? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

अभिलेख प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के केला भट्टा क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती किये जाने की मांग

11-श्री सुरेश बंसल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के केला भट्टा क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में अध्यापकों के अभाव के कारण छात्रों की संख्या शुन्यप्राय हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में स्थित केला भट्टा जूनियर हाई स्कूल में 04 अध्यापक कार्यरत हैं तथा छात्रों की संख्या 64 है।

आवश्यकतानुसार शिक्षक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[4थे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के अम्बेडकर ग्राम योजना में चयनित क्षेत्र को ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

13-श्री काली चरन सुमन-

क्या समग्र ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत विगत वर्ष अम्बेडकर ग्राम योजना के चयनित ग्राम कौलक्खा नगला कली, रोहता, रजरई आदि हेतु धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त कर दी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार अपूर्ण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र विकास, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी हां।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम कौलक्खा नगला कली, रोहता तथा रजरई हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गयी है।

योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से उक्त चयनित ग्रामों को आवंटित धनराशि के अनुसार संतृप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की कतिपय तहसीलों के पशु चिकित्सालयों में मानक अनुरूप डाक्टरों व दवाओं की व्यवस्था कराये जाने की मांग

14-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के कैसरगंज तथा सदर तहसीलों के पशु चिकित्सालयों में डाक्टर, स्टाफ तथा दवाओं की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप डाक्टरों, अन्य स्टाफ तथा दवाओं की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारसनाथ यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की पुत्रियों की शादी के अनुदान के प्रार्थना-पत्रों को बजट न होने पर अगले वित्तीय वर्ष में कैरी ओवर करने की मांग

15-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ें वर्ग की लड़कियों के शादी अनुदान हेतु जो आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं वे उस वित्तीय वर्ष में बजट नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में बजट नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में न लेकर निरस्त कर दिये जाते हैं ? क्या यह सही है कि सामान्य तथा अनु0 जाति/जनजाति की लड़कियों के शादी अनुदान के फार्म बजट न होने पर उन आवेदनों को अगले वर्ष के लिये कैरी ओवर कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़े वर्ग की लड़कियों के शादी अनुदान के प्रार्थना-पत्रों को भी निरस्त न करके अगले वित्तीय वर्ष में कैरी ओवर करने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के इलाज तथा पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 2007 के प्रस्तर 7 के 3क की व्यवस्था के अनुसार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी लम्बित प्रार्थना पत्र निरस्त माने जायेगें। यदि समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष होने वाले विवाह के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें निरस्त नहीं माना जायेगा बल्कि सम्बन्धित माह में प्रार्थना-पत्रों के साथ उन पर विचार किया जायेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत सामान्य जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत शासनादेश

संख्या-1517/26-2-2007-100(2)/07, दिनांक 19 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

''इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च तक प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों, जिनका निस्तारण पात्रता होते हुए धनराशि के अभाव/वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कारण नहीं हो पाता। उसके लिए प्रस्ताव है कि ऐसे आवेदन पत्रों को 06 माह के अन्दर स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।''

पिछड़े वर्ग की लड़कियों के शादी अनुदान योजना आय-व्ययक व्यवस्था पर आधारित है। अवशेष प्रार्थना पत्रों को निरस्त न करके अगले वित्तीय वर्ष में कैरी ओवर करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां के गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराये जाने की मांग

16-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां के अन्तर्गत कितने विद्यालय ओर कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय किन-किन गांवो में स्वीकृत या प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त में से कितने का निर्माण हो गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष विद्यालयों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड मोहम्मदी में 23 प्राथमिक विद्यालय तथा विकास खण्ड पसगवां में 27 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं। इन विकास खण्डों में वर्ष 2011-12 में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं हुआ है। विकास खण्डवार ग्रामों में स्वीकृत विद्यालयों की सूची संलग्न है। वर्ष 2012-13 की कार्ययोजना में भारत सरकार द्वारा नवीन विद्यालय स्वीकृत नहीं किये गये हैं। विकास खण्ड मोहम्मदी में 23 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 19 प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य गतिमान है। विकास खण्ड पसगवां में 27 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 23 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। विकास खण्ड मोहम्मदी के 04 प्राथमिक विद्यालय तथा विकास खण्ड पसगवां में 04 प्राथमिक विद्यालयों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता है, जिसका निस्तारण कराया जा रहा हैं। सभी विद्यालयों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के कतिपय विकास खण्ड के विद्यालयों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

17-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पानी की टंकी, बाउन्ड्रीवाल, शौचालय व बिजली पंखा नहीं है तथा कितने विद्यालयों में खराब हैं? क्या सरकार इन विद्यालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर लगे खराब पंखों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में कुल 543 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 327 विद्यालयों में पानी की टंकी की सुविधा उपलब्ध नहीं है एवं 14 विद्यालयों में यह खराब हैं। 388 विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है। शौचालय सभी विद्यालयों में उपलब्ध हैं। 352 विद्यालयों में बिजली पंखा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिन विद्यालयों में पंखे उपलब्ध है वे सभी ठीक हैं।

पानी की टंकी को ठीक कराने हेतु जनपद से प्रस्ताव मंगाकर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाइवे के पास, रेलवे लाईन के पास तथा तालाब के किनारे स्थित विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2012-13 में चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्रतीक्षित है। अवशेष विद्यालयों में बिजली पंखा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा बजट प्रस्तावित किया गया है।

बजट उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ब्लाक सलेमपुर के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान कराये जाने की मांग

18-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सलेमपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालयों के कितने शिक्षकों का वर्ष 2009-10 के वेतन एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मात्र 20 शिक्षक का।

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने की मांग

19-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने का सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

वित्तीय वर्ष 2012-13 से ग्रामीण स्टेडियम की योजना समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

20-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 से जारी पत्र संख्या यु0ओ0 41/64-2-2009 दिनांक 18 मई, 2009 के अनुपालन में वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-2011 व वर्ष 2011-2012 में कितनी संस्थाओं के अनुदान प्रस्ताव जिलाधिकारी की संस्तुति सहित निदेशालय के माध्यम से शासन को संस्तुति सहित प्राप्त हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से कितने प्रस्ताव वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-2011 व 2011-2012 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे गये? यदि नहीं, तो क्या सरकार विगत 3 वर्ष से विचाराधीन संस्थाओं के सभी प्रस्तावों को भारत सरकार को भिजवायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से वर्ष 2009-10 के 12 प्रस्ताव तथा वर्ष 2010-11 के 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्ष 2011-12 हेतु शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजे जाने के संबंध में राज्य स्तरीय ग्राण्ट इन ऐड कमेटी की बैठक में नियमानुसार निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के गोहरा बाँध पर हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग

21-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र में गोहरा बांध पर काफी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? अवैध खनन की रोकथाम की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इस तहसील में गोहरा बांध स्थित नहीं है और इस नाम से मिलता जुलता नाम का कोई बॉध नहीं है राजस्व ग्राम गोहटा है जहां किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासनादेश दिनांक 10.11.2005 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय जिला स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। उक्त कार्यबल द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 22.12.2011 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से माह में 02 बार पहली व सोलह तारीख को जनपद में अवैध खनन न होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं तथा अवैध रूप से खनिजों के भण्डारण एवं परिवहन का शमन न कर, प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिनांक 04 मई, 2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के पूर्व मा0 विद्यालय शाही क्षेत्र से सेवानिवृत्त अध्यापिका राम प्यारी देवी के समस्त देयों का भुगतान कराये जाने की मांग

22-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत पूर्व मा0 विद्यालय शाही क्षेत्र पंचायत ललौरी खेड़ा से सेवानिवृत्त अध्यापिका राजकुमारी/राम प्यारी देवी को मई, 2012 तक फण्ड एवं एरियर का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फण्ड एवं एरियर का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

सुश्री राजकुमारी नाम की कोई अध्यापिका कार्यरत नहीं रही है तथा श्रीमती राम प्यारी देवी के देयों का भुगतान किया जा चुका है।

भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के कतिपय विकास खण्डों में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सक की तैनाती व दवायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी, विकास खण्ड पसगवां व ईसानगर के पशु चिकित्सालयों में डाक्टर व दवायें नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात कर दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं, स्थानीय व्यवस्था में पशु चिकित्सक एवं दवायें उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में भोजन पकाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

24-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों को मिलने वाले मानदेय की धनराशि में सरकार वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। भारत सरकार से मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों का पारिश्रमिक (मानदेय) रु0-1000/- प्रतिमाह निर्धारित है। रसोइयों के मानदेय की निर्धारित दर में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा रसोइया मानदेय हेतु निर्धारित दर पर पारिश्रमिक (मानदेय) दिया जा रहा है।

जनपद महराजगंज में आंगनबाड़ी में दिये जाने वाले पौष्टिक आहार की जाँच कर गुणवत्ता वाले पौष्टिक आहार उपलब्ध कराये जाने की मांग

25-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में आंगनबाड़ी में दिया जाने वाला पौष्टिक आहार खराब गुणवत्ता का है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी गुणवत्ता की जांच कराकर उच्च गुणवत्ता का आहार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद महराजगंज में आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता खराब होने की पुष्टि नहीं हुई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिलाधिकारी, महराजगंज को निर्देशित कर दिया गया है कि आपूर्ति होने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता की भौतिक जांच कराकर सही एवं उच्च गुणवत्ता वाले पुष्टाहार की आपूर्ति सुनिश्चित करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के पशुचिकित्सालय में चिकित्सकों की तैनाती की मांग

26-श्री राजबली जैसल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र कोरांव के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां। जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत सृजित 04 पशुचिकित्सालय में से 02 पशुचिकित्सालय में पशुचिकित्सकों के पद रिक्त हैं, जहां स्थानीय व्यवस्था में पशुचिकित्सक उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने की मांग

27-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका की आबादी लगभग 12 लाख है परन्तु वहां पर एक भी सरकारी कन्या इण्टर कालेज नहीं

है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु इण्टर कालेज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां ।

वर्तमान में लोनी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत एक इण्टर स्तरीय सहायता प्राप्त संस्था संचालित है जिसमें बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 से मान्यता प्राप्त 08 वित्त विहीन कन्या विद्यालय तथा 28 सहशिक्षा के वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। मानक के अनुरूप उक्त क्षेत्र संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का निर्माण कराये जाने की मांग

28-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैरिया- तहसील, जनपद बलिया में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का निर्माण हो चुका है तथा कितने शेष हैं ? शेष भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जनपद बलिया की तहसील बैरिया में आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत 440 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इसमें से 39 आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवनों का निर्माण हो चुका है। शेष 401 केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों तथा सार्वजनिक भवनों में संचालित हैं।

योजना के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों तथा विभागीय बजट की उपलब्धता के अनुसार भवन निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व ब्लाक मेरठ में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

29-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के ब्लाक मेरठ में छात्र-छात्राओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरठ ब्लाक के मध्य गांव गगोल या बहादुरपुर में राजकीय इण्टर कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मेरठ ब्लाक में राजकीय हायरसेकेंड्री स्कूल-1, वित्त पोषित-2 तथा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त-1 शिक्षण संस्थायें हैं। गांव गलोल या बहादुरपुर की परिधि में 10 अन्य संस्थायें संचालित होने के कारण नवीन राजकीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में खनन कार्य से प्राप्त आय की जानकारी

30-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत वर्तमान में मौरंग, बजरी, रेत एवं मिट्टी खनन कार्य कहां-कहां हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2008 से माह मई, 2012 तक खनन से सरकार को कितनी आय हुई है ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत वर्तमान में मौरंग, बजरी, रेत एवं मिट्टी खनन का कोई पट्टा स्वीकृत नहीं है और कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है।

अप्रैल, 2008 से मई, 2012 तक (दिनांक 25-5-2012 तक) खनन से जनपद पीलीभीत की कुल आय रु0 63907507.00 (रुपये छः करोड़ उन्तालिस लाख सात हजार पांच सौ सात) हुई है।

31-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया की नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा में विद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

32-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा में सन् 1986 में स्थापित राजकीय बालिका विद्यालय क्या वर्तमान में खाली पड़ी पुरानी जर्जर तहसील भवन में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

भूमि की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्राथमिक/जू0हा0 स्कूलों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

33-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित कितने प्राथमिक/जू0हा0 स्कूलों में पेयजल/शौचालय/बाउन्ड्रीवाल नहीं हैं ? क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत 11 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 11 विद्यालयों में शौचालय सुविधा तथा 341 विद्यालयों में चहारदीवारी सुविधा नहीं है।

शासनादेश 223/79-5-2008-194/2008 दिनांक 1-2-2008 के अनुसार विद्यालयों में पेयजल सुविधा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तथा शौचालय सुविधा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के आदेश हैं। वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में जनपद बहराइच के हाई-वे, तालाब, रेलवे लाइन के किनारे स्थित विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण प्रस्तावित है।

भारत सरकार से स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती माधुरी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यक्तिगत घटना का उल्लेख

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कल मैंने एक प्रश्न उठाया था। आपने वड़ी कृपापूर्वक यह किया है कि अगर किसी सदस्य की व्यक्तिगत कोई समस्या है खास तौर से अपमान, पीड़ा या कोई व्यक्तिगत समस्या हो उसको आप कृपापूर्वक प्रश्नकाल के बाद कुछ मौका देते है। हमारी एक महिला सदस्य माधुरी देवी जी है। उनके साथ और उनके पति के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसकी जितनी निन्दा यह सदन करे, वह कम है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी माननीय सदस्य की बात उन्हीं की मुँहजुबानी सुन लें।

श्रीमती माधुरी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पति पूर्व विधायक श्री दिलीप कुमार वर्मा को, जो विधान सभा के 3 बार सदस्य रह चुके है। दिनांक 08 जून, 2012 दिन शुक्रवार को लगभग 2 बजे दिन में एडीशनल एस0पी0 तथा रामगाँव थाना सहित तमाम पुलिस फोर्स मेरे आवास बसीरगंज, बहराइच पहुँचकर जबरन मेरे पति दिलीप कुमार वर्मा जी को पकड़कर रामगाँव थाने पर ले गये तथा थाने के परिसर के अंदर प्रताड़ना किये। उसके बाद थाना कोतवाली देहात बहराइच ले जाकर लाकअप में बन्द कर दिये। जब मैं शाम को वर्मा जी को दवा देने गयी तो एस0एस0पी0 बहराइच के इशारे पर रामगाँव के दरोगा सत्य नारायण यादव ने मुझे धक्का देकर भगाया तो मैं जमीन पर गिर गयी तथा एस0एस0पी0 बहराइच मुझे दवा नहीं देने दिये। उनको फिर कोतवाली देहात से लेकर कचेहरी में सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक बैठाये रखा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें दो पक्ष है। एक तो पूर्व विधायक जो इनके पति है उनके साथ जो हुआ, उसके लिये तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि दिखवा लें, कि क्या तीन बार के पूर्व विधायक के साथ यह सरकार अगर महसूस करती है कि कहीं से भी अनुचित है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। इसका जो दूसरा पक्ष है, उस पर मैं सम्पूर्ण सदन और आपकी पीठ से भी चाहता हूँ, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहूँगा कि क्या किसी महिला सदस्य को, जो अपने पति को थाने पर दवा देने जाये, अगर किसी दरोगा ने धक्का मारकर गिराया है तो उस दरोगा को एक पल भी नौकरी में बने रहने का अधिकार नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहें तो हम लोग उठ जायें। कहें तो देख लें कि अगर एक नारी का इस तरह अपमान हो रहा है जो विधायिका हो, तो उसका गुनाह क्या है। जब पति बंद है और वह बीमार है तो क्या वह दवा लेकर नहीं जायेगी। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि दिलीप कुमार वर्मा जी 20 दिन पी0जी0आई0 में अभी तक भर्ती थे उनको बहुत ही ज्यादा डायबिटीज थी और तीन बार उन्हें दवा दी जा रही थी अगर एक पत्नी को सूचना मिले और वह दवा देने जाये और किसी दरोगा ने उसे धक्का देकर गिराया है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा और प्रार्थना करूंगा कि सदन की भावनाओं को समझते हुये, जिस तरह उसने इनको गिराया है उसी तरह उसको भी खाकी वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

यह प्रकरण माननीय सदस्य विधान सभा से संबंधित है और सदस्य महिला भी है इसलिये स्थानीय पुलिस द्वारा जो भी दुर्व्यवहार सदस्य के साथ हुआ है इसमें राजनीति से

ऊपर उठकर इस मामले को सरकार को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिये और जिस प्रकार से उनको अपमानित किया, धक्का देकर पीछे किया, धक्का के फलस्वरूप वह गिरी वह मान्यवर किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया है तो वह क्षम्य नहीं है और इसमें मैं मान्यवर, आपका भी संरक्षण चाहता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से भी कहूँगा, क्योंकि वह खुद संवेदनशील है और ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते भी रहे है तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकरण को बहुत ही गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ लेते हुये, जो भी पुलिस अधिकारियों ने यह दुस्साहस किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इनके पति तीन बार से पूर्व विधायक है और यह स्वयं विधायक हैं और जो जानकारी हमको मिल पायी उसके अनुसार पूरी कोशिश यह की गयी कि जैसे ही वह थाने में ले जाये गये तो यह जानकारी की गयी कि नहीं, उनको हवालात के बाहर कैसे बिठाये रखा गया। उनको क्यों बिठा रखा था। मान्यवर, वह किसी अपराध में शामिल नहीं थे, कोई केस है खाली उसमें सरेन्डर करना चाहते थे। सरेंडर न करने पाये इसलिये गिरफ्तार करके उनको अपमानित करने का उद्देश्य था, उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, यह पूर्व हों या वर्तमान हों, इसकी तख्ती लगाकर वह अपने आपको समझते क्या हैं। हम वर्दी पहने हुये हैं हम कानून से ऊपर हैं, मान्यताओं से ऊपर हैं, यह एक नक्शा वहाँ पर बनाया गया। दिलीप जी इनके पति हैं, बीमार हैं, डायबिटिक हैं और यह दवा लेकर जाती हैं अगर डायबिटिक आदमी को तीन-चार घन्टे के अंदर दवा न मिले तो उसकी क्या हालत हो सकती है यह आप अनुमान लगा सकते हैं। यह भी विधायक हैं और उनकी पत्नी है और जब यह दवा लेकर जाती हैं तो धक्का देकर इनको गिरा दिया जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या होगी। कहाँ जायेंगे यह अधिकारी, एक रोज यहाँ आकर भी ऐसी हरकत कर देंगे अगर इन पर कार्यवाही नहीं होगी। इसलिये इनको सबक सिखाना चाहिये तथा इन लोगों को कुछ मान्यताओं का ख्याल रखना चाहिये। एक विशेष अधिकार किसी अधिकारी का नहीं है कि दवा देने जायेंगे तो उसको धक्का देकर गिरा देंगे। विधायक की जगह आम नागरिक भी हो तो भी इनको यह अधिकार नहीं है। यह जो घटना हुयी है, यह शर्मनाक घटना है, इसकी निन्दा होनी चाहिये और सरकार को निश्चितरूप से उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बड़ा गंभीर प्रश्न है। अभी दो दिन पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अफसरों के बारे में कहा था कि उनको बिल्कुल नकेल डालकर रखा जायेगा और विधायकों की

अस्मिता को अक्षुण्ण रखा जायेगा। उनके कहने के दो दिन तत्काल बाद इस तरह की अप्रिय घटना हमारी पार्टी की महिला सदस्य के साथ हुयी जिनके पति बीमार थे और तीन बार के पूर्व विधायक रहे हैं और डायबिटीज से पीड़ित थे, उनको दवा देने के लिये हमारी सम्मानित सदस्य श्रीमती माधुरी वर्मा जब वहां गयीं तो एक जाति विशेष के दरोगा ने इस तरह की हरकत की। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा----

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

दरोगा और पुलिस की कोई जाति विशेष नहीं होती।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इस तरह पूरे प्रदेश में हो रहा है। मान्यवर, मैं दरोगा की जाति की बात कर रहा हूँ। दरोगा ने एडीशनल एस0पी0 के कहने पर इन्हें प्रताड़ित करने की जो कोशिश की, वह निन्दनीय है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जिन्होंने कोसीकलां में बहुत अच्छा माहौल बना दिया है, बहुत अच्छा संरक्षण देकर लोगों को आये हैं, सांत्वना दी और दोनों पक्षों को ठीक रखा, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वह इस तरह के अधिकारियों को दंडित कराने का आदेश करेंगे और इस तरह का उत्पीड़न भविष्य में पूर्व विधायकों के साथ न हो अपितु महिला सदस्य के साथ ही न हो, इस तरह का कृत्य करने वालों को मान्यवर, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खेद है और नेता कांग्रेस के विचारों पर मुझे शर्म आ रही है। मैं बहुत संवेदनशीलता से इस मामले को लेने वाला था लेकिन उनको सुनकर अब मेरा अंदाजा यह हुआ कि कांग्रेस जाति विशेष के खिलाफ माहौल बना रही है, लिहाजा इस प्रश्न पर किसी तरह का कोई विचार नहीं हो सकता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आप जाति विशेष के लिये अगर सदन में माहौल बना रहे है और कांग्रेस अगर किसी इलेक्शन के मद्देनजर ऐसा कर रही है जाति विशेष के खिलाफ आप नफरत फैलाना चाहते है तो हम इस इस प्रश्न का संज्ञान नहीं लेंगे और इस मामले में हम यह जानकारी भी लेगें इसके अलावा इस प्रश्न के मामले में षडयन्त्र क्या है और यह भी पता लगायेंगे कि इस मामले में सच्चाई कितनी है क्योंकि नेता कांग्रेस ने जिस तरह से प्रश्न को रखा है, सदन और

सरकार इस प्रश्न को उस तरह से नहीं लेगी और जाति विशेष के खिलाफ कोई नफरत का माहौल नहीं पैदा होने देगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जाति विशेष की जो बात आई है, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और मैं उसे वापस लेता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैने पुलिस की जाति की बात कही है, मैंने जाति विशेष की बात नहीं कही है, मैं पुलिस की वर्दी की बात कर रहा हूँ पुलिस का उत्पीड़न बढ़ रहा है। मैंने जाति विशेष की बात नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता कॉंग्रेस, आप कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्य आप कृपया शान्त हो जाएं। एक प्रश्न रखा गया और उस पर नेता विरोधी दल ने अपने विचार व्यक्त किये और मैं समझता हूँ कि सारे सदन का माहौल सारे सदन की भावना हमेशा ऐसी रहती है जब किसी विधायक के प्रति कहीं कोई अपशब्द, या कोई अधिकारी अपनी सीमा से आगे बढ़कर उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो पूरा सदन एकमत होकर उसके विरुद्ध कार्य करता है। लेकिन माननीय नेता कॉग्रेस, पुलिस, पुलिस होती है, पुलिस की कोई जाति नहीं होती है, दरोगा चाहे जिस बिरादरी का हो लेकिन आपने जो उक्ति की कि जाति विशेष का दरोगा तो उससे थोड़ा माहौल जो बन रहा था उसे आपने बिगाड़ दिया। इसलिए मैं इस सन्दर्भ में जो भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है वह उनका अपना विचार है लेकिन अगर नियमों में कोई बात है तो आप हमें लिख करके दे दीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं खेद व्यक्त कर देना चाहता हूँ। मान्यवर, सरकारी कर्मचारी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता मान्यवर, अपने कर्त्तव्य होते हैं अपने कृत्य होते हैं। मान्यवर, मैं सिर्फ एक उक्ति आपसे कहना चाहता हूँ, न्याय में यह कहा जाता है कि कभी-कभी हम लोग वकालत पर बहस करते हुए कुछ गलत बात कह जाते हैं लेकिन फिर भी न्याय होना चाहिए। इसलिए मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अगर हमारी बहस में, हमारे बात रखने में कोई बात गलत हो गई तो उसकी वजह से न्याय न दबने पाये। न्याय अवश्य होना चाहिए, अगर एक महिला को थाने से धक्के देकर गिराया गया है तो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करूँगा, आज़म साहब आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है यह मैं मानता हूँ लेकिन थोड़ा सा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने उन शब्दों को वापस ले लिया।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिनके वापस ले लेने से बहुत असर नहीं पड़ता। जो कुछ आपने कहा वह पूरे प्रदेश ने सुना, आपकी मानसिकता सामने आई, आपके काम करने के तरीके सामने आये और यह भी सामने आया कि अब इन तथ्यों पर नये तरीके से जानकारी लेना चाहिए कि बात कहॉ तक सही है और कहॉ तक गलत है। क्या आप माननीय सदस्य को न्याय दिलाना चाहते हैं पूर्व सदस्य को न्याय दिलाना चाहते हैं या जाति विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करके आप कोई राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लिहाजा प्रश्न बिल्कुल बदल गया मान्यवर, आपके कह देने से, आपके द्वारा शब्दों को वापस ले लेने से, आपके माफी मॉग लेने से प्रश्न का भाव नहीं खत्म हो गया फिर भी मान्यवर, जाहिर है यह बात अफसोसनाक है कि माननीय सदस्य जाएं, वह महिला हों या पुरुष हों, जब हम राजनीति में आते हैं तो फिर कोई लिंग नहीं रह जाता, न महिला रहता है न पुरुष रहता है बस यही होता है कि हम एक विधायक हैं, विधायिका भी नहीं बल्कि विधायक, विधायिका का मतलब और होता है, विधायक का और होता है।

उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ उस पर अफसोस है। जानकारी लेने की जरूरत है क्योंकि बाद का जो प्रश्न है उसने पहले प्रश्न पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मालुमात करते हैं, विधायक जी कितना सही कह रही हैं, उनके साथ कितना सही व्यवहार हुआ है, कितना गलत हुआ है, पूरे प्रकरण की जाँच करेंगें। जो न्यायोचित कार्यवाही होगी उसका मैं आश्वासन देना चाहूँगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी का, बात वहीं आ गयी जहाँ मैं ले जाना चाहता था। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सदन की सर्वमान्य परम्परा यह है कि अगर कोई सदस्य यहाँ कोई बात कहता है तो मान्यवर, उसे सही माना जाता है और तब तक जब तक वह कह रहा है, उसे सही मानना चाहिए। एक महिला अगर रो-रो करके

सदन में कहे, याद रखियेगा अगर आप उस कथन को, एक भावावेष में कही हुई बात को जिस पर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूँ उसमें अगर दब गयी तो कहीं न कहीं हमारे न्याय में कमी रह जायेगी। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि जिस किसी ने महिला के साथ इस तरह से किया हो, उसके साथ कठोर कार्यवाही करें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी का, परम्पराओं को कायम करते हुए महिला सदस्य के उत्पीड़न पर जो आश्वासन दिया है। जो भी बात हुई वह भावावेश में हुई है, मैं अपनी उस बात को पुनः वापस लेता हूँ। मेरी मंशा किसी को कोई ठेस पहुँचाने की नहीं थी। बात यह थी कि जैसा मा0 महिला सदस्य ने मुझे बताया उसी के अनुरूप मैंने सदन में बोल दिया, तो इसलिए मैं उन शब्दों पर खेद व्यक्त करता हूँ और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

श्री विशम्भर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यक्तिगत घटना का उल्लेख

श्री विशम्भर सिंह-

मान्यवर, 21 अक्टूबर, 2008 को मैं इसी सदन का सदस्य था। मेरे ऊपर एस0डी0एम0 ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बाँदा में 50 लाठी मारी थी।

श्री अध्यक्ष-

वह पिछले सदन की बात थी।

श्री विशम्भर सिंह-

हमने आप सबसे यह बात कही थी और आपने कहा था कि इसे सदन में नहीं उठाना, लेकिन आज बात आ गयी है तो कहना चाहता हूँ, मा0 अध्यक्ष जी, आपने भी कहा था कि आप सदन में इस बात को उठायेंगे, सरकार ब0स0पा0 की है इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। आज हम उस सवाल को इसलिए कह रहे हैं कि आज भी वह एस0डी0एम0 जिस तरह की हरकतें कर रहा है और एस0डी0एम0 के पद पर वर्तमान में है। उसने विधायक रहते हुए मुझे 50 लाठी मारी थी तब आपने यह कहा था कि ब0स0पा0 सरकार के रहते हुए कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैंने उस समय कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे करके उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखाने की कोशिश की थी लेकिन एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी थी और न ही कोई जाँच हुई थी। मैं सदन के सामने इस बात को रखता हूँ कि उस समय मेरे ऊपर जो 50 लाठी मारी गयी थी क्या यह सदन उस पर आज कोई कार्यवाई करेगा ?

(सदन के अधिकांश सदस्यों ने कहा कि उस एस0डी0एम0 के खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए)

अध्यक्ष जी, 50 लाठी मारी गयी थी और ज्ञानेश्वर प्रसाद एस0डी0एम0 था और उस समय के जो ताकतवर मंत्री थे वह उसकी पैरवी कर रहे थे। उसमें कोई कार्यवाई नहीं हुई।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, क्रिमिनल ऑफेन्स में कोई सीमा नहीं होती है। अगर अपराध किया गया है तो 20 साल बाद भी उसकी सजा दी जा सकती है। यह तो मात्र 04 साल पुरानी बात है और अगर आपके साथ हुआ है और सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन गया है तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि ऐसे एस0डी0एम0 के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करके कार्यवाई की जानी चाहिए।

(अनेक सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री धर्म पाल सिंह की जनपद बरेली के लक्ष्मणपुर मजरा, रामनगर थाना आंवला में मिट्टी खोदते समय हुई दुर्घटना में 3 लड़कियों की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतकों को 1-1 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। (श्री धर्म पाल सिंह ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

दूसरी सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की 10 मई, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 83 अज्ञात सैनिकों के नाम तथा जन्मस्थान का पता लगाकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने एवं उनके परिवारों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में अजुहा एवं बालकमऊ में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

चौथी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद प्रबुद्धनगर के थाना भवन में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह में जल स्तर बहुत नीचे पहुँचने एवं सरकार द्वारा नहर बनाये जाने के सम्बन्ध में। छठी सूचना प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी की।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अध्यक्ष जी मैं अपनी सूचना को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कंटेन्ट्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

सूचना की एक कापी आपको अपने पास रखनी चाहिए थी। चलिए मैं विषय पढ़कर सुनाए दे रहा हूँ। आपका विषय है डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकाय पदों पर भर्ती कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समकक्ष वेतन भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा में अग्निशमन विभाग में दमकल गाड़ियों के अभाव के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत अर्धनिर्मित 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री नीरज कुशवाहा मौर्य की जनपद शाहजहॉपुर के गन्ना शोध केन्द्र को उच्चीकृत करके कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दशवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के कतिपय चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डा0 धर्मसिंह सैनी की सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा में मुंसिफ कोर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना चौ0 गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में अर्धनिर्मित बनी 56 कि0मी0 सड़क का शेष बचा 19 कि0मी0 का हिस्सा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत बन्द किसान सहकारी चीनी मिल का पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की प्रदेश में प्रगतिशील किसान मित्र के नाम से कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्यरत किसान मित्रों का शेष मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उप खण्ड स्थापित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः- श्री आलमबदी, श्री श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, साध्वी निरंजन ज्योति, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, ठा0 सूरजपाल सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री उमाशंकर सिंह, श्री मनबोध प्रसाद, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री प्रमोद तिवारी, श्री त्रिलोकी राम, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री दिलनवाज खान, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री वेदराम भाटी, श्री जय प्रकाश निषाद, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री कालीचरण सुमन, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री मदन चौहान।

(सदन की सहमति से संलग्न स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बरेली के लक्ष्मणपुर, मजरा रामनगर, थाना आंवला में मिट्टी खोदते समय दुर्घटना में 3 लड़कियों की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतकों को 01-01 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

महोदय, विधान सभा 126 आंवला जनपद बरेली के ग्राम लक्षमणपुर, मजरा रामनगर, थाना आंवला तहसील आंवला की तीन लड़कियों की मृत्यु और दो गम्भीर रूप से घायल मिट्टी खोदते समय ऊपर से डांग गिर जाने के कारण से हो गयी। दिनांक 08-06-2012 को एक ही परिवार की पाँच लड़कियां खेत से पीला मिट्टी खोदने गयीं।

ये पाँचों लड़कियां खेत के अन्दर बने गड्ढे में घुसकर मिट्टी खोदने का काम कर रही थीं और सब मिलकर मिट्टी खोद-खोद कर बाहर इकट्ठी कर रही थीं इतने में ही अकस्मात ऊपर से खेत की डांग टूटकर उनके ऊपर गिर गयी और यह पांचों लड़कियां उसमें दब गयीं। दो लड़कियों को किसी भी तरीके से जिन्दा निकाला जा सका जो गम्भीर रूप से घायल हैं और तीन लड़कियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। जीवित दोनों लड़कियों का इलाज चल रहा है। मृतक लड़कियों के नाम हैं (1) विमला पुत्री श्री भीमसेन आयु-10 वर्ष (2) कु0 मीरा पुत्री राम प्रसाद, आयु-12 वर्ष (3) कु0 सरोज पुत्री ओम प्रकाश, आयु-9 वर्ष जो लड़कियां गम्भीर रूप से घायल हैं उनका नाम है-संगीता पुत्री राम प्रसाद, आयु-12 वर्ष तथा सोमवती पुत्री ओम प्रकाश, आयु-13 वर्ष। ओम प्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय दैवीय घटना से आपको अवगत कराते हुए मांग करता हूँ कि इस परिवार में पहले ही दो पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है कमाने वाला कोई नहीं है अतः मृतकों को एक-एक लाख रुपये, घायलों को 50-50 हजार रुपये की राहत राशि सरकार से देने की मांग करता हूँ।

10 मई, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 83 अज्ञात सैनिकों के नाम तथा जन्म स्थान का पता लगाकर उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने एवं उनके परिवारों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरीवाले)

[महोदय, 10 मई, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए मेरठ में चिंगारी उठी। क्रान्ति करने वाले शहीद मंगल पाण्डेय के नेतृत्व में कुल 85 सैनिक थे जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना कर दिया था जिसके कारण उनका कोर्ट मार्शल हुआ। बगावत हुई,

---

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जेलें तोड़ी गयीं। दिल्ली चलों सम्वेत स्वर के साथ दिल्ली में बहादुर शाह जफर की ताजपोशी हुई। क्रान्ति की तिथि 12 मई 1857 थी लेकिन हालात ऐसे बने कि दो दिन पहले ही क्रान्ति हो गयी और इस क्रान्ति ने मेरठ का नाम स्वतंत्रता के इतिहास में अमर कर दिया। कभी दंगों के लिए बदनाम रहने वाले मेरठ से उठी क्रान्ति हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक थी। शहीद मंगल पाण्डेय के अलावा केवल एक नाम श्री मातादीन बाल्मीकि का आता है। इसके अलावा 83 सैनिकों में कौन कहां का था या उनका नाम क्या है किसी का नाम सामने नहीं आता है। हर समाज और देश अपनी धरोहरों को सम्भाल कर रखता है। लेकिन मेरठ में यह काम नहीं हुआ। क्रान्तिकारियों एवं क्रान्ति स्थलों का न तो गजट नोटिफिकेशन हुआ न ही इन क्रान्तिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला। क्रान्ति स्थल गुम हो गये या फिर उन पर कब्जे हो गये। वर्ष 1857 में बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, बुलन्दशहर सब मेरठ जिले के ही अंग थे। 1857 में क्रांतिवीरों को बंगाल सरकार ने सबकुछ दिया लेकिन आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक उन क्रान्तिकारियों के नाम खोजने की भी कोशिश नहीं की। इन 83 क्रान्तिकारियों का नाम, जन्मभूमि का पता लगाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दर्जा दिया जाना, इनके नाम पर शोध पीठ स्थापित किया जाना तथा शहीद स्मारक पर इनकी प्रतिमायें लगाये जाने का कार्य देशहित, समाज हित तथा इतिहास के पन्नों के लिए अति आवश्यक है। सरकार को तत्काल चाहिए कि इसके लिए जो भी आवश्यक कार्य हों चाहे इसके लिये कितना ही धन खर्च करना पड़े। एक समिति बनाकर उन 83 सैनिकों के नाम व जन्मस्थान पता लगाकर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्रदान करें तथा उनके परिवारजनों को सम्मानित करें।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र मे अजुहा एवं बालकमऊ में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में अजुहा एवं बालकमऊ में लगभग 2 वर्ष पूर्व 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किसानों एवं व्यापारियों के लिए भीषण विद्युत समस्या जो कई वर्षों से बनी हुई है। इस क्षेत्र में विद्युत समस्या के निदान हेतु क्षेत्रीय जनता एवं नागरिकों द्वारा बराबर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है परन्तु विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है जिससे क्षेत्र की जनता में असन्तोष है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

जनपद प्रबुद्धनगर के थाना भवन में कृष्णा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन जनपद प्रबुद्धनगर में सरकारी अस्पताल थानाभवन से ग्राम गोंसगढ़ जाने वाले रास्ते पर कृष्णा नदी का पुल नहीं है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हजारों छात्र-छात्राओं एवं किसानों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई लोग नदी के पानी में डूबकर काल के शिकार भी हो चुके हैं। यहां की जनता द्वारा कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग लगातार की जा रही है। कई बार इस संबंध में यहां के किसान तथा छात्र मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी अपनी बात कह चुके हैं। इस नदी पर पुल बन जाने से आसपास के दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों को काफी सुविधा मिल जायेगी। किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह में जलस्तर बहुत नीचे पहुंचने एवं सरकार द्वारा नहर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र गंगोह में जिन क्षेत्रों में जल स्तर बहुत नीचे पहुंच गया है क्या उसके सुधार के लिए उन क्षेत्रों में सरकार द्वारा नहर निकाले जाने की कोई योजना है?

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकाय पदों पर भर्ती कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समकक्ष वेतन भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

महोदय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के संकाय सदस्यों के पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता एवम् अन्य शर्तें एस0जी0पी0 जी0आई0एम0एस0 लखनऊ के समतुल्य शर्तें निर्धारित नहीं है तथा संकाय सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ता एवं सुविधाएं भी सदस्यों के समतुल्य नहीं है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यहां पर वहां अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है और उनके मन में कुण्ठा व्याप्त है। यदि सरकार राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की संकाय सदस्यों को एस0जी0पी0जी0आई0 के संकाय सदस्यों के समतुल्य वेतन एवं भत्ते तथा सुविधाएं प्रदान कर देती है तो हजारों कार्यरत चिकित्सकों को आर्थिक लाभ हो सकेगा तथा वह अपने काम के प्रति भी पूर्णरूप से जागरूक रहेंगे।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा में अग्निशमन विभाग में दमकल गाड़ियों के अभाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[मैं आपका ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा में स्थित अग्निशमन विभाग की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस विभाग में दमकल गाड़ियों का बहुत ही अभाव है, जिससे एक समय पर कई जगहों पर आग लगने के कारण हर जगहों पर गाड़ियों को न पहुंचने पर फसल, मकान एवं जानवर जलकर नष्ट हो जाते है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद सिद्धार्थनगर में अग्निशमन विभाग का दो केन्द्र स्थित है जो कि एक जिला मुख्यालय पर तो दूसरा डुमरियागंज में स्थित है। इन दो केन्द्रों पर पूरा जनपद निर्भर है।

मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग करता हूँ। ताकि जनहित में आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके।]

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत अर्द्धनिर्मित 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मैं आपका ध्यान जनपद-रामपुर की तहसील-मिलक के अन्तर्गत अर्धनिर्मित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यह उपकेन्द्र ग्राम तिराह, तहसील-मिलक में निर्मित हो रहा है। मगर इस समय कार्य बन्द है। मिलक तहसील में विद्युत सप्लाई के लिये 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र नहीं है जिसके कारण यहां पर विद्युत सप्लाई जिला मुख्यालय से होती है और रामपुर की अतिभारिता के कारण यहां से मिलक तहसील को

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है जिससे जनता में रोष व्याप्त है और रोड एन0एच0 24 पर जनता जाम लगा देती है। तहसील मिलक को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से दिलाने के लिये यहां पर 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि यहां के किसानों, जनता व लघु उद्योगों को रोशनी मिल सके। मैं इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के गन्ना शोध केन्द्र को उच्चीकृत करके कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्या-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर जो कि कृषि प्रधान जनपद है यहाँ गन्ना अत्यधिक मात्रा में पैदा होता है। अतः शाहजहाँपुर गन्ना शोध परिषद् को उच्चीकृत कर कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त गन्ना शोध परिषद् को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[जनपद बस्ती के मेरे विधान सभा क्षे0 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत विस्तारित विजनेस प्लान 2 के लिये 18 नग ग्रामों का चयन विद्युतीकरण के लिये किया गया था। उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य कराये जाने के लिये पूर्ववत में अनुमोदन वर्ष 2011-2012 में कर दिया गया है। जिन ग्रामों का अनुमोदन हुआ है उक्त ग्रामों की सूची निम्नवत् है।

1-ग्राम वोदवल दलित बस्ती वि0ख0 बनकटी।

2-ग्राम ससना खन्ता दलित बस्ती वि0ख0 बनकटी।

3-ग्राम भादी बुजर्ग दलित बस्ती वि0ख0 साऊंघाट।

4-ग्राम साहपुर दलित बस्ती वि0ख0 साऊंघाट।

5-ग्राम महदेव धोवी टोला वि0ख0 सदर।

6-ग्राम तेनुआ खटिक टोला वि0ख0 सदर।

7-ग्राम-बेलहरा दलित बस्ती वि0ख0 बस्ती सदर।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8-ग्राम बरडार दलित बस्ती वि0ख0 बनकटी।

9-ग्राम मडवानगर में डा0 अम्बेडकर पार्क होते हुये राम सुमिरन चौ0 के घर तक विद्युतीकरण वि0ख0 बस्ती सदर।

10-ग्राम बाघडीह दलित बस्ती वि0ख0 साऊंघाट।

11-ग्राम भुअर निरजनपुर दलित बस्ती वि0ख0 बस्ती सदर।

12-ग्राम सिवा कालोनी नगर पालिका सीमान्तर्गत।

13-ग्राम सिकराखुर्द वि0ख0 बनकटी।

14-ग्राम गोविन्दपुर वि0ख0 बनकटी।

15-ग्राम मेढामझारी वि0ख0 बनकटी।

16-ग्राम पकरी चन्दा वि0ख0 बनकटी।

17-ग्राम-भरवली बाबू वि0ख0 सदर।

18-ग्राम राहठौली वि0ख0 साऊंघाट।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

सहारनपुर में नकुड़ विधान सभा में मुन्सिफ कोर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मसिंह सैनी-

[कृ0 संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिला-सहारनपुर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र नकुड़ की तहसील-नकुड़ मुंसिफ कोर्ट नहीं है। उक्त तहसील नकुड़ में लगभग 50 हजार की आबादी निवास करती है, यह तहसील बहुत पुरानी तहसील है। जिससे क्षेत्रीय जनता को न्याय प्राप्त करने के लिए मुख्यालय जाना पड़ता है जोकि उक्त तहसील से काफी दूर स्थित है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आने जाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा नकुड़ तहसील में मुंसिफ कोर्ट बनाये जाने हेतु कई वर्षो से मांग की जा रही है। तहसील में मुंसिफ कोर्ट बनाये जाने हेतु पत्रावली काफी समय से न्याय विभाग में भी लम्बित है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तहसील नकुड़ में मुंसिफ कोर्ट निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में अर्द्धनिर्मित बनी 56 कि0मी0 का शेष बचा 19 कि0मी0 का हिस्सा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 गजेन्द्र सिंह-

[संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में जिला सम्पर्क मार्ग जिसे बुलन्दशहर अनूपशहर मार्ग से जाना जाता है। जिसकी लम्बाई लगभग 56 किलोमीटर है जिसमें से लगभग 37 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है और शेष लगभग 19 किलोमीटर की सड़क नहीं बन सकी है उक्त सड़क की हालत अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। उक्त सड़क अनूपशहर से बुलन्दशहर को जोड़ती है। अनूपशहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि अनूपशहर में गंगा नदी होने के कारण वहां पर हजारों स्नानार्थी पूजा अर्चना करने आते हैं। यह सड़क गंगा पर पुल बनने के बाद से गुनौर बरेली और लखनऊ को भी जोड़ती है जिसके कारण उक्त सड़क पर हजारों की संख्या में लोगों को आवागमन होता है, सैकड़ों में बड़े वाहन प्रतिदिन उक्त सड़क पर से गुजरते हैं, सड़क के जीर्ण क्षीण होने के कारण आये दिन लोगों के साथ दुर्घटनाए हो रही है लोग घायल हो रहे हैं लोगों का सड़क पर पैदल भी चलना दूभर हो गया है। उक्त सड़क के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से एवं प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु शासन द्वारा अभी तक सड़क निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उपरोक्त सड़क के शेष भाग का निर्माण यथाशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत बन्द किसान सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[संज्ञान में लाना है कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के तहसील-गोला के अन्तर्गत धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल का निर्माण के लिये किसानों की भूमि बड़े पैमाने पर अधिग्रहित कर उक्त मिल का निर्माण कराया गया। उक्त चीनी मिल

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुछ ही माह चली थी फिर वह मिल बन्द कर दी गयी। जिससे किसानों ने जिस मकसद से अपनी भूमि दी थी वह मकसद पूरा ही नहीं हुआ साथ ही साथ क्षेत्रीय किसानों ने उम्मीद पाली थी कि चीनी मिल चलने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी। वह भी नहीं हुआ एवं साथ ही तमाम बेरोजगार जो रोजगार की उम्मीद पाले हुये थे वह उम्मीद भी टूट गयी। आज भी किसान बार-बार उक्त चीनी मिल को चलाने की मांग कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि चीनी मिल सरकार चलाये और अगर सरकार किसी परिस्थिति में चला पाने में असमर्थ हो तो उक्त चीनी मिल को किसी निजी हाथों में सौंपकर किसानों के हित में उक्त मिल को चलायी जाए। उक्त मिल को किसी भी दशा में व्यापारियों को कबाड़ में न बेचा जाए। उक्त मिल को चलाये जाने की मांग वर्षों से किसानों द्वारा की जा रही है परन्तु अभी तक किसानों की मांग नहीं माने जाने से किसानों में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अनुरोध है कि जनहित में उक्त किसान सहकारी चीनी मिल को चलाये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में प्रगतिशील किसान मित्र के नाम से कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्यरत किसान मित्रों का शेष मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[प्रगतिशील किसान मित्र के नाम से कृषि द्वारा ग्राम पंचायतों में लगभग 52 हजार लोग लगाये गये थे।

यह लोग इण्टर से लेकर कृषि विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं। इनका कार्य किसानों की सहायता व शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है।

उपरोक्त कार्य हेतु इन्हे मानदेय दिया जाता रहा है।

पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया।

इनका मानदेय भी शेष बकाया है मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुये शेष मानदेय का भुगतान तथा इस योजना को पुनः लागू करने की मांग को पूरी करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उप खण्ड स्थापित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नितिन अग्रवाल-

[जनपद-हरदोई में प्रत्येक वर्ष माह जुलाई, अगस्त में गंगा, गर्रा, भैंसटा, (सई) नदियों के भीषण बाढ़ के कहर से जनपद का आधे से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की विभीषिका का शिकार हो जाता है। सैकड़ों गांव बह जाते हैं तथा सैकड़ों गांव तथा हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाती हैं जनपद की चार विधान सभा-सदर-हरदोई, बिलग्राम, हरपालपुर, शाहाबाद बाढ़ के कहर से प्रभावित हो जाते हैं। हजारों किसानों को घर छोड़कर परिवार सहित शिविरों में पलायन कर शरण लेनी पड़ती हैं जनपद-हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उप खण्ड न होने से प्रत्येक वर्ष काफी परेशानी होती है परन्तु अभी तक जनपद-हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड स्थापित न किये जाने से बाढ़ की भारी तबाही होने पर जनपद-शाहजहांपुर में बने बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड से बाढ़ का जायजा लिया जाता है। जबकि हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड की नितान्त आवश्यकता है बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड बन जाने से किसानों को बाढ़ की तबाही से काफी राहत मिलेगी। अभी तक हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड स्थापित न होने से हरदोई की जनता में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब जनपद-हरदोई को बाढ़ से निजात दिलाने हेतु जनपद में बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड स्थापित किये जाने एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज दिनांक 12 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र 22 विलासपुर में वर्ष 2011-12 की क्षेत्रीय विकास निधि की दूसरी किश्त जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसको नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया। दूसरी सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई में बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड स्थापित न होने के कारण बाढ़ से हो रही तबाही के सम्बन्ध में है यह तो नियम-301 में आ गया इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की हिन्दी संस्थान द्वारा वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के लम्बित हिन्दी साहित्यकारों को पुरस्कार दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। पंडित जी आप जो संविधान के बड़े विद्वान है, यह इसमें आता नहीं है इसलिये अब आप दूसरे मद में बोलियेगा। यह रिजेक्ट हो गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हिन्दी साहित्य एकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे इस माननीय सदन के माननीय अध्यक्ष और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस सदन के द्वारा स्वीकृत इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है। हिन्दी साहित्य एकेडमी के द्वारा जो पुरस्कार दिये जाते थे 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 वह बंद हैं। इन पुरस्कारों को दिये जाने के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्रदेश के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों का स्नातक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह भी इसमें नहीं आता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 तक के पुनरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा तथा वर्ष 2007-2008 तक 2008-2009 के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा†

संसदीय कार्यमंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लि0 के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 तक के पुनरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा तथा वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009 के वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा†

संसदीय कार्यमंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 30 की उपधारा(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ का वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2010-2011† †

संसदीय कार्यमंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 को उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के नियम-19(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 5 में कुछ नहीं, मद संख्या 6 में कुछ नहीं।

---

† छापा नहीं गया।

† † छापा नहीं गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 12 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं:-

1-दिनांक 12 जून, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मद के उपरान्त विधायी कार्य लिया जाय।

2-दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा डा0 धर्मपाल सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के ग्राह्य प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा सम्बन्धी मदें रख ली जायं।

3-दिनांक 27 व 28 जून, 2012 को सदन की बैठकें न हों।

4-दिनांक 02 व 03 जुलाई, 2012 को सदन की बैठकें हों।

5-दिनांक 27 जून, 2012 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या 50, 51, 52, 13, 23, 24, 22 तथा 91 की मदें अब दिनांक 30 जून, 2012 को ली जाये।

6-दिनांक 28 जून, 2012 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या 37, 48, 45, 02, 86, 67, 68, 30, 82, 78, 40, 41, 42, 19, 20, 61, 62, 63, 65, 66, 88 तथा 92 की मदें अब दिनांक 02 जुलाई, 2012 को ली जायें।

7-दिनांक 30 जून, 2012 को प्रश्नकाल न हो और नियम-51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

8-दिनांक 03 जुलाई, 2012 को प्रश्नकाल न हो और केवल नियम-51 व 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जाये तथा नियम-56, 300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायें।

9-दिनांक 03 जुलाई, 2012 को पूर्वान्ह 11.00 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें ली जायें।

10-दिनांक 12 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

जून, 2012

12 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं उसका पारण।

13 बुधवार, 14 गुरूवार } वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगो पर विचार एवं मतदान।

15 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 8 जून, 2012 के स्थान पर)।

2-नियम-103 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चाः-

(1) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राम ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(क) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ख) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाए जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ग) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाए।''

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।''

3- विधायी कार्य।

16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
21 गुरूवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
29 शुक्रवार 30 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

<u>जुलाई, 2012</u>

01 रविवार	बैठक नहीं होगी।
02 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
03 मंगलवार	**<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 जून, 2012 को नियम-56 में कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। पहली सूचना पर बहुत सारे नाम हैं हुकुम सिंह जी का दस्तखत हैं, प्रमोद तिवारी जी का दस्तखत है। इन्होंने लखनऊ में दिनांक 7-8 जून, 2012 को मध्यरात्रि को वरिष्ठ पत्रकार श्री हेमंत तिवारी के ऊपर हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इस सूचना पर जिनके दस्तखत हैं उनके नाम पढ़े देता हूँ।

पहली सूचना पर जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं-

(1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री हुकुम सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्री अजय कुमार ''लल्लू'', श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री संजय कपूर, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप कुमार, श्री संजय जायसवाल, श्री राधेश्याम, कुंवर कौशल सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री दिलनवाज खान, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री गयादीन अनुरागी (2) श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री कृष्ण पाल सिंह, मो0 आसिफ, श्री राजबली जैसल। दूसरी सूचना श्री त्रिभुवन राम, श्री इन्द्रजीत सरोज और श्री सूरजपाल सिंह की जो सुनी जायेगी- पूर्व मंत्री श्री जयवीर सिंह के पुत्र का जनपद फिरोजाबाद की पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री सुनील कुमार सिंह यादव की- जनपद सोनभद्र के थाना चोपन के ग्राम सलखन टोला लालगंज निवासी श्री बालेश्वर प्रसाद की दिनांक 14.05.2012 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुईं उसमें श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री सतीश महाना, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री रामचन्द्र यादव, श्री बजरंग बहादुर सिंह, डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 राधा मोहन दास

अग्रवाल, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री नीरज मौर्य (कुशवाहा), श्री जय प्रकाश निषाद, श्री राज नारायण बुधौलिया, श्री प्रदीप माथुर, श्री राजेश त्रिपाठी, चौ0 गजेन्द्र सिंह, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री अगयश राम सरन वर्मा और श्री विजय बहादुर यादव।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि आज सुन लेंगे। कृपा करके सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आज पी0डब्लू0डी0 का बजट है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, आपने कल कहा था इसलिए कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, आने दीजिए।

(श्री बजरंग बहादुर सिंह और श्री मुकुट बिहारी वर्मा बोलने के लिए खड़े हो गए)

आप लोग बैठिए ।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जनता बाढ़ से निश्चित रूप से निजात चाहती है । मैंने 5 दिन से लगातार प्रश्न लगाने का प्रयास किया, आपसे व्यक्तिगत अनुरोध भी किया हूँ । क्षेत्र की समस्या है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बीसों गाँव नदी के अन्दर चले गए हैं, हजारों एकड़ फसल हर साल डूब जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कहना चाहते थे, वह बात आ गई। आप जो कह रहे हैं, उसकी जांच होगी।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल बोलने के लिये खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी, पी0डब्ल्यू0डी0 का बहुत बड़ा बजट है, कल नहीं हो पाया लेकिन आज मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लें, अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बोलें। आप लोग इसी में बझाये रहेंगे तो कैसे होगा, तो कल, परसों, नरसों भी लिया जा सकता है, बैठिए।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

अध्यक्ष जी, बीज की उपलब्धता का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए जो स्वीकार हो गया, नियमों को मानिए, क्या आप बजट को महत्व नहीं देते हैं, इतना बड़ा बजट है, इसके लिये पूरा एक दिन रखा गया है।

तिवारी जी अपनी बात रखें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत दुःख और पीड़ा के साथ और चिन्ता के साथ भी यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाया हूं। मेरी चिन्ता यह है मान्यवर कि यह एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता पर हमला है। मान्यवर, मैं जब इसे लाया हूं तो मैं आपसे एक चीज कह देना चाहता हूं कि इसे दलीय भावनाओं से नहीं जोड़ सकता। मान्यवर, इसे सुनने के बाद इसमें सभी की सहानुभूति होगी और एक स्वर आयेगा कि इसमें कठोरतम् कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रीमन्, मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसे चुनौती के रूप में लें। इसे एक प्रतीकात्मक दण्ड की तरह लें ताकि फिर किसी गुण्डे, अराजक तत्व की हिम्मत दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति के लिये न हो। मान्यवर, बात है 7-8 जून की, आज 12 जून है, अभी तीन दिन ही की पुरानी घटना है, पूरी तरह से तात्कालिक, पहले मौके पर मैं इसे उठा रहा हूं। रात्रि के लगभग 12.00 बजे की बात है। मान्यवर, यह सामान्य है, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी कि हमारे पत्रकार बन्धु अपने कर्तव्यों का पालन कर रात्रि को 10, 11, 12 बजे तक लौटते हैं। मान्यवर, श्री हेमन्त तिवारी जी 12.00 बजे लगभग, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुये, उनके 30 वर्षों के अनुभव को देखते हुये सरकार ने बटलर पैलेस में जो सरकारी आवास आवंटित किया है, वहां जा रहे थे। मान्यवर, श्री हेमन्त तिवारी बहुत दिनों तक अध्यक्ष भी रहे हैं, पत्रकारों के, अब राष्ट्रीय सचिव हैं, इण्डियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट के, मैं इसे इसलिये बता रहा हूं कि वह कितने वरिष्ठ हैं। मान्यवर, यह जब बटलर पैलेस जा रहे थे, एक चौराहा है जिसे दैनिक जागरण चौराहे के नाम से जाना जाता है और वहां दैनिक जागरण का कार्यालय है। दैनिक जागरण एक बहुत बड़ा अखबार है। रात में बारह-एक बजे लोगों के सोने का समय हो सकता है। लेकिन किसी अखबार के कार्यालय के सामने वह जागने का समय होता है। क्योंकि वहां बहुत से हॉकर आते हैं जो अखबार ले जाते हैं। छोटे शहरों के लिये अखबार टैक्सियां लेकर जाती हैं। वहां तमाम दुकानें भी खुली रहती हैं। श्री हेमन्त तिवारी जी जब अपनी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं। तो एक सफारी वाहन यू0पी0 63 एच0 0001 किसकी है। कहां से है। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि

उसमें से 6 या 7 हमलावर उतरते हैं और उतरते ही श्री हेमन्त तिवारी की गाड़ी पर लगातार लाठियों डण्डों और हाकी स्टिक से शीशे तोड़ देते हैं। वहां से जान बचाकर पत्रकार जी भागते हैं। ड्राइवर उनको बचाने का भरपूर प्रयास करता है। चूंकि वह वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके पास नम्बर था। उन्होंने ए0डी0जी0 लॉ एण्ड आर्डर को फोन किया तो उन्होंने डी0एम0 को फोन किया, थाने में फोन किया उसका नतीजा यह हुआ और मैं बधायी देना चाहता हूं कि 5 मिनट में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गयी। तब उनकी जान बची। अगल-बगल से हमारे पत्रकार बंधु दौड़े। उसके बाद अभी पुलिस वाले उनसे हालचाल ही पूछ रहे थे।

मान्यवर, जो गाड़ी उनकी तोड़ी गयी है अगर वह देख ली जाये तो लगेगा गुण्डागर्दी का एक वीभत्स स्वरूप है। अराजकता का एक वीभत्स स्वरूप है। मान्यवर, पुलिस सड़क पर खड़ी है, पत्रकार बन्धु खड़े हैं, फिर वही गाड़ी 0001 काली सफारी आती है। दरोगा रोकने की कोशिश करता है। दरोगा पर चढ़ाते हुये, पत्रकारों पर चढ़ाते हुये वह गाड़ी फिर उसी घटना स्थल से चली जाती है, मान्यवर, उनका हौसला कितना बड़ा था। घटना स्थल पर पुलिस खड़ी है, घटना करके घटना स्थल पर 10 मिनट बाद आना, वह दिखाना चाहता है कि क्षेत्र का वह अराजक हूं जिससे टकराने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। वह सिर्फ एक माहौल बनाना चाहता है। मान्यवर, एक एफ0आई0आर0 लिखी जाती है। जो हेमन्त तिवारी जी की गाड़ी पर हमला हुआ। क्योंकि इसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं थी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के दरोगा पर चढ़ाते हुए निकलने का प्रयास हुआ। तो वहाँ उन्होंने भी एक एफ0आई0आर0 उसी गाड़ी के खिलाफ कर दी। मान्यवर, यह घटना कहां हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ में हजरतगंज में हो रही है। और कहां हो रही है। इस देश के एक प्रमुख समाचार-पत्र के चौराहे पर जहाँ पचासों-सैकड़ों लोग है। मान्यवर, मुझे कहने में यह संकोच हो रहा है कि आज तक सिर्फ एक अराजक पकड़ा जा सका है जिसकी वह गाड़ी है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं। यह सवाल न किसी दल का है न किसी व्यक्ति का है न किसी पर दोषारोपण का है। मैं कह चुका हूं कि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह आम चर्चा है कि कुछ रईसजादे कुछ नये लोग आज जिनके पास गाड़ियां हो जाती हैं पैसा हो जाता है। बोतल लेकर लखनऊ की सड़कों पर टहलने निकलते हैं और वह किसी भी शरीफ आदमी का जीवन दुःखी कर देते है।

मान्यवर, इनका हौसला तो देखिये कि एक बार घटना करते हैं और फिर वहां आते हैं और पुलिस को दौड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक दी जाये। चूंकि यह घटना 7-8 जून की है, अविलम्बनीय है। पत्रकारिता पर हमला है। भय और आंतक है। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये और जिन लोगों ने यह दुस्साहस किया है और मैं समझता हूं कि सरकार की भी यह इच्छा होगी

कि उन्हें ऐसा दण्ड मिले कि दूसरे करने वाले भी सहम जायें। मैं नहीं जानता कि गाड़ी किसकी थी, अपराधी कौन थे लेकिन जो अपराध हुआ है वह निःसंदेह हमारे आपके लिए चुनौती है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तकलीफ की बात है और आश्चर्य की भी बात है। आखिर उन लोगों का कितना मनोबल रहा होगा। जिन्होंने हमला किया, यह सामान्य रोडवेज का मामला नहीं है कि कहा सुनी हुई होगी सड़क पर खड़े हो करके उसके बाद में हमला हो गया, दानिश का है, अपनी दादागिरी दिखाने का एक अवसर है, यह सिद्ध करने की बात है कि हम क्या हैं। हम कानून से ऊपर हैं, हम प्रशासन से ऊपर हैं, हम सरकार के रुतबे से ऊपर है यह दादागिरी दिखाने की बात है। गाड़ी से उतरते हैं, सारी घटना इन्होंने बताई मैं दोहराना नहीं चाहता। कुछ तो उनमें हिम्मत रही होगी इस बात की कि कानून की हमे चिन्ता नहीं है, जो कुछ होगा देखा जायेगा या हम इतने सक्षम है कि हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का साहस न हो सके किसी का। वही मानसिकता ले करके वह उतरे और गाड़ी पर हमला कर दिया, मैंने गाड़ी नहीं देखी, लेकिन जो कुछ मुझे जानकारी मिली उस गाड़ी के बारे में, बराबर उसको मारते रहे, डण्डे उनके हाथ में थे, उससे मारते रहे, जितना भी उनसे हो सकता था वह करने की कोशिश की। अगर यह उतर कर भागे न होते तो आज सम्भवतः किसी और रूप में इस प्रस्ताव को लाये होते। जान बच गई इत्तेफाक से कि वहां आदमी थे इक्ट्ठे, क्योंकि चौराहा है, सार्वजनिक स्थान है, रात-दिन आदमी वहां पर रहते हैं किसी न किसी कारण से, केवल यही कारण था कि उनकी जान बच पाई और यह भी सही है कि पुलिस भी पांच मिनट में वहां पर आ गई।

मान्यवर, अगर गुण्डा भी होगा, छोटा-मोटा माफिया भी होगा तो निश्चित रूप से पुलिस को देख करके उसके मन में भय जरूर होगा, अब पुलिस आ गई, अब भाई उधर जाने का नहीं, छिप कर भागेगा, कहीं और चला जायेगा भाग करके, लेकिन साहस देखिये, आदमी इकट्ठे हैं, पत्रकार बन्धु भी इक्ट्ठे हो गये वहां पर, पुलिस भी वहां पर आ गई और इसके बाद में फिर दनदनाती हुई गाड़ी लाता है, पुलिस वाले रोकने का प्रयास करते हैं, चिन्ता नहीं कि पुलिस वाला दबेगा, दरोगा दबेगा या कोई और दबेगा, फिर गाड़ी दनादन कर भगा दी। मान्यवर, यह समाज के लिए खतरा है, खतरे की घण्टी है और अगर इस खतरे की घण्टी पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जरा कल्पना कीजिए हेमंत तिवारी न रहे होते, हमारी कोई बहन रही होती, कोई बेटी उस गाड़ी में रही होती, वह भी जा सकती है कहीं न कहीं और ऐसी स्थिति में वह गुण्डे क्या करते, क्या नहीं करते, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं क्या। अगर उनका साहस इतना हो गया, जैसा कि अभी आपने कहा कि गाड़ी भी एक फैशन

हो गया, एक उमर होती है इस बात की भी, पैसे का घमण्ड होता है, बोतल रखेंगे, गिलास रखेंगे, उस बोतल के बाद जो खुराफात मन में आयेगी, वह करेंगे।

मान्यवर, यह एक उदाहरण है ऐसा जिस पर अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, संदेश नहीं जाता सरकार की तरफ से कि ऐसी बदमाशी को, ऐसी गुण्डा-गर्दी को हम बरदास्त करने वाले नहीं हैं तो पुनरावृत्ति होगी, मामला और बढ़ेगा। आज सदन में मामला उठा मान्यवर, सर्वोच्च संस्था है प्रदेश की जहां हम प्रकरण को उठा रहे हैं, यहां पर मामला उठने के बावजूद भी, समस्त मा0 मंत्रियों की मौजूदगी में, समस्त मा0 सदस्यों की मौजूदगी में प्रश्न उठता है और मान्यवर, आप भी आहत होंगे, मा0 मंत्रिगण और सदस्यगण भी आहत होंगे इस बात को देख करके और यह हमारे लिए सबक की बात है कि आखिर कौन थे वह लोग, कैसे उनका इतना दुस्साहस हुआ कि पुलिस के आने के बाद में दोबारा वह हमलावर होते हैं और जब नहीं रोकते हैं गाड़ी को, जाते हैं सनसनाते हुए, ऐसी कौन सी बात होगी, किस समाज से आये हैं, किस देश से आये हैं, किस संस्कृति के वह उपज है मान्यवर इन बातों पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि पक्ष और विपक्ष का सवाल है ही नहीं, यह सवाल समाज की सुरक्षा का है, समाज में संदेश देने का है और संदेश जाना चाहिए। मान्यवर, बात सही कही वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी समाज में स्थान है, वह बात भी नजरन्दाज कर दीजिए, वह सामान्य नागरिक भी है मान्यवर, जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार उनका भी है और अगर अधिकार है तो आज उस अधिकार के ऊपर कुठाराघात इस घटना ने किया है। मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इसका संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और इस बात का संदेश देगी, कितना भी बड़ा गुण्डा हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, लेकिन सरेआम इस तरह की हरकत करेगा तो बिल्कुल बरदास्त नहीं होगा, यह संदेश जाना चाहिए, धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी एवं नेता भाजपा श्री हुकुम सिंह जी ने अत्यन्त लोक महत्व के इस प्रश्न पर अपनी चिन्ता जताई है। और मान्यवर, श्री हेमंत तिवारी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 25-26 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हैं और जैसा कि दिनांक 07-08 की रात साढ़े 12 बजे वह अपने प्रेस क्लब से अपने निजी घर बटलर पैलेस की ओर जा रहे थे और दैनिक जागरण चौराहे पर पहुँचते ही जिस तरीके से कुछ मनचले अराजक तत्वों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी आगे खड़ी करके, हॉकी और डन्डों से उनकी गाड़ी पर हमला किया। भयभीत हो करके श्री तिवारी किसी तरह से जान बचाकर के किसी तरीके से वहाँ से भागे, उन्होंने बचाओ, बचाओ की आवाद दी। दैनिक जागरण चौराहे पर भीड़ उनकी आवाज सुनकर उन्हें बचाने के

लिए दौड़ी और जब चारों ओर से वहाँ पर काफी लोग आ गए तो अपनी काली सफारी को लेकर के वह अराजकतत्व वहां से चले गये। इसी दरम्यान, जैसे कि अभी श्री प्रमोद तिवारी जी ने सूचित किया था कि श्री हेमन्त तिवारी जी ने उच्च अधिकारियों से मोबाइल पर बात की। जिलाधिकारी और कानून व्यवस्था के ए0डी0जी0 से भी बात की, मौके पर पुलिस भी पहुँची और मान्यवर, विषय चिन्तनीय इसलिए है कि पुलिस की मौजूदगी में उन गुण्डों का हौसला इतना बुलन्द था कि फिर 5-6 मिनट की अंतराल पर टाइम्स ऑफ इण्डिया वाली रोड पर, उसी गाड़ी से फिर आए। तिवारी जी और उनके ड्राइवर, अनिल कुमार पाण्डेय उनका ड्राइवर था।

मान्यवर, वह दोनों मिल करके वहाँ पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को इंगित कर रहे थे, कि इसी गाड़ी से हमारे ऊपर हमला हुआ है और जिस पर पुलिस अधिकारी और स्वयं तिवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किए। मान्यवर, 8-10 के तादाद में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति के बावजूद भी उन अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद थे कि रुकना तो दूर, उल्टा पुलिस अधिकारियों पर प्रेस, कर्मियों पर और वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी पर गाड़ी चढ़ाने का भी कुत्सित प्रयास किया। मान्यवर, जैसा कि आप स्वयं इस बात से भिज्ञ हैं कि आज एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हुआ। सारे पत्रकारों में भय व्याप्त है, क्योंकि आए-गए दिन उनको अपने समाचार से, अपने अखबारों में, टी0वी0 या रेडियों में अपने समाचार-पत्रों के लिए समाचार संकलित करने के लिए गाहे-बगाहे रात 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे भी आना-जाना पड़ता है और, मान्यवर, गंभीर इसलिए भी है कि पुलिस अधिकारियों पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। सुल्तानगंज पुलिस चौकी जो हैदरगंज कोतवाली के अन्तर्गत आती है, वहाँ के चौकी इंचार्ज श्री ओम प्रकाश यादव जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उस गाड़ी काली सफारी जिसका नंबर यू0पी0-63एच0001 है। मान्यवर, उस गाड़ी में जो अराजक तत्व उस समय मौजूद थे, उनके नाम से स्वयं सुल्तानपुर चौकी के इंचार्ज ने एफ0आई0आर0 लिखाई और नामजद एफ0आई0आर0 लिखाई। मान्यवर, पुलिस चौकी के इंचार्ज ने खुद एफ0आई0आर0 लिखाई है।

मान्यवर, मुकदमा अपराध संख्या 236/12, 8-6-2012 को लिखायी गयी और अन्तर्गत धारा 34, 353, 507, 506 और मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री हेमन्त तिवारी जी, इनकी तरफ से इनके ड्राइवर नरेन्द्र कुमार पाण्डेय की ओर से एफ0आई0आर0 लिखायी गयी मुकदमा अपराध संख्या 233/12 अन्तर्गत धारा 147, 148, 427, 506 यानी दो-दो एफ0आई0आर0 लिखायी गयी और यहां तक कि जो पुलिस चौकी इंचार्ज ने एफ0आई0आर0 लिखायी, उसमें उस अराजक तत्व का नाम भी इंगित है और

उसके बावजूद मान्यवर, एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला होने के बाद भी आज चार दिन बीत गये, चार दिन बीत जाने के बाद भी अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुयी। मान्यवर, ये चिन्तनीय है, गंभीर भी है, अविलम्बनीय भी है, पत्रकारों में आक्रोश है, लोक महत्व का भी है इसलिये मान्यवर, इसकी गंभीरता का संज्ञान लेते हुये मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात के लिये आग्रह करता हूं कि अगर समय रहते हम इन अराजक तत्वों पर नकेल नहीं लगायेंगे तो इनके हौसले और बुलंद हो जायेंगे। जब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार पर गाड़ी चढ़ा करके उनको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में अगर ऐसे सिरफिरे, मनचले अराजक तत्वों के ऊपर नकेल नहीं लगायी गयी, कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी, उन पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे आने वाले दिनों में ये और भी घिनौने कुकृत्य करेंगे और भी गंभीर हादसे करेंगे इसलिये मान्यवर, इसकी गंभीरता का संज्ञान लेते हुये मैं तो चाहूंगा कि सदन की समस्त कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, हेमन्त तिवारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सब के मित्र भी हैं। लंबे अरसे से हम यहां उनको पत्रकारिता की दुनिया में देख रहे हैं। कोई शक नहीं कि इसकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है। मान्यवर, मुकदमा तो दर्ज हुआ है धारा 147, 148, 427, 506 में, 8 जून 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक मुल्जिम की गिरफ्तारी हुयी भी है और मान्यवर मैं आज ही कोशिश करूंगा कि बाकी मुल्जिम भी गिरफ्तार हों और जितनी भी तत्परता से कार्यवाही हो सकती है, करेंगे। मान्यवर, पत्रकारिता पर हमला कोई शक नहीं कि पूरे लोकतंत्र पर हमला है और यह कतई जहन में नहीं आना चाहिये कि मौजूदा सरकार पत्रकारों पर हमले पर किसी भी तरह से गैरसंजीदा होगी या इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी। मान्यवर, कार्यवाही होगी सख्ती से कार्यवाही होगी, इत्मिनानबख्श कार्यवाही होगी, मैं यह सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। इसके बावजूद भी क्योंकि नियम-56 में नहीं आता है, इसे अग्राह्य करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें जो दफायें हैं, उन दफाओं में तो होना ही चाहिये लेकिन सार्वजनिक स्थल पर जो लोग अराजकता पैदा करें, मैं सिर्फ आपका ध्यान उधर करना चाहता हूं कि उनके लिये कुछ और दण्डों का प्राविधान भी किया जाये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पत्रकारिता की बात है तो उन दफाओं में गिरफ्तारी और मुकदमा चले ही लेकिन मान्यवर, वो भी लगनी चाहिये जो सार्वजनिक स्थल पर भय उत्पन्न करने की है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे। आपका कहना यह है कि सार्वजनिक स्थानों वाली दफा लगनी चाहिये जो भय पैदा करते हैं उन पर। मैंने मा0 प्रमोद तिवारी जी, मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 नेता विरोधी दल को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री श्री जय वीर सिंह एवं उनके पुत्र जो कम्प्यूटर इंजीनियर हैं श्री अतुल प्रताप सिंह और उनके दूसरे पुत्र जो इंजीनियर हैं सुमित प्रताप सिंह मान्यवर, इनके ऊपर थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद में। मान्यवर, एक तो उन पर घिनौना आरोप लगाया गया और फिर वहाँ के प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने उनके विरुद्ध अपराध संख्या 206/2012 अन्तर्गत धारा 147/323/392/504/492 आई0पी0सी0 तथा मुकदमा अपराध संख्या 205ए/12 अन्तर्गत धारा 147/323/392/504/427व 171 आई0पीसी0 के अन्तर्गत वहाँ पर दर्ज किया गया। मान्यवर, मुकदमें की विवेचना के उपरान्त इसमें पाया गया कि यह जो रिपोर्ट लिखाई गयी है यह असत्य रिपोर्ट है। इस आधार पर इस मुकदमें को स्पन्ज करने के लिए पुलिस के द्वारा रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की गयी है। लेकिन मान्यवर, इसी बीच किसी अन्य दबाव में आकर वहाँ की पुलिस अदालत से वह रिपोर्ट वापस मांग रही है। ताकि फिर से विवेचना शरू हो सके। मान्यवर, यह शासन के पूर्व मंत्री का मामला है उनके पुत्र इन्जीनियर हैं। इस कार्यवाही से वह लोग भयभीत हैं कि अब पुनः विवेचना की कार्यवाही क्यों प्रारम्भ की जा रही है। मान्यवर, सूचना के माध्यम से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस प्रकरण को दिखवा लें और जब एक बार विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होकर उसे समाप्त करने की संस्तुति की जा चुकी है तो फिर दुबारा इसमें अदालत से जो अनुरोध किया जा रहा है उसे वापस लिया जाये। अब वह उचित भी प्रतीत नहीं होता है। मान्यवर, यह आंशका व्यक्त की जा रही है कि कहीं फर्जी मुकदमें में उन लोगों को न फँसा दिया जाये। मान्यवर, आप आरोप देखें कि कितना छोटा है घड़ी और अँगूठी छिनैती का जबकि वह सम्मानित परिवार है।

मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि किसी तरह की राजनीतिक साजिश के तहत उनके ऊपर मुकदमा नहीं लादा जाना चाहिए। मैं इस प्रकरण पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सरोज जी ने नियम-56 के अन्तर्गत सूचना देकर बताया है वह गंभीर है। मान्यवर, श्री जयवीर सिंह जी और उनके पुत्र श्री अतुल प्रताप सिंह तथा

दूसरे पुत्र सुमित प्रताप सिंह के ऊपर राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होकर फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज कराया गया। मान्यवर, जैसा कि बताया गया है पहला मुकदमा दर्ज हुआ 21 फरवरी, 2012 को। मान्यवर, पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में इस प्रकरण की जांच की कार्यवाही की गयी और जांच में यह प्रकरण झूठा पाया गया। 5 मार्च, 2012 को इसमें एफ0आर0 और स्पन्ज की संस्तुति कर दी गयी और उसे न्यायालय में भेज दिया गया।

मान्यवर, दूसरा मुकदमा दर्ज कराया गया 21 फरवरी, 2012 को जिसमें पहला मुकदमा था मुकदमा अपराध संख्या 206/2012 जिसमें एफ आर लगा एफ आर के साथ-साथ इसमें स्पंज की संस्तुति की गयी और माननीय न्यायालय को भेजा गया 5 मार्च, 2012 को दूसरा, मान्यवर, दूसरा मुकदमा, मुकदमा अपराध संख्या 205ए/2012 जिसकी जांच हुई और जांचोपरान्त 6 मार्च, 2012 को इसमें भी एफ आर लगा और स्पन्ज करके यह माननीय न्यायालय को भेज दिया गया। मान्यवर, एफ आर और स्पन्ज की संस्तुति होने के बाद भी माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के बाद भी केवल राजनीतिक द्वैषभावना से प्रेरित हो करके यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक को भी बिना संज्ञान में लिये हुए केवल स्थानीय थानेदार के द्वारा उस प्रकरण की विवेचना पुनः प्रारम्भ कर दी गयी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा लें और अगर जांच होने के बाद एफ आर और स्पन्ज होने के बाद यह है तो पुनर्विवेचना का कोई प्राविधान ही नहीं है जब तक कि उस पर कोई गम्भीर बात संज्ञान में न आये या उच्चाधिकारियों द्वारा उस पर कोई जांच की मांग न की जाये या न्यायालय के जब तक कोई निर्देश न हों, स्थानीय थानेदान द्वारा इस तरह से किया जाना इसका मतलब है कि वह स्थानीय स्तर पर राजनैतिक द्वैषभावना से प्रेरित हो करके कहीं किसी न किसी राजनैतिक दबाव में ऐसा साजिश किया जा रहा है। इसलिए, मान्यवर, इस गम्भीर मामले में मैं चाहता हूँ कि चूँकि जब एक जनप्रतिनिधि पर घड़ी छीनने का आरोप लगेगा जो सरकार में एक बार नहीं कई बार मंत्री रह चुका है और मान्यवर, स्वाभाविक रूप से जनसामान्य जब देखेगा कि जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो जनसामान्य की सुरक्षा कैसे होगी इसलिए क्षेत्र में भी भय व्याप्त है और सारे के सारे इस प्रकरण से क्षेत्रवासियों में एक भय है, डर है और आक्रोश है। इसलिए मान्यवर, यह सूचना लोकमहत्व की है, अविलम्बनीय है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी विस्तृत जांच कराकर, निष्पक्ष जांच करा करके राजनीतिक द्वैषभावना से की जा रही कार्यवाही पर मान्यवर, अंकुश लगाने का काम करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत अच्छा लगा, पूर्व मंत्री जी ने और पूर्व मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं उन्होंने इसे नापसन्द किया, परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, आपकी परेशानी से हमदर्दी है और वाजिब परेशानी है आपकी बस खुशी इस बात से है कि आपको एहसास होना शुरू

हुआ और इसी तरह से सुधरेंगे भी आप भविष्य में, अगर यह तजुर्बे नहीं होंगे आपके तो आप गुजर गए कल को कैसे याद करेंगे कि आपने क्या किया था। अभी ठीक करेंगे मान्यवर, अभी तो जो बोया है वह निकलना शुरू हुआ है उसको रोकेंगे, कुछ पौधे बढ़ गये हैं उसको भी ठीक करेंगे, टेढ़ी बुनियाद पर टेढ़ी इमारत, सीधी करेंगे मान्यवर, बस यही अच्छा लगा कि आपको यह एहसास होना शुरू हुआ, दिखवायेंगे मान्यवर, न्यायोचित कार्यवाही करेंगे। अब क्योंकि चार्ज इसमें ऐसा है जो वाकई शोभा नहीं देता है इतने बड़े मंत्री जी पर उनके बच्चों पर इस तरह का चार्ज, पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता नहीं क्या असली वजह है। मान्यवर, एक घड़ी डेढ़ सौ रुपये की भी फुटपाथ पर मिलती है और एक साढ़े 6 लाख रुपये से शुरूआत कर रहा है, रोलेक्स, रोलेक्स की मिनिमम घड़ी उसकी साढ़ें 6 लाख की कीमत है, यह नहीं मालूम फिर भी पूरी जानकारी लेंगे और पूरी तरह से इंसाफ की कार्यवाही होगी इससे आपको मुतमईन करना चाहते हैं। वह तरीका नहीं होगा जो आपने किया था बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सरोज जी को, नेता विरोधी दल को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता है इसको निरस्त करता हूँ।

यह दो पर सुना गया अब एक सुनील कुमार सिंह यादव का है जनपद सोनभद्र के थाना चोपन के ग्राम सलखन टोला लालगंज निवासी श्री बालेश्वर प्रसाद का दिनांक 14.5.2012 को हुई हत्या के सम्बन्ध में, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(श्री सतीश महाना जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आज नहीं, अब आज रहने दो। एक सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है, उस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अब सूचनायें खत्म। अब बजट लेंगे। महाना जी, आप बजट पर बोलियेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-

अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग-(अधिष्ठान), अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,05,06,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 78,37,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,33,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,28,73,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,37,68,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, सड़कें विकास का आधार है। किसी भी प्रदेश और देश में बिना सड़कों के पूर्ण विकास असंभव है। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास बिना सड़कों के संभव नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत लोक गांवों में रहते हैं और आजादी के बाद से अभी तक बहुत से गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं हमें सभी गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। मान्यवर, पक्की सड़कों के साथ-साथ जिला मार्ग, राजमार्ग और जिला मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य भी हमें करना है। बहुत महत्वपूर्ण सड़कें जो हैं उनका भी चौड़ीकरण करना है। इसके साथ ही साथ नदियों पर नालों पर पुलों का भी निर्माण हमें करना है क्योंकि बिना पुलों और सड़कों के प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं पहुंच सकता है। हमारे प्रदेश में बहुत से रेलमार्ग हैं उनके ऊपर उपरिगामी पुलों का भी निर्माण करना है। इस तरीके से मान्यवर, 2012-13 में आयोजनागत मद से पांच हजार से दो सौ बहत्तर करोड़ रुपये और आयोजनेत्तर मद में एक हजार आठ सौ सत्तर करोड़ रुपये और कुल मिलाकर सात हजार एक सौ उनचास करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, 250 जनसंख्या की आबादी से ऊपर के जो गांव हैं लगभग 18000 गांव अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, हम उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए संकल्पित हैं, उन गाँवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसके लिए हमारे पास वर्ष 2012-13 में 415 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है। मान्यवर, 500 से

ऊपर की आबादी के जो गांव हैं उनको प्रधानमंत्री योजना के द्वारा पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है।

दूसरी एक योजना है डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, वर्तमान सरकार राजस्व ग्रामों का बहुमुखी विकास करने के लिए डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ेगी, जिसमें 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग लाभान्वित होंगे। इसको जोड़ने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन के अन्तर्गत पाँच सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अगली योजना आर0आई0पी0एफ0 है, नाबार्ड से वित्तपोषित आर0आई0पी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों को चालू कराने हेतु एक सौ नब्बे करोड़ रुपए, नये कार्यों हेतु सौ करोड़ रुपए, इस प्रकार से कुल दो सौ नब्बे करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिला योजना में, ग्रामीण मार्गों के पुनः र्निमाण, के चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में 211 करोड़ रुपये, नये कार्यों हेतु रु0 85 करोड़, इस प्रकार कुल रु0 296 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नक्सल से जो जिले प्रभावित हैं, इन मार्गों के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये, नये कार्यों हेतु रु0 10 करोड़, इस प्रकार कुल 24 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 से अधिक आबादी के समस्त गैर जुड़े ग्रामों को एकल सम्पर्कता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 41 जनपदों में लोक निर्माण की संस्था काम कर रही है। इस प्रकार प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ेंगे, इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के कार्य, वर्तमान में 2189 कि0मी0 राजमार्ग, 5198 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग तथा 31,132 कि0मी0 अन्य जिला मार्ग सभी सिंगल लेन के हैं, इन सिंगल लेन मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कुल रुपये 1907 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) राज्य योजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु इस वर्ष चालू कार्यों के लिए 155 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 540 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार राज्य सड़क निधि से, केन्द्रीय मार्ग निधि से और कुम्भ मेला के लिए, जनपद इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ मेला में जिसकी लागत 402 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष में भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल लागत का 30 प्रतिशत, इस प्रकार 120 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की है और राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष कार्यों के पूर्ण करने हेतु 256 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल

बार्डर से लगे 07 जनपदों में, पूर्वान्चल क्षेत्र के 9, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 05 जनपदों में, तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाले चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुधार के कार्य प्रस्तावित हैं। इस प्रकार इण्डो-नेपाल बार्डर के 07 जनपद रु0 62 करोड़ 50 लाख, पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था में प्रस्तावित है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण, उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, में गतिशीलता देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन निजी सहभागिता के आधार पर पी0ओ0टी0पी0पी0पी0 तथा राजमार्गों का विकास अनुरक्षण और प्रबन्धन के लिए भूमि अर्जन रेलवे के लिए वृक्षों के कटान तथा यूटीलिटी सिफ्टिंग में होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। जिसके लिए वर्ष 2012-13 में उपसा को सहायक अनुदान के रूप में 225 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार से सेतुओं के लिए अनुरक्षण कार्य भवनों के निर्माण के लिए सेतुओं के लिए वर्ष 2012-13 में 20 सेतु उपरिगामी हेतु 1,189 करोड़। और इस तरीके से वर्ष 2006-07 के मध्य स्वीकृत 49 शेष कार्य अपूर्ण हैं जो हमारी सरकार ने वर्ष 2006-07 में लगभग 585 पुल स्वीकृत किए थे और 58 बड़े पुल जिसमें केवल 8 पुल अभी तक बने हैं 50 पड़े हुए हैं और 49 जो छोटे पुल थे उसमें कार्य अपूर्ण है उनके लिए 16 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। इसी तरीके से भवनों के निर्माण के लिए राजकीय भवनों के अनुरक्षण का कार्य भी करना है। तो 40 करोड़ के अनुरक्षण कार्यों के लिए 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम जो उत्तर अभी राजकीय निर्माण निगम उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। अध्यक्ष जी अब तो सबको पता हो गया है कि इन पांच सालों में राजकीय निर्माण निगम को कहाँ लगाया गया। उसमें कल मुझको कड़ी कार्यवाही भी करनी पड़ी और भी अभी कड़ी कार्यवाही करनी है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का क्या हाल है सहारनपुर से लेकर बलिया तक इधर बुन्देलखण्ड और बुन्देलखण्ड के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मिर्जापुर, सोनभद्र और बलिया में जो काम हुआ है सबकी जानकारी में है। केवल तीन जिलों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर तो यहाँ पर सड़कों पर कोई गड्ढा होना नहीं चाहिए। बलिया के लोग बैठे हैं सोनभद्र के लोग बैठे हैं मिर्जापुर के लोग बैठे हैं, वहाँ बहुत चिकनी सड़कें होंगी। और उसमें भी मान्यवर, जो टेन्डर व्यवस्था है, एक ही टेन्डर और वह पता नहीं कितना इस्टीमेट, मनमाना इस्टीमेट। जो इस तरीके से जो धन की लूट हुई है पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं और उनमें मान्यवर, लखनऊ में एक रिंग रोड है। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है 22 किलोमीटर की रोड और 5 साल पूरे हो गये हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च हो गया 22 किलोमीटर, और अभी तक वह रोड अधूरी पड़ी है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर धन का दुरूपयोग हुआ है। मान्यवर, मुझे जाँच कराना है। बड़े बड़े इंजीनियर, इन्जीनियर इन

चीफ और चीफ इंजीनियर, उनके सम्मिलित ठेके भी थे। मुझे जाँच करानी है, उनकी हिस्सेदारी भी थी तो कितना दुरूपयोग हुआ है। सड़कों की अगर हालत देंखे तो पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे। यह तो हालत है उत्तर प्रदेश में इसलिये मैंनें पिछली सरकार से बढ़कर पैसा दिया है।

मान्यवर, जो कुल बजट है रुपये 7149 करोड़ आयोजनागत मद में 5272 करोड़ और ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु, मैं इसलिये कि पिछले वर्ष 2011-2012 में जो 6551 था मैंने उसको बढ़ाकर 7051 करोड़ रुपया किया है। इसी प्रकार मैंने ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु पिछले वर्ष से बढ़ाकर दिया है। जिला मुख्यालय को जो 4 लेन मार्गो से जोड़ना है उसके लिये पिछली सरकार ने कोई धन ही नहीं दिया था मैंने 100 करोड़ रुपया इसमें रखा है। (मेजें थपथपाई गई) मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिये पिछली सरकार ने 1577 करोड़ दिया था और मैंने दिया है 1960 करोड़ रुपया। इसी तरीके से 13वें वित्त आयोग द्वारा जिसमें पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड है पूर्वांचल के लिये 75 करोड़ और इंडो-नेपाल बार्डर क्षेत्र के लिये 62.50 करोड़ रुपये, कुम्भ मेला के लिये पिछली सरकार ने 2011-2012 में 25 करोड़ दिया था और मैंने अबकी बार 256 करोड़ रखा हैं इसी तरह से इंडो-नेपाल बार्डर मार्ग के निर्माण के लिये पिछली सरकार ने कुछ नहीं रखा था, जीरो था। मैंने 290 करोड़ रखा है। उकसा हेतु सहायक अनुदान मैंने इसके लिये 225 करोड़ रखा है। पूर्वांचल विकास निधि हेतु पिछली सरकार ने रखा था 2011-2012 में 186 करोड़ और हमने रखा है 254 करोड़। बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये 2011-2012 में 62 करोड़ था, मैंने रखा है 71 करोड़। बढ़ाकर दिया है। आर0ओ0बी0 निर्माण कार्यों के लिये पिछली सरकार ने 985 दिया था और हमने दिया है 1189। भवन निर्माण के लिये 2011-2012 में 29 करोड़ था अब की हमने रखा है 40 करोड़। आयोजनेत्तर मद में 1877, बढ़ाकर रखा है। मार्ग और लघु सिंचाई के अनुरक्षण हेतु बढ़ाकर 1798 रखा है। तो मान्यवर इस तरीके से हमने हर मद मे बढ़ाकर के, और हमने आदेश भी दिए है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी पी0डब्लू0डी0 की जो भी सड़क हैं उस पर गड्ढे नहीं मिलने चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

इस तरीके से मान्यवर, मैंने संक्षेप में लोक निर्माण की नीतियों उपलब्धियों कार्यक्रमों को आपके माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हमें सदन के सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर दृष्टि रखें। क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जागरूकता राजकीय संसाधनों के समुचित उपयोग की सबसे बड़ी गारन्टी है। दृष्टि उस पर रखनी चाहिए। अगर

दृष्टि रखी गई होती तो शायद इसमें इतने घपले नहीं होते। (शोर) मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश के व्यापक हित को ध्यान मे रखते हुए प्रदेश के विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हमारा सहयोग करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने जो बोला है इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप अनुमति दें तो, मान्यवर, सदन में पहली बार देख रहे हैं कि अभी तक सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री देने का श्रेय उत्तर प्रदेश को मिला था। इसके लिए हम अखिलेश यादव जी को बधाई भी दे चुके हैं। अभी तक भारत के इतिहास में जहां तक मेरी जानकारी है, अगर गलत हो तो कोई सही कर दें। किसी मुख्य मंत्री की पत्नी लोक सभा में निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुई हैं। मान्यवर, इस पर मेरी व्यवस्था यह है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें नियम-110 में प्रस्ताव भी आ चुका और वह सर्वसम्मति से पास भी हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं दूसरी बात कह रहा हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर पति का कर्तव्य है पत्नी को खुश रखने के लिए पत्नी की जीत पर कुछ न कुछ होना चाहिए। भाई आजम खाँ भी बहुत अनुभवी है वह भी आपको सलाह देंगे। विश्व रिकार्ड है। मैं सीधा सा टोटका बता देता हूँ सारी खुशी खुद नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा बांट दें। जो पुराने राजे-महाराजे होते थे वह रियासत होती थी तो रियासत दे देते थे हम रियासत नहीं माँगते आपसे, लेकिन अपने चाचा से कह दीजिए कि विधायकों को 10-10 किलोमीटर सड़कें दे दें। बहू भी तो आपकी हैं। जब भी मौका लगे आप इस जीत की खुशी का ध्यान रखिएगा।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह अव्यवस्था है बीच में।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अभी प्रमोद तिवारी जी ने कुछ सुझाव दिए हैं वैसे तो प्रदेश में सड़कों की हालत ठीक नहीं है लेकिन मैं प्रमोद तिवारी जी को आश्वस्त करता हूँ कि आपके क्षेत्र में गड्ढे नहीं मिलेंगे और भी मा0 सदस्यों से जो 10-15 किलोमीटर यहां तक 20 किलोमीटर तक देख लेंगे गड्ढे हम भरवा देंगे। कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, गड्ढे हम भरवा देंगे। शहर में पी0डब्लू0डी0

की कोई सड़क हो तो दे देना गड्ढे भरवा देंगे। अच्छी करा देंगे, चिकनी करा देंगे, गड्ढ़े नहीं मिलेंगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऐसा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पहाड़िया जी, बैठ जाओ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो संसाधनों की कमी है और संसाधन हमें जुटाना है और संसाधन जुटा करके पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें ठीक करना है, पुल भी बनाने हैं। बहुत से काम करने हैं। अन्त में मैं इस सम्मानित सदन से यही अनुरोध करूँगा कि लोक निर्माण विभाग की सभी अनुदान माँगों को एक मत से पारित कर दें। इसलिए हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल करके अनुदान माँगों को पारित करें।

श्री अध्यक्ष-

अब त्रिभुवन राम जी कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, कल जब सदन में यहाँ पर चर्चा हो रही थी तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय हुकुम सिंह जी ने एक बात कही थी कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के अधीन मैंने काम किया है, उनके सामने मुझे बजट की कटौती के प्रस्ताव पर बोलना है। मान्यवर, यह बात सही है, मैं असमंजस की स्थिति में कल था। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, मैं चूँकि

39 साल सरकारी नौकरी में रहा और 39 साल के बाद 30 जून को रिटायर हुआ हूँ और दूसरी पारी में मैं माननीय सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, इस सम्मानित सदन में तीन ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिनके अधीन मैंने कार्य किया है, मैं उनके प्रति सम्मान अर्पित करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले श्री कलराज मिश्र जी का नाम लेना चाहूँगा, उनके कार्यकाल में उनके अधीन मैं कार्यरत रहा और अगस्त, 2000 में उन्होंने ही मुझको मुख्य अभियन्ता बनने का अवसर दिया था। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा और सम्मान अर्पित करना चाहूँगा। मान्यवर, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो आज लोक निर्माण मंत्री जी है, पूर्व में भी मैं इनके अधीन वर्ष 2003 से 2007 तक कार्यरत रहा हूँ। इनका बहुत स्नेह और सहयोग हमारे प्रति रहा है और इन्होंने यह बात कही थी कि मैं आपको विभागाध्यक्ष तो नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और उनका हमारे ऊपर बड़ा अहसान था। मैं उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान देना चाहूंगा। मैं उनको नमन कर रहा हूँ। मान्यवर, ठाकुर तेजपाल सिंह जी वह भी सदन में यहाँ पर उपस्थित हैं, वह राज्यमंत्री थे उनके अधीन भी मैंने काम किया था इसलिए उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। उनको सम्मान देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार देना चाहूंगा, एक छोटी सी घटना के लिए। अभी कुछ दिन पूर्व एक सामाजिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन हुये थे उन्होंने कहा था कि टी0 राम, अब तुम हमारी बिरादरी में आ गये हो इसलिए अब तुम यह सब पहनना छोड़ दो कुर्ता पायजामा पहनना शुरू करो। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही यह निर्देश था और मैंने कुर्ता पायजामा पहनना शुरू कर दिया। मान्यवर, सभी लोग जानते हैं कि सड़क के बिना किसी देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और लोक निर्माण विभाग का एक बहुत बड़ा और गौरवशाली इतिहास है। मान्यवर, मैं अगर यह बात कहूं कि पूरे हिन्दुस्तान में जो सबसे प्राचीनतम विभाग हैं अगर लोक निर्माण विभाग उनमें से एक है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विभाग की स्थापना 1854 में हुयी थी। उस समय नार्थ ईस्ट टाउन्स हुआ करता था। उस जमाने में केवल एक मुख्य अभियंता, तीन अधीक्षण अभियंता और 20 जिलों में डिवीजन्स हुआ करते थे। उस समय लोक निर्माण विभाग का बजट 227 लाख ही था और लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिलीटरी इंजीनियरिंग सर्विसेस, एल0एस0जी0डी0, एरिगेशन सभी विभाग आते थे। मान्यवर, 1901 में यूनाईटेड प्राविन्स बना और उसके बाद मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेस अलग हुयी। बाद में 1927 में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का सृजन हुआ और एल0एस0जी0डी0 डिपार्टमेंट भी अलग हुआ। 1938 सिंचाई विभाग अलग हुआ। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के पास बिल्डिंग और दो ग्रान्ट रह गयी। मान्यवर, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उसके पहले से सड़कों के निर्माण और उनके अनुरक्षण के सम्बन्ध में कोई बहुत बड़ी योजना भारत सरकार के सामने नहीं थी। हाइ-वे इंजीनियर्स और जितने भी विशेषज्ञ थे। हिन्दुस्तान के जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट थे और जितने भी बड़े कंसल्टेंट थे सभी ने मिलकर 1934 में इंडियन

रोड कांग्रेस की व्यवस्था की थी। एक नया आर्गेनाइजेशन बनाया गया इंडियन रोड कांग्रेस ने पहले बाम्बे प्लान के नाम से सड़कों के विकास के लिए एक स्कीम दी थी। उसके बाद जब लखनऊ में एक महाधिवेशन हुआ। तो महाधिवेशन के बाद लखनऊ प्लान आया। तब देश और सारे प्रदेश की सरकारों को यह चेत आया कि सड़क बहुत जरूरी है। सड़क का निर्माण जरूरी है उसका अनुरक्षण जरूरी है अन्यथा इस देश और इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। मान्यवर, उसके बाद सड़कों और पुलों के निर्माण में काफी तेजी लायी गयी। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी विभाग थे सभी विभागों में अपने विभागीय भवन बनवाने और उनके आवास बनवाने के लिए भी तमाम योजनायें स्वीकृत हुयीं और लोक निर्माण विभाग के पास काम की अधिकता बढ़ती गयी। उसे देखते हुए वर्ष 1973 में सेतु निगम की स्थापना की गयी तथा भवनों के कार्य के लिए 1975 में निर्माण निगम की स्थापना की गयी।

(कुछ सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, सुन लें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, एक छोटा सा इतिहास मैंने इसलिए रखने की कोशिश की कि कदाचित जो हमारे नये माननीय सदस्य हैं विभाग के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0टी0 राम जी, उधर बात न करे, आप अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री त्रिभुवन राम-

माननीय अध्यक्ष महोद्य, अनुदान संख्या-56 पर मैं बात करना चाहूँगा, जो पूर्वान्चल तथा बुन्देलखण्ड के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए बजट है और पूर्वान्चल में जो बड़े वृहद् कार्य है विशेष सूचना है उसके लिए आपने रखा है सिर्फ 153.50 करोड़ रूपये और रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 37.50 कुल मिला कर 191 करोड़ रूपये की अनुदान संख्या-56 में व्यवस्था है। इसी तरह से बुन्देलखण्ड की विशेष योजना में 41 करोड़ 50 लाख और रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 37 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था, कुल मिलाकर 79 करोड़ है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पीछे एक चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तमाम बड़े-बड़े नेता वहां पर चिल्लाते रहे कि बुन्देलखण्ड का विकास होना चाहिए और पूर्वान्चल का भी विकास होना चाहिए और वहां पर गांवों को जोड़ने की समस्या आज भी बनी हुई है, बिजली की समस्या है, तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मान्यवर, अगर कुछ वृद्धि हो जायेगी तो यह प्रदेश हित में होगा।

मान्यवर, अनुदान संख्या-57 में सेतुओं के लिए वर्ष 2012-2013 में 1205 करोड़ 09 लाख 56 हजार रूपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है जबकि पिछले साल 2011-2012 में 1374 करोड़ रूपये की व्यवस्था थी, इस प्रकार लगभग 170 करोड़ रूपये इस वर्ष कम रखे गये है। इसमें मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि आर0ओ0बी0 के लिए 2012-2013 में केवल 245 करोड़ रूपये की व्यवस्था है, जबकि ऊपरिगामी सेतुओं के लिए पिछले वर्ष 467.40 करोड़ रूपये की व्यवस्था थी, इस प्रकार जो ऊपरिगामी सेतु है उसके लिए 223 करोड़ रूपये की कमी की गई है इस बार। मान्यवर, ऊपरिगामी सेतु में रेलवे के साथ यह बाध्यता होती है 50 परसेण्ट धनराशि मिलती है, तो इसमें यदि धनराशि बढ़ा दी जायेगी तो कदाचित देश हित में होगा। मान्यवर, इस समय आवश्यक आर0ओ0बी0 प्रगति में है और अभी रेलवे के साथ जो पुल बनाने का प्लान है 2012-2013 में उसको जो स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसमें 11 और पहले से 24 कुल मिलाकर 35 और नए पुल बनाने के लिए आर0ओ0बी0 की सहमति रेलवे विभाग से प्राप्त हो चुकी है आज की तारीख में। तो मेरा निवेदन था कि अगर इसमें कुछ धनराशि बढ़ा दी जाय तो इससे लोगों को फायदा होगा। मान्यवर, पिछले साल 87 पुल सेतु निगम ने बनाया था और दो पुल पी0डब्लू0डी0 ने बनाया था, लेकिन अभी 96 पुल ऐसे है, जिनकी पहुँच मार्ग नहीं बनी है जिससे उनका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इनकी भी व्यवस्था अगर जल्दी हो जायेगी तो प्रदेश को इससे फायदा मिलेगा।

मान्यवर, इसमें से जो पुल बाकी है, मा0 मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और सही भी है 06 पुल तो गंगा पर है और तीन जिलों में है, मिर्जापुर, बनारस, चन्दौली और गाजीपुर को मिलाकर चार जिलों में छः पुल गंगा पर है और गंगा पर पुल कदाचित इसलिए पूरा नहीं हो पा रहे है कि वहाँ पर इंलैण्ड वाटर बोर्ड अथारिटी ने यह कह दिया है कि कम से कम 120 मीटर का स्पान कर दिया जाय और पुल की हाईट बढ़ा दी जाय और इसलिए यह डिजाइन वगैरह के चक्कर में भी फंसा है। तो मान्यवर, इसमें यद्यपि मुझे वर्तमान में जो प्रबन्ध निदेशक है, उन पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मान्यवर, यह समस्या आज पैदा हुई है, इसलिए हो सकता है इसमें और विलम्ब हो। तो मैं केवल मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मान्यवर, इसको भी दिखवा लीजिएगा, इसकी हाउस डिजाइन तो सम्भव नहीं है, अगर डिजाइन जल्दी हो जाय तो यह काम भी पूरा हो जाय, काफी दिनों से पड़े हुए है। मान्यवर, पिछली सरकार में एक काम जनता के अनुरोध पर बहुत बड़ा किया था वह यह था कि जितने भी स्टेट गवर्नमेन्ट के अधिकार क्षेत्र में पुल थे सारे पुलों से पथकर की वसूली को समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए, लेकिन उसके विपरीत दूसरी तरफ जो नेशनल हाई-वे के पुल है मान्यवर, उस पर भारत सरकार लगातार उन पर पथकर की वसूली कर रही है चाहे उसकी लागत पूरी हो गई हो या न पूरी हुई हो। तो मै चूँकि कांग्रेस के मा0

सदस्यगण भी बहुत प्रभावी लोग है और इस समय कांग्रेस का रूख भी काफी बदला हुआ है मान्यवर, पिछली सरकार के साथ तो रूख बड़ा टेढ़ा था। कभी मद्द नहीं मिलती थी। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ मान्यवर, आपके माध्यम से कि यदि इनका भी सहयोग मिल जाता है तो जितने ये राष्ट्रीय पुल है, उन पुलों का पथकर समाप्त कर दिया जाए। मान्यवर, कुछ पुल तो ऐसे है जिनका पूरा-का-पूरा पैसा वसूल भी हो चुका है। इसी पुल के परिप्रेक्ष्य में मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इंटर स्टेट केनेक्टिविटी एक हेड है भारत सरकार का, उसमें पूरा-का-पूरा पैसा मिलता है स्टेट को, और अभी तक केवल एक सहारनपुर और लखनऊ से लगे यमुना नदी के पुल की स्वीकृति हम लोग इस हेड में पाए है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इस पर भी प्रयास किया जाए तो जितने भी बार्डर के जिले है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें पुल और सड़क दोनों का काम मिल सकता है, मान्यवर।

मान्यवर, जहाँ तक सेतु निगम का प्रश्न है, मान्यवर, 2004-2006 में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 50 इंजीनियर, जो वहाँ के बहुत ही अच्छे इंजीनियर थे, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। जिससे एक बहुत बड़ा वैक्युम वहाँ पर हो गया और कार्य में परेशानियाँ हुई है। काम की प्रगति पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो, मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री से मान्यवर, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी हो सके तो पहली पदोन्नति पर पी0डब्ल्यू0डी0 से कम-से-कम पाँच-पाँच साल के लिए, वहाँ पर भेज दिए जाएं ताकि वहाँ पर सेतुओं का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था कि सेतु निगम का जो पूरा-का-पूरा बजट है वह पूरा का पूरा टर्न ओवर है, वह आज की तारीख में केवल उत्तर प्रदेश के बजट पर आधारित रहता है। जितने भी टेण्डर के काम थे, करीब-करीब सब में लांसेस् हो रहे है, यहाँ तक की गढ़मुक्तेशर को जो काम है, जो कि 35 किलोमीटर की लम्बाई का है, वह भी पूरा नहीं हो पाया है और उस पर भी 39-40 करोड़ रूपये के लॉस होने की संभावना है, तो मान्यवर, मैं आपकें माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो इस्टीमेट वगैरह या जो भी प्रोजेस्टस् बनाए जा रहे है, विशेष रूप से जब हम कहीं बाहर ऑफिस देते हैं, अगर ठीक से देखकर टेण्डर किए जाते हैं तो उससे लॉस की संभावनाएँ कम रहेंगी, क्योंकि 3-4 साल में ही स्पॉन हो जाता है, 3-4 साल में ही काम पूरा हो पाता है, जिससे बाद में फिर दिक्कतें होती हैं।

मान्यवर, अनुदान संख्या-58 में सड़कों का कार्य है। मा0 मंत्री जी ने अभी आपके सामने यह बात कही थी, मैं एक फीगर जो इस बजट में छपी हुई है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि गत वर्ष 4903 करोड़ रूपये 31 लाख

45 डाले थे यह स्थिति थी और इस वर्ष 40938 करोड़ 78 लाख एक हजार इस प्रकार से 35 करोड़ 36 लाख रुपये की धनराशि इस मद में केवल अधिक है और मान्यवर, गत वर्ष अनुरक्षण के लिए जो धनराशि दी गयी थी उसकी अपेक्षा इस वर्ष 100 करोड़ रुपये की लगभग अधिक धनराशि दी गयी है 1798.08। लेकिन अभी 14 अप्रैल को राज्य सड़क निधि की बैठक हुई थी, मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें सड़क प्रबंधन समिति की बैठक में पी0डब्ल्यू0डी0 ने यह मांग की थी कि 54 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, अगर सड़कों को सही करना है तो मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि जो चालू कार्य है उसमें धनराशि की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए थी, जबकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम कर दी गयी है। जो हमारी स्ट्रैक्ट हाई-वे थी, उनको चालू करने के लिए इस साल 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जबकि पिछले वर्ष में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इसी तरह से प्रमुख जिला मार्ग था मान्यवर, उसके चालू कार्यों के लिए पिछले साल 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इस वर्ष मात्र 100 करोड़ की व्यवस्था है इसी प्रकार से नाबार्ड में मा0 मंत्री जी ने कहा था कि उसमें धनराशि अधिक देनी चाहिए थी, लेकिन मान्यवर, 2012-13 में 190 करोड़ की धनराशि प्रावधानित की गई है नाबार्ड में। जबकि पिछले वर्ष 2011-12 में 280 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। मान्यवर, एक बात मैं और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष कुंभ मेले के लिए प्रॉयरिटी थी और उसके लिए 402 करोड़ रुपये की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसमें से 256 करोड़ रुपया धनराशि भी दी गयी है। मान्यवर, पिछली सरकार ने ग्यारह ऐसे शहरों जिनमें आगरा, मेरठ, मथुरा, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद आदि को वहां के इन्फास्ट्रक्चर के विकास के लिये काफी धनराशि मिली थी। लेकिन इस बार के बजट में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष बात नहीं कही गयी मैं इस सम्बन्ध में मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें जो विभिन्न प्रदेशों में डीजल और पेट्रोल की बिक्री होती है उसमें दो रुपये प्रति लीटर के हिसाब से होता है और उसमें नेशनल हाई-वे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रेलवे विभाग इन सबकी इसमें व्यवस्था होती है। इस तरह से इसमें 30 प्रतिशत केन्द्रीय मार्ग निधि से आता है, राज्य सरकार को मिलता है। इससे स्टेट हाई-वे और एम0डी0आर0 के विकास में सहायता मिलती है। मान्यवर, इसमें पहले यह था कि जो क्षेत्रफल था राज्य का वह आधार माना जाता था उसमें गुणांक 60 और गुणांक 40 था, इसमें उत्तर प्रदेश को आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर फायदा हो जाता था। लेकिन इधर भारत सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया है अपनी नीति में और इसमें इंडेक्स को आधार बनाया गया है जिसमें 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत

कर दिया गया है। इस संशोधित नीति से महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश व जम्मू तथा कश्मीर को ज्यादा फायदा मिल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश को उसके अन्तर्गत कम बजट मिल पा रहा है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का और अपने काग्रेंस के मा0 सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार की संशोधित नीति से जो विषमता पैदा हो गयी है उसको दूर कराने का प्रयास किया जाये।

मान्यवर, जो सड़क निधि है हमारी वह वर्ष 2000 में शुरू की गयी थी और उसका आधार यू0पी0 रोड पॉलिसी 1998 थी। और उसमें यह था कि वह 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी सड़क प्रबन्धन के नियम बने और उसके आधार पर जो मोटर स्पीड, डीजल 14 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत था बढ़ा कर उसको 20 प्रतिशत कर दिया गया है। 2002 से 300 करोड़ रूपये प्रारम्भ करके, 1500-1600 करोड़ की धनराशि इस मद में प्राप्त होती रही। मान्यवर, यह सड़क विकास निधि 2008 में एक प्रकार से लगभग समाप्त हो गयी थी। वर्ष 2008 में हम लोगों ने भारत सरकार के डाक्यूमेंटस् को देखा था, उसमें विजन 2025 और सड़क विकास विजन 2021 को देखा था। जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट विभाग है उसमें हम लोगों ने सारे अभिलेखों को देखा था और उसके आधार पर एक रोड पालिसी बनायी थी। जो मान्यवर पिछले एक साल में चुनावों के संचालन होने के कारणों से प्रख्यापित नहीं हो पायी। जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के समक्ष उसका प्रस्तुतीकरण हो चुका है। मान्यवर हम लोगों ने उस योजना में सारी चीजों को समाहित किया हुआ है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप उसका परीक्षण करवा लें और हम चाहेंगे कि वह उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जायें।

मान्यवर, जहाँ तक ग्रामीण सड़क का मामला है इस प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार चार मजरे है। जिसमें से लगभग 696 मजरे विकसित होने अवशेष है। मान्यवर, यह ग्रामीण सड़क योजना बड़ी मेहनत करके बनायी गयी है। यह हो सकता है कि कुछ मजरे इसमें अर्ह न पाये जाने के कारण चयनित न हो पाये हों लेकिन जहाँ पर इसे बनाये जाने की जरूरत है, जिन मजरों में विकास की जरूरत है उसमें ध्यान देकर विकास कराया जा सकता है। मान्यवर, इसी तरह से 250 से 500 की आबादी के बीच में जो असन्तृप्त गांव पड़े हैं उनके विकास की बात है। 250 से 500 तक की आबादी वाले 18000 मजरे अवशेष है मान्यवर, और अभी मा0 मंत्री जी ने जो लोहिया ग्राम विकास योजना पर बात की थी, उसमें 11000 मजरों को पांच साल में लेना है, 2100 मजरे प्रति वर्ष, पांच साल के बाद भी बहुत से मजरे ऐसे ही रह जायेंगे तो मेरा यह निवेदन था कि ग्रामीण मार्गों के संतृप्तीकरण के लिये उनको पक्के

मार्गों से जोड़ने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये मान्यवर और इसमें बजट बढ़ना चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ कि पहले जब सैचुरेशन कहलाता था, गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का सैचुरेशन कहलाता था। ईटों के खड़ंजें से भी वे जुड़ जाते थे और अब भी एक हजार की आबादी के ऊपर के ऐसे बहुत से गांव है जो ईटों के खड़ंजे से जुड़े हुये हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्वालीफाई भी नहीं करते हैं तो करीब-करीब हजार गांव अब भी, आज भी ऐसे है जो खड़ंजे से जुड़े हैं और खड़ंजे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और मान्यवर, इसकी योजना अभी न तो भारत सरकार में हैं और प्रदेश सरकार में हैं।

मेरा केवल इतना निवेदन है कि अगर उचित समझा जाये तो इसको ले लिया जाये क्योकि इसका कोई दोष नहीं है कि एक बड़ा गांव पड़ा हुआ है और छोटे-छोटे गांवों का हम पहले टेकअप करें। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जब 15 मार्च को जब सरकार आयी थी तब इन्होंने कहा था कि हम एक माह में सारे गड्ढों को भर देंगे और उसके बाद तीन माह के अंदर हम प्रदेश की टोटल सड़कों को पैचलेस कर देंगे। मा0 राज्य मंत्री जी ने भी बनारस में यह घोषणा की भी और उसके बाद अखबारों में छपने लगा था कि मा0 मंत्री जी की घोषणा ऐसे ही है। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि दिसम्बर 2011 से चुनाव घोषित हुआ, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चुनाव हुआ। पी0डब्ल्यू0डी0 के सारे अधिकारी, कर्मचारी चुनाव में लगे। उन्होंने कोई काम नहीं किया पैच रिपेयर तक कहीं नहीं बनायी गयी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई तीन महीने और बीत गये लगभग छह, सात महीने हो रहा है। मान्यवर, पैच रिपेयर हो या सड़क का निर्माण हो। इसमें दो बातों की आवश्यकता पड़ती है, ग्रिट और स्टोनबैलास्ट और दूसरा पड़ता है बिटुमिन मान्यवर। ग्रिट और स्टोनबैलास्ट आज की तारीख में मिल नहीं रहे है। खदानें बन्द हैं और जहां पर थोड़ा बहुत रहता भी था, वहां परिवहन बंद है। एक तरफ तो ग्रिट नहीं मिल रही है और दूसरा मान्यवर, बिटुमिनस के लिये इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन की एक चिट्टी आयी है और उन्होंने यह लिखा हुआ है, प्रमुख अभियन्ता को मिलकर उन्होंने दिया हुआ था और उन्होंने कहा था कि अप्रैल, मई में आप बिटुमिन नही उठा रहे है, आपका पैसा भी वहां पर पड़ा हुआ है और उन्होंने कहा था कि हम बंद कर देंगें, इण्डियन ऑयल से बिटुमिन प्रॉडक्शन हम बंद कर देंगे मथुरा से और उन्होंने मान्यवर, यह भी किया है कि मई के बाद अब उन्होंने प्रॉडक्शन कम कर दिया है, रिड्यूज कर दिया है, प्रॉडक्शन कुछ दिनों के लिये शटडाउन भी हो गया था। यहां तक कि उन्होंने जो क्रूड ऑयल था जिससे बिटुमिन ज्यादा निकलता था, उस तरह के क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना बंद करके ऐसा क्रूड ऑयल उन्होंने लेना शुरू कर दिया है जिससे बिटुमिन कम होगा। मान्यवर, देखा जाये कि अगर प्रॉडक्शन कम हो जायेगा तो बाकी चूंकि इतना बड़ा बजट है तो आगे हमकों बिटुमिन कहां से मिलेगा। मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक बात है

और मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में यह बात डालना चाहूंगा। दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़कों के लिये बिटुमिन सबसे बड़ा सब्सटेंस है, सबसे बड़ा तत्व है और बिटुमिन मान्यवर, मथुरा से आता है। मथुरा के आस-पास अवैध फैक्टरीज बनी हुयी है।

(सत्ता पक्ष की ओर से-वो तो पहले से बनी है, हम बंद करा रहे है।)

श्री अध्यक्ष-

अरे ठीक है, अब हो गया।

श्री त्रिभुवन राम-

आपके लिये थोड़े ही बता रहा हूं। आपको सब जानकारी है आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

अरे ठीक है, बैठिये मा0 सदस्य।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, पीछे 24 वार रेड हो चुकी है।

श्री मोहमद आज़म खाँ-

मा0 सदस्य ने जो व्यवधान डाला है मुनासिब नहीं है घर के भेदी है, घर के भेदी है सुन लो इनसे जानकारी मिलेगी, सीखो।

श्री त्रिभुवन राम-

सीखा आप से ही मान्यवर, इसलिये आपके सामने बात कर रहा हूं न। सब कुछ सीखा है आप ही लोगों से।

श्री अध्यक्ष-

मा0 टी0 राम जी, चर्चा जारी रखें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर जो फैक्ट्ररीज चल रही है उनको बंद कराने का प्रयास होना चाहिए और पीछे करीब 24 रेड पड़ी थी लेकिन अब भी ये चलती रहती है इसलिये बिटुमिन पर उसका असर पड़ता उसकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। मान्यवर, पीछे अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की थी प्रत्येक जिला मुख्यालय को 4 लेन की सड़कों से जोड़ा जायेगा।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को साधुवाद भी देना चाहूँगा कि प्रदेश हित में उन्होंने जो बात कही और वह बजट में भी आ गयी। मान्यवर, 75 जिलों में से 56 जिले तो नेशनल हाइवे के माध्यम से जिला मुख्यालय को जा रहे हैं

8 जिलों में ही यह काम करना है और इसके लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। दूसरी बात जो इम्पार्टेन्ट थी वह तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने की थी इस योजना के अन्तर्गत पूर्वान्चल के 9 जनपद चन्दौली मऊ, फतेहपुर, सन्त रविदास नगर, आजमगढ़, गोण्डा, गोरखपुर, गाजीपुर, सन्तरविदास नगर में 117 कि0मी0 की सड़कें स्वीकृत हुई है इसी तरह से बुन्देलखण्ड में 5 जिलों में महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन 108 कि0मी0 की सड़कें स्वीकृत हुई। मान्यवर, यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है इसको चलते रहना चाहिए। मान्यवर, कुछ दिन पूर्व जब माननीय मुख्यमंत्री जी, मान्यवर, इजाजत हो तो मैं 2-4 मिनट और बोल लूँ नहीं तो मैं अपनी बात खत्म करूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह कटौती नहीं अनुपूरक है।

श्री अध्यक्ष-

टी0 राम जी चर्चा जारी करें।

श्री त्रिभुवन राम-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले पीपीपी माडल की ओर इशारा किया था तो मैं पीपीपी माडल की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पीपीपी माडल पर सड़कों के विकास के लिए दो यहाँ पर एक यूपिडा और दूसरा उपसा है। मान्यवर, यूपिडा औद्योगिक विकास के अन्तर्गत सीधे काम करती है और उसमें बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं है जैसे गंगा एक्सप्रेस-वे यह काम वहाँ से हो रहा था दूसरी योजना मान्यवर, उपसा उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे एथारिटी। मान्यवर, इसकी आवश्यकता पिछली सरकार में माननीय मंत्री जी के जमाने में महसूस की गयी थी और 13 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे का गठन भी किया गया था लेकिन उसमें वायबिलिटी और फिजिबिलिटी सड़कों की ज्ञात करने में और उसका सर्वेक्षण कराने में काफी समय लग गया 3 साल में वहां कोई काम नहीं हो पाया। अगली सरकार में भी मान्यवर, यह कार्य प्रारम्भ किया गया और 2009 तक भारत सरकार के साथ अच्छा वातावरण में काम होता रहा। भारत सरकार नेशनल हाइवे एथारिटी के माध्यम से जो सड़के लेने की बात कही थी उसमें से उन्होंने कहा था कि हम 7 सड़के प्रदेश सरकार को दे देंगे वह पीपीपी माडल से डेवलप करेगी लेकिन उनकी नीयत भारत सरकार की खराब हो गयी उन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे और इस बार इससे स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट जो था वह हम लोगों को स्टेट गवर्नमेन्ट को विदड्रा करना पड़ा फिर मान्यवर, हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजे उसमें भारत सरकार ने काफी देरी की उन्होंने जो वायबिलिटी गैप फंडिग है उसको विलम्ब किया यहाँ तक कि एक्सपेंडीचर डिपार्टमेन्ट

में, इकोनामिक एफेयर्स में, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट में, मिनीस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट में हर जगह विलम्ब हुआ जिसके कारण यह जो प्रोजेक्ट है इसको मूर्तरूप देने में काफी समय लग गया। मैं तो रिटायर हो गया था मान्यवर, जून में लेकिन उसके बाद अगस्त में।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रमोद जी बहुत बेचैन हो गये इस बात में कि भारत सरकार की नीयत खराब हो गयी, टी राम जी बतायेंगे कि क्या देखकर दिल्ली की नीयत खराब हो गयी यह जरा जान ले सदन, क्या दिल्ली ने देख लिया कि नीयत खराब हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

टी0 राम जी, आप चर्चा जारी रखें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, अगस्त 2011 में दो सड़के दिल्ली यमनोत्री तथा बरेली नैनीताल इन दो के एग्रीमेन्ट अगस्त में होंगे और फेज दो में मेरठ कैंनाल महराज शक्तिनगर के दो होंगे तथा फेज 3 में लखनऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, पलिया तथा बस्ती मेहदावल, तमुकुही इन दोनों सड़कों के प्रोजेक्ट आलरेडी उनके आफर्स आ चुके हैं यह मार्च में होंगे।

श्री मो0 आज़म खाँ-

आपके कार्यकाल की बात है, आप ही तो बतायेंगे।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, एक बात और आपके नोटिस में डालनी थी पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की थी यह काम पहले 5 लाख तक के जो ठेके थे उन पर आरक्षण था बाद में उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। आशय यह था कि अनुसूचित जाति के कुछ लोगों का भला हो जायेगा क्योंकि आजकल मनरेगा में भी 100 दिन का जो रोजगार मिलता है उसमें एक परिवार के एक आदमी को मिलता है और लोग भुखमरी के कगार पर रहते है। कदाचित सरकार इस योजना को बंद कर रही है। मेरा आपसे निवेदन था कि अगर सर्वेक्षण करा लेगें कि क्या अनुसूचित जाति की माली हालत इतनी अच्छी हो गयी है। कि अब यह योजना बंद करने की आवश्यकता पड़ रही है। मान्यवर, जो परफारमेंस बजट दिया गया है, उसके पेज-6 पर वर्ष 2011-2012 में विभाग का कुल बजट 7722 करोड़ रुपये पिछले साल का दिखाया गया है और इस साल का 7045 करोड़ 86 लाख रुपये दिखाया गया है, इस प्रकार 677 करोड़ की कमी इन चार हेड्स में दिखाई गयी है। प्रदेश की जनता की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप यह बजट प्रतीत नहीं होता है और मैं इसलिये प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुये तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुये अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ, धन्यवाद।

(श्री योगेश प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसा मैंने कहा था, एक जिज्ञासा थी कि इसमें एक आध कटौती भी आ जाये। अभी तक तो----

श्री अध्यक्ष-

वह प्रस्ताव आता है उसमें लिखा जाता है सुझाव देना तथा विभागीय नीति की आलोचना करना।

श्री हुकुम सिंह-

उसके बाद जब आप चाहें तब आप अनुमति दे दीजियेगा, मैं सिर्फ दो मिनट बोलना चाहूँगा। जब भी आपकी इच्छा हो।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-2013 के बजट पर मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिये मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, कोई भी चीज अगर आगे बढ़ती है, आगे बनती है तो उसके लिये नींव की आवश्यकता होती है और जो नींव हमें मिली है, जो चीजें हमें विरासत में मिली है, उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन को कराने का काम किया है कि मात्र तीन जिलों में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये और वह सड़के भी अधूरी रह गयी। साथ ही साथ लखनऊ में 22 किमी0 रिंग रोड का निर्माण हुआ 300 करोड़ रुपये खर्च किये गये और काम वहाँ भी अधूरा रह गया। एक अच्छे ख्याति की संस्था है लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राजकीय निर्माण निगम जिसे हम एक गुणवत्तापूर्ण ईकाई कें रूप में हमेशा महत्व देते थे। अच्छे काम अगर कही के होते थे तो राजकीय निर्माण निगम के माने जाते थे और अभी कल शाम को मैं टेलीविजन देख रहा था सम्मानित लोक निर्माण मंत्री जी ने उस राजकीय निर्माण निगम को, जिसका स्वरूप पिछले 5 वर्षों में कही न कहीं गुणवत्ता से हटकर भ्रष्टाचार और लूट खसोट की तरफ बढ़ गया, मैं आपको साधुवाद दूँगा कि आपने 14 दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। मान्यवर, मै एक अनुरोध भी आपसे करना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है और वह चीजें बाकी है कि कहाँ से राजकीय निर्माण निगम में डकैती, लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, यह भी जाँच का विषय है। हम प्रदेश के सतत विकास के लिए संकल्पवद्ध है। किसी भी प्रदेश की परिकल्पना या किसी भी राज्य की परिकल्पना बिना सड़कों के और बिना बिजली के नहीं की जा सकती। सड़के 5 वर्ष में किस स्थिति में पहुँच गयी थी, हम किसी भी सड़क पर चल नहीं सकते थे, सड़कों का निर्माण रूक गया था, गड्ढ़े भरे जाने बंद हो गये थे एक तरफ

ओवरलोडिंग बढ़ती चली गयी बड़ी-बड़ी ट्रकें बढ़ती चली गयी और बड़े-बड़े पार्कों को पाटने के लिये करोड़ों लाख घन फिट मिट्टी निकाली गयी और सड़कें टूटती चली गईंऔर पूरे प्रदेश की सड़के गड्ढे में तब्दील होती चली गई। इस पीडा को महसूस करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार के माननीय मंत्री ने आज बजट रखने का काम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने 250 से 499 तक की आबादी के 18 हजार ग्रामों को जो मूल गाँव से अलग है और जनसंख्या बढ़ने की बजह से नई-नई बसावटें हो रही हैं उन्हें सड़क से जोड़ने का आपने संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत हमने 5 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिससे हम इन नई बसावटों को जोड़ेंगे। आर0आई0पी0एफ0 के अन्तर्गत 190 करोड़ रुपये हमने चालू कार्यों के लिए दिये है, 100 करोड़ रूपये से 650 किलोमीटर मार्गों के नये निर्माण का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में प्रावधानित किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और साथ ही माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई दूँगा कि आपने जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए फोर लेन की परिकल्पना की है। फोर लेन आज के बढ़ते हुए इस आबादी के दबाव को बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कहीं न कहीं कम करेगा। अब दो लेन की सड़कों से काम नहीं चलेगा क्योंकि फोरलेन की सड़के जहाँ बनी हुई है वहाँ भी हमें गाड़ियों की लम्बी लाइन लगाकर चलना पड़ता है। आज फोर लेन का निर्माण हो इससे प्रदेश और आगे बढ़ेगा। इसके पहले जब हमारी सरकार थी उसमें भी हम लोग आपके साथ थे आपने पुलों के निर्माण में कीर्तिमान स्थापित किया था। मैं अलग की बात तो नहीं करता लेकिन मेरे क्षेत्र में 12 पुलों का निर्माण हुआ था और जो डेड लाइन माननीय मंत्री जी ने दी उसके 10-15 दिन पहले ही उस पुल का लोकापर्ण हुआ है और सम्भवतः उस समय लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ता आप ही थे। आज जिस तरह प्रतिपक्ष की ओर से सम्मानित सदस्य टी0 राम जी ने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात रखी है क्योंकि आपको बहुत कम दिन हुआ है प्रजातान्त्रिक पद्धति में आये हुए आपका पूरा का पूरा कटौती का प्रस्ताव आलोचना से ग्रसित नहीं था बल्कि कहीं न कहीं सुझाव से परिपूर्ण था। इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आपको राजनैतिक बनने में जरूर समय लगेगा लेकिन आपने जो सुझाव दिये हैं वह अच्छे हैं। आपके कटौती प्रस्ताव में राजनैतिक पुट नहीं था बल्कि पुट एक अधिकारी का था। आपने कहा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय, तो जो आपके अन्दर एक अधिकारी की भावना है उसको निकलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। मैं आपको धन्यवाद दूँगा, धीरे-धीरे आप भूलने का प्रयास करेंगे तो भूल अवश्य जाएंगे, नौकरशाह से राजनीतिज्ञ बनने में थोड़ा समय जरूर लगेगा।

मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को भी धन्यवाद दूँगा कि आपने सारी मदों पर अपनी बात को स्पष्ट करने का काम किया है। गत वर्ष 2011-12 में क्या प्रावधान थे, 2012-13 में क्या प्रावधान हैं, इनको आपने स्पष्ट रूप से कहा। जो आपका परफार्मेन्स बजट है उसको मैंने पढ़ने का काम किया है उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं न कहीं ज्यादा धन का समावेश किया गया है। यह हमारी सरकार की इस नीति की ओर ध्यान दिलाता है कि हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठने का अवसर प्राप्त होता है, आपके मन में भी एक पीड़ा है कि प्रदेश विकास नहीं कर रहा है आप भी चाहते हैं कि अच्छी सड़कें बनें, हम सभी चाहते हैं कि अच्छी सड़कें बनें। यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं आया, ऑटोमोबाइल उद्योग से जो हमारी बढ़ती हुई बिक्री है, ऑटोमोबाइल उद्योग से जो बढ़ता हुआ दबाव है, उसको समायोजित करने के लिए अच्छी सड़कों की आवश्यकता है। आज समय की कीमत है, कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज से एक घण्टे में दिल्ली पहुँच जाता है आज यही स्थिति हम प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट की भी देखना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि 15-20 दिन पहले आगरा से दिल्ली तक यमुना एक्सप्रेस-वे से जाने का मुझे अवसर मिला था, इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन जाने का अवसर मिला। 01 घण्टा 18 मिनट में 185 कि0मी0 की यात्रा उस रोड से मैंने तय की। इस तरह की सड़कें हमारे प्रदेश में बनें, यह सोच हमारे मुख्य मंत्री का है, यह विचार हमारे मुख्य मंत्री का है। माननीय नेता भा0ज0पा मा0 हुकुम सिंह जी बैठे हैं, एक बात आपने उस दिन कही थी, वह बात हम लोगों को कहीं न कहीं साल रही है कि जिला योजना से हम लोगों ने पिछले वर्ष कुछ प्रस्ताव भेजे थे। प्रदेश की जिला योजना 9 हजार करोड़ रुपये की पास हुई लेकिन जब धन अवमुक्त करने की बात आयी तो मात्र 01 हजार करोड़ रुपया ही इस प्रदेश के लिए अवमुक्त किया गया। योजना मंजूर हुई, 9 हजार करोड़ रुपये की, अवमुक्त किया गया 01 हजार करोड़ रुपया और 08 हजार करोड़ रुपये की तलाश में हम तब से लगे हुए है कि वह कहाँ चला गया? यह बजट का विचलन किस तरफ गया, यह कहीं न कहीं देखने की बात है ?

मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से तथा लोक निर्माण मंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि इस तरह से जो बजट के डायवर्जन हुए हैं इस ओर आपकी कृपा, आपके ध्यान की जरूरत है। इस ओर आप ध्यान दें। सम्मानित सदन बजट को पास करता है, हम यहाँ बैठते हैं, एक एक बिन्दुओं पर चर्चा होती है और चर्चा करने के बाद हम बजट पास करते हैं। सदन के निर्णय को आगे बढ़ाने का धर्म इस लोकशाही का है, लोकशाही उसे डायवर्ट करती है। सदन से बड़ा कोई नहीं है, सदन की बिना अनुज्ञा के कोई चीज डायवर्ट नहीं की जा सकती है। यह कहीं न कहीं जाँच का विषय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस पर ध्यान देने की कृपा करें। जब हमारी सरकार गयी तो 58 पुल बने रहे थे, 50 पुलों को रोक दिया

गया और उनमें से मात्र 08 पुल 05 वर्ष में बनाये गये। मैं भी उस पीड़ा का कहीं न कहीं साक्षी हूँ। मेरे क्षेत्र में एक पुल बन रहा था डेहरास गोण्डा मार्ग पर कटहा घाट का पुल, मा0 मंत्री जी से मैंने इस पुल का शिलान्यास कराया था और सरकार जाने के बाद वह पुल बनना बंद हो गया। कर्नलगंज-शाहपुर मार्ग पर सरयू नदी पर बनने वाले पुल का धन आवंटित हो गया था, सेतु निगम को पैसा चला गया लेकिन पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया। यह हमारे साथ बेइन्साफी हुई, जो उस समय चलती हुई परियोजनायें थी उसको रोकने का काम तत्कालीन सरकार ने किया, वह निंदनीय था, निंदनीय है और गत सरकार की हम उसके लिए आलोचना भी करते हैं। साथ ही साथ मैं दो-तीन चीजें अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूँ बहुत लम्बा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि बहुत से मा0 सदस्य इस बजट चर्चा पर बोलना चाहते हैं। गोण्डा से लेकर जरवल रोड़ तक की सड़क जिस पर हम चल नहीं सकते थे, सारा का सारा गोण्डा का ट्रैफिक फैजाबाद होकर लखनऊ के लिए डायवर्ट हो गया था। मैं लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपके आने के दो महीने के अन्दर उस पूरी की पूरी सड़क के सारे गड्ढ़े भर दिये गये। अभी परसों से वहाँ हॉट मिक्स प्लाण्ट से भी सड़कों का निर्माण शुरू किया जा चुका है। यह काम है जो हमने दो-ढाई महीने में करके दिखाये हैं लोक निर्माण विभाग में, यह कोई नई चीज नहीं है।

पिछली बार भी जब आप लोक निर्माण मंत्री थे तो सड़कों की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया था। दो-तीन माँग मेरे क्षेत्र की है, इसको मैं चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाऊँ और ये चीजें बजट में जोड़ी जाये जरवल रोड़ से लेकर गोण्डा तक की सड़क को फोर लेन बनाया जाए, कर्नैलगंज से बेलसर नबावगंज सी0बी0एन0 मार्ग को टू लेन में परिवर्तित किया जाए और पसका घाट पर जो एक ऐतिहासिक स्थल है, वाराह भगवान का मंदिर है, सूकर क्षेत्र कहा जाता है, वह संगम का स्थल है, पूरे भारतवर्ष में प्रयाग के बाद एक वही स्थल है जहाँ पर स्नानार्थी एक महीने के कल्पवास के लिए आते हैं। वहाँ पर पुल नहीं है। मैंने मा0 मंत्री जी से अनुरोध किया था, आपने वहाँ एक पैंटून पुल दिया था उस पुल को पक्के पुल के रूप में परिवर्तित किया जाए, यह मेरा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में विचलकापुर घाट कुरथा घाट पर सरयू नदी पर एक पुल की आवश्यकता है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, घाघरा, सरयू और टेढ़ी तीन नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है, वहाँ आवागमन के कोई साधन नहीं थे, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 पुलों का निर्माण लोक निर्माण मंत्री जी के आर्शीवाद से हमारे क्षेत्र में हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे सदन को मैं धन्यवाद देते हुए और जो मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका हृदय से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

श्री हुकुम सिंह-

अभी मान्यवर, जो पुस्तिका आपने दी है विभाग तो बहुत बड़ा है लेकिन पुस्तिका बहुत छोटी दी है आपने। और बेग तो ऐसा दे दिया कि हमेशा याद रहेगा मैं आपका ध्यान चाहता हूँ कि आपने जो पुस्तिका दी है उसमें पेज 35 पर आपने कई मार्गों का जिक्र किया है जैसे दिल्ली, सहारनपुर, यमुनोत्री मार्ग इसका जिक्र आपने किया है इसका काम भी दे दिया 1.8.2011 में इसका कांन्ट्रेक्ट भी हो गया 1718 करोड़ की इसमें व्यवस्था है। तो कहीं थोड़ा अंदाजा हो जाय काम कब तक शुरू हो जाएगा, जानकारी हो जाय विधायकों को क्षेत्र में जाएंगे बताएंगे। मैं सुन रहा था और अपने अनुभव के अनुसार जो काम उन्होंने किए हैं उसका जिक्र भी किया लेकिन थोड़ी जानकारी हमें भी हो जाय। इस विभाग में अगर पांच साल का आपने हिसाब दिया है तो उस पैसे को जोड़ दिया जाय और हम लोगों को बता दिया जाय कि पैसा वहां लगा मान्यवर, 403 विधायक हैं यह जाकर देख तो लें कि भौतिक उपलब्धि है कि नहीं। हमें कम से कम जानकारी मिले आपने व्यवस्था की है और पिछले वर्ष का भी आपने बताया यह अच्छा किया आपने कि केवल एक वर्ष की सीमा नहीं रखी आपने विगत वर्षों का भी इसमें उल्लेख किया तो क्या यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम जाकर उसको देख लें। आपने यह हमारे साथ ज्यादती की है। पेज नम्बर 15 को देखें। सामान्य अनुरक्षण भौतिक प्रगति यह कि0मी0 में है। यह है 85,800 कि0मी0 नवीनीकरण 6,900 कि0मी0 आपने लिखा है वर्ष 2010-11 में। क्या आप यह बता पाएंगे कि यह 6,900 कि0मी0 कहाँ पर है वर्ष 2010-11 में इसका नवीनीकरण हुआ है क्योंकि हम लोग जब अपने क्षेत्रों से आते हैं नवीनीकरण तो छोड़ दीजिए सड़कों का निशान ही नहीं है। हमने इनसे भी पूछा था लेकिन इस समय हमारा और इनका समझौता है इसलिए हम और यह मिलकर आपसे पूछ रहे हैं। सामान्य अनुरक्षण में आपने दिखाया। नवीनीकरण में 6,900 कि0मी0 दिखाया और यह हर वर्ष दिखाया वित्तीय प्रगति भी दिखाई करोड़ में 458 करोड़ लगाया आपने 217 करोड़ लगाया, 821 करोड़ लगाया कुल मिलाकर 1,496 करोड़ लगाया। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम पता तो करें यह प्रदेश के खजाने का पैसा गया है राजकोष से यह पैसा गया है आखिर है कहाँ वह। आगे 2011 में यही स्थिति है 2012-13 को आपने लक्ष्य बता दिया क्या हम यह सोचकर चलें कि जो कुछ 2010-11 में हुआ 2011-12 में हुआ वही आगे भी होगा। अगर यही होगा तो फिर यहाँ बहस कराने का कोई मतलब नहीं हैं। मंत्री जी आपको ध्यान है जब पहली बार आपने बजट रखा था लोक निर्माण विभाग का मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन किसी फिल्मी हस्ती का आपने नाम लिया था कि उनके गाल के समान सड़कें बना दूँगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

शायद हेमा मलिनी रही होंगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद थीं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि निगाह कहाँ-कहाँ रहती है अब मैं चाहता हूँ कि निगाह वहाँ से हटाकर सड़कों पर लगा लें। उससे हमारा कुछ भला हो जाएगा। यह स्थिति है सड़कों की उनके नवीनीकरण की।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी जो कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कि आपकी ही पार्टी की पूर्व सांसद थीं जब उनसे यह कहा गया था उनके बारे में कि उनके गालों जैसी सड़कें तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ आपको हो रहा है। अभी जो कहा ना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कि आप ही की पार्टी की पूर्व सांसद थीं। जब उनसे यह कहा गया था उनके बारे में कि उनके गालों जैसी सड़कें तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ था। आपको हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह हिमाकत तो नहीं होनी चाहिए कि कम से कम जब उनका नाम लिया तो आज यह हमारी इनसल्ट हो रही है कि आपने एक व्यक्तित्व को इनवाल्व तो कर लिया लेकिन सड़कों की हालत ऐसी कर दी कि खंडहर होकर रह गई हैं। मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता। जिन सड़कों के बारे में आपने उल्लेख किया और आपने प्राविधान भी कर दिया कान्ट्रेक्ट भी कर दिया आज स्थिति यह है कि दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का अभी आपने जिक्र किया वाया सहारनपुर। दिल्ली, यमुनोत्री मार्ग की हकीकत अब यह है कि सहारनपुर और जलालाबाद के बीच में वह सड़क है ही नहीं। वहां के हमारे सदस्य भी यहां बैठे होंगे। सड़क का निशान ही नहीं है कहीं भी, और किसी ने चिन्ता भी की ? क्या यह मेरा अधिकार नहीं है पूछने का कि अनुरक्षण का पैसा कहां गया ? मान्यवर, आपने दूसरी सड़क का जिक्र किया, मुजफ्फरनगर से देवबन्द होते हुये सहारनपुर। निश्चित रूप से सहारनपुर और देवबंद के बीच में सड़क का निशान नहीं। अनुरक्षण का पैसा कहां गया। यह तो मान्यवर, हम सदस्यों को जानकारी करने का अधिकार है कि नहीं है ? और यह जानकारी देने का दायित्व आपका है कि नहीं है। आपने जो बात गोल मोल करके रख दी। हम अपेक्षा करते थे कि आप एक-एक सड़क का विवरण यहां पर देंगे और हमको जानकारी देंगें ताकि सदस्यों को यह अवसर मिल जाय वहां पर जाकर देखने का। दूसरा मान्यवर, राम साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। जब हम पहली बार मंत्री बने थे ध्यान होगा आपको, तब तो आप इग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। अनुरक्षण का काम देखते थे जो मंत्री आवास से होता था तब से हम आपको देखते आ रहे हैं। मतलब आपके जो ऊपर

चढ़ने की गति रही है बहुत तेज रही है। विश्वास में आपने मंत्रियों को लिया, सबको लिया जिनके साथ काम किया उनका विश्वास लिये बिना नहीं जा सकते थे वहां पर। अच्छी बात है, लेकिन आपकी जानकारी में यह भी आया होगा तब तो आप थे उस विभाग में। मान्यवर, यह विभाग शुरू से ही ब्रिट्रिश काल से इस बात के लिये जाना जाता था कि बिना कमीशन के वहां कोई काम नहीं होता। मैं किसी एक शिकायत नहीं कर रहा हूं, ब्रिट्रिश काल की बात कर रहा हूं। 1960 में जब चौधरी गिरधारी लाल मंत्री होते थे लोक निर्माण विभाग के तब भी यहां सदन में जिक्र आया और किसी ने कहा कि यह पी0डब्ल्यू0डी0 नहीं पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट है। यह कहा गया था यहां पर इस विभाग के बारे में, तब से कुछ न कुछ इसके बारे में इम्प्रेशन बना। लेकिन यह पहली बार हुआ, संसदीय कार्य मंत्री जी मैं खास तौर से आपकी जानकारी के लिये बता दूं। पहली बार हुआ यह। कमीशन जाता था लेकिन कमीशन वहां सोर्स पर नहीं कटता था। बजट का एलोकेशन हो गया, बजट का एलोकेशन होने के बाद में अगर वहां पर जिलों में गया तो वहां पर ठेकेदार है, फलां है वह कमीशन पर वह अलग बात है लेकिन एट सोर्स यह नई विधि अपनाई गई। इस नई विधि के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में यह संदेश गया कि अब वहां कमीशन नहीं रहा अब तो यही रह गया। जब आप ग्रान्ट के अनुसार पैसा रिलीज करने से पहले ही उसमें कटौती कर देंगे तो फिर कमीशन की स्थिति कहां रह गई यह तो बंदर बांट हो गई। बंदर बांट हो गई मान्यवर, तो काम कहां से होगा। मैं इनको नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं। इसलिये कह रहा हूं कि काम आपको करना है। आप इतनी कृपा तो कर दीजिये कि कुछ निश्चित समय एक साल, दो साल, तीन साल का खाली सी0ए0जी0 पर मत छोड़िये, उनको इतनी फुर्सत नहीं होती है, आप इसका परीक्षण कर लीजिये। और परीक्षण करने के बाद में देखिये कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है कि गलत है। अगर सही है तो फिर कैसे आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, कैसे वह दोहराया न जाय इसके बारे में हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए। यह पैसा गरीब जनता का, इस प्रदेश के खजाने का है, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा मंत्री क्यों न हो उसको यह अधिकार नहीं है कि हम यहां बैठकर यह करें 100 करोड़ दे रहे हैं इसमें इतना हिस्सा होगा वह यहीं कट जायेगा। इससे ज्यादा विश्वासघात प्रदेश की जनता के साथ नहीं हो सकता। आज आप सत्ता में आये हैं कल कोई और सत्ता में आयोग लेकिन आपका दायित्व पहले है। सड़क बाद में बनवा लेना लेकिन जहां पर यह चोरी हुई है, डकैती हुई है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस समय लोक निर्माण विभाग की बहुत महती भूमिका है आज की घड़ी में इसलिये कि सड़कें तहस-नहस हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। प्राथमिकता लेकर पर इसको चलें क्योंकि बरसात आने वाली है। जब नई योजना आपकी बनेगी तो बनती रहेगी लेकिन आज दो रूकावटें आपके सामने हैं। एक रुकावट यह है आज हमें रोड़ी नहीं मिल रही है सड़क बनाने के लिये।

माफिया राज में उन रोड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। पत्थर उठा ले गये, रोड़ी मिल नहीं पा रही है, काम रुके पड़े हैं सड़कों के काम रुके पड़े हैं। राजकीय राजमार्ग के काम रुके पड़े हैं। इसलिये रुके पड़े हैं कि जिसकी कीमत 100 रुपये आती थी आज उसकी कीमत 300 रुपया आएगी। इतनी महंगी रोड़ी मिलेगी। केवल नम्बर दो में रोड़ी आपको उपलब्ध होगी। ऐसी स्थिति में आप सोचिए जब प्रोजेक्ट लेकर आप चलेंगे तो इस व्यवस्था को कैसे आप सुधारेंगे। आपको कन्ट्रोल करना पड़ेगा उन वर्गों पर भी, जो इन सारी बातों पर हावी हो गये हैं और माफिया का स्वरूप धारण कर लिया है।

मान्यवर, मैं अपेक्षा करूंगा कि जो हो गया वह हो गया उसमें यह देखें कि इसको नई गति कैसे दें। प्रमोद तिवारी जी इसमें कह चुके उनका कहना काफी है। जितना इनका और उनका संवाद है उतना अच्छा शायद मेरा न हो। लेकिन विधायकों का सम्मान है सबका, और सम्मान होता रहा है। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। प्राथमिकता के आधार पर जितने राजमार्ग आपके ध्वस्त हुये हैं एक-एक करके उन सबका पुनर्निर्माण करा दीजिए। खासतौर से जो आपके जिले के मुख्य मार्ग हैं प्रमुख गांव को जोड़ने वाले, उनको प्राथमिकता के आधार पर ले लीजिए। प्रधान मंत्री सड़क योजना सबसे अच्छी योजना है इससे अच्छी योजना तो कोई आई नहीं प्रदेश में, यह हमारे कार्यकाल में आई थी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने उसका उल्लेख भी किया। आपने उसके लिये व्यवस्था भी कर रखी है अधिकारी भी अलग रखे हुये हैं इंजीनियर भी अलग रखे हुये हैं एक बार उसकी भी समीक्षा हो जाए और समीक्षा के आधार पर आगे बढ़ा जाय जो हो चुका, वह हो चुका। आगे नई दिशा मिले और नई संस्कृति विकसित हो, आगे से पैसे का लेन देन खत्म, मार्ग का निर्माण, सड़क की मरम्मत सड़क का अनुरक्षण, यही हमारी प्राथमिकता रहे। इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री विवेक कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहली बात मैं कह दूं जो कटौती का प्रस्ताव मा0 टी0 राम जी ने प्रस्तुत किया है मुख्य मंत्री जी की आज्ञा बहुत मानते हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कुर्ता पाजामा पहन लो हमारी बिरादरी मे शामिल हो जाओ, उन्होंने कुर्ता पाजामा पहन लिया अब मैं तो चाहता हूं वह शामिल हो जाएं विधायकों की बिरादरी में, और सरकारी गवाह बनकर जो लूट हुई है पांच साल में लोक निर्माण विभाग में उसका खुलासा करें।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मैं जिस जिले से जनप्रतिनिधि चुनकर आया हूं उस जनपद के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री थे। अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं मैंने बीच में टोका भी था लोक निर्माण

मंत्री जी को, केन्द्र सरकार की बार-बार दुहाई दे रहे थे। केन्द्र सरकार ने इसलिये पैसा देना बन्द किया था कोई भी सड़क मानक के अनुरूप नहीं थी। आप ताज्जुब करेंगे कि बांदा से लेकर लखनऊ मार्ग, चार बार बना और आज हालत यह है कि चिल्ला से बांदा तक पहुंचा नहीं जा सकता है। बांदा से बबेरूआ, बांदा से बिसंडा मार्ग, पपरेंदा मार्ग, हमीरपुर नहीं पहुंच सकते हैं पैसा रिलीज हो चुका है। पैसा ठेकेदार को भुगतान हो चुका लेकिन सड़क नहीं बनी है। बबेरू के विधायक बैठे है वह बतायेंगे इस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा है यह सड़कें बनाई किसने हैं। मैं तो मांग करूंगा लोक निर्माण मंत्री जी से कि इसकी जांच कराई जाए कि इसकी जांच करायें और विधायकों का दल भेज दें या स्वयं चले चलें। इन सड़कों के पैसे से मंत्री और मंत्री के परिवारों के मकान बनाये गये। पुल गिरा, मेडिकल कालेज गिरा। मान्यवर, जो मकान इनका पूर्व मंत्री लोक निर्माण का बना है, वह हैदराबाद की कम्पनी ने बनाया है बांदा जैसी जगह पर कोई ठेकेदार नहीं बचा। हैदराबाद की कम्पनी, गाजियाबाद की कम्पनी छात्र शक्ति, उन्होंने इस प्रकार की लूटपाट मचाई है कि अंधेर हो गया। जिस जगह पर हाथ डाल दीजिए, सड़क आगे बनती जाती है, पीछे उखड़ती जाती है। माननीय मंत्री जी, अम्बेडकर गांव की सड़कों को भी लोक निर्माण विभाग ने बनाया है। आज बांदा जनपद के पांच गांव कोई भी ले लीजिए जिनकी सड़कों को पी0डब्ल्यू0डी0 बनाया है, देखिए उनकी वास्तविकता क्या है। ठेकेदार का नाम पता कीजिए, सब सगे सम्बन्धी। 50-60 की संख्या में ट्रक आ गये, डम्पर आ गये, परिवहन विभाग से लिस्ट मंगा लीजिये कि इनके परिवार के कितने लोगों के नाम ट्रक और डम्पर हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको छोटे नवाब की संज्ञा दे दी थी। हम तो इन्तजार कर रहे कि कब उनको जेल भेज रहे है। उनकी सम्पत्ति पर कब्जा कीजिए सरकार का कि जनता का पैसा, जनता के बीच जाना चाहिए और जनता का पैसा, अगर जनता के बीच में नहीं जायेगा तो मान्यवर, गलत सन्देश जायेगा।

बांदा में, बुन्देलखण्ड में ठेका पोंटी चड्ढा का, क्यों नहीं उसकी बात हो रही है? इनका उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कैसे हो रहा है? आज टी0 राम जी का हृदय परिवर्तन हो गया, विधायक बनकर बैठे हैं, प्रदेश के हित में आप विधायक बने हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सरकारी गवाह बनकर सरकार को पूरी सूचना दें कि कहां-कहां घपला हुआ है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जिन लोगों ने लूट की है, वही लोग आज विधान सभा में कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। मान्यवर, बड़ी निष्पक्षता से आपके पास दोनों विभाग है, जब नहर पर बजट पेश करेंगे तब नहर पर बोलूंगा लेकिन आज मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जरा मार्गों की हालत तो देख लीजिये। 4-4 बार, 5-5 बार सड़कें बनी, जो लोग पटरे का पाजामा पहन कर घूमते थे, छोटी-छोटी नगर पालिका की ठेकेदारी करते थे, आज वह बड़े-बड़े ठेकेदार हो गये। आप कब्जा नहीं कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, माल उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश शिफ्ट हो रहा है। केवल पूर्व लोक निर्माण मंत्री

के मकान की जांच करा लीजिये, अगर उस पर मेडिकल कालेज की शक्ल न मिले, उनकी बनी हुई दीवाल न मिले तो बताइये। सब विभाग दादा के पास थे। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, एक बाबू तो जेल के अन्दर है ही, दूसरे भाई साहब को अन्दर कर दीजिये, दोनों बैठकर प्लानिंग बनायें। इस सांप को जड़ से समाप्त कर दीजिये अन्यथा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, यह समझ लीजियेगा कि अगली बार जनता माफ नहीं करेगी। आपने और मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोरशोर से घोषणा की थी कि भ्रष्टाचारी जेल जायेंगे। आज मुझको सूचना मिली है, लोक निर्माण मंत्री जी, उनके पूरे परिवार ने तीन दिन से फिर शुरू कर दिया बालू की ढुलाई। मेरे पास फोन आया मैंने कहा कि मौका है लोक निर्माण विभाग के बजट का। तो मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसके तहत बालू की ठेकेदारी शुरू हो गयी। बालू बुन्देलखण्ड के लिये अभिशाप बन गया है। नदी की धारायें मोड़ दी गयी है। मुकदमा कायम है। पुल के नीचे से मौरंग निकाली जा रही है और वह सारे अधिकारी हमीरपुर से लेकर बांदा तक में तैनात हैं। जो उस समय राज कर रहे थे वह आज भी तैनात हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब तक तो उनको जेल चला जाना चाहिये था। पांच साल के अन्दर लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में जो लूट हुयी है, मंत्री जी किसी दिन दौरा बना लीजिये, एक लात मारिये दीवार पर दीवार ढह जाएगी। मैं तो राहुल गांधी जी के साथ गया था। श्री राहुल गांधी जी ने देखा कि पुल बन रहा है। वह रुककर मजदूरों से मजदूरी वगैरह पूछने लगे। तब तक उनकी नजर मेटेरियल पर पड़ी उन्होंने उसको उठाकर देखा और इंजीनियर से कहा कि इंजीनियर साहब, यह जो आप बना रहे हो यह चलेगा नहीं। मेटेरियल ठीक करो। संयोग ऐसा कि दो घण्टे बाद पुल गिर गया। पुल गिरते ही मुझ पर, रीता बहुगुणा जी, सब पर 7, क्रिमिनल एक्ट, खाद बटवा दो तो 7 क्रिमिनल एक्ट, अगर किसी सड़क को जांच कर लो तो 7 क्रिमिनल एक्ट।

मान्यवर, यह महात्मा गांधी जी के आन्दोलन को दबाने के लिये अंग्रेजों ने शुरू किया था। जो शायद मायावती जी ने पिछली बार लागू किया है। जरा इन जीचों को दिखवा लीजिये। जितनी बिल्डिंग बन रही है सारे ठेकेदार हैदराबाद के हैं। सप्लाई भाईयों की है। सड़क आपकी बनी नेशनल ओवर बाईपास रोड, मिट्टी दिखायी गयी कि 75 कि0मी0 दूर से लायी जा रही है। श्रीमान् मुझे स्वीटजरलैण्ड जाने का मौका मिला है। वहां पर नहरें खुदी हुयी है और बगल में सड़क है। मैंने सोचा कि शायद मंत्री जी वहां गये हों। बगल की सारी मिट्टी उठाकर सड़क पर डाल दी गयी। और 75 कि0मी0 दूर से दिखाया जा रहा है। मान्यवर, बाढ़ आयेगी, जो आपके विभाग ने तटबंध बनाया है उस तटबंध से आधा बांदा साफ हो जाएगा। यह सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पहले बांदा जनपद भगवान राम के नाम से, संत तुलसीदास जी के नाम से, महर्षि बाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता था। फिर

कुछ दिन ददुआ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन बांदा अब महाचोरों के नाम से जाना जाने लगा है। यह दुर्भाग्य है।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

बांदा का डिमोशन हो गया है।

श्री विवेक कुमार सिंह-

अब जनता ने आपको जिम्मेदारी सौंप दी है कि इसको ठीक कीजिए। अगर हमें सौंप देते तो हम इनको 24 घण्टे में अन्दर कर दिये होते। लालबत्ती लगवा के इनको घुमा रहे हैं बिजली के लिये मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, एम0ओ0यू0 में 25 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। जो अधिकारी है जिन्होंने किया है वह आज ए0सी0 में बैठे हैं। जनता बिजली के बिना मर रही है। सड़क, पानी के लिये जनता पैसा मांग रही है। माननीय मंत्री जी आपने हमेशा बड़े भाई का सम्मान दिया है। मैं आपसे सदन में व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर इन घोटालेबाजों को, इन बेईमानों और चोरों को आपने अंदर नहीं किया तो आप छः महीनें के अंदर देखियेगा कि आपका क्या हाल होने जा रहा है। जनता याद कर रही है, अब नारे लगने लगे हैं कि मिलीभगत हो गयी। इस बात को आपको अंजाम देना होगा। यह धूर्त और चोर कहां से आ गये। गाजियाबाद और दिल्ली के वह लोग यहां प्रवेश कर गये हैं। हर चीज में माफियागीरी। सड़कों के नाम पर पी0डब्ल्यू0डी0 में जो खेल हुआ है, यह जो टी0राम जी बहुत अच्छा इतिहास बता रहे थे लोक निर्माण विभाग का, उस अध्याय में उस इतिहास में विगत पांच साल काले अध्याय के नाम से लिखे जायेंगे, उसको कोई माफ नहीं कर सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं मा0 अधिष्ठाता जी को कि उन्होंने मुझे शुरूआती बैटिंग करने का मौका दिया है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय एवं सदन के समस्त सदस्यों का अभिवादन करते हुये आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। जहां तक कटौती प्रस्ताव की बात है, विपक्षी दलों के हमारे वरिष्ठ नेतागण अपनी कई बातों को, विचारों को रख चुके हैं, पूरे प्रदेश की समस्याओं को सरकार के समक्ष लाने का प्रयास किया है, किन्तु मैं सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र रोहनिया 387 उसकी कुछ समस्याओं को सरकार के समक्ष इस सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूं और सरकार से यह उम्मीद भी करती हूं कि उसके लिये इस बजट में कुछ प्राविधान अवश्य किये जायेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगर-गांव में सड़कों की नितान्त आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले मैं शैलीगोवर्धन की बात करना चाहूंगी, बी0एच0यू0 गेट से लेकर डाकी बाईपास तक करीब दो कि0मी0 की सड़क है, वह पूरी तरह से खराब है जिसकी वजह से वहां के लोगों को भीषण समस्या होती है और सबसे ज्यादा

समस्या बी0एच0यू0 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को है जो भारी संख्या में इसी सड़क से होकर रोज गुजरते हैं। पूर्ववर्ती बसपा सरकार के कार्यकाल में वहीं लंका इलाके लेकर संत रविदास मंदिर तक दो किमी0 की लगभग सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन इतना जो हिस्सा है बी0एच0यू0 गेट से लेकर डाकी बाईपास तक इसको छोड़ दिया गया है मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस सड़क को, मात्र दो किमी0 की यह सड़क है, इसको आप बनवाने का कष्ट करें, इसके साथ ही रमना गांव है हमारे विधान सभा क्षेत्र रोहनिया में, जिसकी आबादी लगभग दस हजार है।

मान्यवर, यह बहुत बड़ा गांव है और यहां पर समरजीत पटेल के मकान से लेकर जो प्राथमिक पाठशाला और आंगन बाड़ी केन्द्र है वहां तक भी दो कि0मी0 का हिस्सा है जहां पर कच्ची सड़क तक नहीं है और रोज हजारों की संख्या में पूरे क्षेत्रवासी, गांववासी वहां से निकलते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसके लिए भी मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि छोटा सा रमना यह गांव है, यहां की छोटी सी समस्या है, इस पर आप अवश्य ध्यान दें। सरौनी गांव के गेट से लेकर इण्टर कालेज होते हुए रेलवे लाइन तक वहां भी लगभग दो किमी0 की सड़क की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बखरिया इण्टर कालेज से मथुरापुर तक ढाई कि0मी0 सड़क की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और बहुत ज्वलन्त मुद्दा है रोहनिया विधान सभा को लेकर, जिसकी ओर मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी, मान्यवर, चौराहे से पूरब दिशा की ओर मडुवाडीह रेलवे स्टेशन की बगल से महमूरगंज इलाके तक नए फ्लाई ओवर की अत्यन्त आवश्यकता है। अवगत कराना चाहती हूँ कि मडुवा के रेलवे स्टेशन से सौ गज उत्तर दिशा की ओर रेलवे फाटक बना है और ट्रेनों के अधिकतर आवागमन से यह रेलवे फाटक ज्यादातर बन्द ही रहता है और यहां के जितने भी क्षेत्रवासी है उन्हें बहुत समस्या होती है खासकर महिलाओं को, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई मेडिकल इमरजेन्सी हो यह फाटक हमेशा बन्द रहता है, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पूरे क्षेत्रवासी इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूर्व में एक सर्वे हुआ था मान्यवर, जिसमें इस फ्लाई ओवर के निर्माण का कार्य होने वाला था, लेकिन वहां के व्यापारी मण्डल ने विरोध कर दिया था, लेकिन आज व्यापारी मण्डल खुद भी सहमत है और वह खुद भी चाहते है कि मडुवाडीह चौराहे से दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में यह फ्लाई ओवर बनना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोक निर्माण विभाग और रेलवे विभाग दोनों आपस में समन्वय स्थापित कर के रोहनिया विधान सभा की इस समस्या का निराकरण करने का कष्ट करें। यही मेरा छोटा सा अनुरोध है मा0 मंत्री जी से कि इस विधान सभा में सड़कों को लेकर, फ्लाई ओवर को लेकर जो भी समस्याएं है क्षेत्रवासियों की उसके लिए आप बजट में प्राविधान सुनिश्चित करें। मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी, नमोः बुद्धाय।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृपापूर्वक लोक निर्माण विभाग के इस बजट पर और उसके समर्थन में बोलने का हमें अवसर दिया, उसके लिए हम आपके आभारी है। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों के हालात उनकी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश को एक नायाब तोहफे के रूप में एक अच्छा बजट उन्होंने दिया है हम उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और अपनी विधान सभा क्षेत्र की ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। अभी मा0 सदस्य टी0 राम जी बोल रहे थे और फिर मा0 सदस्य कांग्रेस बाँदा के हालात को बता रहे थे। सोचते-सोचते हमें एक घटना याद आ गई, पिछली ब0स0पा0 सरकार थी, उस सरकार के काफी मा0 सदस्य यहाँ बैठे हुए है। मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसी वातानुकूलित ट्रेन के डिब्बे में उस सरकार के मंत्री बैठे थे, कुछ बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, कुछ इंजीनियर बैठे हुए थे। चर्चा हो रही थी और कुछ इस्टीमेट दिखाए जा रहे थे। मंत्री जी ने कहा कि इस्टीमेट अच्छा नहीं है, इसमें तुमने मिट्टी बहुत कम लिया है, कटाई बहुत कम लिया है। इसको हमको अपने आदमी को देना है, अपने परिवार के आदमी को देना है। 9 करोड़ का तुम्हारा यह काम है और अगर 2 करोड़ रुपये हमारे आदमी के पास नहीं बचता है तो यह काम देने से क्या फायदा? अधिष्ठाता महोदय, आज इसमें शक नहीं है कि सड़कों के निर्माण के नाम पर जिस तरीके से पिछली सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और यह कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है कि उस भ्रष्टाचार को एक संगठित व संस्थागत रूप देकर के एक सरकारी जामा पहना करके जिस तरीके से सड़कों के निर्माण के नाम पर पिछली सरकार ने लूट की है। हम समझते है कि सड़कों के नाम पर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लूट आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुई। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, मा0 कांग्रेस के सदस्य ने कहा तो उनको हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं और याद भी दिलाना चाहते हैं कि जिन मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने आज यह बजट प्रस्तुत किया है। यह वहीं लोक निर्माण मंत्री जी है जिन्होंने पिछली 2004 की सरकार में उत्तर प्रदेश के आला पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अधिकारियों को और उन बड़े-बड़े ठेकेदारों को जिनकी तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, उनको जेल भिजवाने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश के समाचार-पत्रों में यह बात छपी थी। उनको जेल भिजवाने का काम किया था और वह भी कठोर धाराओं में, कठोर कार्यवाही की गयी थी और फिर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि सड़कों के निर्माण में मानक के विपरीत, गुणवत्ता के विपरीत, वह काम कर सके।

इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं, अपने मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को और यह विश्वास ही नहीं जताया बल्कि यह करके दिखाया है और यह हमारे मा0 लोक निर्माण मंत्री

जी ने उत्तर प्रदेश में कि जिन लोगों ने गुणवत्ता और मानक के विपरीत काम किया है उनका स्थान वह ए0सी0 कमरों में नहीं होगा वह उत्तर प्रदेश की जेलों में होगा। इसी के साथ, हम यह जोड़ना भी चाहते हैं, हम भी यह मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि करोड़ों और अरबों रुपये जिन लोगों ने सड़कों के नाम पर घोटाले किए हैं, चोरी की है, लूट की है, उनका स्थान अब खुली हवा में नहीं होना चाहिए, उन्हें जेल जाना ही चाहिए। हम भी यह निवेदन करेंगे मा0 मंत्री जी से। जिस जनपद रायबरेली से और जिस विधान सभा ऊँचाहार से मैं जीत कर आया हूँ, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी यहाँ, नहीं है, वहाँ से वह आठ बार से चुनाव लड़ते चले आए हैं। दो बार विधायक भी रहे हैं मा0 नेता प्रतिपक्ष जी की उसी विधान सभा क्षेत्र से हम चुनाव जीतकर आएं है। पर दर्द है मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ब0स0पा0 सरकार में कागजों में सड़कों के नाम पर 268 करोड़ रुपये लगा दिये गये। मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि उसी ऊंचाहार की विधान सभा क्षेत्र में जब पैसा सरकार के बजट में आ जाता था। सिर्फ एक ही संस्था पैक्सफेड के नाम पर ढाई सौ करोड़ रुपये ट्रान्सफर कर दिए गए और हद तो तब हो गई, इस्टीमेट बन गया लेकिन फावड़े का बेंत तक वहाँ नहीं गिराया गया और 43-43 लाख, 3-3 करोड़ रुपये, 4-4 करोड़ रुपये की चेकें कट गई और कहीं पर भी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। सड़कों की रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धांधलेबाजी हमारे विधान सभा क्षेत्र में हुई। घोटाला हुआ उसमें आज हम इस सदन को अवगत कराना चाहते हैं।

मान्यवर हम यह कहना चाहते हैं कि इस समय नेता प्रतिपक्ष नहीं बैठे हुए हैं उन्हें बैठा हुआ मान लिया जाये। यह पिछली उ0प्र0 सरकार में मंत्री रहे हैं और सत्ता पक्ष दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम पूछना चाहते है कि क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में विकास कार्यों को गति दी। यह कहा गया कि जब बजट आया है तो विरोध होगा। अभी आजम खाँ साहब कह रहे थे रिक्शा चालकों को सुविधा देने की बात कह रहे थे। मान्यवर, मैंने देखा है एक रिक्शेवाला स्टेशन पर खड़ा था उसके पेट में रोटी नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं थी शायद वह टी0बी0 का मरीज था। उस समय 5 सवारियां आयी तो वह उन्हें बिठाने के लिए उनकी ओर लपका तो उन्होंने कहा कि हमें 2 रिक्शा चाहिये तो उस रिक्शेवाले ने कहा कि आप एक ही में बैठ जाइये और जितना 2 रिक्शेवाले को पैसा देते उससे कम हमको दे दीजियेगा। उसने उनको बिठा लिया शायद इस वजह से कि उसकी पत्नी बीमार थी और बेटे के खाने के लिए इन्तजाम करना था। मान्यवर, धन्य हैं मा0 मुख्य मंत्री जी उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्ग रिक्शेवालों की तरफ ध्यान दिया है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए मोटर चालित रिक्शा प्रदान करने की घोषणा की है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र 183 ऊँचाहार रायबरेली की कुछ विकास कार्यों के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे विधान सभा जहाँ से गंगा जी निकलती है वहाँ नदी पर एक पुल की आवश्यकता है। यहाँ ऊँचाहार ब्लाक में खरौली स्थान पर एक परमानेण्ट बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह से यहाँ पर एक अस्थायी पीपे का पुल जो मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत है उसको अतिशीघ्र बनवा दिया जाये। मान्यवर, इसी तरह से ब्लाक रोहनियाँ के ग्राम सभा रसूलपुर में उमरन स्थान है जो सलोन विधान सभा से सटा हुआ है यहाँ 5 कि0मी0 की रोड है। इसको बनवा दिया जाये। मान्यवर, इसी तरीके से ब्लाक जगतपुर में हथकुर होते हुए तकोरन तक यह 7 कि0मी0 का रोड है। इसको बनवा दिया जाये। इसी तरीके से मान्यवर, शंकरपुर में पूरव गाँव जाने वाला मार्ग जो वायाँ सिद्धौर होकर जाता है। 4 किमी0 को इसको बनवा दिया जाये। इसी तरह से उमरी से उइवा इसका निर्माण करवा दिया जाये। मान्यवर, इस तरह से ग्राम सभा कमालपुर में रोहनियाँ ब्लाक में पुलिया की आवश्यकता है। इसी प्रकार से उसरपना माइनर में तीन पुलियों की जरूरत है शंकर मलवार के घर के पास, दूसरा उसैना ग्राम के पास, तीसरा बहराम के पुरवाँ के पास इसको बनावा दिया जाये। मान्यवर, दौलतपुर शंकरपुर माइनर का हैड बदलना अति आवश्यक है। इसी तरह से शेंरन्दाज पुर जगतपुर ब्लाक में जो है, में माइनर में दो झाल टूटी है, इनको बनवा दिया जाये। इसी तरह हरदी टिकर में इसौर तक पुलिया के निर्माण की आवश्यकता है। मान्यवर, ग्राम सभा रूझईयाँ जगतपुर ब्लाक में जो है, इसमें लखनऊ इलाहाबाद रोड से पूरेबाग के लिए जाने वाला जो मार्ग है, उसमें जो माइनर है, उसकी पुलिया टूटी है, उसका निर्माण करवा दिया जाये। मान्यवर, हैवतपुर निवहरियाँ इसमें पुलिया क्षतिग्रस्त है, इसकी रिपेयरिंग होनी है। मान्यवर, कोटरा बहादुरगंज थपरियां नहर की पुलिया का निर्माण होना आवश्यक है। मान्यवर, गंगश्री ग्राम सभा जो रोहनियाँ ब्लाक में है, उसमें लाही के सामने नहर में एक पुलिया बननी आवश्यक है। मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे विधान सभा क्षेत्र के इन विकास कार्यों को आप अपने बजट में शामिल करेंगे। धन्यवाद।

श्री सुल्तान बेग-

मैं मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी द्वारा आज का जो बजट रखा गया है, उसकी कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना है। एक ऐसी घटना मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब पिछली बारी सपा की सरकार थी। एक मार्ग है बरेली, बिटौरा-बहेड़ी, उसकी स्पेशल मरम्मत के लिये मा0 मंत्री जी ने पैसा दिया था, वो सड़क बनी और उसके बाद उसी सड़क को बहेड़ी-बिटौरा मार्ग को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर लिया गया और इससे लगभग 5 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में उसको बनाने के लिये लिया

गया और हुआ यहां पर ये कि जो पत्थर, जो बालू, जो रेता स्पेशल मरम्मत के लिये सपा सरकार ने दिया था, उसी को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा बहुत बना दिया और ठोस सड़क नहीं बनी और इसी सड़क के लिये मैं तो यह कहना चाहता हूं, इसमें कि फिर बाढ़ राहत में लगभग 50 लाख रुपया जिसमें 30 लाख रुपये अभी लिये गये, 30 लाख रुपये लिये गये और इसे जब मैंने पिछली बार विधान सभा में रखा था तो इसमें जांच भी करायी गयी, जांच में यह पाया गया कि बीच में जो 5 करोड़ रुपया दिया गया था, उससे सड़क नहीं बनी। वो पैसा कहां गया, इसकी जांच हुई और जांच में सिर्फ वहां पर जो ठेकेदार काम कर रहा था, उसकी जमानत राशि जब्त कर ली गयी, उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। मगर वो पांच करोड़ रुपया कहां गया। वो पांच करोड़ रुपया किन अधिकारियों ने हड़प कर लिया, इसकी जांच आज तक नहीं हुई। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें हर हालत में जिन लोगों ने लगभग साढ़े नौ करोड़ रुपया बहेड़ी-बिटौरा मार्ग का, सड़क नहीं बनी, आज भी नहीं बनी है, सड़क बिल्कुल अपना अस्तित्व खो चुकी है और वो लगभग साढ़े नौ करोड़ रुपया पूरी तरीके से खा लिया गया। इसमें एक चाल नयी और चल दी गयी पहले यह सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 में थी, स्पेशल मरम्मत के लिये मा0 मंत्री जी की सपा सरकार थी, तब पैसा दिया गया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी लिया गया, बाढ़ राहत में भी 50 लाख रुपया ले लिया गया और उसके बाद जब यह बात आ रही है कि इसमें लंबा घोटाला हुआ है और उसकी जांच की बात जब आ रही है तो एक साजिश के तहत बाकायदा कहा जा रहा है कि इस सड़क को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से हटाकर दोबारा से पी0डब्ल्यू0डी0 को दे दिया जाये, उसकी पत्रावली डी0एम0 के यहां से स्वीकृत होती हुई, यहां पर प्रमुख सचिव, पी0डब्ल्यू0डी0 के यहां मौजूद है। मैं यहां पर मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें विशेष तौर पर इसकी आप विस्तृत जांच करा लें और इसमें जो भी अधिकारी दोषी है, जिस स्तर का भी अधिकारी दोषी है, उससे वह पैसा रिकवर किया जाये और इस सड़क को बनाने का काम किया जाये। यह मैं खासतौर से आपके माध्यम से मा0 मंत्री के सामने कहना चाहता हूं। और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुछ सड़कें हैं, मैंने मा0 मंत्री जी को पहले भी दे दी हैं। ये लगभग 12, 13 सड़कें हैं। इसमें छोटी-छोटी पुलियां हैं, इसमें फिरोजपुर मार्ग से पूर्व में बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है और पश्चिम के दोनों तरफ कामता प्रसाद के मकान में एक पुल बनना है, सड़क की पुलिया बननी है। साथ ही साथ वहां पर तीन चार सड़कें हैं जिनकी मरम्मत बेहद जरूरी है, वो सड़कें पूरी तरह से अपना वजूद खो चुकी हैं और इन सड़कों से जे0के0 चीनी मिल, सेमीखेड़ा चीनी मिल और बहेड़ी चीनी मिल, तीन चीनी मिलों को लगभग दो दर्जन से गन्ना क्रय केन्द्रों का गन्ना इन्हीं सड़कों से हो करके जाता है।

मान्यवर, और वह सड़कें पूरी तरह से टूट गयी हैं। वहां पर किसान जब अपना गन्ना ले करके चीनी मिलों को जाते हैं तो गाड़ियां पलट जाती हैं और लगभग एक साल में 12, 13 दुर्घटनायें हुयीं जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूँगा कि मीरगंज-मोहम्मदगंज मार्ग बिबुना होता हुआ जाता है, उसको मरम्मत करा दें। निरगुआ से निगोटिया तक सड़क निर्माण और ग्राम अमौर से कैथोला बेनीराम तक ये बिल्कुल आखिरी गांव हैं, नदी के किनारे हैं और वहां पर आज भी इतने साल हिन्दुस्तान को आजाद हुये हो गये, आज भी वहां जाते हैं तो मालूम होता है कि हम बिल्कुल पुराने हिन्दुस्तान के अन्दर आ गये। आज भी 2-2, 3-3 फुट गहरी गराड़ों से होकर गन्ने को क्रय केन्द्रों तक लाने के लिये मजबूर होता है। मेरा अनुरोध है मा0 मंत्री जी से ग्राम अमौर से कैथोला बेनीराम तक सड़क निर्माण करा लिया जाये। यह फतहगंज पश्चिमी में है और एक सड़क जो पिछली सपा सरकार में दी गयी। उसके लिए पैसा भी जारी हो गया था, लेकिन वह सड़क नहीं बन पाई वह पैसा कहां गया मुझे नहीं मालूम लेकिन ग्राम शाहपुर से हौजपुर तक सड़क अगर नहीं बनी तो इस बार बारिस में ग्राम हौजपुर सहित लगभग एक दर्जन से अधिक ग्राम के लोग वहां से नहीं निकल पायेंगे और पूरी तरह से वह टापू में तब्दील हो जायेगा तो यही दो तीन बातें थी जिसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है और जो बहेड़ी-बिठौरा मार्ग है उसकी जांच जरूर करवा लें और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं माननीय बसपा सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां हैं। पिछले 5 साल में लोक निर्माण विभाग में कितनी सड़कें बनी यह तो पता नहीं लेकिन बनाने वालों की हत्याएं बहुत हुई। कम से कम 3 केसेज तो हम लोग गोरखपुर से जानते हैं। जहाँ ठेकेदारों के आपस की लड़ाइयों में बहुत सारे लोगों की बलि दी गयी। माननीय मंत्री जी दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।

मान्यवर, हत्याओं का यह सिलसिला रुकना चाहिए और आज के इस दौर में जहां ई टेण्डर की जमाना आ गया आप वहां निविदा बेचें, निविदा मंगवायें और निविदा डलवायें और निविदा खुलवायें, यह सब तभी होता है। जब हम निविदा को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि यदि सचमुच इस सरकार के द्वारा किये गये कार्यों से हम सब दुखी हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामों की पुनरावृत्ति न हो और इसका सबसे आसान तरीका है ई टेण्डर। अखबारों में टेण्डर किसी और शहर में टेण्डर यह सब प्रक्रिया रुकनी चाहिए। इलेक्ट्रानिक सिस्टम का प्रयोग करिये सारे

टेण्डर उसमें डाल दीजिए, जिन्हें भरना हो उनके माध्यम से वह भर लें, आप उन सारे टेण्डर्स को अपने आफिस में इलेक्ट्रानिक सिस्टम से खुलवा लीजिए। इन मौतों के सिलेसिले पर रोक लगनी चाहिए माननीय मंत्री जी तभी शायद उन सड़कों की गुणवत्ता बढ़ेगी यह मुझे लगता है।

दूसरी चीज जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनती हैं। मैं तो शहर का विधायक हूं। हमारे शहर क्षेत्र में नहीं बनती लेकिन योजना समिति की बैठकों में देखकर एक अजीब सी विसंगति नजर आती है। माननीय सांसद महोदय लोग तो कार्यक्रम में बुलाये जाते हैं लेकिन सड़के बनवाते हम हैं भले उनका धन हो, धन वह कोई अपनी जेब से नहीं देते धन वह हमारा ही होता है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का होता है। माननीय सांसदों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है, माननीय सांसदों के नाम उसमें लिखे जाते हैं और जिस विधायक के क्षेत्र में बनती हैं उन विधायकों को इग्नोर कर दिया जाता है, यह शायद जानबूझकर किया जाता है। इसलिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता का सुपरवीजन करने के लिए माननीय विधायक वहां उपस्थित न हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि सांसद वहां आफिशियली बुलाये जाते हैं, तो माननीय विधायकों को भी आफिशियली प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं। शहर का विधायक हूं, मेरे क्षेत्र की सड़के नहीं हैं लेकिन वह दोहरा आचरण हम योजना समिति की बैठकों में देखते हैं, यह दूर होना चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, फोर-वे लेन प्रारम्भ होने जा रही है। धीमे-धीमे टोल टैक्स का स्थान बन रहा है आप में से अगर कुछ माननीय विधायक गुजरे होंगे तो टोल टैक्सों से गुजरने के दौरान किन-किन लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जायेगा इसकी एक सूची बड़े-बड़े में लिखकर टांगी जा रही है। आप जरा एक बार जब गुजरिएगा तो उस सूची को पढ़िएगा उस सूची में सब है विधायकों के सिवाय यह बड़ी अजीब सी बात है कि जमीन हमारी है, हमारे लोग चलते है हमें उत्तर प्रदेश में बार-बार काम के लिए यहां लखनऊ आना जाना पड़ता है और हम ही अपनी सड़क पर जब लखनऊ जायें तो तीन जगह रुककर हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स देना पड़े तो समझ में आता है टोल टैक्स देने में कितना समय खर्च होने वाला है। हमारे ही बगल से कोई अधिकारी गाड़ियां घुमाते हुए पो-पो करते हुए निकल जायेगा और हम लाइन में खड़े होकर टोल टैक्स देने में अपना समय लगा रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह कंरूगा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो छूट की सूची बनाई गयी है। उस छूट की सूची में, भले ही भारत सरकार बना रही हो, हमारे प्रदेश में वह सड़कें चल रही हैं, उस छूट की सूची में माननीय विधायकों के नाम भी जोड़े जाने चाहिये और उनको भी उन्मत्ता मिलनी चाहिये। तीसरी चीज, आपने पूर्वांचल विकास निधि की चर्चा अपने भाषण में की है। 40 प्रतिशत जनता वहां रहती

है, मैं आभारी हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, पूर्वांचल विकास निधि उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 1989 में शुरू हुई थी, बहुत जमाना गुजर गया। अब 89 से होते-होते 25 साल गुजर गये अब इसमें कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिये। 40 प्रतिशत जनसंख्या के लिये, माननीय अम्बिका चौधरी जी, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, 36 रुपये प्रति नागरिक हम लोग पूर्वांचल विकास निधि दे आये हैं। यह बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा है। इसके बहुत मुकाबले में बुन्देलखंड को देखें, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं जो माननीय बुन्देलखण्ड के सदस्य हों, वह इसे अन्यथा नहीं लेंगे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वहां प्रति नागरिक साढ़े 1100 रुपया दे रहे हैं। अगर प्रति नागरिक साढ़े 1100 रुपया वहां है तो माननीय अम्बिका जी आप सहमत होंगे कि साढ़े 1100 रुपया प्रति नागरिक यहां भी हो जाये तो यह जो अन्याय आप कर रहे हैं, तो यह अन्याय दूर हो जायेगा।

एक बात जो अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी का जवाब देते हुये आपने कही, कि हर विधायक को हम सड़कें देंगे लेकिन बड़ी बुद्धिमानी के साथ आपने एक शर्त जोड़ दी। शर्त आपने यह जोड़ा कि वह सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 की होनी चाहिये। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में सड़क दी थी तो यह शर्त नहीं जोड़ी थी। अब आपको जोड़ने का अधिकार नहीं है, बड़े भाई की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। उन्होंने 7 किमी0 सड़क दी थी, हर विधायक को। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो परम्परा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई, इन्होंने तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन आप उसे क्यों तोड़ रहे हैं। उन्होंने तो यह कहा था कि 7 कि0मी0 हर विधायक को सड़क देंगे, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण। तो आप बढ़ाइये आपने 20 कहा है, हम लोगों ने सुना है, हम लोग 20 के लिये आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन शहरी और ग्रामीण का भेद न करिये। आपने कहा है हम लोगों ने सुना है और सदन की कार्यवाही में भी है। आप निकलवा कर दिखवाइयेगा।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

डा0 साहब, इसमें वैसे तो हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि आप सबसे सजग विधायक हैं और दूसरा यह कि आपने मेरी बात भी रख दी है इसलिये मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिये आपको भी खुश होना चाहिये, जब आपने हमको प्रसन्न किया कि शहर और देहात के मार्फत कोई भेद नहीं होगा, माननीय मंत्री जी ने जो 20 किमी0 की बात कही है उसके गड्ढे भरवाने की, उसमें शहर भी शामिल रहेगा, उसमें कमी नहीं आयेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं अम्बिका जी, जो फिलहाल तो संसदीय कार्य मंत्री जी की कुर्सी पर हैं। सड़क बनेगी, तभी गड्ढा जायेगा। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि यह

सड़कें देंगे और बिना सड़क बनाये गड्ढा होता नहीं है और हम लोग आपसे पैचिंग का काम मांगने तो यहां आये नहीं हैं। आप स्वयं भी नहीं चाहेंगे कि आपको पैचिंग का काम दे दिया जाये। मैं दो-चार बातें सबके हित की और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग की जो कार्य पद्धति है, यह आपका जवाब है देवरिया बाई पास 5 साल से खराब है। आपने स्वयं स्वीकार किया कि हां मार्ग कहीं-कहीं बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है और फिर लिख दिया कि विशेष मरम्मत की कोई योजना नहीं है। जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि देवरिया बाई पास खराब हो गया जब आप स्वयं स्वीकर कर रहे हैं कि गोरखपुर वाराणसी बाई पास खराब है, कि0मी0 38, 45, 64, 65, 68, 77, 78, 87, 93 और 100 यह मेरी विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। गोरखपुर-वाराणसी बाई पास हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता। हर नागरिक के लिये प्रयोग होता है, इसलिये मैं कह रहा हूं। जब आप इसे स्वीकार कर रहे हैं कि यह खराब हो गया और पिछले 5 साल से खराब है, नरक हो गया है उस रास्ते पर चलना। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन सड़कों को तुरन्त ठीक करायें। माननीय राणा जी मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, कभी-कभी आप भी उधर से गुजरिये तो आपको लगेगा कि पश्चिम और पूरब की सड़कों में कितना अंतर आ गया है और अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग-28 कालेसर से ले करके हम लोगों के घर होते हुये सर्किट हाउस आप जाते होंगे, एक बार और सर्किट हाउस आप चले जाएं, इतनी खराब सड़क है कि लगता ही नहीं है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप यह मत कहिये कि यह केन्द्र सरकार की सड़क है, आप मंत्री हैं और यदि आप चाह लेंगे तो वह कल बन जाएगी। मैं जब दो-चार दिन के बाद वहां पहुंचू तो वह सड़क बनती दिखे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, धन्यवाद।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार के अन्तिम वर्ष में हमारे जनपद सोनभद्र में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा 300 करोड़ रुपये के डामर रोड का टेण्डर हुआ था और इसी वर्ष में आर0ई0एस0 विभाग द्वारा 500 करोड़ रुपये का सी0सी0 रोड का टेण्डर हमारे जनपद सोनभद्र में हुआ था। (इस समय 3.00 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये) मान्यवर, डामर रोड और सी0सी0 रोड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ब्लास्ट स्टोन और सीलिंग पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा क्योरी द्वारा सुकृत माइन्स से प्रयुक्त होना स्टीमेट में दिखाया गया है जो लगभग ढाई हजार रुपये क्यूबिक मीटर प्रतिरेट है जैसा कि स्टीमेट में दिखाया गया है लेकिन उसका प्रयोग न कर लोकल घटिया पत्थर का उपयोग किया गया है जो कि बगल के खेत में से 200 रुपये क्यूबिक मीटर आसानी से उपलब्ध हो जाता है जो कि बिल्कुल मानक के विपरीत है। केवल इसी मद में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है जो कि जांच से

स्पष्ट हो जाएगा। मान्यवर, क्या वजह है कि सिर्फ जनपद सोनभद्र में सम्पर्क मार्ग का 800 करोड़ रुपये का टेण्डर हुआ और इस तरह का टेण्डर किसी और जनपद में क्यों नहीं हुआ। इसका कारण स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर लूट का बाजार कायम है और आज भी चल रहा है। मान्यवर, मैं चाहूंगी कि इस सारे प्रकरण की जांच माननीय लोक निर्माण मंत्री करायें और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, धन्यवाद।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, निश्चित रूप से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें निश्चित रूप से प्रदेश के गांव के विकास को महत्व देने का काम किया गया है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पूर्व सरकार में चलाई जा रही तमाम योजनाओं को वर्तमान सरकार द्वारा निरस्त किये जाने का आरोप लगाने का काम किया जा रहा था। बहुत बढ़-चढ़कर कहा गया था कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश के तमाम गांवों को जोड़ने का काम किया गया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उस समय अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत उन गांवों को चयनित करने का काम किया जा रहा था, मैं अपने विधान सभा का उदाहरण देता हूं, इस योजना में उन गांवों को चयनित करने का काम किया गया जो पूर्व से ही सम्पर्क मार्गों से जुड़े हुये थे और इसके बाद गांव के विकास के नाम पर, सी0सी0 रोड का काम प्रारम्भ किया गया और मान्यवर, आज भी यदि उठा करके देखें तो आज भी उन मार्गों को पूरा करने का काम उस सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। उस समय कहा गया था कि हम केवल इतना रुपया गांवों को दे देंगे और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति की आबादी की होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को कि शायद इन गांवों को प्राथमिकता पहली बार देने का काम किया गया है जिन गावों के बारे में आज तक किसी सरकार में सोचने का काम नहीं किया गया था। 250 तक की आबादी के गांव जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, जो प्राविधान बजट में किया गया है निश्चित रूप से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही आपको भी याद होगा हर बार कोई न कोई कैबिनेट मंत्री जिला योजना की बैठक करने के लिए जाता था। जिला योजना की बैठक होती थी, जिला योजना में हम लोग प्रस्ताव देते थे लेकिन जब जिला योजना बन करके यहां आती थी, बजट तो पास होता था लेकिन वह पैसा कहां जाता था शायद इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। एक भी सड़क जो जिला योजना से आयी होगी, एक भी सड़क का निर्माण 05 वर्षों में कराने का काम

पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नहीं किया गया होगा। यहां बजट पास होता था, लोक निर्माण विभाग का, कि सड़क बनेगी, पुल बनेंगे, लेकिन होता क्या था, वह पैसा केवल जाता था, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक, अम्बेडकर पार्क, कांशीराम स्मारक पार्क, तमाम तरह के पार्कों पर उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा उस पैसे को खर्च करने का काम किया जाता था। मान्यवर, याद होगा अब से 05 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, एक भारत सरकार की योजना चलती थी कि 500 से अधिक की आबादी के गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांवों की सड़कों का डामरीकरण कराने का काम किया जायेगा। जरा सोचने का काम करना, मैं तो पूछना चाहता था जो कटौती का प्रस्ताव रखे हैं, वह लोक निर्माण विभाग के सर्वेसर्वा थे, पता नहीं कहाँ चले गये हैं। मैं तो जानना चाहता था कि आखिर पिछले 04 वर्षों के अन्दर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को धन देने का काम हिन्दुस्तान की सरकार ने क्यों नहीं किया ? चूंकि साफ था कि पूरे 04 साल उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इस प्रदेश को एक पैसा भी नहीं मिला। कारण था उसके पीछे, भारत सरकार को मालूम था कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा क्या है ? अगर यह पैसा भेजेंगे तो शायद उससे सड़क नहीं बनेगी और इस पैसे का दुरुपयोग करने का काम उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार करेगी। मान्यवर, याद होगा 2007 के पहले साढ़े तीन साल तक समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही है, आज जो लोक निर्माण मंत्री हैं। मा0 शिवपाल सिंह जी ही उस समय लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे। जरा याद करना कि साढ़े तीन वर्षों के अन्दर उत्तर प्रदेश में चाहे वह गंगा नदी रही हो, यमुना नदी रही हो, चाहे कोई बड़ी नदी रही हो, मुझे याद है कि 585 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी थी और केवल इतना ही नहीं किया था, उन 585 पुलों में 497 पुल तत्कालीन सरकार के कार्यकाल के दौरान बन करके तैयार हो गये थे। जरा सोचना, जो लोग कटौती के प्रस्ताव की बात करते हैं, जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, उनसे पूछिये कि पिछले 05 साल में आपकी सरकार ने पूरे सूबे के अन्दर मात्र 58 पुलों की स्वीकृति देने का काम किया और उन 58 पुलों में से मात्र 8 पुल बन करके तैयार हुए हैं, बाकी पुल आज भी अधूरे पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करिये, अभी बहुत लोगों को बोलना है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में मा0 मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, तो तमाम योजनायें चलाने का काम किया गया था जिन योजनाओं के अन्तर्गत गाँव और गरीब तथा शहरों का विकास करने का काम किया गया

था। समग्र विकास योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के जितने भी विधायक थे सारे विधायकों से 10-10 गाँव ले करके हर गाँव को विकास से जोड़ने का काम किया गया था। लोहिया ग्राम योजना चलाने का काम उस समय किया गया था और इतना ही नहीं उस समय त्वरित विकास योजना, कहीं अगर बहुत आवश्यक हुआ तो उस योजना के अन्तर्गत चाहे आवश्यक मार्ग रहा हो, चाहे पुल का निर्माण रहा हो, उस योजना को चालू करने का काम किया गया था। मान्यवर, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग यह आरोप लगा रहे थे कि तमाम महापुरुषों के नाम पर चलने वाली योजनाओं को बंद करने का काम किया गया है, आखिर उनको सोचना चाहिए था कि जो डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर योजना चल रही थी। आखिर उस योजना को बंद करने का काम क्यों नहीं किया गया। मान्यवर, अंत में मैं आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष जी मौजूद हैं, निश्चित रूप से जब बोलेंगे तो जवाब देंगे और नाम तो समझ में आते हैं, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, कांशीराम जी को हम महापुरुष मान सकते हैं, उनके नाम पर पैसा खर्च किया गया लेकिन जो हाथी की मूर्तियाँ लगायी गयीं वह किस महापुरुष की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में भी बताने का काम करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा चूंकि बलिया जनपद की बात आयी है। बलिया जनपद में समाजवादी पार्टी की पॉच सीट और एक सीट विधान परिषद् सदस्य के रूप मे मा0 अम्बिका चौधरी जी सहित 6 लोग हैं। माननीय मंत्री जी ने जब इस बात का इशारा किया कि बलिया जनपद में इतना पैसा खर्च हो गया लेकिन कहीं सड़कें ठीक नहीं हैं केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा, क्योंकि बाकी कटौती प्रस्ताव पर तमाम हमारे साथी चर्चा करेंगे कि हमारे बलिया जनपद के जितने सम्मानित विधायक साथी हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी कोई टेक्निकल टीम हो कोई प्रतिशोध की बात न हो निष्पक्ष रूप से इन सबकी उपस्थिति में बलिया जनपद के साथ-साथ पूरे प्रदेश की सारी सड़कों की जांच करा ली जाय। यह मेरा आग्रह है। मैं यह नहीं कहता मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप जॉच पर काफी बल दे रहे हैं चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई पीछे नहीं हट रहा है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप बलिया जनपद की जांच हमारे सम्मानित जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप

अगर खुद रहें और पूरे प्रदेश की सड़कों की स्थिति आप भी देखें और जो बलिया जनपद की सड़कें बनी हैं। आप अपनी उपस्थिति में जांच करा लें तो बहुत कृपा होगी। इसी उद्देश्य से मैं खड़ा हुआ था। धन्यवाद।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रिजवी साहब बैठें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, यह बलिया का मामला है इसलिए मैं बोलूंगा। जो छात्र शक्ति कंस्ट्रक्सन कम्पनी है।

श्री उमाशंकर-

माननीय सदस्य जो खड़े हुए हैं इनको पहले तो पीड़ा नहीं थी। इनका विरोध यह है कि यह सड़क अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर जाती है तो जब तक [x x x]

श्री अध्यक्ष-

आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आप बेबुनियाद आरोप लगाने के आदी हैं। पहली बात छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया जाय।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अध्यक्ष जी आप कार्यवाही दिखवा लेंगे जैसी मंशा आपकी है माननीय उमाशंकर जी ने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में जो भी बात कही है उसका उल्लेख उन्होंने सिर्फ बलिया के लिए विशेष तौर पर किया। माननीय मंत्री जी से कहा और हम लोगों से भी कहा कि सबकी उपस्थिति में जांच हो जाय और उस पर उन्होंने तुरन्त एक आक्षेप लगाया ऐसे आक्षेप नहीं लगने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

वह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

आक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आक्षेप को कार्यवाही से निकलवा दें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही से निकल जाएगा।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

उमाशंकर सिंह एक ठेकेदार हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार हैं। लूटने का ठेकेदार है।

श्री अध्यक्ष-

इन बातों को छोड़िये। यह लिखा नहीं जाएगा।

आप दोनों जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है। जब एक बार कह दिया कि कार्यवाही में नहीं आयेगा। इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए। उसकी भी एक प्रक्रिया है। इस सदन में आये हैं तो उसके हिसाब से आचरण कीजिये। किसी पर आक्षेप भी लगाना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत करिये। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध था कि एक तो यह कार्यवाही से निकलवा दें और दूसरा बलिया की बात आयी है और आपने रिजवी साहब को अवसर भी दिया था। इसलिये अभी आक्षेप की बात खत्म हो गई है। मान्यवर, रिजवी साहब की बात सुन लें क्योंकि मुख्यालय से सिकन्दरपुर की दूरी है 34 किलोमीटर और उसका टेन्डर हुए दो वर्ष हो गया है। 34 किलोमीटर जाने में ढाई घंटा लगता है इसलिये रिजवी साहब की बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आक्षेप नहीं लगायेंगे।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मैं आक्षेप कतई नहीं लगाऊंगा। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के बजट को बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं जितना अच्छा काम हुआ था पिछली सरकार में और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा धन बलिया जनपद के लिये दिया। इनके जमाने में बहुत ज्यादा सड़कें बनीं बलिया जनपद में और आज भी अपेक्षा है हमारे बलिया जनपद की जनता को क्योंकि आप बीच-बीच में वहां गये थे और जब हमारे चुनाव प्रचार में गये थे तो आपने दो पुल की स्वीकृति आपने की थी। आपने कहा था कि मैं बनूंगा तो एक पुल गंगा का पक्का और एक घाघरा नदी पर मेरे क्षेत्र में खरीधरौली घाट पर पक्का पुल बनाने की आपने घोषणा भी की थी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि दो सड़कें बनी हैं एक रसड़ा से आ रही है सीधे जा रही है बेल्थरा रोड उसकी जांच करवा लें। छात्र शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने उसको बनवाया और अभी वह टूटना शुरू हो गई है और आधा अधूरा उसको छोड़ दिया गया है। दूसरी सड़क बन रही है बलिया से लेकर तुर्तीपार जिसका 10 किलोमीटर तक भी काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इनकी पार्टी

के एम0पी0 सिर पकड़ के बैठ गये योजना आयोग की मीटिंग में माननीय अम्बिका चौधरी जी मौजूद थे कि अरे बाप रे बाप क्या कहूँ। मैडम तो हमारी सुनती ही नहीं हैं। हम तो अपनी बिरादरी की बात करने के लिये गये थे कि राजभरो को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाय, मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया तो मैं कैसे बात कर सकता हूं। इनके पार्लियामेंट के मेम्बर सिर पकड़ कर बैठ गये। इनकी पकड़ माननीय मंत्री जी के यहां है। इनकी कम्पनी में टी0 राम जी, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो पूर्व मंत्री थे वे और यह हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम यहां न लिया जाय। आप बैठिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

हमारी सड़क 10 कि0मी0 नहीं बनी है। हमारे क्षेत्र में मरीज मर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी कई बार सिकन्दरपुर से बलिया गये हैं। ढाई घंटा आपको भी लगा होगा वहां पहुंचने में। सिकन्दरपुर से बेल्थरा की 34 कि0मी0 की दूरी छोड़ दीजिये। मेरे कान्स्टीटुएंसी से जिला मुख्यालय पहुँचने में ढाई घंटे का समय लगता है और ढाई साल में दस किलोमीटर सड़क नहीं बनी। सारा पैसा चाहे इन्होंने अपने चुनाव में खर्च किया हो चाहे जहाँ भी किसी मंत्री को देने में खर्च किया हो उसकी उच्चस्तरीय जांच करने की मैं अपने बड़े भाई लोक निर्माण मंत्री जी से मांग करता हूँ और इस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाय।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, बसपा के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। लोक निर्माण विभाग अति प्रतिष्ठापरक और महत्वपूर्ण विभाग है। सारे नगरों और गांवों की सड़कों की मरम्मत, रख-रखाव यह करता है लेकिन आज इसके काम जिस तरीके से होना चाहिए यह अपनी प्रतिष्ठा को भी कायम नहीं रख पा रहा है। बड़ी-बड़ी सड़कें लोक निर्माण विभाग बनाता है और यह अनेक विधायकों के क्षेत्र से होकर जाती हैं। हर विधायक का यह दायित्व होता है कि उसकी सड़क ठीक रहे और जनता के सामने उसकी छवि बनी रहे। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस विभाग के द्वारा इन सड़कों के रख-रखाव के काम तो दूर छोड़ दीजिये जो पैसा पास हो जाता है वह सड़क भी बन नहीं पाती है। जिला योजना की बैठक होती है, हर विधायक अपना-अपना प्रस्ताव भेजता है आशा करता है कि उसकी कुछ सड़कें पास होंगी, लेकिन जिला योजना में हर विधायक को बराबर-बराबर धन आवंटित नहीं होता है। सत्ताधारी विधायकों की सड़कें पास हो जाती हैं। विपक्षी विधायकों के सड़कों के प्रस्ताव की पूर्ण उपेक्षा होती है। दुःख की बात यह है कि अगर कोई सड़क पास भी हो जाती है तो वह बनती नहीं

है। रोहनिया विधान सभा क्षेत्र में एक गांव था पहाड़ी, उसमें एक सड़क दिया था, सड़क पास हो गई, लिखित रूप में आ गया, मैंने कार्यकर्ताओं को लिखकर भी भेज दिया कि तुम्हारी सड़क पास हो गई लेकिन रिमाइण्डर देते-देते दो साल हो गए, सड़क नहीं बनीं। तो झक मारकर मुझे अपनी विधायक निधि से सड़क बनानी पड़ी। इसी तरह से नगर में इस विभाग की अपनी कई सड़कें हैं रथ यात्रा से लेकर महमूरगंज, मडुआडीह क्रासिंग तक की सड़क पिछले दो-तीन साल से पास है। पी0 डब्ल्यू0 डी0 का नियम है कि वह 6 साल के बाद अपनी सड़कों की मरम्मत कराती है। आठ साल बीत गए उस सड़क पर कूड़े की भरमार है पानी बह रहा है सड़क की मरम्मत नहीं हुई। लिखा-पढ़ी करो तो भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लहरतारा से सड़क बी0 एच0 यू0 जा रही है इसी विभाग की सड़क है ऐसा लगता है जितनी चौड़ी उसकी सड़क है उतना ही चौड़ा उसका फुटपाथ है। फुटपाथ घर गृहस्थी संभालने की जगह बन गई है। लोग पानी से डूबने से बचने के लिए किनारे-किनारे ऊँचा कर लेते हैं फिर होता क्या है फुटपाथ ऊँचा हो जाता है और सड़क नीची हो जाती है। नांव की तरह और अगर वह बनती भी है तो वह तुरन्त टूट फूट जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विभाग के द्वारा अपनी ही सड़कें बनाई जाएं तो केवल सड़क पर ही नहीं बगल के फुटपाथ पर भी ध्यान दें और जल निकासी के साथ-साथ अगर हो सके तो फुटपाथ को थोड़ा ऊँचा कर दें। ताकि जो वृद्ध, बालक, साइकिल चालक दुर्घटनाग्रस्त न हों और फुटपाथ से निकल जाएं। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार आती है। वह लखनऊ को सजाने में लग जाती है। लोहियापथ जो लखनऊ शहर में बना है, बनारस में भी चौड़ी सड़कें हैं वहां यह बन सकती है, इसको बनाया जाना चाहिए ताकि निरापद ढंग से लोग चल सकें। माननीय मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को पाँच किलोमीटर बाद में सात किलोमीटर दो साल सड़कें दी थी। आज भी हम उनको याद करते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से और साथ ही लोक निर्माण मंत्री जी से भी यह आग्रह है कि परम्परा को जारी करें हर विधायक को सड़क दी जाए और बराबर दी जाए। विधायकों के बीच में भेद न किया जाए। पूर्वांचल विकास निधि का सारा प्रस्ताव इसी विभाग से होकर जाता है। पिछले वर्ष विधान सभा में इसी विधान सभा में यह घोषित किया गया था कि पूर्वांचल विकास निधि का जो भी निधि बचेगा वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ-साथ समाप्त हो जाएगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 21 नवम्बर, 2011 को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा था। 24 दिसम्बर, 2011 को चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन उस प्रस्ताव का निस्तारण आज तक नहीं हो पाया। विभाग की कार्यशैली पर हम एक नजर करते हैं, कर्मचारी अपनी फाइल दबाकर रखें, अधिकारी अपनी फाइल दबाकर रखें और जनप्रतिनिधि जनता के सामने झूठा साबित हो। क्या कारण है कि इतने पहले प्रस्ताव भेजा जाए और उसका निस्तारण न हो। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि साल के अन्त में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यह निधि समाप्त हो जाएगी

और वापस हो जाएगी इस घोषणा को वापस लें। इस प्रकार से गलत तरीके से प्रस्ताव फंसे हैं और आज तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं। जनप्रतिनिधि इसका दंड नहीं भोग रहे हैं जनता इसका दंड भोग रही है।

उनको वापस किया जाए और वह प्रस्ताव हमारे निस्तारित किए जायें जिससे वह लागू हो सकें। हर विधायक अपनी सड़कों का पुनर्निर्माण करता है, जो पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें हैं और उनकी जो हालत है, हम चाहते हैं कि पी0डब्ल्यू0डी0 या सरकार इन सड़कों को तुरन्त पुनः बनवाये। एक बात और मुझे कहना है, सड़क तो हमेशा ही बनती रही है। सड़क बनाने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना राजतंत्रों का इतिहास है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यह घोषित हुआ था कि 500 के ऊपर के आबादी वाले गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा और उनका लक्ष्य था, 2007 का। 2007 तक वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी और उनका काम भी रुका है, वह कारण जो भी हो। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने घोषित किया कि 250 से अधिक आबादी वाले गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जायेगा, यह प्रशंसनीय कदम होगा। लेकिन यह जानने की इच्छा जरूर है कि क्या 500 की आबादी वाले जो गाँव छूटे पड़े हैं, उनको छुआ जायेगा और 250 से अधिक आबादी वाले कितने गाँव आप लेंगे, कितने गाँवों को आप एक साल में कवर करेंगे ? क्या आप ऐसे सभी गाँवों को इस पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में पूरा विवरण पता चलता तो बड़ी खुशी होती। अन्त में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगी कि पी0डब्ल्यू0डी0 को जनता बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती रही है, क्योंकि इसके काम में गुणवत्ता थी। आज गुणवत्ता नहीं है। आज जो सड़क बनायी जा रही है, उसमें जो टेण्डर होते हैं, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है। कई विधायकों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है कि इसको वह घटायेगी, कम करेगी, समाप्त करेगी ? अगर यह कदम उठता तो निश्चय ही यह इतिहास में एक उल्लेखनीय कदम होता। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह सोच रही है कि जैसे चलता है, चले, आज तो गंगा जी में पानी भी नहीं है, बहाव भी नहीं है, हाथ भी नहीं धो सकेंगे। यह अच्छा होता यदि सरकार इस ओर भी कुछ कदम उठाती और उसकी स्पष्ट घोषणा यहाँ करती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र-

माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिन से सदन चल रहा है, आपने मुझे प्रथम बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं बजट पर जो लोक निर्माण विभाग का बजट पेश किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बजट पर अपनी सहमति जताते हुए मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद सोनभद्र की तरफ ले चलना चाहता हूँ। जहाँ पिछले 5 साल में हमारे यहाँ जो लूट हुई है, चाहे वह सड़क हो, चाहे नरेगा हो, चाहे वह खनन हो, आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लूटा गया तो वह जनपद सोनभद्र है। हम माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर ले चलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सड़कों का जो स्टीमेट बनाया गया है, उसमें बहुत धांधली हुई है, उसकी जांच करानी चाहिए। अगर दूसरा विभाग उस सड़क को 30 लाख रुपया प्रति किलोमीटर बनाता है तो एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए वह स्टीमेट बहुत ज्यादा बढ़ाकर बनाया गया है। उसकी विशेष रूप से जाँच कराने की आवश्यकता है। दूसरा विभाग 3 इंच मौरंग डालता है तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उस एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए एक-एक फुट मौरंग उस सड़क पर डालने के लिए स्टीमेट बनाया गया है। विशेष रूप से इसकी जांच करने की आवश्यकता है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ क्योंकि सोनभद्र की सड़कों को ऐसा लूटा गया, सोनभद्र को ऐसा लूटा गया, ऐसे ठेके दिए गये, हमारे सामने माननीय सदस्य टी0 राम जी बैठे हैं जो उस समय थे। कैसे एक व्यक्ति को इतने लम्बे-लम्बे ठेके दे दिये गये। एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कौन से नियम-कानून के तहत ऐसे ठेके दिये गये। कौन सा ऐसा वह नियम था जिसके तहत सारे ठेके एक व्यक्ति को दिये गये और वहाँ के जो स्थानीय ठेकेदार हैं वह सल्फास खाने को मजबूर हो गये। उनकी इतनी पोजीशन खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते। इन सब चीजों की जांच हमारे सोनभद्र से शुरू होनी चाहिए ताकि उसका पर्दाफाश हो सके और सारी चीजें खुलकर सामने आयें। अगर सारी चीजें खुलकर सामने नहीं आती हैं तो इसी तरह से लोग लूटते रहेंगे। हमारा जिला लुटता रहेगा। मैं अपने जिले की तरफ मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जिले में 54 प्रतिशत वन हैं, 6 प्रतिशत में पहाड़ है और नदियाँ हैं, 60 प्रतिशत तो इसी में निकल गया। केवल 40 प्रतिशत में हम पूर्ण रूप से निवास करते हैं अपना जीविकोपार्जन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि उन 40 प्रतिशत में सड़कों का यह हाल कि सड़क में गढ्ढा है कि गढ्ढे में सड़क है यह पता नहीं चलता है। उन सड़कों का हाल यह है कि महिलाओं को रोडवेज में बच्चा भी पैदा हो गया। मान्यवर, मैं अपने यहां एक नौगड़वाँ गाँव में चुनाव प्रचार में एक दिन गया था, उस गांव में एक आदिवासी लड़की रहती थी। जब मैं गया तो उसने सुना कि भईया आये हैं। हमारे गाँव के हैं। मैंने उसको बुलाया मैंने कहा कि बच्ची बताओ तुम्हारे गाँव में तो रिश्तेदारी हो गयी तो तुम बताओ कि इस गाँव से हम कैसे बढ़िया वोट पायेंगे। उसने कहा भइया एक काम आप कर दीजिए और यहाँ बोलकर जाइये कि गाँव की रोड बन जाये। क्योंकि जब बरसात के दिन में किसी को डिलीवरी होने को होती है तो वह अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, वह यहीं मर जाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने उस सुदूर क्षेत्र में, नक्सल

प्रभावित क्षेत्र में उस आदिवासी क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ बरसात के दिन में व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। माननीय नेता जी ने पिछली सरकार में जितने भी वहाँ पुल थे, उन पुलों को वहाँ दे दिया था। एक पुल की घोषणा करके आये थे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उस पुल को जो सोन नदी पर है और वह जो रोड पेंडिंग है, घोरावल से अनपरा तक की इसको करवा दें और ऐसे-ऐसे मजरे हैं, नक्सल प्रभावित जिला है, पहाड़ी जिला है। जहाँ अभी सुविधा नहीं है उधर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्व देने में गाजियाबाद के बाद सोनभद्र का नम्बर आता है। राष्ट्र में बिजली देने में 5-7 राज्यों में अगर नम्बर आता है, तो सोनभद्र का आता है। 30-40 जिले में गिट्टी देने में नम्बर आता है तो सोनभद्र का आता है। 30-40 जिले में बालू देने में नम्बर आता है तो सोनभद्र का आता है। आजूबाजू के जिलों में पानी देने में नम्बर आता है तो सोनभद्र का आता है। राष्ट्र निर्माण में जो बिजली उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होने में जो कोयला लगता है, उसमें अगर नम्बर आता है तो सोनभद्र का आता है। एशिया के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादक हम हैं। सीमेन्ट के बहुत बड़े उत्पादक हम हैं, वनों के उत्पाद के सबसे बड़े उत्पादक हम हैं। एशिया का हमारा सोनभद्र एनर्जी हब होने जा रहा है और जो उत्तर प्रदेश में वन का नार्म है। उसमें आधा सोनभद्र अकेले पूरा करता है। दुर्भाग्य मेरा है कि पिछली सरकार में हमको मोबाईल चार्ज करने तक के लिए बिजली नहीं मिलती थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सड़क की बात जरूर करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह है कि सोनभद्र के हर ढाई सौ से पाँच सौ के मजरे को आप सड़कों से जोड़ लेने का काम करियेगा। जनता आपको आशा भरी निगाहों से देख रही है, ताकि सोनभद्र का विकास हो और सोनभद्र भी उन अगले जिलों में आये जब हम गाजियाबाद जाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई जाते हैं तो हर व्यक्ति यह कहता है कि भईया सोनभद्र बहुत पिछड़ा जिला है। अरे हम हर चीज में अगड़े हैं तो मुझे पिछड़ा क्यों बनाया जाता है। हम हर चीज में आगे हैं तो हमें विकास में भी आगे होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान रोड की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कम से कम और दूसरे विभाग हमको भले ही आगे न ले जायें लेकिन रोड के माध्यम से आप हमें अगड़े में कर दीजिए। सोनभद्र के निवासी आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पूर्व वक्ता, माननीय नेता विरोधी दल, भारतीय जनता के नेता, कांग्रेस के नेता विस्तार से सभी बातों पर प्रकाश डाल चुके हैं।

जब हम सदन में सुनते हैं, बैठते हैं, देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई किस्सा ही नहीं है, बुन्देलखण्ड का किस्सा है, पूर्वान्चल का किस्सा है, कोई और जगह का किस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में एक भी पैसे का बजट में कोई भी प्राविधान नहीं किया है। दूसरा सवाल मेरा यह है, मान्यवर आपके माध्यम से।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, भोजपुरी में एक कहावत है हमारे यहां आप सुनें होंगे कि ''रांड रांड रोये तो संग लागल लहवातिनो रोये'' कि अगर विधवा रो रही थी तो उसके साथ जो बहुत चौड़ा सिंदूर लगाये थी, वह भी रोने लगी, तो यह हालत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत मान्यवर, विकास के सारे इन्डेक्स में इनकी जो स्थिति है, अगर यह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह होना चाहते हैं, स्वागत है आपका बराबरी पर आइये।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से दो-तीन बातों की ओर मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अभी मा0 मंत्री जी ने बड़े विस्तार से लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया। मा0 मंत्री जी ने अनुरक्षण के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की सड़कों के लिए बजट एलाट किया, मेरी थोड़ी शंकायें हो गई कि जो सड़कें पहले दसियों वर्ष पहले एम0पी0 कोटा से, एम0एल0ए0 कोटा से, मण्डी समिति से या गन्ना विभाग से बनी है उन सड़कों के अनुरक्षण के लिए कहीं कोई किसी भी तरह का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है, जिससे कि वह सड़कें जीर्ण क्षीर्ण हालत में पड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग उन सभी सड़कें के अनुरक्षण की भी जिम्मेदारी ले जो बहुत पहले दसियों वर्ष पहले एम0पी0 कोटा से, एम0एल0ए0 कोटा से, मण्डी समिति से या गन्ना विभाग से बनी हैं उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत ही दयनीय है। मा0 मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर एनएच-91, नेशनल हाई-वे 91 निकल रहा है, उसके निकलने से दुनिया कहती है कि बहुत लाभ हो रहा है, मेरे क्षेत्र की जितनी भी सड़कें उससे जुड़ती थीं, सभी सड़कों का सत्यानाश कर दिया। उन्हीं सड़कों पर से होकर रा मैटेरियल, गिट्टी, रोड़ी, मिट्टी की जो ढुलाई हुई है बड़े-बड़े हैवी डम्परों से सभी सड़कें धँस गई हैं। मैंने अपने जिलाधिकारी से खुद कहा, उन्होंने इस सम्बन्ध में एक मीटिंग भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। मैंने कहा इनको नोटिस कीजिए एनएच वालों को, उनसे रिकवरी करिये, जितनी प्रदेश सरकार की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसकी कैसे भरपाई होगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और वह सब इस नेशनल हाई-वे के निर्माण की वजह से ध्वस्त हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि यह सब पैसा उनसे रिकवर किया जाय और उन सड़कों की मरम्मत

और उनका सुधार उनकी तरफ से कराया जाय यह मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, ऐसे कई गांव हैं, सोमना, खेररोड, मंटौला, भूपाल नगरिया, मलिहाबाद, श्यामपुर, लोहपुर, ओगर, कंदौली और कलुआ यह बहुत बड़े मार्ग हैं इन पर गिट्टी और मिट्टी लाने से यह सड़कें कतई बेकार हो गई हैं तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इसके लिए सरकार कोई ठोस निर्णय ले, उनसे रिकवरी करे या इन सड़कों की मरम्मत कराने का काम करावें। मान्यवर पिछली सरकार में पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से नगर विकास योजना व राजकीय नलकूप योजना चलायी जा रही थी, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बजट पुस्तिका में महान पुरुषों में चौधरी साहब का नाम लिया है, लेकिन मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि उनके नाम से कोई भी योजना इस वर्तमान सरकार में नहीं चलाई जा रही है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे पिछले बार हमारा दल, पिछली सरकार में शामिल था, इस बार हमारा दल शामिल नहीं है या हमारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है तो चौधरी साहब की उपेक्षा की गई है। चौधरी साहब उन महान पुरुषों में हैं जिनके अनुयायी आप भी हैं, हम भी हैं, नेता जी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। हमारे मुख्य भवन के सामने उनकी प्रतिमा लगाई है, यदि उनके नाम से यह योजना नहीं चलाई जा रही है, बन्द की जा रही है तो यह सीधा-सीधा उनका अपमान है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से निश्चितरूप से कोई योजना इस वर्तमान सरकार में चलाई जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र के मध्य में होकर काली नदी निकलती है, लोग काफी घूम कर आते हैं। मैं चाहूँगा कि कल्याणपुर और बर्रा नदी पर जो पुल प्रस्तावित है वह निश्चित रूप से बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर अपने को विरोधी दलों से संबद्ध करते हुए उस पर बल देता हूँ।

श्री विश्वम्भर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 लोक निर्माण मंत्री श्री शिव पाल सिंह यादव जी ने लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है। हम बुंदेलखण्ड के उस जनपद से आते हैं, जिस जनपद का नाम बाँदा है। बाँदा की बबेरू तहसील से चुनकर के हम आते हैं। इससे पहले की सरकार में लोक निर्माण मंत्री हमारे जिले बाँदा के थे। जब उनको लोक निर्माण विभाग मिला था तो बाँदा जिले में ही नहीं पूरे बुंदेलखण्ड में बहुत खुशियाँ मनायी गयी थीं और बहुत उत्साह मनाया गया था। लोग बहुत खुश हुए थे कि हमारे जनपद का ही नहीं बुंदेलखण्ड का विकास होगा। बुंदेलखण्ड जो हजारों साल से बहुत पिछड़ रहा है, बहुत बेबसी

में वहाँ के लोग जिंदगी जीते रहे हैं। बहुत गरीबी और दुःख-तकलीफ में वहाँ के लोग जिंदगी जीते रहे हैं। बुंदेलखण्ड ने बड़ी आशा की थी उनसे लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। आपके सामने और इस सदन में कि ''डायन भी एक घर छोड़ती है'' हमारे बुंदेलखण्ड की एक कहावत है लेकिन वह तो ऐसे खबीश साबित हुए कि उन्होंने बाँदा को भी लूटने से नहीं छोड़ा। इतनी जमकर के लूट हुई है, बाँदा में जो सड़कें बनी उनमें 20-20 किलोमीटर की सड़कें 5 साल में हर साल बराबर बनती रहीं और उनका बजट भी हर साल जाता रहा। हमारे क्षेत्र की बबेरू-कमासीन सड़क जो पिछले 5 साल से बनती चली आ रही है और 5 साल में सिर्फ 4 किलोमीटर बनी। बाँदा से बबेरू, बबेरू से मर्का, बबेरू से अतर्रा और बाँदा से विसण्डा, बाँदा से चित्रकूट, बाँदा से चिल्ला इत्यादि ये सब रोडें इतनी खराब और इतनी जर्जर और टूट गई हैं और हर साल बनती रही हैं। बहुत जमकर के इन सड़कों पर लूट हुई है और तो और अध्यक्ष जी हमारे जिले में एक ऐसा पुल बनाया है मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने अपने गाँव सिहुडा में केन नदी पर, जो मध्य प्रदेश को जोड़ता है, उसमें मध्य प्रदेश में दूर-दूर तक कहीं पर सड़क नहीं है, पता नहीं क्यों वह पुल बनाने की जरूरत थी, हम आज तक यह नहीं समझ पाए ? चिल्ला में जो पुल बना वह 13 दिन में टूट गया और जो हमारे यहाँ मेडिकल कालेज बन रहा है, उस मेडिकल कालेज की हर साल छत गिर जाती है। बुरी तरह से लूट हुई है, आज भी हमारे क्षेत्र में कुछ राजस्व गाँव ऐसे हैं, जो 5-5 किलोमीटर दूर हैं, जिनको आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। अछरील जैसा उदाहरण है कि अछरील 5 किलोमीटर सड़क से दूर है। कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है। मर्का में एक से एक बड़े गाँव के मजरे हैं, जिनमें एक-एक हजार वोट हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, चाहे बैरफ हो, चाहे मिर्जापुर हो, भरका से 5-5 किलोमीटर दूर हैं। रास्ते में और कई बड़े-बड़े मजरे पड़ते हैं, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पर लोग आ जा नहीं सकते। गोण्डा से औदहा के बीच कोई सड़क नहीं है इतनी परेशानी में लोग जीते हैं। इतनी तकलीफ में लोग जीते हैं। टोडीपुरवा के लिए कोई सड़क नहीं है मा0 अध्यक्ष जी, डुबरियापुरवा इतना बड़ा गाँव है, लेकिन डुबरियापुरवा जाने के लिए दो-दो नालों को पार करना पड़ता है। वहाँ लोग अपने गाँव में जाने के लिए इतनी परेशानी और दिक्कत का सामना करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिए। आपकी बात आ गई है।

श्री विश्वम्भर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मैं, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा कि मा0 लोक निर्माण मंत्री जी हमारे जिले के थे, जो चले गए, लेकिन हमारे जिले में एक ऐसा बवाल छोड़कर गए हैं। जिसे लोग छात्र शक्ति के नाम से जानते हैं, अभी भी लोग सदन में चर्चा कर रहे थे।

छात्र शक्ति द्वारा बनाई जा रही सड़कें इतनी खराब हैं मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री से माँग करते हैं कि जल्दी जाँच करा करके ऐसे बवाल को हमारे जिले से खदेड़ने का काम करें और इनकी जाँच करायें, जो इस तरह की खराब सड़कें बनाकर के केवल लूट में मस्त हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपका आदेश है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 साहब, आप क्या कह रहे थे।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, समय बहुत कम है और बहुत सारे मा0 विधायक अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। समय एक-एक मिनट भी कर दीजिए सबके नाम आ जाएंगे। मा0 अध्यक्ष जी, समय बहुत कम है और बहुत सारे मा0 विधायक अपनी बातों को रखना चाहते हैं। समय एक-एक मिनट कर दीजिये, सबके नाम भी आ जायेंगे और अपनी बातें रख लेंगे। एक-एक मिनट तय कर देते हैं लेकिन एक मिनट में तो कोई बोलेगा नहीं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, एक सुझाव है मेरा। मा0 डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने सही सवाल उठाया है। इतना महत्वपूर्ण विभाग है ये कि आज इसीलिये लोक निर्माण विभाग का अकेले लिया गया है कि चर्चा हो जायेगी और जैसा कि मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि जो महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं उन पर पूरी चर्चा हो और उसमें समय की कोई कटौती न की जाये। आज पूरे दिन एक विभाग का चला भी और आपने बहुत जल्दी शुरू भी करा दिया था। मान्यवर, इसको आप अगर रात को जितने बजे तक भी ले जायेंगे पर इस बात की गारण्टी नहीं हो सकती कि सभी सदस्यों का आज, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिस पर सभी सदस्य अपनी बात कहें तो उसके पहले अगर एक भी छूट जाये तो फिर वह बात पूरी नहीं होगी। मेरा एक अनुरोध है आपसे कि श्रीमन् जितने सदस्यों के पास जिनको समय आप नहीं दे पाये, उनसे उनके सुझाव मांग लें और वो अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं का उल्लेख विशेष उल्लेख मा0 मंत्री जी से चाहते हों तो आप स्वयं अपनी पीठ से निर्देशित कर दें और मा0 मंत्री जी, विशेष रूप से उनको देख लेंगे क्योंकि सभी सदस्यों की बात मान्यवर, चाहे जितने बजे तक चलायें, ये नहीं आ सकतीं इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, यह सुझाव आप मान लें ताकि उस पर मा0 मंत्री जी कार्यवाही कर देंगे तो काम हो जायेगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, दो दो मिनट का समय दीजियेगा, 5 बजे तक सब खत्म हो जायेगा। आप समय बांट के कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अभी राज्य सम्पत्ति विभाग का भी बजट है। एक विधेयक भी लेना है। अब अगर आप लोग चाहें तो इसकी समय सीमा बढ़ावें तो हो सकता है लेकिन नेता सदन से भी यह सहमति होनी चाहिए, नेता विरोधी दल की भी सहमति होनी चाहिये।

कुंवर कौशल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं लोक निर्माण मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि बड़े दिन से एक उत्सुकता थी कि.....

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करो।

कुंवर कौशल सिंह-

टी0 राम जी कौन हैं, टी0 राम जी कौन हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब उनसे क्या मतलब है आपका।

कुंवर कौशल सिंह-

टी0 रामजी को जब मैं यहां आया तो देखा कि बसपा की झोली में बैठे हुये है।

श्री अध्यक्ष-

अरे क्षेत्र की समस्या बताओ।

कुंवर कौशल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी पिछले 5 सालों में जितने भी पी0डब्ल्यू0डी0 के टेण्डर हुये हैं टी0 राम जी के ही देखरेख में हुये हैं, आज तो ये सदन के सदस्य हैं। टेण्डर अगर 21 परसेंट बिलों पर किये जाते थे तो उसमें प्वाइण्ट बढ़ा करके 2.1 कर दिये जाते थे। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो भी टेण्डर होते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में टेण्डर हुआ और उस कार्य पर 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और टेण्डर 20 परसेंट बिलों करके पड़ा तो उस टेण्डर के बचत का वो 20 लाख रुपया सरकार को वापस आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

कुंवर कौशल सिंह-

लेकिन टी0 राम जी की देखरेख में वो 20 लाख रुपया कहां गया उसका पता ही नहीं चला। मा0 मंत्री जी इसकी जांच होनी चाहिये कि वो टेण्डर जो टेण्डर जब बक्सा खुलता

है तो 21 परसेंट बिलों रहता है और जब बॉण्ड बनाया जाता है तो 2.1 पर बॉण्ड बनाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अपने क्षेत्र की भी कहो।

कुंवर कौशल सिंह-

मैं अपने क्षेत्र की भी समस्या कहूंगा सर। ये सबकी समस्या है। एक चीज और बताऊँगा आपको अगर किसी पुल का टेण्डर होना है, 60 लाख रुपये का टेण्डर किया गया हमारे यहां डूरीनाले में और उस पर सलेक्शन बॉण्ड बनाया गया 1 करोड़ 80 लाख रुपये का। यह सीख करके पी0डब्ल्यू0डी0 के कर्मचारी टी0 राम जी से आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में बैठे हैं। ऐसे लोगों को आप अपने ध्यान में आकर्षित करें कि जिन लोगों के द्वारा 60 लाख रुपये का टेण्डर देकर के 1 करोड़ 80 लाख का सलेक्शन बांध बॉण्ड बनाया गया। ऐसे लोगों को आप दण्ड का भागीदार करें। मान्यवर, मेरी एक समस्या है कि मेरे यहां मेरे क्षेत्र से महाराजगंज जिले को जोड़ने के लिये एक जानकी घाट पर पुल आज 15 साल से बनवाया जा रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पुल को बनवा दें और लुम्बनी जो बुद्ध की नगरी है उसके खनुआ बार्डर से और ठुठीवारी से कप्तानगंज को जो रोड जाती है, उसका चौड़ीकरण करवा दें। बाकी बातें बाद में होंगी अध्यक्ष, धन्यवाद।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र बलहा तराई क्षेत्र है तथा जहाँ पर पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कें काफी जर्जर हैं। इनको ठीक कराने की आवश्यकता है। मान्यवर हमारे यहाँ बिछियाँ सुजौली बकुलहिया फार्म होते हुए हरखापुर तक 15 कि0मी0 सड़क 15 साल से जर्जर रोड है। इससे 50 हजार आबादी का आवागमन प्रभावित होता है इसको बनवा दिया जाये। इसी तरह से मटेही कला बाजार से चौधरी गॉव होते हुए नेपाल बार्डर ब्रस्थनवा गांव तथा मिहीपुरवा बाजार की रोड जर्जर है। सड़क की मरम्मत कराया जाना आवश्यक है। मान्यवर हमारे यहाँ अधूरे पुलों का निर्माण हुआ है। सरकिला कला से लेकर बलई गांव नेपाल बार्डर तक 5 किमी सड़क मार्ग टूटी जर्जर है, मरम्मत कराया जाय। पिछली सरकार द्वारा पुलों का निर्माण कराया गया है। मझाव, पेटरहा, जालिमनगर, मौरहवा बडखड़िया चुकानाला, रायबोझा, खैरी समैसा, राजापुर घाट आदि पुलों की दीवार खड़ी है परन्तु छत नहीं पड़ी है और सब का पेमेन्ट हो गया है इसकी जांच करायी जाये। तथा पुलों का निर्माण पूरा कराने की मांग करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लिखकर दे दीजियेगा उसको कार्यवाही में शामिल करा लेंगे।†

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर ठीक है।

ठा0 सूरज पाल सिंह-

मान्यवर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर मेरा विधान सभा क्षेत्र 91 फतेहपुर सीकरी, राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान से गिट्टी के भारी वाहन निम्न मार्गों से होकर गुजरते हैं इस कारण सड़कों की दशा बहुत खराब व जर्जर है। कृपया इन मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में जरूरी है इसकी स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें। यह मार्ग है फतेहपुर सीकरी कागारौल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। किरावली अछनेरा फरह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। अछनेरा, झुण्डामई मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, एन0एच0 11 से ब्यारा होते हुए भरतपुर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। मान्यवर इसकी स्वीकृति करा दें। यहां बहुत पर्यटक भी आते हैं।

श्री सुधाकर-

मान्यवर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। मान्यवर यह पहला बजट है जो पूरे प्रदेश के विकास के लिए, सड़कों और पुलों के विकास लिए आया है। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर मैं उस जनपद का रहने वाला हूँ। जहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मान्यवर, 1942 में हमारे यहाँ माडवल कलेक्टर ने गोली चलवाई थी जिसमें 300 लोग घायल हुए थे और 42 लोग मर गये थे। यह शहीद रोड 24 किमी0 का है जो घोसी बलिया मार्ग से मधुबन तक है। इसका निर्माण व रखरखाव का कार्य करा दिया जाये। मान्यवर इसी तरीके से आजमगढ़ से शाहगंज होते हुए सुल्तानपुर तक जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण करा दिया जाये। इसी तरीके से कुडिया कोडरियापार खुरट पर तमसा नदी पर पुल और मऊ बलिया मार्ग से पहला रणवीर पुर मार्ग पर तमसा नदी पर पुल बना दिया जाये। मैं धन्यवाद देता हूँ।

---

† (देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 214-254 पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हमारे यहां तमुकुहीराज की सारी सड़कें लगभग टूटी हुई हैं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि हमारे सेवरही ब्लाक में जे0ई0 संजय नाम का पिछले 6 साल से कार्यरत है उसको हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। गौरी जगदीश के गौरी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय जो दुधही ब्लाक में है, तमुकुही रोड से बरवापट्टी मार्ग जो 1984 में बाढ़ में टूटा था 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार में निर्माण हो रहा था लेकिन बसपा की सरकार में उस पुल को बन्द कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तमुकुहीरोड से बरूआ मार्ग जो 1984 में टूटा था उसको बनाया जाय। अमावा में पीपा पुल का निर्माण कराया जाय। छेदूपार से बिरवत तक पुल का निर्माण कराया जाय। तमुकुही रोड का निर्माण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह हो गया, आप लिखकर दे दीजिएगा, अब आप बैठिये।

श्री महेश नारायण सिंह-

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। लोक निर्माण मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है। हम उसकी सराहना करते हैं और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, महेश नारायण जी बोल रहे हैं। आपका लिखा नहीं जा रहा है।

(श्री अजय कुमार लल्लू एवं श्री महेश नारायण सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

श्री महेश नारायण सिंह-

आज जो लोग बैठे हैं और नैतिकता की बात करते हैं, 5 सालों में देखा गया कि माननीय सदस्य के रूप में यहां माननीय टी0 राम जी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अपना कार्य एक अधिकारी के रूप में किये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं, हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा यह गांव नहीं है, यह सदन है।

आप नहीं बैठेंगे तो मुझे मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ेगा। माननीय नेता कांग्रेस इनको समझाइये। इस तरह से नहीं चलेगा, मैं फिर कह रहा हूं आप बैठ जाइये नहीं तो आपके खिलाफ मुझे मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ेगी, आप बैठिये।

यह सदन है, यहां जबरदस्ती नहीं चलेगी, बैठें।

श्री महेश नारायण सिंह-

आज यह पीडब्लूडी का इतिहास भूगोल जानने वाले लोग यहां बैठे है। हम लोग जानते हैं हम लोग इलाहाबाद के हड़िया क्षेत्र से आये हैं। एक विद्वान मनीषी वहां के सदस्य के रूप में इस विधान सभा में बैठ चुके हैं। मैं पीडब्लूडी के इतिहास के बारे में तब से जानता हूँ जब कलेक्टर निकलता था और आगे-आगे पीडब्लूडी के लोग पानी छिड़कने का काम करते थे। तबसे इतिहास जानता हूं पीडब्लूडी का। यह जो यहॉ पर लोग बैठे हैं यह पीडब्लूडी के इतिहास को गन्दा करने का काम किये हैं इनको कभी आने वाला समय माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, मैं बता रहा हूं।

यह चर्चा, एक दिन की चर्चा में अभी एक बजट यह है इसके बाद पीडब्लूडी का एक बजट और है, मैं जैसा कि राजस्व मंत्री ने सुझाव दिया जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वह लोग अपनी बात लिखकर दे दें, हम प्रोसीडिंग में लिखवा देंगे वह जितना आप बोलेंगे वैसे ही उसमें लागू हो जायेगा चाहें आप बोले चाहें न बोलें। नेता विरोधी दल ने आग्रह किया है कि मैं इस पर बल देना चाहता हूँ कटौती के प्रस्ताव पर। माननीय सदस्यगण इसका एक टाइम निर्धारित है बजट का 5 बजे तक इसे पास होना है और इसके बाद अभी एक बजट और लेना है, विधेयक लेना है तो इसमें जो बोल सकें बोल सकें, जो नहीं बोल सकें हैं, अपनी बात लिखकर दे देंगे वह प्रोसीडिंग में हम यथावत लिखवा देंगे वह आपका आ जायेगा कि आपने असेम्बली में यह सब बोला, उसको आप देख भी सकेंगे। इसलिए अभी नेता विरोधी दल ने मुझसे आग्रह किया था कि वह भी कटौती पर बल देना चाहते कि वह भी कटौती पर बल देना चाहते हैं तो माननीय नेता विरोधी दल आप बोलना चाहते हैं। या आप किसको बुलवाना चाहते हैं। तो फिर बात हो गयी, जिसको लिखकर देना है, आप दिलवा दीजिये, मैं प्रोसीडिंग में जुड़वा दूँगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो तमाम माननीय नये सदस्य हैं, वह अपने-अपने क्षेत्र की कुछ बॉतें माननीय लोक निर्माण मंत्री के समक्ष रखना चाहते थे। वह मैंने सूची भेजी थी लेकिन अब माननीय मंत्री चौधरी साहब ने कह दिया है कि जो भी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं, लिखित रूप से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को दे दें और उसका वह संज्ञान ले लें, हम समझते हैं, यही काफी होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब सुनिये कटौती का प्रस्ताव हो गया, अब दूसरा बजट है, पहले इसको पास कराकर तब रखिये। पहले टी0 राम जी आप कुछ कहेंगे या पहले मंत्री जी कहेंगे, तब आप कुछ कहेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि समय बढ़ा देंगे ताकि तमाम सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा। यह महत्वपूर्ण विभाग है, सभी सदस्य दो-दो मिनट बोल लेंगे तो क्या दिक्कत इसमें है। अभी तो 5.00 भी नहीं बजे हैं। अगर आधे घन्टे का समय बढ़ जायेगा तो अच्छा रहेगा, यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। यह सदन में पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह कह रहा हूं कि वह लिखकर दे देंगे तो मैं प्रोसीडिंग में लिखवा दूँगा। अभी एक बजट लेना है, एक विधेयक लेना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय सदस्यों की उत्सुकता है आप आधा घंटा बढ़ा दें, हमारी तरफ से इसमें सहमति है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से आधे घन्टे बढ़ाने पर किसी तरह की आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम यह थोड़े न कह रहे हैं कि आप इसे खत्म कर दीजिये। अनुरोध यह था कि जिस तरह एक साथ 5-7 माननीय सदस्य खड़े हो जा रहे हैं और यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब खत्म होना होता है तो एक साथ लोग खड़े हो जाते हैं। चूँकि लोगों की बातें नहीं आ पा रही थी, इसलिये मैंने आपसे अनुरोध किया कि वह आपस में भी मित्र है, एक मित्रता होती है, एक जघन्य मित्रता होती है। यह दो जघन्य मित्र आपस में लड़ रहे थे एक सदस्य खड़े थे और दूसरे उनकी बाँह पकड़कर बैठा रहे थे। तो इसलिये मैंने कहा कि उचित यह होगा कि सबकी प्रोसीडिंग में बात आ जाये और माननीय मंत्री जी कार्यवाही करा लें। आप आधा घंटा बढ़ा लीजिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। लेकिन पहले यह नेता लोग तय कर दें कि कौन बोलेगा। आप हमको लिखकर दीजिये कि कौन बोलेगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, सूची आपको दी गयी है आप उसी सूची से चलिये।

श्री अध्यक्ष-

सूची तो आपने बहुत लम्बा दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध मेरा और है कि आप इन्हीं नेताओं से क्रम ले लीजिये। चाहे जो नाम दे दें और जितना समय अटेगा, उसमें अब जो सूची आती है, उसी क्रम से आप बुलवा दीजिये ताकि आपस में कोई दिक्कत न हो, तब तक आप किसी एक सदस्य को बुलवा लें।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5 सालों में मेरा जो विधान सभा में तर्जुबा रहा है, वह बहुत तल्ख रहा है। मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बराबर यहां आता रहा, मगर हमेशा यह रटा हुआ जवाब आता रहा कि धन के अभाव के कारण आपके यह काम पूरे नहीं हो पायेंगे और धन की उपलब्धता पर आपके काम करा दिये जायेंगे। अब हमारी उत्सुकता बढ़ी है जो हालात है माननीय मुख्य मंत्री जी के, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के, उससे हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की जो समस्यायें हैं, उनका समाधान होगा और जो बातें हम यहां रखेंगे, उन पर जरूर अमलीजामा पहनाया जायेगा। मेरे क्षेत्र की दो-तीन समस्यायें बहुत विकट हैं, बाकी समस्याओं पर हमारे सीनियर्स लीडर ने अपने विचार रख दिये हैं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर है। उसमें चकफेरो मार्ग है, वह शहीदों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां फौज के रिटायर लोग और शहीद लोग के परिवार रहते हैं, उस मार्ग की हालत इतनी खराब है कि आम जनता भी उस पर नहीं चल सकती मैं चाहूँगा कि बिलासपुर-चकेरी मार्ग चालू किया जाए। एक पुल खंडिया ग्राम में भाखड़ा नदी पर बनना है जो विलासपुर में खंडिया नदी के पास भाखड़ा नदी पर पुल है, पिछले पांच साल में कोई नियम बचा नहीं है जिसमें मैंने उसे लगाया न हो लेकिन मान्यवर, हर बार यही जवाब आ जाता है कि धन की उपलब्धता होने पर पुल का निर्माण करा दिया जाएगा। इस अतिरिक्त विलासपुर शीशगढ़ मार्ग, अत्यन्त जर्जर है उसका निर्माण होना आवश्यक है।

(श्री संजय कपूर के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। श्री अवधेश कुमार सिंह जी आप प्रारम्भ करें।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज जो बजट माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। विगत पांच सालों में उत्तर प्रदेश की सड़कों की जो दुर्दशा हुई है, सड़कों की जगह पर सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं और जो विकास के कार्य हमारी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू हुए थे। उन्हें बसपा की सरकार में रोक दिया गया। मैं इस बजट के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, मान्यवर, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में नसें उसके जीवन का संचार करती हैं, उसी प्रकार से प्रदेश की सड़कें प्रदेश का विकास करने में संचार का काम करती हैं। मैं जिले और क्षेत्र की कुछ समस्याएं सदन में रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, आपकी योजना है जनपद मुख्यालय को प्रदेश मुख्यालय से जोड़ने की, मान्यवर, जनपद गोण्डा और बलरामपुर की सड़क की हालत बहुत ही जर्जर और खराब हो चुकी है उसे फोरलेन सड़क बना करके दोनों जनपदों को जोड़ा जाए। आपकी योजना तहसील मुख्यालयों को जोड़ने की भी है, मैं तरबगंज तहसील क्षेत्र से विधायक हूं मेरी तहसील लखनऊ को टू-लेन सड़क द्वारा जिला मुख्यालय से जोड़ा जाए। हमारी विधान सभा और बगल की विधान सभा के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जिसे कर्नेलगंज बेलसर नवाबगंज मार्ग कहते हैं, उस सड़क को टू-लेन बनाने का काम किया जाए। मा0 मुख्य मंत्री जी, हमारे चुनाव के समय क्षेत्र में गये थे और उन्होंने घाघरा नदी के ऊपर ढेपवाघाट के ऊपर एक बड़े पुल की स्थापना की थी, मैं घोषणा भी मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि वह उस पुल का निर्माण कार्य करायें। मेरे क्षेत्र के अन्दर बलुहाघाट जो नवाबगंज-ढेपवा मार्ग पर स्थित है और तरबगंज से अमरही मार्ग पर घाघराघाट पर लकड़ी का जर्जर पुल है, जिस पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उस पर पक्के पुल बनाने का काम किया जाए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मान्यवर, समम्य माता स्थान भखारीपुर के बीच दुर्जरपुर-चौबेपुर के बीच टेढ़ी नदी पर दो पुल की स्थापना की जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लिख करके मंत्री जी को दे दीजिएगा। श्री बजरंग बहादुर सिंह जी आप प्रारम्भ करें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पी0डब्ल्यू0डी0 के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से यह महसूस कर रही है कि जो पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग का बजट सदन में रखा जा रहा है वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए और जो जर्जर सड़कें हैं उन्हें ठीक करने का प्रावधान इस बजट में होगा। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि जो अनुरक्षण के मद में यह सरकार निरन्तर प्रतिवर्ष के बजट में थोड़ा सा मद बढ़ा करके इस बात का यकीन कर लेती है कि हमने अनुरक्षण के मद में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया। मैं इसी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जबसे सड़कें बनी हैं तब से लेकर के चाहे वह अनुरक्षण के मद में हों, चाहे विशेष मरम्मत के मद में हो, चाहे जिस मद में हो, निश्चित रूप से पिछली सरकार में, इनकी (ब0स0पा0) बात कर रहा हूँ। तीन हजार रुपये प्रति कि0मी0, तीन हजार रुपये में क्या मिलता है? टी0 राम जी बैठे हैं तीन हजार रुपये प्रति कि0मी0 अनुरक्षण के मद में, हमारी समझ में नहीं आता है। वही स्थिति इस बार भी दिख रही है। हम यह नहीं कहते कि मंत्री जी मुझे कुछ देंगे या नहीं देंगे। मैं विपक्ष का विधायक हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, इन लोगों ने स0पा0 के लोगों को, भा0ज0पा0 के लोगों को अगर सड़क नहीं दिया तो क्या यह जीतकर नहीं आये। इस नाते मैं मंत्री जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं निश्चित रूप से जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, हमसे भी जनता की अपेक्षायें हैं इस नाते हम लोग सदन के अन्दर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निश्चित रूप से अपनी बात रखते हैं, सड़कों की माँग करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं लेकिन यह भी जानते हैं कि इनकी करनी के नाते आप आये हैं और आप भी नहीं देंगे तो आप वहाँ से यहाँ आ जायेंगे। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज सड़कों की हालत बहुत खराब है। इस नाते मैं चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत सारे प्रमुख मार्ग हैं, कई पुलें हैं, कई सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए आप धन देने की कृपा करें।

श्री यासर शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे पी0डब्ल्यू0डी0 के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। काफी देर से मैं यह देख

रहा हूँ कि विपक्ष के साथी कटौती पर बोलते हैं लेकिन उसके बाद दौड़कर इधर आते हैं और मा0 शिवपाल सिंह जी को दो लाइन लिखकर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसकी आलोचना नहीं की जाती है।

श्री यासर शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इसलिए है कि यह जो बजट पेश हुआ है, यह बजट कई मायनों में अभूतपूर्व बजट है और मुझे इस बात का यकीन है कि इस बजट से इस प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल जायेगी। ऐसा इसलिए है कि हमारे मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के फौलादी इरादों को हम लोग भी जानते हैं, विपक्ष वाले भी जानते हैं। पूर्व सरकार में जो अधिकारी रहे हैं उनके दिलों में यह डर आ रहा है कि अब जब सरकार बदल गयी, इरादे बदल गये तो आने वाले समय में जिन्होंने बेईमानी की है, लूट-खसोट की है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नया विधायक हूँ, अभी चुनकर के आया हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और यही कहकर अपनी बात खत्म करूँगा कि मेरी विनती है सरकार से जो पिछले 05 सालों में लूट-खसोट हुई, बेईमानी हुई, जनता के पैसे को लूटा गया, जो काम नहीं हो पाये और जो दुःख व दर्द जनता ने उठाये हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि उसका बदला लेने का वक्त अब आया है।

श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देते हुये यह कहना चाहूँगा कि हमारे जिला बुलन्दशहर में जिला सम्पर्क मार्ग बुलन्दशहर से अनूपशहर मार्ग जो टोटल 56 कि0मी0 का है उसमें लगभग 37 कि0मी0 बन गया है और 19 कि0मी0 शेष है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि अगर वह रास्ता बन जाता है तो वह गुन्नौर होते हुए बरेली से होकर लखनऊ तक आता है। बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उसे इसी बरसात से पहले शुरू करा दें। हमारे क्षेत्र की जो जर्जर सड़कें हैं जो खेरी मार्ग है, औरंगाबाद से नैपाला मार्ग है, अनूपशहर-बुलन्दशहर से खालौर मार्ग है, पहाड़पुर मार्ग है, ये तमाम सड़कें तथा जो बाकी मार्ग अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के पड़े हुए हैं उनका भी निर्माण करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री गजेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी जो हमारे यहाँ सड़कें हैं उन्हें बनवाने के लिए हमारे यहाँ अनूपशहर में आहार रोड है और अनूपशहर से शिकारपुर रोड है, इन सारी रोडों को बनवाने के लिए

पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा। इसी के साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोरांव विधान सभा क्षेत्र जनपद इलाहाबाद से नव-निर्वाचित विधायक हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं लोक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही शानदार है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इलाहाबाद का निवासी हूँ और हमारे बगल में कौशाम्बी जनपद पड़ता है। वहां पर पिछली स0पा0 सरकार में माननीय मंत्री जी ने महेबा घाट पुल और काला कांकर पुल दिया था बहुत अच्छी योजना थी जो 80 प्रतिशत हमारे सरकार में रहते हुए बन भी गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश पाँच साल गुजर गए वह 20 प्रतिशत जो हिस्सा बचा था उसका निर्माण नहीं हुआ। अब मैं आशा करता हूं कि महेबा घाट पुल का निर्माण फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही मैं अपने सोरांव विधान सभा की बात करना चाहता हूँ। पिछले जो बसपा के मा0 विधायक थे उन्होंने चूँकि परिसीमन बदल गया था इसलिए उनकी नजर सोरांव विधान सभा से पूरी तरह से हट गई थी मैं आपके माध्यम से अपने पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे विधान सभा में कुछ खराब सड़कें हैं जैसे प्रमुख रूप से बिसानी लोकापुर बागी सम्पर्क मार्ग साथ ही अलीपुर कटबर होते हुए करनाईपुर सम्पर्क मार्ग इसके अलावा मदारी से हरकपुर सम्पर्क मार्ग। इसके अतिरिक्त मऊआइमा जिसका शीघ्र पुनः निर्माण अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखकर दे दीजिए।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

रेलवे क्रासिंग पर बहुत भारी जाम रहता है वहां पर पुल का निर्माण हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। आपने लोक निर्माण के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी आज पी0डब्लू0डी0 के इस अभूतपूर्व बजट पर खासतौर से अनारपट्टी के पास कल्याणी नदी पर पुल के निर्माण के लिए गोमती नदी पर कछिया न्योरा मार्ग पर ककराहाघाट पर पुल निर्माण के लिए रूदौली रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण के लिए तथा घाघरा नदी के कैथीघाट पर पुल के निर्माण के लिए भेलसर

रुदौली शुकुल बाजार मार्ग जो अत्यन्त जर्जर है जहां पर तीन-तीन बड़ी घटनाएं घटी हैं। उसके पुनः निर्माण के लिए उमापुर न्योरा दुलापुर मार्ग पर जहां पर बड़ी घटनाएं अभी घटी हैं। पांच-पांच लोगों की मौंत हुई हैं उसके पुनर्निर्माण के लिए मवई पटरंगा मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए तथा रूदौली नयागंज ऐहार सुधारपुर पुल मार्ग पर कई करोड़ रुपए खर्च करके मड़हा नदी पर पुल बनाया गया है इस मार्ग का भी पुनः निर्माण तत्काल कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें। बिमला सोलंकी को बुलवा दे रहे हैं वह आपकी ही पार्टी की महिला हैं। आप लिखकर दे दें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

आपने लोक निर्माण विभाग पर बसपा के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मंत्री जी लोक निर्माण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि इसके द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जाता है उसी के द्वारा लोगों के मन में तस्वीर बनती है कि यह क्षेत्र कितना डेवलप्ड है कितना अनडेवलप्ड है। इसलिए जो भी मैं आपके समक्ष अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में रखना चाहती हूं कि सिकन्दराबाद में मेन जी0टी0रोड है जो 10 कि0मी0 लम्बी और पुरानी जी0टी0 रोड है वह सिकन्दाराबाद नगर से खुर्जा को जोड़ती है। वह इतनी जीर्ण-शीर्ण हो गई है इतने गड्ढे हो गए हैं कि उधर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पांच सालों तक तो वहां पर कुछ नहीं हुआ लेकिन आपसे आशा की उम्मीद जगी है कि आप उस कार्य को तत्काल पूर्ण करवा दें। गढ्ढामुक्त करवा दें। यह मैं आपसे आशा करती हूं। मान्यवर, एक गांव है जब मैं उस गांव में पहुंची जीतने के बाद तो वहां सारे के सारे लोगों ने मुझे घेर लिया और उन लोगों ने यह कहा कि इस गांव के लड़कों की शादी नहीं हो रही है मैंने कहा कि क्या प्राब्लम हो गयी तो उन्होंने कहा कि जहां से आप आई हैं क्योंकि वहां पहुंचने में मुझे डेढ़ घण्टा लग गया था 3 कि0मी0 की दूरी थी उन्होंने कहा कि यहां लोग शादी के लिए इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहां पर सड़कों का निर्माण नहीं है।

बिल्कुल टूटी हुई सड़क है, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप उस गांव गेसीपुर का कल्याण करेंगे तीन किलोमीटर का मार्ग है उसको आप बनवायेंगे ऐसी मैं आशा करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो ऐतिहासिक बजट हमारे लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्तुत किया है वह यकीनी तौर पर उम्मीद की साइकिल की तरह उम्मीद वाला बजट है इतना

शानदार बजट आज तक के इतिहास में सड़कों के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है, मैं उसकी बहुत-बहुत सराहना करते हुए उसकी प्रशंसा करता हूं सिर्फ अदब से एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि चूंकि मुरादाबाद जिला जिसमें दूसरा एक नया जिला भीमनगर भी बन गया है मेरी विधान सभा 30 बिलारी दोनों जिलों में पड़ती है। इससे पिछले वाले मंत्री जी भी वहां रहा करते थे लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। अब अगर सबसे ज्यादा पिछड़ी विधान सभा अविकसित दोनों जिलों में है तो बिलारी विधान सभा है। मेरी विधान सभा में एक गन्ना मिल राणा शुगर मिल है जो कि स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है उसमें साल में 6 महीने लगातार जाम रहता है तो उसमें अगर एक ओवर हेड बन जायेगा तो गन्ना किसानों को मिल में जाने के लिये आसानी हो जायेगी। मैं गुजारिश करूँगा कि एक फ्लाई ओवर बना दिया जाय। एक बात और बहुत जरूरी चूंकि मेरी विधान सभा इतनी पिछड़ी है कि उस विधान सभा में जो रोड है जो मिल तक जाता है उसके चौड़ीकरण के लिये बिलारी से सिरसी तक चौड़ीकरण कराया जाय। ताकि गन्ने की ट्राली वहां से गुजर सके। एक बात और कहना चाहूंगा कि सहसपुर से स्योडारा होते हुए दारनी तक जो मार्ग है वह एक अकेला सिंगल मार्ग है, उसी से गन्ने की ट्राली गुजरती है उसको चौड़ा कराया जाय। एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा कि स्योडारा से रीढ तक जो मार्ग है वह इस समय खराब हालत में है जहां एक बहुत बढ़िया ग्राम पैगा रफातपुर में झील पड़ती है उस झील में पक्षी आते हैं और रोड खराब होने की वजह से उसके हालात इतने खराब हो गये हैं। अगर वह डेवलेप हो जायेगा उसके मार्गों का चौड़ीकरण होगा, विकास हो जायेगा। तो सारे लोगों को लाभ होगा। पिकनिक प्लेस बन जायेगा धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये। अनुग्रह नारायण जी बोलिये। अभी 5 बजे ठीक शुरू हो जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें उन्होंने वृद्धि तो जरूर की है लेकिन जिस तरह से मुद्रा स्फीति दर लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है और मंहगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए यह बजट पर्याप्त नहीं है। मान्यवर, अभी गिट्टी खुदाई के लिये जिस तरह से खदानों में रोक लगी है हुई है। गिट्टी के दाम बढ़ गये हैं। बालू के खदान पर रोक लगी हुई है माननीय उच्च न्यायालय से इसकी वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं। दाम काफी बढ़ते जा रहे हैं। यह बजट अभी अपर्याप्त है। इसके साथ-साथ अपने यहां की दो एक समस्याओं

के बारे में कहना चाहता हूं हमारे यहां रामबाग से लाउदर रोड रेलवे क्रासिंग है, पर भारत सरकार ने इसके लिये आर0ओ0बी0 पास कर दिया है बजट भी सैंग्शन कर दिया है स्टेट गर्वनमेन्ट को समतुल्य देना है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें मैचिंग ग्रांट भी दे दें जिसके कारण वह बन जाय। कुम्भ मेला हम लोगों के लिये वरदान है और अभिशाप भी है। अभिशाप इसलिये है कि कुम्भ मेला और अर्द्ध कुम्भ मेला हर 6-6 साल पर लगता है। हमको 5 साल तो बजट मिलता नहीं है 5 साल हम लोगों को जो रेग्युलर बजट है वह भी नहीं मिलता है। इसलिये हमारे यहां जो सड़कें हैं माननीय मंत्री जी ने उस पर काफी प्राविधान किया है। उसको अच्छी तरह से गुणवत्ता से बना दें और तमाम ऐसी सड़कें हैं उसके लिये हम लिखकर दे देंगे ताकि उनका भी निर्माण हो जाय। कुम्भ मेले से एक तरफ आशा भी बंधती है और दूसरी तरफ निराशा भी होती है कि इस साल तो बजट मिल गया अगले 5 साल नहीं मिलेगा इसलिये उसमें भी वृद्धि की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने अपना 30 प्रतिशत उसका अंश है वह दे दिया है। राज्य सरकार को भी देना है। इसके अलावा मान्यवर, सबसे बढ़ी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग बड़ा विभाग है इसमें तमाम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बेलदार और मजदूर हैं। 1991 तक के लोगों को नियमित कर दिया गया है। जो बाद के लोग हैं उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है वह धरना प्रदर्शन करते रहते हैं वह माननीय मंत्री जी से मिले हैं हम चाहेंगे उनका नियमितीकरण कर दिया जाए। समय कम है बाकी लिखकर दे दूगाँ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे देना।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, आपके संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इससे पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास निश्चित है इसमें कोई दो राय नही है। यह मैं तहेदिल से कहना चाहता हूँ और बजट का समर्थन एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारें में बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन पूरे सदन में गणमान्य लोग बैठे हैं माननीय लोग बैठे हैं और आपको भी प्रणाम करके कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को अवसर देने के लिए हल्ला प्रबोधन कार्यक्रम से लेकर यहां तक हो रहा है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है चाहे वह किसी भी दल के हों, मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहना चहता हूँ कि लखनऊ-बलिया राजमार्ग मेरी विधान सभा से सरायमीर से लेकर शाहगंज बार्डर तक लगता है। हमारे माननीय

मंत्रीगण जो बलिया से आते हैं और हमारे तमाम विधायकगण और नेता आते हैं पिछले 6 साल पहले हमारे पूर्व मुख्य मंत्री थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होने 7 करोड़ 56 लाख रुपया 13 किलोमीटर के निर्माण पर बजट सेंग्शन किया था। खरैवा से लेकर अम्बारी बाजार तक, लेकिन इन 6-7 सालों में सड़क का निर्माण नहीं हुआ और हमने जब पता किया तो 7 करोड़ 56 लाख रुपया सब भुगतान हो गया है। सड़क अभी भी उसी तरीके से गड्ढे में तब्दील है। मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि पहले तो आप उस ठेकेदार की जाँच करा लें विभाग की जाँच करा लें, भुगतान कैसे हुआ जब सड़क नहीं बनी, और तुरन्त सड़क बनवाने की कृपा करें। क्योंकि हमारा लखनऊ से आजमगढ़ जाने का रास्ता चेंज हो गया। लोग फैजाबाद होकर आते हैं हमारी तरफ से रास्ता बन्द हो गया । दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में 291 करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें 22-23 जिले हमारे आते हैं। वहां बंटवारा कर दें तो दस-बारह करोड़ रुपया आता है और उसमें एक विधान सभा के लिए मुश्किल से एक करोड़ 80 लाख आएगा। दस बारह विधान सभाओं का जनपद है तो हम आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी की और सरकार की पूर्वांचल पर और कृपा दृष्टि हो जाए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्वांचल निधि बनाया था। उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

आपने मुझे अवसर दिया बहुत सी चीजें बाकी रह गयीं आगे अवसर देंगे तो बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल और हुकुम सिंह जी, आधा घंटा हो गया है अब और जो चार छः सदस्य बचे हैं वह लिखकर दे दें हमें दे देना, प्रोसिडिंग में हम लिखवा देंगे, वैसे ही जैसे आप बोले हो । दूसरी बात आप लिखकर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को दे दीजिएगा। सब लिखकर मुझे दे दें।

(शोर)

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे पुनः बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ । क्या सड़कें पाँच साल पहले थीं या सड़के नही थीं। अगर थीं तो क्या उनके मेंटीनेंस के लिए धन नही दिया जाता था या उनकी मेंटीनेंस नहीं होती थी क्या पचास साल से सड़क नहीं थी, तमाम बातें हैं, मैं एक बात और

कहना चाहता हूँ कि सड़कें जो बनती हैं उसके अनुरक्षण की सतत प्रक्रिया है। अगर वह कॉन्टीनुअस प्रॉसेस नहीं चलेगा तो एक अगर छोटी सी गिट्टी निकलती है और फिर अगर ट्रक उस पर से निकलती है तो उसमें गड्ढा होता चला जाता है। अधिकारी वही हैं ठेकेदार वही हैं, मैटीरियल वही है क्या इसमें कोई अन्तर हुआ है सभी लोग वही हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

सुन लें।

श्री त्रिभुवन राम-

कोई अन्तर नहीं हुआ है एक साल के बाद भी वही लोग आयेंगे। मान्यवर, आपको याद होगा कि 7 जनवरी, 2007 को एक शासनादेश जारी हुआ था और वह था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में, और उसमें यह कहा गया था कि जो टेंडर की प्रक्रिया है उसको बदला जाए। उसके अनुसार अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में मुख्य अभियन्ता के यहां, अधीक्षण अभियन्ता के यहां, अधिशासी अभियन्ता के यहां टेण्डर डाले जाते हैं। प्रयास रहता है, परफेक्सन नहीं, हम तो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, परफेक्शन तो किसी के पास नहीं है, न किसी इन्सान में है न दुनिया की किसी चीज में हो सकता है और विशेष रूप से सड़क है, पुल है, बिल्डिंग है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो दस कर्मियां गिना सकता है 10 आपत्तियां लगा सकता है, 10 दोष निकाल सकता है। तो मैं इतना सिर्फ मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पिछले बार जो बजट था, वह था 7722 करोड़ और अस्सी लाख रुपये, जबकि इस वर्ष का प्रस्तावित बजट 7045.86 करोड़ रुपया है, इस तरह से 77 करोड़ की कमी है, जबकि महंगाई कम से कम 15 परसेण्ट बढ़ चुकी है तो इसलिए मान्यवर, चूंकि यह बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है अतएव मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

लोक निर्माण सिचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, टी0राम जी की तरफ से मुझे तो भरोसा था जैसा बताया कि बड़ा अनुभव है, 39 साल का अनुभव है और इन्होंने बहुत से मंत्रियों और मेरे साथ भी काम किया है तो मेरे बारे में भी इन्हें पता है। पिछली बार जब हम मंत्री थे, इनको पता होना चाहिये था, मैने बहुत कमीशन कम करा दिया था।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी मंत्री यह बता दें कि कमीशन कितना कम कराया और कितना रखा ?

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। राजीव यादव जी, आप विधायक हैं, बैठिए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी इनको पता भी है कि पुल कितने बने थे और कितनी जल्दी बने थे और इनको पता है कि कितनी सड़कें बनी थीं। पाँच साल में यह उन सड़कों पर नहीं पहुंचे उतने पुलों पर नहीं पहुंचे। केवल कमीशन के बारे सबको चिन्ता है। सभी सदस्यों ने और माननीय हुकुम सिंह जी ने भी कटौती रखते हुए अपने जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की चिन्ता जाहिर की है। सही है गड्ढ़े हैं, सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ और यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर ज्यादा अच्छी न बनाये तो कम से कम जैसी सड़कें थीं, वैसी सड़क कम्पलीट रखना चाहिए था, लेकिन वैसी भी नहीं रख सके तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सड़कें अच्छी बनेंगी, गड्ढेमुक्त सड़के होंगी, जो आपने नाम लिया था, उनके गालों जैसी तो नहीं लेकिन टी0 राम जी के गालों जैसी जरूर बनेंगी।

(हँसी)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी मंत्री जी कह रहे हैं कि वह गुणवत्ता की रक्षा नहीं करेंगे।

(हँसी)

(कई सदस्यों के बोलने पर)

अध्यक्ष जी -

सदस्यगण माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, शान्त रहिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी जो टी0 राम जी ने कहा था कि बजट कम है । हमारी सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, फिर भी हमने बजट को घटने नहीं दिया है बल्कि बढ़ाया है और अगर आप लोग पूरा बजट खर्च कर लेते, इस वर्ष 1263 करोड़ रुपया समर्पण करना पड़ा।

अगर समर्पण नहीं करते तो वित्त विभाग वाले और पैसा बढ़ा सकते थे। उन्होंने कहा कि पिछला खर्च ही नहीं कर पाये। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो जिला मार्गों और राष्ट्रीय मार्गों का पैसा जो इसी सदन के द्वारा स्वीकृत हुआ था वह पैसा पार्कों में कैसे चला गया। सड़कों का पैसा पार्कों को कैसे चला गया। पैसे का डाईवर्जन नहीं होना चाहिए था और इतनी महंगाई नहीं थी कि रेट कहीं दो गुने कहीं तीन गुने कहीं चार गुने हों और उसमें इतना कमीशन कि कहीं-कहीं तो डेढ़-डेढ़ सौ प्रतिशत कमीशन, अध्यक्ष जी कहीं-कहीं तो काम हुआ ही नहीं और दो सौ प्रतिशत सब कमीशन में चला गया। ऐसी भी सड़कें हैं इनकी जांच करानी पड़ेगी। अभी बांदा और बलिया, इलाहाबाद, बरेली के लिए जो कहा है तो इसकी जांच

होगी। जहां भी पैसे का गबन हुआ है जांच होगी। आपको पता है कि पहले भी जब हमारी सरकार थी तो जो लोग भी गबन किये थे उनको जेल जाना पड़ा था। अब फिर से कड़ी कार्यवाही होगी। ठेकेदार हो चाहे, अधिकारी हो, दोषी होगा तो कार्यवाही होगी। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं-कहीं ठेकेदार और इंजीनियर की साझेदारी है।

जब इंजीनियर और ठेकेदार मिल जाएंगे तो सड़क अच्छी कैसे बनेगी। मंत्री भी मिल गये। तभी तो बांदा की सड़कों की हालत खराब है। हम भी गये थे। मान्यवर, एक जगह 13 दिन में पुल गिर गया और मंत्री के गाँव का पुल 40वें दिन में गिर गया। आपने जो चिंता व्यक्त की है उस पर जांच होगी, कड़ी कार्यवाही होगी। चाहे पश्चिम हो, चाहे मध्य हो, चाहे पूरब हो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, अच्छा काम होगा और जहाँ सड़क बने, पुल बने आप जनप्रतिनिधियों को भी निगाह रखनी है लेकिन ऐसी निगाह मत रखना जैसी यह लोग रखते थें। अच्छी निगाह रखना तो अच्छी सड़कें बनेंगी। जल्दी काम होगा। मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि माननीय श्री टी0 राम अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे और अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करूंगा कि लोक निर्माण विभाग की अनुदानों को एकमत होकर पारित करें और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कें बनेंगी और अभी एक सम्मानित विधायिका जी ने कहा था कि जो 250 की आबादी के गाँव हैं, वैसे तो प्रस्तावित किये थे पांच साल में। तो मैं आश्वासन देता हूँ, पाँच साल से पहले ही सभी गांवो को जोड़ दिया जायेगा और जो कहा कि पाँच सौ से ऊपर वाले जो कहा पीएमजीएसवाई पाँच सौ से अधिक आबादी के जो 696 अभी नहीं जोड़े गये हैं, वह इसी वर्ष सभी गांव जोड़ दिये जायेंगे और जितनी भी रोडें उत्तर प्रदेश की जितनी भी दूसरे प्रदेश की सीमाओं से जुड़ी सड़कें हैं, चाहे वह नेपाल बार्डर हो, चाहे वह बिहार बार्ड हो, चाहे राजस्थान बार्डर हो, चाहे हरियाणा बार्डर हो, चाहे उत्तरांचल हो, सभी सड़कें दूसरे प्रान्तों से अपने प्रान्त की अच्छी होंगी, गड्ढा मुक्त होंगी। इन्हीं बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे और सर्वसम्मति से लोक निर्माण विभाग के बजट को पास करायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पूर्वान्चल की अपनी निधि है 291 करोड़ दे दिया, बुन्देलखण्ड को भी मान्यवर पैसा मिल गया। पश्चिम पहले से ही बहुत ज्यादा सुधरा हुआ है, मा0 आजम खां साहब पहले से ही वहां बहुत कुछ कर चुके हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हँ कि मध्यांचल के लिए मा0 मंत्री जी कुछ प्राविधान करेंगे, जिसमें शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और बदायूँ यह चार जिले आते हैं मान्यवर, मध्यांचल में और दूसरी बात विधायकों के लिए मा0 मंत्री जी यह शपथ तो तोड़ देते कि पिछली बार मा0 मुलायम सिंह

यादव जी ने हम लोगों को सात-सात किमी0 सड़क दी थी, हम उनका धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। वह परम्परा मान्यवर, जो इनके पूज्य बड़े भाई ने डाली थी, वह परम्परा भी आप तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि कम से कम ज्यादा नहीं तो दो ही दो किमी0 दे दें। तो मान्यवर, मध्यांचल के लिए और विधायकों के लिए मा0 मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे इसके बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप कुछ कहेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी बजट संसाधन जुटाने हैं और किन्हीं परिस्थितियोंवश कितनी सड़कों की दुर्दशा है और वैसे तो मैंने कह ही दिया है कि गडढ़ामुक्त सब जगह हो जायेंगी, सभी विधायक लोग लिख कर दे देंगे, गड्ढामुक्त सब जगह हो जायेंगी। जहां तक मध्यांचल की बात है, तो चार ही पाँच जिले नहीं हैं और भी जिले हैं, उन्नाव है, लखनऊ है, हरदोई है इत्यादि बहुत जिले हैं और जैसे ही बजट की व्यवस्था होगी हम इन पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 टी0राम जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री त्रिभुवन राम-

नहीं मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

''प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अंन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,05,06,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,37,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,33,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,28,73,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,37,68,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदन संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,58,36,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ बोलेंगे इसमें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध था इसमें कि कटौती का प्रस्ताव आ जाय और जो कटौती के प्रस्ताव में आयेगा उसके उत्तर में ही बोलेंगे। क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, या जैसा आप आदेश करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, कौन कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मोर्य)-

श्री टी0 राम जी आप प्रस्ताव रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसको माननीय आप ऐसे ही कर दीजिए। आप टी0 राम जी से जबरदस्ती नही कीजिए। उनका वैसे भी राज्य सम्पत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, वह जहाँ बोले ठीक थे । आप उन्हें फोर्स न कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल कहें तो किसी को कि कटौती का प्रस्ताव रखें । आप बताएं तो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बिना कटौती के भी होता है प्रस्ताव।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी मैंने टी0 राम जी को आमंत्रित किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप मतदान करा लें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मै प्रस्ताव करता हूँ

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जबरदस्ती हो रही है, श्री टी0 राम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है मा0 नेता प्रतिपक्ष की तरफ से।

श्री अध्यक्ष-

वह विपक्ष के नेता हैं वह कह रहे हैं।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, आप बोलने तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

श्री टी0 राम जी आप प्रस्ताव रखें । अब आप कहें।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कह दो, खत्म हो जाये जल्दी।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। राज्य सम्पत्ति विभाग का जो बजट है, वह पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मात्र इतना ही कहना

है कि ओ0सी0आर0 की सारी लिफ्टों की हालत बहुत खराब है और मान्यवर, उससे चलना ही मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि वहां पर चारों तरफ एक गैप सा है। और आदमी बहुत सी बार गिर जाते हैं, नीचे भी गिर चुके हैं, डेथ भी हो चुकी हैं ऐसी ही हालत बहुखण्डी की भी है और अनुरक्षण भी बहुत अच्छा नहीं है मान्यवर । बीच में इस तरह से झिर्रियां जो कटी हुयी हैं तो उसकी स्थित भी बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा मान्यवर, वहीं पर कैण्टीन नहीं है और सफाई की सामान्य शिकायतें हैं मान्यवर। इन सब बातों को रखते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने लोक निर्माण विभाग.....

श्री अध्यक्ष-

अरे नहीं राज्य सम्पत्ति विभाग।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने राज्य सम्पति विभाग के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव टी0 राम जी ने रखा है उस पर बल देने के लिये मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सदन का समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, मैं जो भी बात कहूंगा पूरे सदन के मतलब की है। मान्यवर, जितने भी राज्य सम्पति विभाग के विधायक निवास हैं मान्यवर, उन विधायक निवासों की हालत बहुत खराब है। खासतौर से मैं मान्यवर, रहता हूँ बहुखण्डी मंत्री आवास में वहां पर पीछे लाइट नहीं हैं और पीरियड हो गया मान्यवर, दसियों साल मुझे देखते हुये हो गये जिस दिन से वो बना हैं, कभी आज तक उसकी तीनों लिफ्टें ठीक नहीं रही, तीन में से दो लिफ्टें हमेशा खराब रहती हैं मान्यवर कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं खुद एक बार लिफ्ट में फँस गया, मेरे पास टेलीफोन था नहीं और आधा घण्टा तक जितनी आवाजें मेरे पास थीं मान्यवर, सारी आवाजों का मैने प्रयोग करके बमुश्किल तमाम लोगों को बुला पाया और तब कहीं जाकर उस लिफ्ट से निकल पाया । फँसा लिफ्ट में और एक बार नहीं मान्यवर, मेरे साथ दो बार हुआ और दूसरी बात विधायकों की मान्यवर, जो सुविधा वाली हस्त पुस्तिका है मान्यवर, इसका नियम 16 देख लें मान्यवर इसमें सभी विधायकों को एक सरकारी आवास अनुमन्य है। मान्यवर, दार-उल-शिफा का वो हाल था आज से 10 साल पहले कि लोग दार-उल-शिफा से लोग चेन्ज करके दूसरे आवासों में जाना चाहते थे। अब मान्यवर, स्थिति यह है कि दार-उल- शिफा में 6 कमरे हो गये एक विधायक के पास उसी में रहना चाहते हैं। बहुखण्डी में एक विधायक के पास 3 कमरे हैं, तीन कमरे हैं और उन तीन कमरों का किराया मान्यवर पिछले 10 साल का बकाया मेरे पास भेज दिया 60000 रुपया । ये देखिये मान्यवर 10 बरस तक मुझो कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं। नियमों में मान्यवर

यह मान्यवर यह व्यवस्था है कि अगर आपको आवास ना दिया जाये मान्यवर, इसी लिये नियम 16 कहता है कि अगर आवास उनको न दिया जाये। मान्यवर, यह पेज 12 पर है। ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावली एवं शासनादेशों का संकलन'' इसमें पेज 12 पर लखनऊ आवास व्यवस्था। मै पढ़े दे रहा हूँ अगर आपकी अनुमति हो । ''प्रत्येक सदस्य को जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है, अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि जैसी विहित की जाये, के लिये लखनऊ में ऐसे आवास के किराये का भुगतान किये बिना उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिये व्यवस्था की जायें।'' मान्यवर, यह व्यवस्था है 16 (1) में और 16 (3) देख लें मान्यवर, यह जरूरी है क्योंकि हम कोई फैक्ट कन्सील नही करना चाहते । 16 (3) देख लें मान्यवर, जो पेज 13 पर है ''जहाँ किसी सदस्य को ऐसे आवास की व्यवस्था की जाये जिसका मानक किराया 300 रुपये प्रति माह से कम हो, वहां किराये के अन्तर का भुगतान ऐसे सदस्य को प्रतिकर आवास भत्ता के रूप में किया जायेगा और जहाँ इस प्रकार व्यवस्थित आवास का मानक किराया उक्त धनराशि से अधिक हो, वहां किराये के अन्तर को सदस्य से वसूल किया जा सकेगा।'' मान्यवर, दारूलसफा में 6 कमरों का मकान है और कोई शुल्क विधायकों से नहीं लिया जाता है लेकिन बहुखण्डी भवन में रहने वाले विधायकों से 500 रुपये क्यों लिया जाता है। और मेरे पास तो 10 साल का बकाया भेज दिया । मान्यवर, जो नियम है अगर उसमें किसी सरकारी विभाग को किसी से अतिरिक्त पैसा लेना है तो उसे सूचित किया जाता है लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं हुआ मान्यवर, हमें नो ड्यूज लेना था चुनाव से पहले इसलिए मैने 32938.00 रुपये जमा कर दिये और यह प्रार्थना कर ली कि बाकी धनराशि बाद में जमा कर देंगे। यह रसीद मेरे पास है जनवरी 2012 की जबकि नियमों में निशुल्क आवास की व्यवस्था है विधायकों के लिए। मान्यवर, जबकि समकक्ष जो दूसरे लोग हैं उनको निशुल्क दिया गया है। या उनको उसका प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। मान्यवर, इस तरीके से आपका यू0पी0 भवन है, यू0पी0 सदन है, वहाँ जब जब खाने के क्वालिटी के बारे में कहा गया तो क्वालिटी तो वही रही लेकिन रेट बढ़ गये। मान्यवर, हमने 35 रुपये थाल में भी वहां खाना खाया है लेकिन उसके बाद से हर बार कभी 10 रुपये तो कभी 5 रुपये दाम बढ़ गये हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि खाने की क्वालिटी वहाँ सुधारी जाय। मान्यवर बगल में ही वहाँ पर छत्तीसगढ़ का भवन है वहाँ खाने का दाम भी कम है, और क्वालिटी भी अच्छी हैं। मान्यवर, जो हमारे यहाँ कैन्टीने हैं उसमें कमरों में बोर्ड लगा है कि आप कैन्टीन में फोन करें तो सामान आ जायेगा लेकिन कैन्टीन में फोन उठता ही नहीं। अब चाय भी 6 रुपये की मिलती है। ठीक है मंहगाई है लेकिन अच्छी चाय तो मिले। मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना करूँगा कि एक दिन आप और मा0 मंत्री जी चल कर हमारी कैन्टीन की हालत को देख ले हम आपको चाय पिलायेंगे।

एक सदस्य-

हम लोगों के कमरे में ए0सी0 की मांग खन्ना जी करें शायद कूलर ही लग जाये।

श्री सुरेश कमुार खन्ना-

मान्यवर हमारी कैन्टीनों में हमारे कपड़े से सफाई होती है । मान्यवर जितनी भी दुर्व्यवस्थायें हो सकती है वह इन कैन्टीनों में और हमारे विधायक निवासों में है। हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से उनका समाधान निकले । मान्यवर 25 साल से मै विधायक हूँ और 1999 से लेकर 2003 तक बी0जे0पी0की सरकार रही उसमें मैं नियोजन मंत्री भी रहा हूँ मान्यवर हमारी कोशिश रहती थी कि यदि किसी मा0 सदस्य का कोई पत्र आ जाये तो उसका जवाब उसके घर तक जरूर पहुँच जाये। लेकिन आज वह प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गयी है। न उस तरह के लोग हैं और न भावनायें। अब तो यहाँ यह कहा जाता है कि देख लेगें। दिखवा लेंगे, विचार कर लेंगे और इन आश्वासनों से अब हम लोगों का कान सुन-सुन कर पक गया है। सफाई का यह हाल है कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनकी हम लोग अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता है वह कर भी देते हैं लेकिन हफ्ते में 3 दिन आते हैं और उनके जाने के बाद एक घण्टा हमें खुद सफाई करनी पड़ती है।

मान्यवर, हम यह जरूर चाहेंगे कि उसका किसी वक्त अगर निरीक्षण कर लें वहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत हो जायेंगे, इतने इतने मोटे-मोटे जाले वह सफाई करके चले गये मैंने दूसरे दिन उसके लिए रोके रखा मैने कहा देखो मैंने रोका था कल तुमसे सफाई कारवाई थी उसके बाद जाला लगा तो कहा कि मकड़ी जो है उसके बाद जाला लगा गयी होगी। हमने कहा उसके बाद जाला नहीं है हफ्ते भर से यही जाला लगा है। जितनी दुर्व्यवस्था मान्यवर, हो सकती है लाइट से लेकर, लिफ्ट से लेकर, सफाई से लेकर, कैन्टीन से लेकर उतनी है। इन्जीनियर साहब को टेलीफोन मिलाओ, हमारे यहाँ बेसिन तुड़वाया उसके ऊपर का पत्थर बदलवाने के लिए 15 मार्च से काम शुरू हुआ और मई में जिस दिन हाउस चला मैंने कहा कि आप मुझको जानते नहीं हो मै बहुत पुराना विधायक हूँ उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ आप मंत्री रहे हो, और डेढ़ महीने दो महीने तक वह पत्थर वहीं टूटा पड़ा रहा और जी मान्यवर, हाँ मान्यवर, कल मान्यवर, आज मान्यवर, यही मान्यवर, होता रहा मान्यवर, वह जो है मान्यवर से आगे बढ़ा नहीं और पत्थर मान्यवर, उसके बाद मान्यवर, एक सप्ताह तक लगा नहीं मैंने सोचा कि मैं सदन का समय खराब करूँगा अगर नियम 300 में चाहता तो मान्यवर, इसको उठा देता। एक बात और रह गयी मान्यवर, एक दिन नहा रहे थे साबुन लगा हुआ और पानी चला गया पूरे शरीर में साबुन और देखा क्या मैं अकेला कोई आगे पीछे नहीं, आधे घन्टे पौन घन्टे पानी नहीं, सोच नहीं पाये थे कि क्या करे, चौके में से यहाँ से वहाँ से लेकर एक आध मग्गा पानी इकट्ठा किया कि साबुन तो चला जाय लेकिन जब साबुन

नहीं छूटा तो इसके बाद तौलिया से वैसे ही पोछ लिया कि साबुन छुट जाय। क्या करें पानी ही नहीं आया। मान्यवर, इतनी हालत खराब है। इसमें मान्यवर, न तो एक परसेन्ट झूठ है, न मिलावट है हम भुक्तभोगी हैं।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह की बात माननीय खन्ना जी ने कही जिस तरह की बाते हुई है उसी तरह से 2007 में चुनाव नजदीक आया नोटिफिकेशन हो गया और लोगों ने नो ड्यूज के लिए एप्लाई किया तो उसमें मान्यवर, बहुत सारे हमारे साथी भी हैं माननीय योगेश जी थे और हम लोग हैं किसी के ऊपर 2 लाख 75 हजार रुपये, किसी के ऊपर 3 लाख रुपये, किसी के ऊपर सवा 3 लाख रुपये तो हमने जाकर कहा कि आखिर आपने किस व्यवस्था के तहत यह हमारे ऊपर ड्यूज निकाला है हमने कोई निवेदन तो किया नहीं था कि आप हमें मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में एक अतिरिक्त आवास दें और ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक हो तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है हमने कहा भी उनसे और इसके अतिरिक्त भी कई तरह के ड्यूज लगा करके और एक मुश्त साढ़े 3 लाख पौने 4-4 लाख रुपये देने पड़े। इसमें हमारी विधायकों की कोई गलती नहीं थी न हमारा कोई प्रार्थना-पत्र था न कोई हमें एलाटमेन्ट का लेटर दिया गया था आज तक उसके नार्म्स नहीं पता है कि आखिर किस आधार पर आखिर इसका किराया तय किया गया और किस तरह से किराया देने के लिए विवश किया गया तो इस तरह की चीजें, अम्बिका जी आपकी और मेरी बात भी हुई थी मैनें आपसे भी निवेदन किया था लेकिन यदि इस तरह मनमानी होगी, इस तरह से जैसा चाहें अधिकारी करेंगे और आज हम यह चाहते हैं कि कोई व्यवस्था ऐसी समुचित हो जिसमें कम से कम उसके मापदण्ड हों और हमें पता चले कि कितना रूपया देना पड़ेगा। यदि हम अतिरिक्त व्यवस्था मांग रहे हैं अतिरिक्त आवास मांग रहे हैं तो हमें उसके लिए तो माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की विषमताएं हैं और उसको माननीय सदस्य उठा रहे हैं तो इसको दूर करवा दिया जाय इससे आगे के लिए तो हम आपको धन्यवाद देंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मान्यवर, एक सुझाव है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि दारुलशफा ए ब्लाक को जिस तरह से बना दिया गया है उसी तरह से दारुलशफा बी ब्लाक को भी बना दिया जाय ताकि वहाँ सुविधाएं अच्छी हो जायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप कुछ जवाब देगें इनका।

श्री सुल्तान बेग-

माननीय, मेरी एक साल में दो गाड़ियाँ चोरी हो गयीं।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

सुल्तान बेग जी आप बैठिये। आप सबकी भावनाओं को माननीय खन्ना जी ने व्यक्त कर दिया है। आप लोग शान्त रहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो यह राज्य सम्पत्ति विभाग का बजट मैनें सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है और उस पर माननीय टी0राम जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, माननीय सदस्यगण ने भी अपने विचार इस पर रखे हैं और माननीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं अपनी अगली बात कहूँ उससे पहले ऐसा लगा कि अचानक ऐसे विषय का जिक्र हुआ जिसमें सभी लोग अत्यन्त पीड़ित हैं और किसी को कोई सुख नहीं है। मान्यवर, लेकिन अब इस सदन को प्रसन्न होना चाहिये एक अध्यक्ष बच गये है अपनी पीड़ा कहने से, विपक्ष पीड़ित है, मंत्री पीड़ित हैं, सारे लोग पीड़ित हैं कि इतना दुख कभी जीवन में देखा नहीं है। इसलिये श्रीमन् यह इतनी पीड़ा से एक अध्यक्ष जी बच गये हैं। मान्यवर, यह बात नहीं है जो बात है वह दूसरी है। बात जो असली है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसी पर मैं सुझाव चाहता था। इसीलिये मैनें अपने विचार पहले नहीं रखे कि सबके सुझावों के बाद जो बात अच्छी आती, उनको शामिल किया जाता और माननीय खन्ना जी ने कई बहुत अच्छे सवाल उठाये। यह सबका दर्द है, आप जिस निवास में रहते हैं उसमें अकेले कोई सत्ता और विपक्ष का भेदभाव नहीं है। विधायक निवासों में सभी पार्टियों के, सभी क्षेत्रों के सदस्यगण रहते हैं, जैसा आवंटित हुआ है, उसमें अगर कोई व्यतिक्रम है, कोई असुविधा है तो उसकी चर्चा होनी चाहिये। इस सदन में कई बार यहां से, वहाँ से तमाम सदस्यगण कई असुविधाओं की चर्चा किये हैं और समय-समय पर उनमें सुधार भी होता रहा है। कभी गैरेज को लेकर समस्या, आवास के छोटा होने की समस्या मान्यवर, बहुत तरह की समस्यायें आती रहीं। लेकिन खन्ना जी ने जो बात कही, उसमें एक बात उन्होंने बहुत पीड़ा से कही और हम सबका सरोकार उससे है, मेरा तो है, क्योकि मेरे पुराने मित्र हैं, अन्य का हो चाहे न हो। उन्होंने कहा कि जब साबुन लगाये हुये पानी चला गया तो मुझे सबसे बड़ा इस बात का दुखः हुआ कि न कोई मेरे आगे न कोई मेरे पीछे तो मान्यवर, साबुन में चाहे उनकों कितना कष्ट हो जाये लेकिन यह आगे पीछे का कुछ न कुछ हो जाये, हुकुम सिंह अगर उनके विरोधी नहीं है। तो कुछ मदद कर दीजिये कि कोई सदस्य इस सदन में इतना दुखी हो कि न कोई मेरे आगे न कोई मेरे पीछे, ऐसी स्थिति न रह जाये।

मान्यवर, बिजली तो लग जायेगी, पानी आता रहे, इसकी व्यवस्था हो जायेगी, आवास का किराया ज्यादा लगा हो तो उसको कम किया जा सकता है या दूसरे को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह आगे पीछे वाले मामले में तो यह नजदीक वाले ही गडबड़ी किये हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। आप मान्यवर, कई बार बी0एस0पी0 के साझे में रहे, हम लोगों से बात होती रही, हम लोग समझते थे कि बी0एस0सी0 में कभी आपको ऐसा मौका लग जायेगा अपने साथी सहयोगी से, कि आगे पीछे का कोई इंतजाम हो जायेगा। आज इस सदन में मैं अत्यन्त गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि अपने मित्र की पीड़ा से मैं द्रंवित हूँ और इसलिये अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय हुकुम सिंह जी से, कि वह इनका कोई न कोई इंतजाम अवश्य करें। मान्यवर, दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ यह सही बात है कि विधायक निवासों का अनुरक्षण जिस स्तर का होना चाहिये, उसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिये कि विधायक निवासों का अनुरक्षण उस स्तर का नहीं है। कर्मचारियों की देखरेख के लिये जितनी सख्ती होना चाहिये, विधायक निवासों की सफाई का जो समुचित प्रबन्ध होना चाहिये, वह नहीं है। हम इसके बारे में निश्चित रूप से गंभीरता से इसे देखेंगे भी और कार्यवाही भी करेंगे। विधायकों का प्रोटोकाल चूंकि चीफ सेक्रेट्री चूंकि सेक्रेट्री से ऊपर का है और जिस स्थिति में हम उनको रखने का काम करते हैं, अगर उनसे कोई मिलने आता है और उनकी दयनीय स्थिति देखता है टूटी हुयी कुर्सी, मेज का प्लाई उखड़ी हुयी तो अनायास उसको ऐसा लगता है कि अगली बार यह भी बी0पी0एल0 कार्ड की लाइन में खड़े हो जायेंगे। वह तो तनख्वाह भत्ता आपने दे दिया वरना यह तो लाइन में लग जाते। श्रीमन् इसीलिये यह दीनहीन की स्थिति में इस मंडप में और विधान मंडल में बैठने वाले किसी व्यक्ति को उसके सम्मान के अनुरूप सारी व्यवस्थायें होनी चाहिये। इसलिए दीनहीन स्थिति में नहीं रहना चाहिए और इसके लिए जो प्रबन्ध किये जा सकते हैं उन पर आगे विचार करेंगे, जितनी गुंजाइश हो उतना करने का काम करेंगे इसलिए हम आज यह बजट ले करके यहां आये हैं। एक कठिनाई और है जो सभी लोग महसूस करते हैं, आपने नहीं जिक्र किया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि यू0पी0 सदन और यू0पी0 भवन हमारे दो गेस्ट हाउस दिल्ली में हैं, मा0 मंत्रीगण और अधिकारियों के लिये तो यू0पी0 सदन में व्यवस्था हो गयी लेकिन यू0पी0 भवन में अधिकारी भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, पत्रकार भी रहते हैं, पूर्व विधायक भी रहते हैं और अन्य लोग भी रहते हैं, और उसकी स्थिति ऐसी है कि तमाम हमारे विधायकगण जाते हैं और उन्हें काउन्टर पर घण्टों खड़ा रहना पड़ता है और कई बार तो उस दिन मिलता हीं नहीं है, दूसरे दिन और तीसरे दिन के लिए बुलाये जाते हैं। इस बारे में भी सरकार गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है, इसके लिए यदि दिल्ली में जमीन उपलब्ध हो सके तो दिल्ली में और अगर दिल्ली में जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई तो निश्चित रूप से दिल्ली के सबसे नजदीक नोएडा में जमीन

की व्यवस्था की जाएगी और बड़ा गेस्ट हाउस बनवाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मुम्बई में वासी स्टेशन के निकट गेस्ट हाउस के लिए जमीन हमने ली थी लेकिन पिछले समय में उसे भी बेचने के पूरे प्रयास किये गये, यह गाँधी जी की कृपा और ईश्वर की अनुकम्पा है कि वह बिक नहीं सकता और वहाँ जो हमारा गेस्ट हाउस बना यह चार-पाँच महीने में कम्पलीट हो जाएगा, मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि अगले वर्ष में जब आप मुम्बई आएंगे तो गेस्ट हाउस में रहने के लिए आपकी व्यवस्था हो जाएगी, इस बजट में इसको प्राथमिकता में रखा गया है। श्रीमन् एक और बात जिसको हम लोगों ने कमेटियों में जाकर महसूस किया है, जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ जाने पर उनकी ए0सी0 बसें हमको विभिन्न स्थानों पर ले जाती हैं, मान्यवर, हमारा इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ कोई आता है, मा0 अध्यक्ष जी आपसे मिलने दूसरे प्रदेशों के अध्यक्ष आ जाते हैं तो उनको तो आप कार दे देते हैं लेकिन यदि उनके साथ कोई टीम होती है तो उसके लिए आपको टैक्सी का इन्तजाम करना पडता है इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकें, एक बड़ी बस और दो छोटी बसों का इन्तजाम कर लें ताकि यदि बाहर से कोई आए तो उसके लिए या विधान सभा से आप किसी कमेटी को भेजना चाहें तो हमारे पास अपनी व्यवस्था हो और हम अपनी बसों से वहाँ सम्मानपूर्वक जा सकें, इन बसों में ऑडियो सिस्टम वगैरह सारी चीजें लगाने का काम करेंगे ताकि लोग आराम से सफर कर सकें। एक कहावत है हमारे यहाँ कि-''हमारे यहाँ आओगे तों क्या-क्या लेकर आओगे और आपके यहाँ आयेगे तो क्या-क्या खिलाओगे'', मान्यवर, यह रिवाज टूटना चाहिए जब हमारा आतिथ्य सत्कार दूसरे लोग करते हैं तो उनके लिए हमें भी अपने प्रदेश में व्यवस्था करनी चाहिए, हम लोग शर्मिन्दा होते हैं जब हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए राज्य सम्पत्ति विभाग इसकी व्यवस्था करेगा। जितने विधायक निवासों के अनुरक्षण में कमी है उसको स्वीकार करने की बात है, एक कठिनाई राणा साहब ने बताई उसका हल होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से राणा साहब ने बताई उस तरह से मुनासिब नहीं है इसलिए हम उसको सीधे-सीधे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि हमें बताया नहीं गया किसने दे दिया, ऐसा नहीं है आवास के आवंटन का पत्र जितनी बार मिलता है उसमें नीचे लिखा होता है कि अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई आवास आवंटित है तो वह इसी आदेश के साथ निरस्त समझा जाए। उसी में यह भी है कि जो आवास निरस्त हो गया उसको 15 दिन के अन्दर आप खाली कर दें लेकिन आवश्यकता क्या है, मंत्री आवास के नाम पर आपको तीन कमरे तो मिल गये, कहने को तो कोठी है लेकिन किसी मंत्री निवास पर तीन से ज्यादा बेडरूम नहीं हैं, यहां तक कि जो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को आवास आवंटित है मैंने उसमें भी जाकर देखा है उसमें भी तीन कमरे हैं कई मंत्रियों के आवास दो बेडरूम के भी हैं। मा0 मंत्रीगण हों या मा0

विधायक हों क्षेत्र से आने वाले लोगों की संख्या सभी के यहाँ है और मंत्रिगण के यहाँ स्वाभाविक रूप से ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए उन्हीं के बेडरूम में उनको प्रवेश कराया जाए यह बात मुनासिब नहीं है। और एक प्रस्ताव इस तरह का बनाये जाने की आवश्यकता है कि मा0 मंत्रिगण के आवास के साथ कोई व्यवस्था ऐसी सम्बद्ध कर दी जाए जिसमें क्षेत्र के लोगों को वह रख सकें, उनका समुचित सत्कार कर सकें। अनिवार्य रूप से इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जायेगी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिये थे उस आदेश के तहत पिछली बार जो कार्यवाही हुई, वह हुई, लेकिन इस बार सरकार सारी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार कर रही है और जितना शीघ्र हो सकेगा इसका प्रस्ताव ले आया जायेगा और आप कैबिनेट में पास करेंगे। मैं एक दो बातें और कह देना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के होते हुए भी जो खाने की क्वालिटी और दूसरी, तीसरी चीजें हैं उन पर विस्तार से आप लोगों के साथ, मा0 नेताओं को बुलाकर जो व्यवस्था है उसको बदलकर, दूसरी करना चाहेंगे तो उसकी व्यवहारिकता पर आपको जाना पड़ेगा। विधायक निवास जो कैन्टीन है उसको प्राइवेट हाथ में देने का सुझाव दिया लेकिन आप अगर प्राइवेट को दे देंगें तो फिर उसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा कि वह चलायेगा कि नहीं चलायेगा, कैसे रहेगा, कैंसे नहीं रहेगा। कुछ विधायक लोगों में गर्मी ज्यादा होती है, वह एक-एक मिनट में दो वाक्य बोलेंगें और जो तीसरा शब्द बोलेंगे उसका उच्चारण सदन में करना बड़ा कठिन है फिर उनको गुस्सा भी जल्दी आता है वह कैन्टीन में जल्दी से एक लात मारकर कुर्सी भी तोड़ना चाहते हैं तो ये सारी कठिनाईयाँ आती हैं इसका जिक्र सदन में करना उचित नहीं है। मैं उसका जिक्र कर भी नहीं रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपका कलकत्ता मैं एक गेस्ट हाउस है, आप जानते होंगे उसमें कई समस्यायें थीं। वहाँ एक गाड़ी चाहिए थी, जो मा0 विधायक जाते हैं उनके लिए गाड़ी नहीं थी और न ही कक्ष में ए0सी0 लगा था। मैं खुद गया था और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष जी भी थे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उसको भी जरा दिखवा लें, बहुत अच्छा बना है वह आपके यू0पी0 सदन या यू0पी0 भवन से खराब नहीं है। वैसे खाली पड़ा रहता है। मैंने आग्रह किया था, यहाँ से कुछ व्यवस्था करायी थी, तो उसको भी दिखवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, वह बनवाया नहीं गया है। सनी पार्क में एक बिल्डिंग है और उसका एक पार्ट हम लोगों ने ले रखा है। उसको ले करके उसमें जो कक्ष बने हुए हैं, मुझे तो मान्यवर, कलकत्ता अक्सर कई बार जाना होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो घर पर रुकते हैं, उसमें कम रुकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो असुविधा होती है। मान्यवर, ठीक बात है जो असुविधा होती है और हमने जब आपसे बात कही मुम्बई, दिल्ली की तो कलकत्ता में जो हमारा गेस्ट हाउस है, उसको ठीक कराने की व्यवस्था होगी। गाड़ी के लिए भी, श्रीमन् जैसा आपका आदेश होगा आप तो जो आदेश कर देंगे वह सदन की रूलिंग हो गयी। लेकिन मैं दूसरा अनुरोध करना चाहता हूँ कि आमतौर पर कलकत्ता में अध्यासन बहुत कम है। जाने वालों की तादाद और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इसलिए श्रीमन्, बेहतर बात यह है कि वह व्यवस्था करें जैसे दिल्ली में गाड़ियों की व्यवस्था होती है, वैसे ही कलकत्ता गेस्ट हाउस में व्यवस्था करे। उसके पास अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर रहे, न रहे लेकिन बढ़िया गाड़ियाँ की व्यवस्था सम्बद्ध करके रखे कि जो अतिथि जाये और जिनको आवश्यकता हो उनकी गाड़ियों की व्यवस्था तत्काल करायी जा सके। हम निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित करायेंगे कि किसी सदस्य को असुविधा न हो। इसी के साथ मैं बजट पास करने के लिए तो अनुरोध करूँगा ही, खन्ना जी फिर कुछ कहना चाहेंगे उसके पहले एक बात और कह दूँगा ताकि उनको सुविधा हो जाए। उन्होंने कहा कि जो बात मुँह से निकल गयी वह निकल गयी। लेकिन एक बार नहीं, बार-बार एक बात निकली कि ''रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे, तारीख नहीं बतायेंगे।'' यह बात खन्ना जी ने मुझसे कहा, मैं उनकी बात कहना चाहता हूँ यह भा0ज0पा0 पर लागू नहीं है। खन्ना जी की और मेरी बात हो रही है। इसलिए मान्यवर, उनके मुँह से कई बार यह निकला और यह बात न कहें कि क्या निकला और जितनी चीजों का वायदा आपने यहाँ रह करके मुझसे किया, उसमें किसी एक बात को आपने पूरा नहीं किया। इसलिए मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि जो मुँह से निकल गया, वह निकल गया। जो मुँह से निकल गया हमारे आपके, वह लौटकर के नहीं आता है, इतनी ही बात हैं। लेकिन जो निकल गया वह पूरा हो गया। इसके आचरण के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है मा0 मुलायम सिंह यादव। 'जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है, जो कहा, सो करके दिखाया, उसका नाम मुलायम है। मेरी जानकारी में राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला सिर्फ एक शख्स है जिसने जो कह दिया, वह कर दिया। बाकी लोगों के बारे में मैं जानता नहीं यह तो हमारे मित्र हैं, अगर फिर भी कोई आपत्ति करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है।

श्री हुकुम सिंह-

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने एक समस्या का उल्लेख किया कि उनके पास बहुखण्डी आवास सं0 403 है और वह उसी में रह रहे थे। फिर उनके ऊपर अतिरिक्त जो किराया दिया उसका कोई औचित्य है क्या?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्री हुकुम सिंह से बेहतर इसे कोई नहीं जानता इस सदन में। क्षमा करेंगे अध्यक्ष जी आपको शामिल करके इस बात को कहना चाहता हूँ इस बिन्दु पर इन नियमों की इन दृष्टांतों की जानकारी आपसे बेहतर किसी को नहीं है। विभिन्न विधायक निवासों के किराए जो समय-समय पर तय किए गए उसमें व्यतिक्रम है यह पहले से है जिसका कम है उसको उसकी प्रतिपूर्ति लेने का अधिकार है। जिसका अधिक है उसको जमा करने की ड्यूटी है। कई बार यह चीजें एकाउंट्स सेक्शन ठीक से करता नहीं है। अगर ढाई सौ तय है। तो न तो हमें 50 रुपए लौटाता है और न 500 रुपए है तो दो सौ रुपए मांगता है। लेकिन इस पर एक नीति बनाने के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी। यहाँ नहीं कर सकते। यह जो उपलब्धियां और सुविधाओं का हमारा विधेयक है जो इन सारी चीजों को तय करता है उसमें यह चीजें प्रोवाइडेड हैं। उसी आलोक में इन चीजों को तय करने की आवश्यकता है अध्यक्ष जी इस बिन्दु पर आपके यहाँ दलीय नेताओं की बैठक बुलाकर इसका निराकरण किया जाना चाहिए। हम जिस विधायक को विधायक निवास देते हैं वह छोटा है बड़ा है मध्यम है लेकिन किसी पर कोई अतिरिक्त नहीं लगना चाहिए। विधायक निवास विधायक निवास है अगर हम सबको एक समान सुविधा नहीं भी दे सकते हैं तो उसे अतिरिक्त रूप से लेने का औचित्य नहीं बनता। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और दलीय नेताओं की बैठक में इस पर विचार हो जाएगा। आगे उस हिसाब से संशोधन हो जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान लीजिए आपने अपने विवेक से किसी को कोई कक्ष दे दिया वह मंत्री आवास है लेकिन दिया तो आपने है उसमें कोई शर्त भी नहीं रखी आपने जो आपका आवंटन पत्र मिलता है उसमें कोई शर्त भी नहीं रखी कि आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। आपके विश्वास पर वह वहाँ चले गए और जब पाँच साल बाद चुनाव लड़ना पड़ा तो फिर आपने लिख दिया यह किसी की मजबूरी का फायदा है। उस समय व्यक्ति के सामने एक ही मजबूरी है वह चाहे कैसे हो वह कहीं से व्यवस्था करके पैसा जमा करेगा। एकाउंट सेक्शन को या राज्य सम्पत्ति विभाग को कम से कम इतना शिष्टाचार होना चाहिए कि एक महीने के बाद वह नोटिस दे देते सदस्य की जानकारी में आता कि मुझको यहां रहना है कि नहीं रहना है। पांच साल तक प्रतीक्षा करते रहे जब नो ड्यूज सर्टीफिकेट देने की बात आई तब आपने लिख दिया कि इतना पैसा है इस तरह की संस्कृति उचित नहीं है इस प्रकार की शैली उचित नहीं है। जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा मेरा भी आग्रह है आप अपने कक्ष में एक बार बैठक बुला लें और इसका समाधान करा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह हो जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोकसभा में यह व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य तीन बार चुनकर आता है तो उसके लिए बेहतर आवास की व्यवस्था है उसकी सीनियारिटी को देखते हुए लोक सभा में उसके लिए बेहतर आवास की व्यवस्था है। इस समय जो हमारे नेता सदन है माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होने अभी लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। वह भलीभांति इससे परिचित भी है वह इसका निराकरण कर भी सकते है अगर वह यहाँ होते। मान्यवर, एक विभाग यहाँ बढ़ा दिया जाता उसका नाम लीपापोती विभाग रखा जाय और उसका इंजार्च माननीय अम्बिका चौधरी जी को बना दिया जाय। लीपापोती करने में इनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी होंगे तो मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा। इस हाउस में कम से कम तीन दर्जन ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने जो बात कहीं मैंने उसको पूरा करके उनको कम्युनीकेट भी किया।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं यह उम्मीद करता था कि जो पैसा अतिरिक्त हमसे लिया गया उसको वापस करने के बारे में हमको आश्वासन दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

जब बैठक होगी उसी में बात होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बैठक में यह कह दिया जाएगा कि आगे से लागू होगा। सवाल यह है कि 20 मिनट की चर्चा में हमको मिला क्या। 20 मिनट की चर्चा में विभाग द्वारा लीपापोती की गई।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब अपना दुखड़ा ही सब रोएंगे यहाँ। दूसरों के दुःख को दूर करने के लिए आए और अपना ही दुखड़ा रोने लगे।

श्री अध्यक्ष-

टी0 राम जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं? अरे अनुग्रह नारायण जी अब कहाँ? इतना हो गया इस पर। अपना ही दुखड़ा सब रोयेगें यहाँ। दूसरों के दुःख को दूर करने के लिये यहाँ आये हैं और अपना ही रोना रोने लगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यू0पी0 भवन दिल्ली में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर न कोई टाइप राइटिंग की व्यवस्था है न फोटोस्टेट या फैक्स की कोई व्यवस्था है। जो भी हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं वहां कहीं बाजारों में जाते हैं और कहीं नहीं मिलता। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें पहले पी0सी0ओ0 वगैराह था। हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वहाँ पर एक कम्प्यूटर टाइप राइटिंग फोटोस्टेट और फैक्स की व्यवस्था करा दें जिससे जो भी माननीय सदस्य वहाँ जायं तो उनको वहाँ पर उसकी व्यवस्था मिल जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो बात कही है उनकी जानकरी के लिये कहना चाहता हूँ, यह सरकार की ओर से जवाब नहीं है। यू0पी0 भवन की कठिनाइयों का जिक्र तो मैंने किया, किसी ने नहीं किया। आप जो कहना चाहते हैं यह आपको जानकारी होगी शायद आप विस्मित कर गये हैं तो अब मैं आपको याद दिला दूँ। यू0पी0 भवन में बकायदा आपके लिये फैक्स, इन्टरनेट सुविधाओं से युक्त पूरा का पूरा एक कार्यालय है और जब जैसी आवश्यकता पड़ती है। चूँकि मान्यवर, हम लोग यूज नहीं करते, इसलिये हम लोगों को ज्ञान नहीं है लेकिन अगर आप यूज करें तो यू0पी0 भवन में इस बात की कमी नहीं है। जो कमी है वो मैंने आपको बता दी। खाने की क्वालिटी वाली बात भी आपकी सही है, अन्य दिक्कते हैं लेकिन जो आपने कहा है नहीं वह पूरा का पूरा कम्प्लीट आफिस है और उस आफिस में आप जब चाहें तब इन्टरनेट, फैक्स आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

टी0 राम जी आप वापस ले रहे हैं? माननीय पहाड़िया जी आपको क्या कष्ट है? आपका घर तो बढ़िया जेबर में है कहाँ यहाँ दौड़ रहे हैं दिल्ली से।

श्री वंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, वहाँ के बारे में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर 3 दिन बाद चाय का रेट दोगुना, खाने का दोगुना, किराये का दोगुना प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जी का आदेश आज भी विधायकों को बड़ा अपमानित कर रहा है। तीन दिन से सात दिन की जो प्रक्रिया थी उसको बहाल किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अब आप प्रस्ताव रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की दृष्टि इसमें किसी मामले को छिपाने की नहीं है। लीपा पोती का काम जिनके जिम्मे था मान्यवर, मैं उनका आइना हूँ और मुझमें उनको अपनी शक्ल नजर आती है, मेरे मित्र हैं इसलिये मैं उनको बेहतर समझता हूँ। इस सरकार ने चीजों को सीधे सपाट स्वीकार करने के लिये, मान्यवर, मैंने यहाँ पर सबकी सरकारें रही हैं मैं दावा करता हूँ कि इतनी सफाई के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ चीजों को स्वीकार करने का काम कभी सरकार का मंत्री यहाँ बैठकर नहीं करता था जितना स्वीकार करने का काम मैं कर रहा हूँ और हमारे दल के सभी मंत्री कर रहे हैं। लीपा पोती का काम दूसरों के जिम्मे था। मैं स्वयं उन बातों को स्वीकर करता हूँ और चूँकि हमारी दृष्टि निराकरण की है। हम निराकरण करना भी चाहते हैं इसलिये इन सारी समस्याओं को सुनते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। अब मैं अनुरोध यह करना चाहूँगा कि राज्य सम्पत्ति विभाग जिस पर अब थोड़े दिनों से चर्चा होने लगी है इसके पहले इस पर चर्चा ही नहीं होती थी। इस पर काफी चर्चा हो गई और सकारात्मक बातें आई हैं। विधायकों की सुविधा के लिये, राज्य कर्मचारी जिनके लिये वह आवास बनवाते हैं, उनकी सुविधा के लिये, अतिथिगण जो आते हैं उनकी सुविधा के लिये राज्य सम्पत्ति विभाग की जो मूल जिम्मेदारी है उसको एक नई परिभाषा देते हुए और पुरानी परिपाटी के हिसाब से घिसा पिटा न चल करके बहुत संवेदनशील तरीके से देखा जाय ऐसी सरकार की मंशा हैं और सही निर्देश अपने अधिकारियों को देगें और इसी के साथ मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मामले में तो मान्यवर कटौती का प्रस्ताव सीधे-सीधे वापस होना चाहिए क्योंकि जितनी समस्या आप नहीं उठा सकते थे उससे ज्यादा मैंने स्वयं उठया है और स्वीकार भी किया है। इसलिये कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सर्व सम्मति से बजट पास किये जाने की आवश्यकता है। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, बहुत सी समस्याएं हैं और आपने सुना भी मान्यवर कि हमारे माननीय सदस्यों को बहुत सी यातनाएं परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ रहीं हैं अतः मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,58,36,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, सब लोग जानते है पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग हिस्टॉरिकली, फाइनेंशियली, एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, और मान्यवर, इसी आधार पर स्वतंत्रता के बाद आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और आरक्षण की व्यवस्था की गई तो उसमें भी पदोन्नतियां होने लगी, पदोन्नति मैं मान्यवर, ए0सी0आर0 बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एनुवल कान्फीडेंशल रिपोर्ट, उसके आधार पर अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया बराबर का। मान्यवर, इस बात का तत्कालीन शासन ने संज्ञान लिया और शासनादेश संख्या-65 दिनांक 8 मार्च 1973 को रिजर्वेशन में प्रमोशन।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर 1973 को एक शासनादेश लागू हुआ जिसमें रिजर्वेशन में प्रमोशन की व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद दूसरा शासनादेश 20 मार्च 1974 को लागू हुआ। उसमें भी पदोन्नति के लिए निर्देश दिए गए थे। मान्यवर, यह चलता रहा, 20 बरस बाद, उस समय सपा की तत्कालीन सरकार थी 10 मार्च 1994 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में आरक्षण नियमावली प्रख्यापित की गई जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और साथ-साथ उसके अनुच्छेद-3 (7) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की व्यवस्था भी रखी गई मान्यवर, 10 मार्च 1994 का दूसरा शासनादेश हुआ जिसमें रिक्त पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई और रोस्टर लागू करने की व्यवस्था की गई। उसके बाद ओ0बी0सीज0 का जब रिजर्वेशन हुआ, तो उसमें एक मा0 सदस्य ने न्यायालय में मुकदमा किया जिसमें इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का और उसमें ओ0बी0सी0 के आरक्षण में जब माननीय सदस्य ने न्यायालय में निर्देश दिया तो उसमें यह कहा था कि पाँच साल के बाद इसका भी परीक्षण कर लिया जाए अनुसूचित जाति के प्रमोशन के मामले में। उसके बाद पार्लियामेन्ट में यह मसला उठा और 50वें अमेन्डमेंड के माध्यम से आर्टिकिल 16 में क्लाज 4 में एक संशोधन किया गया और वह संशोधन यह था इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास, उसके बगैर प्रख्यापित किया गया। इन मैटर्स आफ प्रमोशन विच कान्सटीटुशनल सीनियारिटी टू एनी क्लास। यह 4.1.2002 को संशोधन जारी हुआ और यह संशोधन 17 जून 2004 से प्रभावी माना गया। भारत सरकार के ऑफिस मेमोरन्डम के माध्यम से सभी स्टेट्स से बात करने के लिए लिखा गया था। बहुत से राज्यों ने इसको एडाप्ट किया और 18-10-2002 के शासनादेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में भी यू0पी0 गवर्नमेण्ट सरवेंट सीनियारिटी रुल्स, 1991 में जोड़ा गया बाद में मान्यवर, यह बाद में समाप्त कर दिया और बाद में अधिसूचना संख्या 14 सितम्बर, 2007 को इसको पुनः लागू कर दिया गया। इसमें एक मुकदमा हुआ था 1389/2007 जिसमें नियम-3 (7) जो 10 मार्च 1993 की नियमावली थी आरक्षण की, उसको भी चैलेंज किया गया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04-01-2011 द्वारा इसको क्वैश कर दिया था, निरस्त कर दिया था और उसमें यह भी कहा गया था कि यदि स्टेट गवर्नमेण्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के एम0 नागराज केस के जजमेण्ट के आधार पर आरक्षण का सर्वेक्षण कराने के बाद इसे पुनः लागू कर सकती है और इस आधार पर सीनियारिटी लिस्ट के लिए जो रूल बना था 8(ए) उसको भी क्वैश किया गया था। मान्यवर, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा हुआ और माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 27-04-2012 द्वारा इसे अवैध करार दिया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को उन्होंने बरकरार रखा। मान्यवर, उसके बाद राज्य सरकार ने धारा-3(7) को समाप्त कर दिया। अब यह प्रश्न उठता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश मैं जो कहा था कि सर्वेक्षण करा लीजिये कि अनुसूचित जाति का रिप्रजेन्टेशन सभी पदों पर बराबर है कि नहीं और इसका सर्वेक्षण कराने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेण्ट चाहे तो इसे लागू कर सकती है। मान्यवर, एम0 नागराज केस को ही इसमें बार-बार कोड किया गया था और एम0 नागराज के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ''एज स्टेटेड एबव दी इम्पजनेड प्रोवीजन इज एन इनाएवलिंग प्रोवीजन दी स्टेट इज नाट बाउण्ड टू मेक रिर्जेवेशन फार एस0टी0/एस0टी0 इन मैटर आफ प्रमोशन हाऊ वायर इफ दे विश टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रेशन एण्ड मेक सच प्रोवीजन दी स्टेट हैज टू कलेक्ट क्वान्टीफिऐवल डेटा सोविंग बैकबर्डनेश आफ दी क्लास एण्ड इनएडीक्वेंसी आफ रीप्रजेन्टेशन आफ दैट क्लास इन पब्लिक इम्पलायमेन्ट इन एडीशन टू कम्प्लाइन्स आफ आर्टीकल 335.''

श्री अध्यक्ष-

इसे हिन्दी में कर दीजिए।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, यह अंग्रेजी में ही है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

अंग्रेजी में पढ़ दीजिए और हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, उसमें यह बात कही गई थी कि इसका सर्वेक्षण करा लिया जाए और अगर इनका रिप्रजेन्टेशन विभिन्न पदों पर बराबर नहीं है तो इसके सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट पुनः नियम बना सकती है। मान्यवर, मेरा इसमें निवेदन है, इसमें सरकार जल्दी करने के बजाय चूँकि आपने भी देखा होगा, सारे लोग जानते हैं, विशेष रूप से इंजीनियरिंग है मेडिकल है और इस तरह के कुछ डिपार्टमेण्ट है, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और पी0सी0एस0 को छोड़कर बाकी डिपार्टमेण्ट में जो नियुक्तियाँ होती है, वह 4 साल, 5 साल या 10 साल में उनकी गणना करके उसकी लिस्ट जारी करते हैं और उसकी प्रियारिटी कभी नहीं देते हैं। मान्यवर, प्रश्न यह है कि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या सभी विभागों में जो इनीशियल रिक्रूटमेंट होता है, उसमें हर साल की हर साल चाहे 2 हों, चाहे 5 हों, चाहे 10 हों, अगर हर साल की हर बैच की नियुक्तियाँ आये तो कदाचित् इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए मान्यवर, अनुसचित जाति के लोगों को अब पदोन्नतियाँ नही मिल पायेगी और वह कभी पदोन्नति नहीं पायेंगे। दूसरी बात मान्यवर, यह भी है कि अनुसूचित जाति के

अधिकारियों को ए0सी0आर0 हमेशा खराब मिलती है और ए0सी0आर0 ही प्रमोशन के लिए एक माध्यम होता है तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में उन्हें पदोन्नतियाँ कभी नहीं मिल पायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें विचार कर लिया जाए और विचार करके पुनः इसमें निर्णय लिया जाए।

(श्रीमती शादाब फातिमा बोलने के लिए खड़ी हुई)

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें क्या बोलेंगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इसमें मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेदकर जी इस देश के जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, उनको संविधान बनाते वक्त संविधान के अनुच्छेद-16(4) में व्यवस्था दिया है कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकारें ऐसे जो पिछड़े हुए लोग है, उनको आरक्षण की व्यवस्था देने का काम करेंगी। इस देश का संविधान बना और संविधान बनने के बाद राज्य सरकारें और केन्द्र सरकारें इन वर्गों को आरक्षण देने का काम किया मान्यवर, एक अनवरत् व्यवस्था लम्बे समय से चली आ रही थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा था। और प्रथम नियुक्ति के साथ-साथ पदोन्नति में भी उन्हें आरक्षण मिल रहा था। मान्यवर, वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन आफ इंडिया केस का जो निर्णय आया तो उसके बाद यह हुआ कि यह तो केवल प्रथम नियुक्ति में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जब यह निर्णय आया और उस निर्णय में यह कह दिया गया कि जब इनको पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहा है तो और पांच साल तक इसको सरकारें लागू कर सकती है। मान्यवर, उसके बाद केन्द्र सरकार को जब यह लगा कि इन वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पाएगा। तो इनकी सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए उन्नति के लिए भारत सरकार ने 77वाँ संविधान संशोधन किया। उसमें उन्होंने 16 (4ए) की व्यवस्था करने का काम किया और उसमें यह लिखा कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामी ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारिश नहीं करेगी।

मान्यवर, यह 4ए जोड़ दिया गया। इसके उपरान्त यह व्यवस्था लागू रही। फिर दो निर्णय आये, इसमें यूनियन आफ इंडिया बनाम वीरपाल सिंह चौहान, 1995, और अजीत सिंह सेकेण्ड बनाम स्टेट आफ पंजाब तथा अन्य 1999। मान्यवर उसके बाद फिर विरोधाभास पैदा हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने इन वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए 85वां संविधान संशोधन करने का काम किया। और उस संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के साथ-साथ इनको परिणामी ज्येष्ठता भी मिलती रहेगी। मान्यवर, उस निर्णय के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2007 में एक शासनादेश करके इन वर्गों को उस निर्णय के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देने के लिए शासनादेश किया। मान्यवर, अब 27 अप्रैल, 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। पहले हाईकोर्ट का निर्णय आया, जनवरी 2011 में निर्णय आया। मैं तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी को बधायी देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इन वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन अभी जो 27 अप्रैल को यह जो निर्णय आ गया इससे एक भारी समस्या पैदा हो गयी। जो उत्तर प्रदेश के लगभग 5 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनके हितों पर मान्यवर, अब डाका डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार यह जो विधेयक लेकर आयी है यह उनको फांसी लगाने वाला विधयेक लेकर आयी है। मान्यवर, इनकी मंशा पहले से ही साफ नहीं थी। मैं इनका घोषणा-पत्र बताना चाहूंगा, इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में पहले ही कह दिया था क्योंकि यह पहले से यह कहते थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को आगे तरक्की में देखना नहीं चाहते। यह इन्होंने कहा था। सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा की थी कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमि होती है। इन वर्गों की सेवाशर्तों में आवश्यकतानुसार सुधार किया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब आपकी मंशा पहले से ही साफ थी। आप पहले से ही अनुसूचित जाति, जन जाति विरोधी थे, आपने पहले से ही मन्शा बना लिया था तभी आपने मा0 सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश आया है, यह एक बार का निर्देश नहीं है, एक बार यह निर्णय नहीं आया है, यह समय-समय पर निर्णय लिया गया है। आप अगर अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षक होते, तो आप केन्द्र सरकार में आवाज उठाते। मा0 बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने देश की पार्लियामेण्ट में आवाज उठाकर कहा कि इनके हितों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चूंकि पहले से ही मन्शा बना लिया था कि इनके हितों पर कुठाराघात करना है इसलिए आवाज उठाने का काम नहीं किया।

मा0 राम साहब कह रहे थे, अभी जो मा0 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आप कमेटी बनाते जो उसमें कमियां रह गई थी उस समय शासनादेश जारी करने में, मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको सर्वे करा लेना चाहिए, आप सर्वे करा लेते, यथोचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, इसका सर्वे करा लेते, इनका पिछड़ापन बरकरार है कि नहीं इसका सर्वे करा देते और संविधान के अनुच्छेद-335 को ध्यान में रखते हुए इनके आरक्षण और पदोन्नति से प्रशासन की दक्षता बनाये रखने में कोई विशेष असर तो नहीं पड़ा, यह कमेटी बनाकर आप जो है यहां से सर्वे करा देते और मेरे संज्ञान में जहां तक है सर्वे रिपोर्ट फरवरी, 2012 की है। सरकार के पास सर्वे फरवरी, 2012 की है इसके आधार पर आप अगर इनके शुभचिन्तक होते, इनके हितों को आप बचाना चाहते थे, तो यह सरकार सुप्रीमकोर्ट में रिव्यू दाखिल करने का काम करती, लेकिन तत्काल इन्हें तो जल्दी पड़ी है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को फांसी पर चढ़ा दें, जो है तुरन्त यह विधेयक लाने का काम किये, पहले अध्यादेश जारी करा दिये तुरन्त अब जो है विधेयक लाने का काम कर रहे है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है और तमाम सदस्य बोले, मैं देख रहा हूं, यहां बैठे हुए है अनुसूचित जाति के लोग, बड़े-बड़े बोलने वाले बैठे है, बड़े-बड़े महारथी बैठे है, यह सदन गवाह रहेगा कि अनुसूचित जाति का वोट लेकर आप लोग आज विधायक बन कर आये है, मंत्री बने बैठे है और मूक दर्शक होकर बैठे है, उनके हितों पर यह सरकार कुठाराघात कर रही है, इस प्रदेश की पांच करोड़ की आबादी को आप पीछे ढकेलने का काम कर रहे है, उनके उन्नति के रास्ते रोकने का काम कर रहे है, आपको अनुसूचित जाति, जनजाति की जनता माफ करने का काम नहीं करेगी, आपसे सवाल-जवाब करने का काम करेगी, इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार की मन्शा ठीक नहीं है। यह सरकार इस विधेयक को वापस ले और इसका सर्वेक्षण कराये, विभिन्न बिन्दुओं पर और सर्वेक्षण करा करके अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हितों की संरक्षक बनना चाहती है अगर यह सरकार, हितों की संरक्षक बनती है तो मान्यवर, इनको मा0 सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करनी चाहिए और भारत सरकार से आवाज उठानी चाहिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसे ही आप संविधान में संशोधन करके उनके हितों को संरक्षण और सुरक्षा करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं मा0 राम साहब के इस संशोधन पर बल देता हूं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए धन्यवाद आपका। मान्यवर, मैं कोई इसके तकनीकी पहलुओं पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इस गरिमामयी सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं, अभी इस सदन के हमारे एक मा0 सदस्य मा0 टी0राम जी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला था, मा0 सदस्य श्री इन्द्रजीत सरोज जी ने भी

इस पर प्रकाश डाला था। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि भारत का संविधान, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है, उसमें यह कहा गया है कि जो कमजोर व्यक्ति है उसके बारे में सोचा जा सकता है, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन कमजोर कब तक, यह फैसला करना होगा। आरक्षण का लाभ दस वर्ष तक के लिए दिया गया था। सन् 1947 में हिन्दुस्तान आजाद होता है, दो साल के बाद यहां का संविधान अंगीकृत होता है, दस वर्ष की व्यवस्था आज सन् 2012 में भी चल रही है। मैं इसलिए यह बात कह रही हूं आपसे मान्यवर, मैं किसी भी जाति से द्वेष भावना नहीं रखती। क्योंकि हम सब भारत की जमीन के रहने वाले है, वो जमीन जहाँ पर कभी नानक की गुरूवाणी गूंजती है, जहाँ पर कबीर के संदेश गूंजें हैं। हम उस जमीन के रहने वाले हैं, जहाँ पर गीता के श्लोक और कुरान की आयतें गूँजती है, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते है कि जो परिणामी ज्येष्ठता सूची की बात कही गयी थी, क्या इसने सामान्य वर्ग के अधिकारियों के हितों पर कुठाराघात नहीं किया और जो आरक्षण का लाभ मिला था, जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिएगा कि क्या उसके अंदर मुस्लिम समाज के धोबी, नट, मोची इन लोगों को भी अधिकार मिला था। इसी विधान सभा के अंदर मैंने तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा था कि जब आप ओ0बी0सी0 की बात करती हैं, उस समय आप कहती है कि 27 प्रतिशत के अंदर आरक्षण दिया जाए और जब आप दलित वर्ग की बात करती है तो उसके 23 प्रतिशत के अंदर जो मुस्लिम समाज के धोबी हैं, मेहतर हैं, मोची हैं, उनको शामिल करने की बात क्यों नही करती हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मा0 सदस्य आप बैठ जाइए। इस परिणामी ज्येष्ठता सूची के कारण अनुभव कीजिए उसके दर्द को, उस सामान्य वर्ग के अधिकारी की पीड़ा को, जिसको 25 वर्ष की नौकरी बिताने के बाद भी एक प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ, मा0 मुख्य मंत्री जी को.....

श्री अध्यक्ष-

यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उसको धन्यवाद देने के साथ ही इनको धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने इस चुनाव में वायदा किया था। आप घोषणा-पत्र

दिखा रहे थे। हाँ, हमने वादा किया था और वह वादा इसलिए किया था कि सामान्य वर्ग के लोगों को 25 वर्षों तक लाभ नहीं मिला। मा0 अध्यक्ष जी मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि अगर आज भी यह व्यवस्था लागू होती तो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति अगर सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुआ होता तो उसी पर रिटायर हो जाता लेकिन इसके होने के बाद उसको भी अपने जीवन में कम से कम तीन बार पदोन्नति का लाभ मिलेगा, जिसको की आप छीनना चाहते हैं। आप किसी के जीने के अधिकार को उससे छीन नहीं सकते हैं। किसी को अधिकार देने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे के अधिकारों को छीना जाए। इसलिए हम कहते हैं कि सबको अधिकार दो। समान अधिकार दो। मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

संक्षेप में करें मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, बहुत सी बातें आ गई हैं, श्री इन्द्रजीत सरोज ने तथा श्री टी0 राम ने बहुत बातें रख दी हैं, आप थोड़ा संक्षेप में अपनी बातें कहें, ताकि जल्दी खत्म हो जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रस्तुत हो रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, यह विषय बहुत गंभीर है और आज से नहीं हजारों साल से इस देश के तमाम गरीबों को असामाजिक विषमता और असमानता का शिकार होना पड़ा। लंबे अरसे तक यहाँ के ऐसे बहुसंख्यक समाज, जो कड़ी मेहनत करके, समय-समय पर देश के विकास में अपनी भूमिका निभाते रहे लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था थी जो जाति-पाँति, छूआछूत ऊँच-नीच और भेदभाव रहा, जिसके नाते उनको पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। हजारों साल से त्रासदी चली आ रही थी और कभी उनको शूद्र कह करके बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक कि कभी धार्मिक जामा पहना करके ''शूद्रं पुकारे दर्शन कितलवा, कितलवा'' ऐसा कह करके उनको जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। मान्यवर, आज जाति और धर्म के नाम पर उनको अपमानित करने का काम किया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर बोलिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और लंबे वर्षों से जो ये अपमान के कड़वे घूँट पीने पड़ते रहे। इस देश के बहुसंख्यक समाज को मान्यवर, इस देश के भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो देश के तमाम बड़े-बड़े विद्वान सभी वर्गों के, सभी समाज के, सभी धर्मों के महानुभावों के, सभी धर्मों से सम्बन्धित बड़े-बड़े विद्वानों की जो संविधान सभा बनी और जिसमें इस पर बहुत ही सोच समझ कर और विचार बहस के बाद ऐसी व्यवस्था की गयी जिससे इस देश के दबे कुचले पीड़ित, शोषित मजलूम समाज को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिये उनको समान रूप से महत्व देने के लिये जो अतिपिछड़े हुये हैं, हजारों साल की सामाजिक और जो यहां की आर्थिक बदहाली रही है जिसके नाते जाने अनजाने किसी न किसी तिकड़म के शिकार हुये उनको मान्यवर, सम्मान देने के लिये संविधान में व्यवस्था की गयी मान्यवर, संविधान में व्यवस्था करने के लिये जो उस समय देश की आजादी के बाद संविधान बनाया जाने लगा तमाम बहस के बाद संविधान के अनुच्छेद-16(4)।

(सत्ता पक्ष की ओर से शोर की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

आप सब शान्त रहिये। आप संक्षेप में कहिये और विधेयक पर बोलिये न।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी आपके मंत्री जी जवाब दे लेंगे। वो कितने दिन के लिये हुआ अगर पढ़े लिखे हों तो इसको केन्द्र सरकार समय-समय पर आगे की ओर लाकर, विधेयक लाकर के बढ़ाती रहती है और यह पार्लियामेन्ट में इसका समय बढ़ाया जाता है। ये यहां का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्य जी जल्दी खत्म करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है इसीलिये मैं यहां पर आपसे बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 का और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16(4) (अ) के तहत मान्यवर, इनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है और उस संवैधानिक संरक्षण के तहत इनको मान्यवर, ये संविधान प्रदत्त अधिकार मिलता रहा और केन्द्र सरकार में, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में इनको 1955 से यह लाभ मिलता रहा है। मान्यवर, यहां तक कि इसको चुनौती देने के लिये 1962 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकरण भी आया जनरल मैनेजर, सदर्न रेलवे बनाम रंगाचारी जिसमें मान्यवर, मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने

संविधान के अनुच्छेद-16(4) जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने परिभाषित करते पदोन्नति में आरक्षण को वैध माना था। मान्यवर, समय-समय पर जब मा0 सर्वोच्च न्यायालय में और मान्यवर, 1963 से और 1963 से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16(4) और 16(4)(ए) का लाभ उत्तर प्रदेश में भी सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये यह व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये यह व्यवस्था सन् 1965 से उत्तर प्रदेश में चली आ रही है लेकिन बीच-बीच में। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

इसमें न्यायालयों पर टिप्पणी न करिये, इससे हमको बचना चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं न्यायालय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ये न्यायालय के बारे में आपका वाक्य निकाल दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उन्ही मा0 न्यायालयों का भी हवाला दे रहा हूं जिसके चलते इस संविधान प्रदत्त अधिकार का समय-समय पर संरक्षण भी होता रहा है और जैसा कि मैंने अभी 1962 के एक प्रकरण का जिक्र किया और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय और पदोन्नति में आज यह नयी व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, यह सारे फैसले पर इन्द्रजीत जी ने बताया है अब नया जो आ रहा है यह किस फैसले के अन्तर्गत है, उस पर बात कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि यह किसी माननीय सदस्य की कोई दुर्भावना नहीं है कभी-कभी जाने अनजाने भी हम कहीं न कहीं कोई बात रख जाते हैं और सही मायने में यहाँ पर

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आज जो विधेयक आ रहा है मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 23 मार्च, 1994 को यह एक विधेयक आया था आप ही लाये थे क्योंकि उस समय सम्भवतः बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सम्मिलित सरकार थी। और उस सरकार नें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अधिनियम 1994 को इस सदन द्वारा पारित करके लागू किया था तथा इसकी धारा 3(7) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी थी कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने संबंधी शासनादेश तब तक लागू रहेंगे जब तक इन्हें विखंडित न कर दिया जाय। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने इस आशय का 23 मार्च 1994 को विधेयक लाये थे। मान्यवर, इसी के तहत यह लाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि 1992 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के प्रकरण में यह एक विवाद उत्पन्न हुआ उससे जिसमें उन्होंने कह दिया कि अन्य पिछड़े वर्ग हेतु प्रदान किये गये 27 प्रतिशत का आरक्षण वैध है, पदोन्नति के संबंध में दिये जाने वाले आरक्षण के बारे में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत सिर्फ सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह शर्त भी लगाया गया परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जिन राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू है वहाँ अगला 5 वर्षों तक लागू रहेगा यानि सन् 92 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया तो उसके मुताबिक 5 साल तक 97 तक यह व्यवस्था थी लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने इसीलिए कि इसकी निरन्तरता बनी रहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद इस पर किसी प्रकार का प्रहार न हो, या कहीं इस पर किसी प्रकार का अवरोध न हो, या कहीं इससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इससे प्रभावित न हों इसलिए मान्यवर, 23 मार्च, 1994 को नियम 3(7) के अन्तर्गत यह विधेयक लाया गया।

श्री अध्यक्ष-

सरोज जी ने सब कह दिया आप उसे दोहरा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से कुछ भ्रांतियां आती रही इसीलिए मान्यवर, संसद में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और संविधान प्रदत्त 16(4) और 16(4)(अ) के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को यह आरक्षण की व्यवस्था मिलती रहे। इसीलिए मान्यवर, समय-समय पर माननीय संसद में तमाम संशोधन आये। उसी के तहत 17.6.1995 को 77वां संशोधन आया 17 जून, 1995 में।

श्री अध्यक्ष-

यह आप पूरा इतिहास बता रहे हैं वह तो सरोज जी ने बता दिया। आप अब इस पर जिसके कारण यह विधेयक आया उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उसी पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कितनी देर में आयेंगे यह बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उसी पर आ रहे हैं।

मान्यवर, यह 77वां संशोधन मात्र इसलिए आया कि जिससे कि 1992 में इन्दिरा साहनी के केस से जो भ्रांति पैदा हुई थी, वह भ्रांति खत्म हो जाय।

मान्यवर, इसी के क्रम में भारत की लोक सभा और राज्यसभा में यानि संसद ने 85वाँ संशोधन किया 4 जनवरी 2002 में। मान्यवर, इस संशोधन के तहत यह कहा कि अनुच्छेद 16 (4ए) में पुनः संशोधन करके परिणामी ज्येष्ठता को बहाल किया गया तथा यह व्यवस्था की गयी कि एस0सी0एस0टी0 की पदोन्नति के साथ-साथ ज्येष्ठता पाने का भी अधिकार होगा। मान्यवर, इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि समय-समय पर संसद ने इसकी अनिवार्यता को समझा, संवैधानिक बाध्यता को समझा, संविधान के द्वारा दिये गये संरक्षण को समझा और इस देश के बहुसंख्यक, जो बहुत ही दीनहीन हालत में है और यहाँ तक कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत पीछे हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर यह संशोधन भी लाये जाते रहे हैं। मान्यवर, इसी के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि जो नागराज का केस हुआ उसी केस पर आधारित अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके इसी वर्ष के शुरूआती दौर में एक आदेश किया जिस आदेश के क्रम में आज यह विधेयक लाया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा कि इसको खत्म कर दिया जाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह इच्छा जाहिर की थी, यह मंशा जाहिर की थी कि इस पर जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें यह देख लिया जाये कि इस पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, जिनको यह आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनका उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं। मान्यवर, इनका जो पिछड़ेपन का मानक बनाया गया था वह है या नहीं। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 30-35 के तहत प्रोन्नति में आरक्षण देने से कहीं प्रशासनिक कार्य बाधित तो नहीं हो रहा।

श्री अध्यक्ष-

आप सारी बात कह चुके, इससे पहले टी0 राम जी ने भी कहा, सरोज जी ने भी कहा, आप बातों को दोहरा रहे हैं। आपको जो विधेयक के बारे में कहना हो वह बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर सारी चीज स्पष्ट नहीं होगी तो हम उस निष्कर्ष को बतायेंगे कैसे। एक चीज मैं आपसे और आग्रह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप जल्दी खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, समय-समय पर यह सर्वे होता रहा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंशा जाहिर किया कि उचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं। प्रमोशन से कहीं प्रशासनिक कार्य प्रभावित तो नहीं हो रहा। पिछड़ापन का मानक इनका है या नहीं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण तथा कारागार राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

माननीय अध्यक्ष जी, 40 मिनट इनको बोलते हो गये, कोई समय सीमा है कि नही?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस विषय पर समय-समय पर आकड़ें मंगाये जाते रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इसी प्रकार से पहला आकड़ा आया था 21-08-2001 को समता समिति की रिपोर्ट, वर्तमान में जो नेता भाजपा हैं मा0 हुकुम सिंह जी उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और वह 30-31 अगस्त, 2001 को इनकी अध्यक्षता में समता समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट आई थी, जो इस मानक को तय करती थी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं तो नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का सम्मान करता हूँ, नेता प्रतिपक्ष के बोलने की कोई समय-सीमा नहीं है लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो उसके पहले उनके दल के सदस्यों की भावना पूरी तरह से विस्तार से आ गई थी। हम समझ रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कुछ अतिरिक्त बोलेंगे, 40 मिनट हो गया मेरा अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात कहें जिसे हम लोग समझ सकें। मान्यवर, आपने इतना विस्तार कर दिया है अगर आप संक्षेप नहीं करेंगे तो लोगों की समझ भर गई है इसलिए दिक्कत हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मंशा जाहिर की थी उसके अनुरूप पहली रिपोर्ट आई 31 अगस्त, 2008 को दूसरी रिपोर्ट आई 1995-96 में और

तीसरी रिपोर्ट आई नवम्बर, 2011 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी यह निर्देश नहीं दिया था और न ही उसकी कोई मंशा थी उसने केवल यह इंगित किया था कि राज्य सरकार को यह तय कर लेना चाहिए कि वह समय-समय पर यह सर्वे करा लें कि क्या उनका उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं, पिछड़ापन के अन्तर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, प्रशासनिक क्षमता प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन इस आरक्षण विधेयक को खत्म करने के लिए कभी भी मंशा जाहिर नहीं की। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं आज यहां पर इसी विधान सभा द्वारा पारित पूर्व के विधेयक को जो आज यह सरकार खत्म करने का दुस्साहस करने जा रही है, यह उसका आत्मघाती फैसला है। तमाम हमारे माननीय सदस्यगण इसमें हमारे अनुसूचित जाति के साथी भी बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के भी साथी बैठे हैं। अनुसूचित जाति की सूची मान्यवर, हम नहीं बनाते हैं, इसका सर्वे हुआ और सर्वे के बाद भारत सरकार ने एक अन्तिम सूची दी, इसलिए मान्यवर, अनुसूचित जाति की सूची प्रदेश सरकार नहीं तय करती है इसको केन्द्र सरकार तय करती है, पार्लियामेन्ट में उस पर बहस होती है और उसके बाद वह सर्वसम्मति से तय होती है। मान्यवर, अनुच्छेद 341-342 में जो अनुसूचित जाति की सूची में तय कर लिये गये हैं उनके लिए अलग से सर्वे की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे सर्वे करने के बाद ही वह इस सूची में सम्मिलित किये जाते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जो यह बिल लाया गया है यह एक प्रकार का आत्मघाती फैसला है यह सरकार की दलित विरोधी मानसिकता है। मान्यवर, इन्होंने सर्वे कराना उचित नहीं समझा और जल्दी-जल्दी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मंशा के विपरीत, अपनी दलित विरोधी मानसिकता के चलते यह आत्मघाती फैसला लाने का काम कर रहे हैं इसलिए मान्यवर, आज हम इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस विधेयक को मान्यवर आज यहां लाने के बजाय प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और प्रवर समिति से आने के बाद इस पर कोई निर्णय हों, आज यहाँ इसे पारित करना सरकार के लिए आत्मघाती होगा और इसके दुष्परिणाम सरकार को भोगने पड़ेंगे, धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात इस विधेयक के संशोधन प्रस्ताव में रखते हुए मा0 टी0 राम, इन्द्रजीत सरोज जी और मा0 नेता प्रतिपक्ष ने रखा है उनकी भावनाओं को समझते हुए ही मैंने इस प्रस्ताव पर स्वयं चर्चा करने के बजाए विपक्ष को भरपूर मौका भी दिया कि अपने संशोधन प्रस्ताव पर विस्तार से अपनी बातें रख लें। क्योंकि कौन ज्यादा बोलता है, इससे कोई बात नहीं होती है। हम तो उस राय के लोग हैं कि-

जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना,
मुद्दतों सोचना, मुक्तसर बोलना।

हम इस राय के लोग हैं यह नहीं है कि हम ऐसी-ऐसी चीजें शुरू करें जिनका इस विषय से, इस विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है। बहुत संक्षेप में दो तीन बातें अवगत करा दूँ। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोंधन) विधेयक, 2012 ले आये हैं इस विधेयक का प्राविधान ही मा0 मुलायम सिंह जी के मुख्य मंत्री रहते हुए आया था। टी0राम0 जी भी संकोच कर गये, इन्द्रजीत सरोज जी ने तो सारा आरोप ही लगा दिया कि हम इसके अलम्बरदार हैं और हम इसके अपराधी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस सदन को ताकि यह सनद रहे, हम डा0 राम मनोहर लोहिया की संतान हैं, विशेष अवसर के सिद्धान्त के पक्षधर थे, विशेष अवसर के सिद्धान्त के पक्षधर हैं और विशेष अवसर के सिद्धान्त के पक्षधर रहेंगे। विशेष अवसर का सिद्धान्त किसको, इस पर अगर आप डा0 राम मनोहर लोहिया को देखेंगे तो पता चलेगा संविधान सभा के अध्यक्ष, कई बार होता है कि भारत का संविधान किसने बनाया ? भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति से नहीं बनाया, भारत का संविधान, संविधान सभा ने बनाया और संविधान सभा के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी थे। डा0 भीमराव अम्बेडकर जिनको हम बड़ी श्रद्धा करते हैं जिनको किसी एक राजनीतिक पार्टी ने, मौर्या जी हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने अपना ट्रेडमार्क बना करके, कभी किसी ने राम के नाम पर अपनी दुकान चलायी और दूसरे ने अम्बेडकर के नाम पर अपनी दुकान चलाने का काम किया, वह अम्बेडकर के तरफदार नहीं हैं....

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अध्यक्ष जी, यह विषय से हट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सरोज जी, सुन लीजिए। आप तो इतना बोले, अब सरकार की बात भी सुन लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं फिर बताना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, आप थे और हमारे मा0 नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते बहुजन समाज पार्टी की जब कोई राजनैतिक हैसियत उत्तर प्रदेश और देश में कहीं भी नहीं थी उस दौर में 1989 में मुख्यमंत्री रहते अम्बेडकर गांव के नाम से विकास योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में चालू करने का काम किया था। अम्बेडकर विरोधी, दलित विरोधी यह जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, यह आपकी सारी बातें और परतें उधड़ चुकी है। अब दलितों के नाम पर, ठेकेदारी की राजनीति, अब बहुजन समाज पार्टी को कभी मिलने वाली नहीं है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपायी) (श्री इन्द्रजीत सरोज के खड़े होने पर) सरोज जी, सुन लीजिए उसके बाद इशारे करियेगा।

अब ठेकेदारी नहीं चलेगी और जाना हो तो जाईये। वेल में आ जाईये, आईये वेल में। माननीय अध्यक्ष जी, दलितों के नाम पर राजनीति की ठेकेदारी करने की इजाजत नहीं होगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, यह महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। [श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजबली जैसल, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री रामहेत भारती सहित बहुजन समाज पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये तथा दलित विरोधी विधेयक वापस लिये जाने सम्बन्धी नारे लगाने लगे जिससे सदन में शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।]

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जायं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यह राजनीति की ठेकेदारी करते-करते, दलितों के नाम पर राजनीति करके इस प्रदेश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। अब आगे की जिन्दगी लूटने वालों को जेल में है। आज लोक निर्माण विभाग का बजट रखा गया है इसमें भी जांच होगी और सम्भव है कि राजनीति की ठेकेदारी करने वाले इनमें से भी कुछ लोग जेल चले जायें।...

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी आज यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी विधेयक लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। यह अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं संविधान से इनका कोई रिश्ता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का संविधान में कोई विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर यह वह लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी अपने पत्थर के कारोबार पर रोक नहीं लगाया और लूट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पत्थरों का काम जारी रखा। हम सुप्रीप कोर्ट में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम दलित विरोधी लोग नहीं है लेकिन हम सुप्रीप कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो यह धारा है उसको अल्ट्रा वायरस डिक्यलेर किया। जिस धारा को सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगी उसको बनाए रखने का काम समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाला कोई भी नहीं करेगा। हम डाक्टर लोहिया की संतान माननीय मुलायम सिंह यादव की जमात के लोग संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप हम यह प्राविधान लेकर आए है। इन्होंने घोषणा-पत्र की बात की है उस घोषणा-पत्र

में हमने समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात कही है। और आज हम उस पर कायम है। हम दलितों के भी पक्षधर हैं पिछड़ों का भी भला चाहते है लेकिन समाज में सभी वर्गों का भला चाहने वाले लोग हैं हमारे घोषणा-पत्र में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम जहां मुसलमानों की बात करते हैं वहीं हम 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करते हैं जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति में जो घोषित लोग हैं उनसे बहुत खराब है। राजभर, बिंद, मल्लाह, मछुआ, माझी, तुरहा, प्रजापति आदि 16 जातियों की हालत दलितों से भी खराब है। हम उनके भी पक्षधर हैं इसलिए यह घड़ियाली आँसू नहीं चलेंगे दलितों के नाम पर ठेकेदारी नहीं चलेगी आपको जनता ने खारिज किया है और आपने जो लूटपाट किया है इसलिए जनता ने आपको वहां पहुँचाया है।

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 जून, 2012 को नियम नियम-51 की कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की बी0पी0एड0, डी0पी0एड0 एवं सी0पी0एड0 डिग्री डिप्लोमा धारकों को कार्यभार न ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-साध्वी निरंजन ज्योति की हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पचखुरा में भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री सतीश महाना की जनपद कानपुर स्थित ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन एवं एन0टी0सी0 की बन्द पड़ी मिलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 4-श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिरसा टाउन एरिया और कुँवरवटी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में है तथा 5-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश राज्य में मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध बंदियों को पेंशन के रूप में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री सुल्तान बेग की जनपद बरेली के तहसील मीरगंज में गेर कानूनी तरीके से कब्जा किये गये सार्वजनिक तालाब व टाउन एरिया की भूमि के पटान को तत्काल रुकवाए जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्रीमती अनुप्रिया पटेल की विशिष्ट बी0टी0सी0 2007 के अवशेष 1746 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणोपरान्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में है, 3-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 15वीं विधान सभा की क्षेत्रीय विकास निधि की द्वितीय किस्त अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 4-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी की जनपद-बरेली के थाना इज्जतनगर के अन्तर्गत नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप की रिपोर्ट न लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा

5-श्री भाईलाल कोल जनपद-मीरजापुर के ब्लाक हलिया व लालगंज में बेलन नदी के घाटों पर लिफ्ट कैनाल लगवाए जाने के समबन्ध में है।

शेष निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री मो0 रिजवान,
2-श्री राज नरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
3-श्री जय प्रकाश निषाद,
4-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
5-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,,
6-श्री राधेश्याम,
7-श्री प्रदीप चौधरी,
8-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
9-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
10-श्री केशव प्रसाद मौर्य,
11-श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,
12-श्री विजय बहादुर यादव,
13-श्री मदन चौहान,
14-श्री सुरेश राणा,
15-डा0 धर्म सिंह सैनी,
16-श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,
17-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,
18-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
19-श्री सुनील कुमार सिंह यादव,
20-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
21-श्री दिलनवाज खान,
22-ठा0 सूरज पाल सिंह,
23-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
24-श्री जन्मेजय सिंह,
25-डा0 धर्मपाल सिंह,
26-श्री धर्मपाल सिंह,
27-श्री अगयश रामसरन वर्मा,
28-चौ0 गजेन्द्र सिंह,
29-श्री कालीचरन सुमन,

30-श्री उमाशंकर सिंह,
31-श्रीमती रूबी प्रसाद,
32-श्री भीम प्रसाद सोनकर,
33-श्री जियाउद्दीन रिज़वी,
34-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई',
35-श्री अजय कुमार लल्लू,
36-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,
37-श्री राजेश त्रिपाठी,
38-श्री मो0 आसिफ,
39-श्री मदनगोपाल वर्मा तथा
40-श्री जय प्रकाश अंचल।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र निघासन में पेयजल के आर्सेनिक युक्त होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 30-05-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना .....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[उल्लेख किया गया है कि जनपद-लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र निघासन में पीने का पानी आर्सेनिक युक्त होने के कारण जहरीला हो गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। पीने का पानी आर्सेनिक युक्त होने के कारण जहरीला होने से क्षेत्र में तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। पेयजल संकट के समाधान हेतु न तो जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है न ही शासन द्वारा इस प्रकार की उपेक्षा पूर्ण रवैया से निघासन क्षेत्र के जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत विकास खण्ड निघासन एवं रमियाबेहड़ (आंशिक-21 ग्राम) आते हैं। यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2006 में लखीमपुर खीरी के विभिन्न विकास खण्डों (जिनमें विकास खण्ड निघासन एवं विकास खण्ड रमियाबेहड़ भी सम्मिलित थे) में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की आर्सेनिक की जांच करायी गयी जिसके अनुसार विधान सभा क्षेत्र निघासन की कुछ बस्तियों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के जल में आर्सेनिक, ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आर्सेनिक हेतु निर्धारित अनुमन्य सीमा 0.05 मि0ग्रा0 प्रति लीटर से अधिक पाया गया। विधान सभा क्षेत्र निघासन की आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	आर्सेनिक प्रभावित राजस्व ग्रामों की संख्या एवं नाम	31.03.2006 तक अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की संख्या	आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या	आर्सेनिक प्रभावित हैण्डपम्पों की संख्या (0.05 मि0ग्रा0 प्रति लीटर से अधिक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	निधासन	92	2, धर्मापुर एवं खैरहना	66	16	56
2.	रमियाबेहड़ (आंशिक)	21	3, तेलियार सुजानपुर एवं गुलहरिया तालुकेदार अमेठी	253	18	40
			योग :	319	34	96

उपरोक्त दिये गये विवरण के अनुसार विधान सभा क्षेत्र निघासन के 5 राज्स्व ग्रामों की कुल 34 बस्तियों के 96 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का जल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया।]

3-ब्लाक निघासन में धर्मापुर एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना एवं खैरहना एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत धर्मापुर एवं खैरहना ग्रामों की आर्सेनिक प्रभावित समस्त 16 बस्तियों को 80 नग स्टैण्ड पोस्टों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड निघासन के आर्सेनिक से प्रभावित 16 मजरों में कुल अधिष्ठापित 66 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में से जिन 56 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का जल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया, उनको उखाड़ कर निष्प्रायोज्य करते हुय उन्हीं बस्तियों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पुनः अत्यधिक गहरी बोरिंग कर जहां जल का स्ट्रेटा आर्सेनिक से मुक्त था वहाँ पुनः अधिष्ठापित कराया गया, जिनसे आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है तथा इसके अतिरिक्त शेष 10 अन्य इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प, जो कि कालान्तर में रि-बोर की श्रेणी में आ गये थे, के स्थान पर भी अत्यधिक गहरी बोरिंग कर जहां जल का स्ट्रेटा आर्सेनिक से मुक्त था वहां 10 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प पुनः अधिष्ठापित कराये गये, जिनसे आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2006 के पश्चात ब्लाक निघासन के आर्सेनिक से प्रभावित 16 मजरों में कोई नया हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं कराया गया है।

4-विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत ब्लाक रमियाबेहड़ (आंशिक) में तेलियार एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना एवं सुजानपुर एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों की 17 आर्सेनिक प्रभावित को 165 नग स्टैण्ड पोस्टों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त इन ग्रामों के आर्सेनिक से प्रभावित 17 मजरों में कुल अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में से जिन 39 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का जल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया उन्हें उखाड़ कर निष्प्रायोज्य करते हुये उन्हीं बस्तियों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पुनः अत्यधिक गहरी बोरिंग कर जहां जल का स्ट्रेटा आर्सेनिक से मुक्त था वहां पुनः अधिष्ठापित कराया गया, जिनसे आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है तथा इसके अतिरिक्त 18 अन्य इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प, जो कि कालान्तार में रि-बोर की श्रेणी में आ गये थे, के स्थान पर भी अत्यधिक गहरी बोरिंग कर जहां जल का स्ट्रेटा आर्सेनिक से मुक्त था वहाँ ये 18 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प पुनः अधिष्ठापित कराये गये, जिनसे आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ जल प्राप्त को रहा है। वर्ष 2006 के पश्चात् ग्राम तेलियार एवं ग्राम सुजानपुर के आर्सेनिक से प्रभावित 17 मजरों में कोई नया हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं कराया गया है।

5-ग्राम गुलहरिया तालुकेदार अमेठी की मात्र एक बस्ती में एक एण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित था, जिसका जल आर्सेनिक से प्रभवित पाया गया। उक्त हैण्डपम्प वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है तथा बस्ती में 4 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अत्याधिक गहरी बोरिंग कर जहां जल का स्ट्रेटा आर्सेनिक से मुक्त था वहां अधिष्ठापित कराये गये हैं, जिनसे आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है।

6-जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत विकास खण्ड निघासन एवं रमियाबेहड़ (आंशिक) की दिनांक 31-03-2006 को जिन बस्तियों में इण्डिया मार्क-II

हैण्डपम्पों का जल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया था, को छोड़कर अन्य बस्तियों में दिनांक 31-03-2006 के पश्चात जो इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं, उनका जल परीक्षण जनपदीय प्रयोगाशाला में किया जाता है तथा जल में कोई भी अशुद्धि प्राप्त न होने की दशा में ही हैण्डपम्प को जन सामान्य के लिये चालू किया जाता है तथा दिनांक 31-03-2006 के पश्चात विधान सभा क्षेत्र निघासन में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का जल आर्सेनिक से मुक्त है।

7-उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनुमन्य सीमा से अधिक मात्रा में जिन स्थलों पर आर्सेनिक पाया गया था, वहाँ पर शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है और वहाँ पर पाइप पेयजल तथा हैण्डपम्पों के माध्यम से आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है।]

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा खोठा बाजार में बन्द पड़े स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि...

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खोठा, जपनद कुशीनगर का ऊर्जीकरण दिनांक 31-07-2011 में किया जा चुका है। इस उपकेन्द्र से विभन्न क्षेत्रों में आपूर्ति करने हेतु 11 के0वी0 के 3 नग आउट गोइंग फीडर को चालू करना था जिसमें से एक नग आउट गोइंग फीडर चालू किया जा चुका है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शेष दो फीडरों पर लाइन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इन फीडरों का कार्य माह जुलाई, 2012 में पूर्ण कर इन्हें चालू कर दिया जायेगा।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :- [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 को अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तवय

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय विधायक ने नियम-51 के अधीन दी गयी सूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश. . एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने की मांग की है।

2-उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या 18/2/81-का-2/2012, दिनांक 06 जून, 2012 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था कर दी गयी है:-

''राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी :

परन्तु जहां उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी।''

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने विषयक घोषणा विधान मण्डल के दोनों माननीय सदनों में दिनांक 07-06-2012 को की जा चुकी है।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में राशन की दुकानों का राशन माफियाओं द्वारा अधिक संख्या में निलम्बित व निरस्त कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री रोशन लाल वर्मा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत...

नोट :-[ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 06-06-2012 को निम्न सूचना दी गयी है:-

जनपद-शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड-निगोही, सिधौली, तिलहर में राशन की दुकानों का राशन माफियाओं द्वारा भारी संख्या में राशन दुकानों को निलम्बित व निरस्त कराया गया जिससे गरीब व असहाय लोगों का भारी संख्या में शोषण किया जा रहा है। तथा राशन माफियाओं द्वारा अपनी मनचाही दुकानों में अटैच कराकर गल्ला व तेल बेच दिया जाता है, जिससे गरीबों का निवाला छिन जाता है उक्त माफियाओं के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2-प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक तिलहर में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितताएं किये जाने के कारण ब्लाक तिलहर में माह अप्रैल व मई, 2012 से 04 उचित दर की दुकान निलम्बित की गयी। इसके अतिरिक्त ब्लाक निगोही में 01 दुकान निलम्बित व 05 दुकानें निरस्त की गयी तथा रू0 22,000/- जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त की गयी है। ब्लाक सिधौली में माह अप्रैल व मई, 2012 में कोई भी दुकान निलम्बित/निरस्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत उल्लिया के उचित दर विक्रेता द्वारा स्वयं त्याग-पत्र दिया गया, जिस कारण दुकान रिक्त हुई हैं। ब्लाक सिधौली की ग्राम पंचायत मनुआबरी, सहोरा, उमरापुर, पैगापुर दुकानें पूर्व से रिक्त है, जिनकी नियुक्ति पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद का स्थगन आदेश प्राप्त है। निलम्बित/निरस्त दुकानों के कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिंक शाप चार्ट के अनुसार सम्बद्धीकरण किया गया है, जहाँ से कार्ड धारक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं।]

(व्यवधान के मध्य)

जनपद गाजीपुर स्थित बीरपुर पम्प कैनाल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में सिवगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री को वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

नोट :- [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश में एन0सी0टी0ई0 ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य किया है टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राघव लखन पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री राघव लखनपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[यह अवगत कराया गया है कि एन0सी0टी0ई0 ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य किया है। साथ ही कहा है कि इसे चयन का आधार भी बनाया जा सकता है। पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने इसे चयन का आधार बनाया और भर्ती निकाली। वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार टी0ई0टी0 पार कर चुके अभ्यर्थियों के साथ इस आधार को बदलकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय मे जितने भी केसेज टी0ई0टी0 के खिलाफ थे अधिकतर खारिज हो चुके हैं तथा टी0ई0टी0 मेरिट को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उचित ठहराया है। टी0ई0टी0 में धांधली की बातें प्रचारित की जा रही हैं जबकि इसे प्रमाणित करने हेतु एक भी अभ्यर्थी नहीं पकड़ा गया है। टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती न होने से इनमें गहरा आक्रोश है तथा भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 27 अगस्त, 2009 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 प्रख्यापित किया गया हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है। प्रदेश में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदन के उपरान्त इससे संबंधित नियमावली 27 जुलाई, 2011 को निर्गत हो चुकी है। इस प्रकार इस अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 27 जुलाई, 2011 से लागू कर दिया गया है। शिक्षकों की भर्ती के संबंध में इस अधिनियम की धारा-23(1) में नियुक्ति संबंधी शैक्षिक अर्हता के संबंध में प्राविधान किया गया है-23(1) कोई व्यक्ति, जिनके

नोट :-[ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

पास केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 23 अगस्त, 2010 तथा 29 जुलाई, 2011 द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है जिसमें अध्यापक पात्राता परीक्षा की अनिवार्यता रखी गयी है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 की नियमावली के नियम-15 में निम्नलिखित प्राविधान किया गया हैः-

''15-केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यूनतम शैशिक आर्हता धारा 2 खण्ड (ढ) के निर्देश प्रत्येक विद्यालय में लागू होगी।''

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अध्यापक पात्रता परीक्षा कराये जाने के संबध में शासनादेश संख्या 1828/15-11-11-2011, दिनांक 07 सितम्बर, 2011 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी तथा परीक्षा कराये जाने का अधिकार भी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिया गया। तद्नुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए दिनांक 13 नवम्बर, 2011 को टी0ई0टी0 परीक्षा आयोजित करायी गयी तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को परीक्षाफल वेबसाइट के माध्यम से घोषित किया गया। इस संबंध में अनेकानेक अभ्यथियों द्वारा आपत्ति किये जाने पर परीक्षा परिणाम संशोधित कर 3-4 दिन बाद पुनः नवीन परीक्षाफल वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्रश्नपत्र के त्रुटिपूर्ण निर्माण तथा उत्तरों के विवादित विकल्पों के कारण मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-71563/2011, श्री ललित मोहन सिंह बनाम राज्य सरकार तथा अन्य जिसके साथ 18 याचिकाओं को भी सम्बद्ध किया गया था, मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16-12-2011 द्वारा आयोजित करायी गयी परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर के विकल्प में लगभग 6 तथा 8 उत्तरों के विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षार्थियों के अंको में संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। मा0 उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका संख्या-76039/2011, यादव कपिल देव लाल बहादुर बनाम राज्य सरकार तथा अन्य में क्रमशः दिनांक 04-1-2012, 11-1-2012, 10-2-2012, 23-2-20212 तथा 16-3-2012 द्वारा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में स्थगनादेश पारित किया गया है तथा प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में सम्प्रति विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में अधिसूचना संख्या 3285/79-5-2011-3(3)/2011, दिनांक 09 नवम्बर, 2011 द्वारा 12वां संशोधन करते हुए

नियमावली के नियम-14(3) में व्यवस्था की गयी कि उप नियम 2 के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थी के नाम अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखा जायेगा। इस नियमावली के नियम-8 में अध्यापक पात्रता परीक्षा को अर्हताओं में भी जोड़ दिया गया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा के समस्त पहलुओं पर विचार विमर्श कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं जो उच्च स्तर पर निर्णयाधीन हैं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में वर्ष 2011-12 में किसानों की धान की खरीद से सम्बन्धित रुपयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत.....

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[वर्ष 2011-12 में किसानों के धान की खरीद विभिन्न धान क्रय केन्द्रों पर की गयी थी, किन्तु कई माह का समय बीतने के बाद भी अभी तक किसानों को उनके धान की फसल की कीमत का भुगतान नहीं किया गया है, और विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के किसानों का लाखों रुपया बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। किसानों के बकाये का भुगतान लम्बी अवधि बीतने के बाद भी न होने के कारण उनके तथा उनके परिवार के समक्ष गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और उनकी जीविका तथा अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धनराशि का भुगतान न होने से किसानों के सामने विषम आर्थिक स्थिति बनी हुई है और उनमें रोष तथा चिन्ता व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूँ।

वक्तव्य-

मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में वर्ष 2011-12 मे कार्यरत क्रय एजेन्सियों द्वारा कुल 37365.975 मी0 टन धान क्रय किया गया जिसके सापेक्ष रु0 4035.519 लाख

नोट :- [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

का भुगतान किया जाना था, जिसमें से रु0 3905.959 लाख का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदान किये गये सी0एम0आर0 के विरुद्ध भुगतान प्राप्त होने में विलम्ब के कारण केवल एक क्रय एजेन्सी यू0पी0 स्टेट एग्रो का रु0 129.66 लाख का भुगतान कृषकों को अभी नहीं किया जा सका है। भारतीय खाद्य निगम से अब भुगतान प्राप्त हो गया है। कृषकों को अवशेष धनराशि के भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में पी0सी0एफ0 द्वारा 755.80 मी0टन धान की खरीद अस्वीकृत घोषित करते हुए उसके भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। उक्त अस्वीकृत घोषित खरीद जिसका मूल्य रु0 81.62 लाख होता है, का भुगतान पी0सी0एफ0 द्वारा नहीं किया गया है।]

निर्वाचन क्षेत्र महोबा में ब0स0पा0 समर्थक उम्मीदवारों का स्थानीय चुनाव की घोषणा होने के उपरान्त उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचन क्षेत्र महोबा में स्थानीय चुनाव की.....

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[घोषणा होने पर ब0स0पा0 समर्थक उम्मीदवारों का उत्पीड़न किये जाने तथा पुलिस के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा घेरा बन्दी कर फर्जी मुकदमा के तहत गैगेस्टर ऐक्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

2-इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, महोबा से प्राप्त जाँच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है:-

3-दिनांक 18-7-2011 को अभियुक्तगण श्री शिवपाल तिवारी, (2) श्री परशुराम तिवारी उर्फ चन्द्रशेखर, (3) श्री दिलीप तिवारी, (4) श्री आदित्य तिवारी के विरुद्ध मु0आ0स0-1209/2011 धारा-3(1) गैगेस्टर ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध ओराप-पत्र संख्या 3/12, दिनांक 14-01-2012 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा 1962 से अपराधिक कृत्य करके अवैध तरीके से चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी थी। जिसे 14(1) गैगेस्टर ऐक्ट के तहत कुर्क करने हेतु जिलाधिकारी, महोबा को आख्या प्रेषित की गयी थी। जिलाधिकारी, महोबा द्वारा दिनांक 26 मई, 2012 को श्री विध्यवासनी राय उप जिलाधिकारी

नोट :-[ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

महोबा को शिवपाल तिवारी, परशुराम तिवारी, आदित्य तिवारी व दिलीप तिवारी की अवैध अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 03-6-2012 को चल/अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही स्थानीय पुलिस के माध्यम से की गयी, जिसका विवरण थाना कबरई के रो0आम0 नं0-39 दिनांक 03-6-2012 को अंकित है। उक्त कुर्की की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है तथा किसी प्रकार की अनियमितता एवं जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। कस्बा कबरई में पूर्ण से शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनी हुई है।

जनपद गाजियाबाद स्थित कविनगर इन्डस्ट्रीयल एरिया सेक्टर-17 को परिवर्तित कर इन्स्टीट्यूट आफ ला एकेडमी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना .....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[में यह अवगत कराया गया है कि ''इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एण्ड एकेडमिक स्टडीज'' ई-211, कविनगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया सेक्टर-17, गाजियाबाद का परिसर परिवर्तित कर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एकेडमिक स्टडीज, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-जौनपुरा, परगना व तहसील-गढ़ मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद किये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-2 को कुल सचिव द्वारा अपने पत्रांक-सम्बद्धता/1662, दिनांक 03 मार्च, 2012 द्वारा लिखा गया है। किन्तु शासन स्तर से अभी तक शासन की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, फलस्वरूप छात्र छात्राओं को नये परिसर की जानकारी एवं पाठयक्रमों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय उपाशय निहित नहीं है। अतएव परिसर बदलने की अनुमति दिये जाने में शासन स्तर पर तत्काल निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि ''इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एण्ड एकेडमिक स्टडीज'' ई-211, कविनगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया सेक्टर-17, गाजियाबाद का स्थान परिवर्तन कर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एकेडमिक स्टडीज, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-जौनपुरा, परगना व तहसील-गढ़ मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद किये जाने संबंधी कुल सचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,

---

नोटः- [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ का पत्र शासन में प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन के संबंध में शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रस्ताव/संस्तुति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रश्नगत महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन के संबंध में कुल सचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से विस्तृत आख्या/सूचना मांगी गयी है। विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में नियमानुसार सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय लेकर स्थान परिवर्तन की अनुमति के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।'

(व्यवधान के मध्य)

जनपद महराजगंज स्थित विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में विकास खण्ड बृजमनगंज अन्तर्गत लोटन कोल्हुई मार्ग बौध परिपथ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुये मार्ग का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री बजंरग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोग निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद...

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव राजस्व मंत्री ने दिया जा पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में विकास खण्ड बृजमनगंज अन्तर्गत लोटन-कोल्हुई मार्ग बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। इस मार्ग का निर्माण कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग महराजगंज द्वारा प्रारम्भ किया गया था परन्तु आज तक यह मार्ग बन नहीं पाया है जबकि इसका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है इतना ही नहीं इस मार्ग पर बाढ़ आपदा योजना के तहत भी रू0 50.00 लाख भी खर्च किया गया है लेकिन इस मार्ग का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है और जारी किये गये धन का बंदरबाट कर लिया गया है। जनहित में इस मार्ग पर कराये गये निर्माण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये पुनः मार्ग निर्माण कराया जाय।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद महराजगंज में विकास खण्ड-बृजमनगंज एवं लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत लोटन-कोल्हुई (9.20 किमी0) एवं एकसड़वा-मोगलहा-बनरसिया होते हुये चानकीघाट तक जो निर्माण खण्ड के अन्तर्गत आता है पर कुल 30.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु रु0 1164.70 लाख की लागत से

नोट :- [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 2002-03 में स्वीकृत हुआ था, जिस पर अब तक रु0 110.13 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष लोटन कोल्हुई मार्ग पर 6 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण करके 3.00 किमी0 में इन्टरकोट एवं 3.00 किमी0 में टाप कोट स्तर तक का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त एकसड़वा-मोगलहा-बनरसिया होते हुये चानकीघाट तक मार्ग पर भी 4.00 किमी0 लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य किया गया है।

दैवीय आपदा राहत निधि के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में कोल्हुई लोटन मार्ग के किमी0 6 से 9 में मरम्मत एवं सुधार हेतु रु0 13.33 लाख प्राप्त हुये थे, जिससे क्षतिग्रस्त भाग में पत्थर कुटाई करके, पी0सी0 एवं सील कोट का कार्य किया जाना था, जिसके सापेक्ष किमी0 1 से 4 एवं 6, 7, 9 में क्षतिग्रस्त भागों में पत्थर की कुटाई करके पी0सी0 एवं सील कोट का कार्य कराया गया है।

बौद्ध परिपथ योजना में पूर्ण अनुदान प्राप्त न होने के कारण कार्य अपूर्ण है। चूंकि स्वीकृत लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्य के पूर्ण न होने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।]

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेगें।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक 12 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47-48 पर)

पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में दुग्ध पट्टी पर गठित समितियों के नाम व पते

क्रमांक	समिति के नाम	पता		जनपद
		दुग्ध समिति ग्राम	विकास खण्ड	
1	2	3	4	5
1	ऐला	ऐला	पयागपुर	बहराइच
2	पैडी	पैडी	पयागपुर	बहराइच
3	डेरवा हरिवशंपुर	डेरवा हरिवशंपुर	पयागपुर	बहराइच
4	रूकनापुर	रूकनापुर	पयागपुर	बहराइच
5	सेनवायें	सेनवायें	पयागपुर	बहराइच
6	पडेरा	पडेरा	पयागपुर	बहराइच
7	पिपराकमाल	पिपराकमाल	पयागपुर	बहराइच
8	पकडीकला	पकडीकला	पयागपुर	बहराइच
9	गोविन्दापुर	गोविन्दापुर	पयागपुर	बहराइच
10	पंचदेवरा	पंचदेवरा	पयागपुर	बहराइच
11	बभनियावा	बभनियावा	पयागपुर	बहराइच
12	परना	परना	पयागपुर	बहराइच
13	रानीपुरतिलक	रानीपुरतिलक	विशेश्वरगंज	बहराइच
14	नेजाभार	नेजाभार	विशेश्वरगंज	बहराइच
15	जमुनही	जमुनही	विशेश्वरगंज	बहराइच
16	बसनेरा	बसनेरा	विशेश्वरगंज	बहराइच
17	कलुई	कलुई	पयागपुर	बहराइच
18	पिपरापदारथ	पिपरापदारथ	पयागपुर	बहराइच
19	काशीजोत	काशीजोत	पयागपुर	बहराइच
20	राजापुरकला	राजापुरकला	पयागपुर	बहराइच
21	लौकाही	लौकाही	हुजूरपुर	बहराइच
22	शिवनहा	शिवनहा	हुजूरपुर	बहराइच

क्रमांक	समिति के नाम	पता		जनपद
		दुग्ध समिति ग्राम	विकास खण्ड	
23	खरगापुर	खरगापुर	हुजूरपुर	बहराइच
24	शाहपुर	शाहपुर	हुजूरपुर	बहराइच
25	त्रिकोलिया	त्रिकोलिया	हुजूरपुर	बहराइच
26	भंगहा	भंगहा	हुजूरपुर	बहराइच
27	सहसलमेपुर	सहसलमेपुर	हुजूरपुर	बहराइच
28	बसंतापुर	बसंतापुर	हुजूरपुर	बहराइच
29	रामपुरटेपरा	रामपुरटेपरा	हुजूरपुर	बहराइच
30	निबुईकला	निबुईकला	हुजूरपुर	बहराइच
31	रमवापुर	रमवापुर	हुजूरपुर	बहराइच

नत्थी 'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ पीछे 146 पर)

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न सड़के अति जीर्ण–शीर्ष अवस्था में है, जिससे यहाँ के हजारों लोगों को आवागमन करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः निम्न सड़कों की तत्काल मरम्मत किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की माँग करता हूँ :–

1. सिहारी (हुड़वा) से रानीपुर तक का मरम्मत कार्य वि0ख० साऊँघाट दूरी 1.01 किमी0 लगभग।

2. बस्ती शुगर मिल से लोहटी चौराहा तक मरम्मत कार्य वि०ख० साऊँघाट दूरी 3.00 कि०मी०लगभग।

3. प्लास्टिक काम्पलेक्स से कटया, मछिया होते हुए वेलसुही वि०ख० साऊँघाट दूरी 4.00 कि०मी०लगभग।

4. हल्लौर नगरा से कराह पिढ़िया होते कमोखर तक मरम्मत कार्य दूरी 6.00 कि०मी०लगभग। वि०ख० बनकटी।

5. जरवनी से मंसेरिया रंजीत तक मरम्मत कार्य वि०ख० बस्ती सदर, दूरी 1.00 कि०मी०लगभग।

6. मकबूलगंज चौराहे से बटेला–जमोहरा होते हुये N H-28 तक मरम्मत कार्य की दूरी लगभग 4 कि०मी० वि०ख० साऊँघाट।

7. सिहरी चौराहे से रसूलपुर गाँव तक मरम्मत का कार्य दूरी लगभग 2 कि०मी० वि०ख0 साऊँघाट।

8. कसैला से नगला होते हुए रामपुर तक मरम्मत का कार्य दूरी लगभग 4 कि०मी० वि०ख० साऊँघाट।

9. बस्ती गोरखपुर मार्ग पर कुसम्हा मट्ठे से उदयपुरवा होते हुए N.H.–28 तक मरम्मत का कार्य दूरी लगभग–4 कि०मी० वि०ख० साऊ०घाट।

10. कटाई चौराहा से इटहर, गडौना होते हुए कराह पिढ़िया तक मरम्मत का कार्य 4.00 लगभग कि०मी०दूरी वि०ख० बनकटी।

11. N H-28 नरहरिया तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 2.00 कि०मी०

12. N H-28 पर नरियॉव चौराहे से कुर्सिया होते हुए सिसवा तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 3 कि०मी० वि०ख० साऊँघाट।

13. बस्ती– मेंहदावल रोड पर भरवलिया से सोनहटी बुर्जुग तक मरम्मत का कार्य दूरी लगभग 2 कि०मी० वि0 ख0 साऊँघाट।

14. N H-28 से गोटवा से सुदामागंज होते हुए रेंकवार तक जर्जर सड़क है की सीलिंग से लेपन तक का कार्य।

श्री विशम्भर सिंह यादव–

मेरे भाषण में निम्न जोड़ दिया जाय :–

1. अमलोहरा से मंझीवा सम्पर्क मार्ग

2. दादौ रोड़ से श्योहारा पुरवा अभिलहापुरवा होते हुए खेरा औदहा रोड़ तक सड़क।

3. बछौछा से ममसी सम्पर्क मार्ग

4. ग्राम पतवन से रोसी पुरवा सम्पर्क मार्ग

5. काजी रोला से जलालपुर सम्पर्क मार्ग तथा राडरा नाले में पुल

6. दार्दो में यमुना नदी पर पक्का पुल

7. ग्राम ममसी मे बागै नदी में पक्का पुल

8. ग्राम उतरवां में बागै नदी पर पक्का पुल

9. रेयान से तरायां सम्पर्क मार्ग

10. बुढौली से कुरेहां पुरवा होते हुए मऊ तक सम्पर्क मार्ग

11. कमासिन से अमलोखर सम्पर्क मार्ग रामकिशोर पत्रकार के पुरवा तथा चन्द्रकान्त के पुरवा होते हुए।

श्री मुहम्मद रमजान–

मा0 अध्यक्ष, माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा जो बजट लाया गया वह बहुत ही सराहनीय है। पहली बार प्रदेश के विकास के लिये 250 आबादी वाले ग्रामों को मेन रोड से जोड़ने का काम किया गया है। मा० अध्यक्ष जी जनपद श्रावस्ती मात्र दो तहसील का जनपद है तहसील भिनगा एवं तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती का मुख्यालय भिन्गा है भिन्गा से इकौना मात्र 22 कि०मी० है परन्तु राप्ती पर पुल निर्माण कार्य जो रुका हुआ है पुल न होने के कारण इकौना जाने के लिये 65 कि०मी० की दूरी तय करना पड़ता है चुनाव प्रचार के दरमियान भी मा० नेता जी ने राप्ती पर पुल निर्माण हेतु आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष जी मैं आप के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनता के समस्याओं को देखते हुये राप्ती पर पुल निर्माण हेतु कार्य कराने की कृपा करें तथा साथ–साथ सड़क भी (चौड़ी) बनवाने की कृपा करें।

श्री अब्दुल मशहूद खान–

माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद , आपने मुझे लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा आज जो बजट पेश किया गया वो बेमिसाल है, अभी लगभग तीन महीने ही इस सरकार को उत्तर प्रदेश की बाग डोर सँभाले हुआ है, विरासत में हमें बिल्कुल समाप्त हो चुकी सड़कें,घाटे में, उत्तर प्रदेश का हर इन्सान कर्ज मे ंडूबा हुआ और जनता की तमाम समस्याएं हमें विरासत में मिली हैं।

जनता को समाजवादी पार्टी और अपने युवा मुख्य मंत्री से बहुत उम्मीदें है मुझे आशा है कि उम्मीदें जरूर पूरी होंगी, और जो यह बजट माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है यकीनन उत्तर प्रदेश में बसने वाले और बाहर से यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाएगा। एक बार आपका पुनः धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी–

कृपया लोक निर्माण विभाग में कटौती प्रस्ताव में निम्न बाते जोड़ दी जाय मेरे विधान सभा क्षेत्र 141 और घोरहरा में निम्न प्रस्ताव सम्मिलित किया जाय :–

(1) खदरिया पं0 से कटौली तक मार्ग सरैया सिगावर होते हुए।

(2) रमिया बेहड़ से परौटी होते हुए बिन्द्राहा भटपुरवा तक सड़क एवं रपटा।

(3) चनपुरा से अभयपुर तक।

(4) डिहुआ से महादेव अमेठी तक।

(5) धौरहरा से भटपुरवा विन्जहा तक सड़क एवं पुल।

(6) सरसवा से महरायनगर होते हुए धौरहरा तक।

(7) शारदा नगर से बन्धा से ऊपर झंडी राय तक।

(8) ग्राम अन्धपुर जेठरा से चौरासमैसा तक।

(9) तेगनहा सिसैया से मंगरौली तक सड़क एवं रपटा तक।

(10) ग्राम सिगावंर से राजापुर तक सड़क एवं रपटा तक।

(11) ग्राम बेलाढ़ी से ओझापुरवा, कैटानीपुरवा से बहराईच पुरवा तक।

(12) ग्राम जगल मटेरा से बहराईच पुरवा तक।

(13) ग्राम डेबर से जगदीशपुर होते हुए सूरजनपुर तक।

(14) अमेठी से लालजी पुरवा तक।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी-

आपने प्रतिपक्ष के नेता के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया। इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अध्यक्ष मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं जो निम्न हैं :-

1-दोहरीघाट मधुवन होते हुए बेल्थरा तक जाने की सड़क का 30% कार्य हो गया है। सड़क पर गिट्टी डालकर छोड़ दी गई है।

2-चौथी मील से कुसहां तक की सड़क जर्जर हो गई है। इसको जनहित में तुरन्त कराया जाय।

3-वडरांव से कटिहारी तक की सड़क जर्जर।

4-कटिहारी से सरवसपुर तक की सड़क का लेपन कार्य।

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे कटौती पर बोलने का मौका दिया।

आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अजय कुमार बल्लू-

अवगत कराना है कि तमकुहीराज विधान सभा की लगभग सारी सड़कें टूटी हैं। इनको ठीक कराया जाय।

(1) मैंने अपना प्रस्ताव प्रान्तीय खण्ड कुशीनगर को प्रेषित की है। उसे सम्मिलित कर इनकी सड़कों को बनवाने की मांग करता हूँ।

(2) मैंने कुछ प्रस्ताव प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री व सचिव लोक निर्माण को दिया है। उसे भी बनवाने की मांग करता हूँ।

(3) प्रधानमंत्री सड़क योजना में विधायकों को भी अधिकार दिये जाये ताकि वह प्रस्ताव दे सकें।

(4) तमकुहीराज के क्षेत्र विधान सभा के सभी पटरियों पर सड़कों का निर्माण कराया जाय।

(5) गौरी जगदीश में गौरीघाट पर पुल का निर्माण करें। ब्लाक-दुदही।

(6) समाजवादी पार्टी के सरकार में 2004 में तमकुही रोड बरवापट्टी मार्ग का निर्माण हो रहा था। जब बसपा की सरकार आयी तो रोक दिया गया। मैं मांग करता हूँ कि वहां पर पुल निर्माण कराकर उस पर सड़क बनवाया जाय।

(7) पिपराघाट में गोलाघाट पर पुल का निर्माण की माँग करता हूँ। ब्लाक-सेवरही।

(8) चूकि हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए लोगों को नदी उस पार से इस पार लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आधी आबादी इस पर होने के नाते लोगों को इस पार से उस पार नाव से आना-जाना पड़ता है। इस पर पीपे के पुल की माँग करता हूँ। सेवरही ब्लाक के चैनपट्टी पर माँग करता हूँ।

(9) ऐसा ही दशा दुदती ब्लाक के अमवा में ही है। मैं बुढ़ी गण्डक की नदी पर भी पीपे के पुल की माँग करता हूँ।

(10) सेवरही ब्लाक के बेदुपार से विखट पर पुल का निर्माण की मांग करता हूँ।

(11) तमकुही रोड से लतवा मुरलीधर तक N.H 28 तक सड़क का चौड़ीकरण कराने की माँग करता हूँ।

(12) तमकुहीराज से तमकुही रोड तक सड़क चौरीकरण का माँग करता हूँ।

(13) पिछले पाँच वर्ष से बन रहे तमकुहीराज से पडरौना जो जिला मुख्यालय तक जोड़ने वाली सड़क की जल्दी बनवाने की माँग करता हूँ।

(14) तमकुहीरोड से तुरपट्टी होते हुए कसया तक चौरीकरण सड़क की माँग करता हूँ।

(15) तमकुहीराज N.H 28 से सिसवा बाजार तक चौड़ीकरण की माँग करता हूँ।

(16) सेवरही ब्लाक में प्रान्तीय खण्ड में 6 वर्ष से स्थित अवर अभियन्ता को तत्काल हटाने की माँग करता हूँ।

श्रीमती माधुरी वर्मा-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत नेपाल बार्डर रूपडीहा बाबागंज होते हुए बहराइच तक फोर लाइन स्वीकृत हो चुकी है तथा अब तक नहीं बनवाई गई है। माननीय मन्त्री जी से माँग करती हूँ कि सड़क बनवाने की कृपा किया जाए।

2-इमामगंज से शिवपुर होते हुए बेहड़ा तक 5 वर्षों से खराब है। माननीय मंत्री जी सड़क बनाने की कृपा करें।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा लो0नि0 मंत्री जी के बजट भाषण का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। समर्थन करते हुये चाहूँगा कि रा0नि0 निगम एवं लोक

निर्माण विभाग द्वारा जो वर्ष 2004, 2005 एवं 2007 के निर्माणाधीन उच्च प्रा0 स्वा0 केन्द्र जफराबाद गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल धमेजाघाट सई नदी पर प्रस्तावित पुल जहाँ पीपे का पुल चल रहा है। निर्माण कराया जाय। उपरिगामी सेतु जफराबाद क्रासिंग पर बनवाया जाय। मुख्यालय जोड़ने वाला लिंक रोड मड़ियाहू, जलालपुर, मड़ियाहूं-तरतीपार अर्ध खुर्द होता हुआ। जलालपुर तक N.H 28 में मिलाया जाय।

जलालपुर-केराकल लिंक मार्गों को चौड़ीकरण कराया जाय।

नघेरा-गड़हर पुल सई नदी पर बनवाया जाय।

श्री सुरेश बंसल-

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषयः-गाजियाबाद में शहर के बीच में जो रेलवे की लाइन जाती है। उस लाइन के दोनों तरफ के क्षेत्र को जोड़ने हेतु 'धोबी घाट' पर ओवर ब्रिज बनाने हेतु।

महोदय,

विजय नगर क्षेत्र को शहर से जोड़ने के लिये 'धोबीघाट' पर ओवर ब्रिज बनना अति आवश्यक है। रेलवे विभाग ने सर्वे करा लिया है। स्थान भी तय हो गया है। रेलवे ने सौ करोड़ (1000) का बजट इस निर्माण के लिये बताया है। जब रेलवे फाटक बन्द हो जायेगा तब आधा बजट रेलवे भी देगा।

आपसे नम्र निवेदन है कि जनहित में गाजियाबाद जैसे जनपद में इस ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें।

श्री राधेश्याम-

माननीय अध्यक्ष-

महोदय, हमारे विधान सभा जगदीशपुर के निम्न सम्पर्क को लेपन स्तर/पिंच नवीनीकरण स्तर का निर्माण कराने की कृपा करें।

1-हरगाँव से भडारी शाह बाबा की मजार से होकर सूरतगढ़ तक वि0 खण्ड जामटरे ल0 10 कि0मी0।

2-वारिसगंज से रानीगंज मार्ग कांजी हाउस से ग्राम डिहौली धौरी से होकर कोछिट से डण्डेश्वर तक ल0 10 कि0मी0।

3-फैजाबाद से रायबरेली रोड से काकर कोला से पिपरी होते हुए उमरा से हलियापुर पारा सुल्तानपुर मार्ग ल0 15 कि0मी0।

4-तेरहुल बाजार से दलापुर तक ल0 3 कि0मी0 वि0 खण्ड वल्दीराय जिला सुल्तानपुर।

PMGSY की बनी सड़क की जाँच करायी जाय, जिनका विवरण निम्न है :-

1-शुकुल बाजार से रानीगंज वारिसगंज ल0 25 कि0मी0।

2-शुकुल बाजार से जगदीशपुर ल0 20 कि0मी0।

3-जगदीशपुर से सटिधन ल0 15 कि0मी0।

4-पाण्डेगंज उरेरमऊ 12 कि0मी0।

श्री राधेश्याम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी-

विधान सभा उ0प्र0,

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने 2012-13 का बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हैं। यह बजट के विकास हेतु ऐतिहासिक हैं। समाजवादी की सरकार में गांव का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह मेरा विधान सभा क्षेत्र आजादी के बाद सदैव में अति पिछड़ा है। मेरे क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हाटा विधान सभा क्षेत्र चौमुखी विकास हेतु गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख समस्या है आप के माध्यम से मा0लो0नि0 मंत्री जी निम्न समस्याओं का निदान करावें।

सहबाजपुर व सिगहाँ के बीच मेन नाले पर का पुल का निर्माण होने से दर्जनों गांव का आवागमन शुरू होगा।

पट्टी-बैदौली के बीच छोटी गण्डक पर पक्के पुल का निर्माण-

नगर से सिकटिया तक सड़क की मरम्मत कराया जाय धुरिया वरसैना होकर असना जगदीश तक मरम्मत कराया जाय। सुकरौली से पैकौली तक सड़क मरम्मत करायी जाय। कूटी मंदिर से कपूर पिपरा गांव तक सड़क मरम्मत बाजार से सहवाजपुर तक सड़क की मरम्मत करायी जाय।

धन्यवाद।

चौधरी गजेन्द्र सिंह-

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि निम्नलिखित ग्रामीण रास्ते कच्चे होने के कारण जनता को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन रास्तों को पक्का करवाने के आदेश पारित कराने की कृपा करें।

1-ग्राम पारली से डरौरा पुल सम्पर्क मार्ग तक।

2-सहरिया (स्याहली नगर) प्राईमरी स्कूल से रजापुर तक।

3- सहरिया (स्याहली नगर) आबादी बस्ती से होली में होते हुए रजापुर तक।

4-पोटा बड़पुरा रोड पर देशराज के घर से बचन सिंह के क्रैशर से होते हुए बम्बे तक।

5-बड़पुरा नहर से पार बम्बे के पुल से प्राईमरी स्कूल से होते हुए मुकेश प्रधान के घर तिराहे तक।

6-जहांगीराबाद बिन्नेर देवी रोड से सरीफ के ट्यूबैल के पश्चिम में किशन नेताजी के घर से होते हुए हशमी माली की ट्यूबवेल तक।

7- जहांगीराबाद रामगढ़ी पंजाबी फार्म चामड़ पर होते हुए टिटौटा नवीनगर मार्ग तक।

8- जहांगीराबाद देवी मन्दिर के सामने ट्यूबवेल की नाली के सहारे भूरे शाह पीर बाबा तक।

9- जहांगीराबाद खानपुर मार्ग पर जड़ौली रजवाहा की पटरी से करैथा की पुलिया तक।

10- जहांगीराबाद चांदौक दुराहे के डाक बगलिया के बराबर सड़क से लेकर पाताल भैरवी मन्दिर तक।

उपरोक्त सभी रास्ते कच्चे है। इन रास्तों को जनता के हित में काली सड़क तत्काल बनवाने के आदेश पारित कराने की कृपा करें।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराये जाने की संस्तुति की जाती है, यह सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत आती है। जिनका निर्माण शीघ्र कराया जाना अति आवश्यक है। ये सभी गांव लखावटी ब्लाक के अन्तर्गत
आते है।

1-लखावटी से सैदापुरा मार्ग पर महेशपुर से सम्पर्क मार्ग अलावा रहीमपुर मार्ग तक दूरी लगभग 1.5 कि0मी0।

2-स्याना गढ़ रोड से चरौरा होते हुए सैदपुरा होते हुए मकनपुर बालका रोड तक सम्पर्क मार्ग बम्बे की पटरी दूरी लगभग 3 कि0मी0।

3-भीकनपुर से मंगलपुर फार्म होते हुए बालका सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3 कि0मी0।

4-सैदपुरा से जाहरवीर मन्दिर तक सी0सी0 रोड दूरी लगभग 1 कि0मी0।

5-चरौरा बाबू डीलर के खेत से भीकनपुर सम्पर्क मार्ग।

6-चरौरा मुस्तफाबाद प्राईमरी स्कूल से वाया धीमरों के मौहल्ले से होता हुआ भीकनपुर तक दूरी लगभग 1.6 कि0मी0।

7-सैदपुरा बम्बे से विनोद चौधरी के खेत से केलन्कों सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 1 कि0मी0।

8-चरौरा मुस्तफाबाद प्राईमरी पाठशाला से भीकनपुर सम्पर्क मार्ग तक।

9-खेमचन्द्र के आवास से अशोक गौड़ के घर तक दूरी लगभग 100 मी0।

10-पसौली, लखावटी सैदपुर मार्ग से पिपाला की सरकारी बिजली घर से ग्राम अलावा रहीमपुर तक।

11-लखावटी सैदपुर मार्ग से ग्राम पिसौली लोधों की मढ़ैया तक।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

अध्यक्ष जी/मा0 मंत्री जी P.W.D. से विभाग में बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूँ-

(1) शाहगंज रुई की मण्डी रेलवे फाटक पर पुल बनाया जायं।

(2) होटल मुगल की पुलिया का चौड़ीकरण किया जाय।

(3) ताज महल के पूर्वी गेट के एक किलोमीटर की दूरी पर नगला टीन नगला डीन में सड़क बनायी जाय।

(4) ताज महल के पास गांव नौपुरा की तरफ सड़क जर्जर पड़ी है करीब एक किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया जाय।

(5) सेवला सराय से कोटली बगीची की एक किलोमीटर की सड़क व नाला बनाया जाये।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

निवेदन है कि जनपद झांसी, बबीना विधान सभा क्षेत्र 222 सड़कों से बहुत दूर है इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी विधान सभा 222 बबीना में निम्नलिखित सड़कों को शामिल किया जाये।

1-ब्लाक-बबीना-सुकुवाँ-ढुकुवा रोड से चन्दौली होते हुये सुकवाँ तक सड़क बनवाने का कष्ट करें।

2-ब्लाक-बसई रोड से महेशगढ़ तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

3-ब्लाक-गजगाँव से वसाई नये धारन तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

4-ब्लाक-रकसा आदिवासी बस्ती से जनकपुर तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

5-ब्लाक-पुनावली कलाँ से कंचनपुर तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

6-ब्लाक-पाली रोड से पलीदा तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

7-ब्लाक-खैरा जूनियर हाई स्कूल से उमरवाय तक सम्पर्क मार्ग-1 कि0मी0।

8-ब्लाक -खैरा-पठकुईया से मैन रोड तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

9-ब्लाक-बड़ागाँव-पिपलौठा से धमनाई खिरफ तक सम्पर्क मार्ग-2 कि0मी0।

10-ब्लाक-पारीक्षा रेलवे क्रासिंग से वभेरा होते हुये पचार तक सम्पर्क मार्ग-5 कि0मी0।

11-ब्लाक-फोरलेन से पारीक्षा रेलवे क्रासिंग होते हुये पचार तक सम्पर्क मार्ग-10 कि0मी0।

ब्लाक-चिरगाँव-पहाड़ी बुजुर्ग से कबूतर के डेरा तक सम्पर्क मार्ग-1 कि0मी0।

12-ब्लाक-निर्वा से खिरियाराम होते हुये ग्राम नरी तक सम्पर्क मार्ग-4 कि0मी0।

13-ब्लाक-फोरलेन चिरगाँव देहात से सन्तरी के डेरा तक तक सम्पर्क मार्ग-1 कि0मी0।

14-ब्लाक-सितौरा रोड से आदिवासी बस्ती तक सम्पर्क मार्ग-1 कि0मी0

15-ब्लाक-पहाड़ी बुजुर्ग से जरमाई तक सम्पर्क मार्ग-1 कि0मी0

16-ब्लाक-चिरगाँव-रामनगर रोड से करगुवाँ होते हुये नन्दनिय दोवरा तक सम्पर्क मार्ग।

17-ब्लाक-मोठ-भण्डेर रोड से भरौसा, छपार, पुलगहमा-शाहजहाँपुर होते हुये बमेरा खजूरी के आगे तक सम्पर्क मार्ग-15 कि0मी0।

18-ब्लाक-पुलगहना से वरनामा तक सम्पर्क मार्ग-3 कि0मी0।

19-पुल निर्माण के लिये-(1) बडागाँव से पच्चगढ़ के बीच बेटवा पर पुल निर्माण-(2) आरी से बोहरा पर पहुज नदी पर पुल निर्माण। (3) बिठरी से मुडेई पर पहुज नदी पर पुल निर्माण।

श्री सन्तराम-

मान्यवर, कृपया आपसे अनुरोध है कि जनपद जालौन के 219 माधौगढ़ विधान सभा में निम्नलिखित मार्ग अति शीघ्र चौड़ीकरण कराना अति आवश्यक है :-

1-कस्बा जालौन से बगरा होते हुए गोपालपुरा तक जो मध्य प्रदेश से जोड़ता है। लगभग 28 कि0मीटर का चौड़ीकरण कराया जाय जबकि मध्य प्रदेश सीमा में चौड़ीकरण हो चुका है।

2-जालौन कस्बा से कोच नगर होते हुए कैलिया सलिया तथा कोंच से नदी गांव तक चौड़ी कराकर मध्य प्रदेश सीमा में चौड़ीकरण हो चुका है। इसका चौड़ीकरण होना अतिआवश्यक है उपरोक्त रोड अगर चौड़ीकरण करा दिया गया तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का आवागमन अच्छी तरह से शुरू हो जायेगा।

3-जनपद जालौन से जनपद हमीरपुर से जोड़ने वाला मार्ग लगभग 10-12 वर्षों से अति खराब है। इस रोड पर बालू खनन का कार्य होता है इसको भारी वाहन की क्षमता से मार्ग बनाया जाय- जिला जालौन से कछौरा होते हुए हमीरपुर जाने का मार्ग शीघ्र-शीघ्र बनवाया जाय।

उपरोक्त रोड बनवाने का कष्ट करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी,

सम्मानित सदस्य टी-राम जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है उस पर आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, यह माना जाता है कि देश और प्रदेश जब करता है तो महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है आज मा0 लोक निर्माण मंत्री ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किया है, वह पूर्व की सरकार की बजट से ज्यादा है यह तो महंगाई का कारण है कि वर्ष, बजट के आंकड़े हर बार बढ़ाया जाता हैं।

मान्यवर, आज प्रदेश को एक युवा मुख्य मंत्री मिला है जिसने यह वादा किया है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वायदा किया है। यदि लोक निर्माण विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जायेगा, तो प्रदेश के अन्दर विकास दर में दिखेगा।

मान्यवर, विधान सभा बांसी जो राप्ती और बूढ़ी राप्ती के बीच में स्थित है, में पुलों का आभाव है। मैं आपसे मांग करता हूं कि बूढ़ी राप्ती नदी पर ग्राम बिशुनपुर और ग्राम हाटा पर बनाया जाये।

दूसरे मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा बनाया गया है, जिनके रख-रखाव का बजट प्राविधान नहीं है। अतः अनुरोध है कि मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों को लोक निर्माण विभाग में परिवर्तित कर इनका सुदृढ़ीकरण करने की कृपा करें।

मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर की सभी सड़कें का खराब हाल है अतः इन सड़कों की मरम्मत का प्राविधान जल्द से जल्द कराने की कृपा करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

महोदय,

लोक निर्माण विभाग विकास के क्रम में महत्वपूर्ण विभाग है। यह लोक तथा परलोक दोनों पर प्रभाव डालता है। थोड़ी सी लापरवाही से लोग परलोक चले जाते है।

आपने इस वर्ष अपना बजट शासन में बढ़ाया जरूर हैं किन्तु बढ़ती मुद्रास्फीति तथा महंगाई से सड़क, भवन निर्माण सामग्री का दाम कई-कई गुना बढ़ रहा है। गिट्टी, बालू, सीमेंट की बेहताशा मूल्य वृद्धि से बजट अनुमान ठीक होने में संदेह रहता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद में लाउदर रोड रामबाग रेलवे क्रांसिग पर प्रदेश व केन्द्र सरकार की सहमति से एक आर0ओ0बी0 स्वीकृत हो गया है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस संबंध में बजट स्वीकृत कर दिया हैं राज्यांश प्रदान करने की मांग है।

फाफामऊ व तेलियरगंज के बीच गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव 3 मई, 10 को उ0प्र0 शासन ने भारत सरकार को भेजा है। प्रस्ताव के साथ पूरा प्रोजेक्ट न देने से भारत सरकार में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। भारत सरकार को इस योजना का पूरा प्रोजेक्ट भेजे जाने की मांग करता हूं।

फाफामऊ बाजार में विगत दो वर्षों से विभाग द्वारा बनवाया जा रहा नाला गुणवत्ता खराब होने तथा विलम्ब होने से वहां पर नरक हो गया है। इस काम की जांच कराने तथा दोषी लोगों को दंडित करने की मांग करता हूँ।

कौशाम्बी कोखराज से NH-2 परिवर्तित होकर हँडिया तक गयी है अतः कोखराज से हँडिया तक की सड़क घोषित राज्य सड़क हो गई है। इसकी हालत बहुत खराब हो गयी हैं। इसका पुनरूद्धार करना अति आवश्यक है।

मान्यवर,

कटौती प्रस्ताव पेश करते समय मा0 विधायक ने भारत सरकार से सहयोग प्रदान करने के लिये बार-बार याद दिलाया। भारत सरकार (यू0पी0ए0) ने पिछले वर्षों में प्रदेश की ब0स0प0 सरकार को पूरा सहयोग दिया किन्तु योजना की गुणवत्ता तथा धनराशि के दुरूपयोग करने के कारण अनुश्रवण की आवश्यकता महसूस की गई। मा0 श्रीमती सोनिया गाँधी जी के क्षेत्र रायबरेली में ही सड़क निर्माण में भारी घोटाला प्रकाश में आया था। कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तो की गई किन्तु बाद में उन्हें फिर ठीक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में धन का दुरुपयोग होने पर ज्यादा आशा नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, कुंभ मेला में सड़क बजट आंवटन कम है। नगर क्षेत्र में ही लो0नि0वि0 की कई महत्वपूर्ण सड़कें सीवर व जलापूर्ति के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। उनका पूर्ण निर्माण बहुत ही आवश्यक है। मेले में कुछ स्थायी निर्माण बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, लो0नि0वि0 में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1991 तक नियमित किये गये हैं। किन्तु उसके बाद के भी कर्मचारियों का नियमित होना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, कटौती का समर्थन करता हूँ।

श्री वीरपाल राठी-

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूँ आपने लोक निर्माण विभाग पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर,

मैं लोक निर्माण विभाग की आज जो पुस्तिका दी गई है। इसमें पिछले वर्षों के आंकड़े देख रहा था। आंकड़े देखकर लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है। अभी मान्यवर नई सरकार आई है। उसे क्या कहें ऐसा ना हो जो पिछली सरकार ने किया है। उसी रास्ते पर ये न चल पड़े, मेरे जनपद व मेरी विधान सभा में ऐसी कोई सड़क नहीं है, जिस पर गड्डे न हो, कही-2 तो सड़क नक्शे से ही गायब है। जो एक आधी सड़क बनाई गई है। वो चल नहीं पाई कमीशन खोरी हुई है। इसमें मुख्यतयाः एक सड़क दहा से बरनाया है जो प्रदेश की सबसे खराब सड़क है। जाँच कर लीजिए पता चल जाएगा कि इस सदन में मैं सहीं कह रहा हूँ या नहीं मान्यवर, ये सड़क तुरन्त बनवाई जावें मानकर एक सड़क विशनपुर बराल से छपरौली तक व एक सड़क टान्डा से रमाला मिल होती हुई दोधर तक है जो बननी अति आवश्यक है। मान्यवर एक सड़क ग्राम गहलैता से विनौली मिल तक जाती है। जिस पर गन्ना ढुलाई का कार्य होता हैं। जो बननी अति आवश्यक है। मान्यवर ग्राम असारा में ब्लाक छपरौली में कृष्णी लिंक नदी है। जिस पर ग्राम असारा में पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। क्योंकि असारा ग्राम के पास रमाला शुगर मिल है। व दिल्ली से सहारनपुर रेलवे लाइन है। जिसका असारा में रेलवे स्टेशन है। जिससे क्षेत्र की लाखों की आबादी का आवागमन इस पुल से लेकिन पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता काफी दुखी है। अतः मान्यवर आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया आपका। धन्यवाद।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

अध्यक्ष जी,

आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने (लिखकर देने) की अनुमति प्रदान की इसका मैं आभारी हूँ मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूँ मेरी विधान सभा क्षेत्र 49-मेरठ दक्षिण के अन्तर्गत जो सड़कें है वे अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हैं और वे अत्यन्त महत्व की सड़कें हैं। जिन सड़कों की ओर मैं आपका ध्यान निर्माण हेतु दिलाना चाहता हूँ निम्न है :-

1-ग्राम फफून्डा के पास से हापुड़ रोड से नरहाड़ा होते हुए जुर्रानपुर फाटक का चौड़ीकरण कर निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

2-हापुड़ रोड से दिल्ली रोड़ का बिजली बम्बा बाई पास मार्ग का निमार्ण।

3-बिजली बम्बा बाईपास मार्ग से गुमी-गगौल, गोटरा होता हुआ गगौल तीर्थ तक की सड़क तक के मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

4-हापुड़ रोड नौगजा पीर के सामने से ग्राम चान्दसारा होते हुए कताई मिल तथा पराग डेरी, हवाई पट्टी तक एवं कताई मिल से ग्राम इटायरा मार्ग को चौड़ा कर निर्माण कराए जाने के सन्दर्भ में।

5-पराग कैटल फीड के समीप से ग्राम खेड़ा तक की सड़क के निमार्ण के सम्बन्ध में।

6-ग्राम भूडबराल से उपलेहड़ा होते हुए ग्राम छज्जुपुर तक की सड़क को चौड़ा कर निमार्ण के सम्बन्ध में।

7-ग्राम-कश्यप बस्ती, मंडैइया काशी से अधरौड़ा होते हुए हवाई पट्टी मार्ग तक की सड़क के चौड़ीकरण कर नया निमार्ण कराने के सम्बन्ध में।

8-ग्राम काशी से बहादुरपुर-मौइउदीनपुर से खरखौदा मार्ग को चौड़ा कर उच्चीकृत विधि से बनाने के सन्दर्भ में।

9-मौइउदीनपुर से गांवडी, व इकला छजुपुर मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में।

उपरोक्त सड़कें मेरी क्षेत्र की अत्यन्त खराब है बनाई जायें आग्रह करता हूँ।

डा0 महेश शर्मा-

निम्न सड़कों का निर्माण करवाने की कृपा करें।

1-दादरी (दादरी) रेलवे क्रासिंग (गौतमबुद्धनगर) पर 15 वर्षों से फलाई ओवर लम्बित है। अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु।

2-सिकन्द्राबाद से चोला होते हुये खुर्जा तक सड़क का रख-रखाव वह सड़क बुरी तरह टूटी हुई है। (जिला बुलन्दशहर)

3-जहांगीरपुर से खुर्जा तक सड़क का निमार्ण पूरा करना। (जिला बुलन्दशहर)।

सुश्री सावित्री भाई फूले-

महोदय, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है-

1-सुजौली विछिया मार्ग बगुलहिया फार्म हरखापुर रोड तक लगभग 15 वर्षों से टूटी हुई है को बनवाये जाने के संबंध में।

2-नानपारा तहसील के अन्तर्गत सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा दुकानदारों को राशन कम देने तथा निलम्बित कोटेदारों को सांठ-गांठ कर बहाल किये जाने के संबंध में।

3-ग्राम पंचायत मझांव कारी कोट बनग्राम बिछिया आदि कोटेदारों से इंस्पेक्टर द्वारा रुपया वसूलने के विरुद्ध जांच कराये जाने के संबंध में।

4-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मझांव, ग्राम पंचायत मीरगिट्टी, जालिमनगर, समैसा आदि गांवों में पुल का निर्माण कराया गया किन्तु पुल अधूरे रह गये तथा भुगतान पूरा किया गया। पुलों का निर्माण कराये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

5-समाज कल्याण विभाग बहराइच द्वारा 100 परिवारों को पुनर्वास एवं कृषि करने हेतु 792 एकड़ भूमि सुरक्षित कर 6 एकड़ प्रति परिवार को पट्टे पर दिया गया किन्तु कब्जा नहीं दिया गया। शेष भूमि को गरीबों में आवंटित कराये जाने के संबंध में।

6-बाढ़ से प्रभावित ग्राम पड़रिया पुरैना अस्सी पुरवा, नब्बे पुरवा तथा नदधा गांवों को नदी के कटान ग्राम जंगलगुरिया, सोमई गौड़ी, ग्राम पंचायत बड़खड़िया को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में।

7-ग्राम पंचायत पड़रिया को भादा नदी के कटान से बचाने हेतु पत्थर से कटान को रोकने के लिए पत्थर का कार्य किया जा रहा था किन्तु अधूरा कार्य किया गया। पूरा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

8-विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की कटौती की जांच एवं अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में।

9-ग्राम पंचायत हाड़ा नानपारा तहसील के अन्तर्गत हाड़ा बसेरी के गांवों के किसानों की भूमि सीमा सुरक्षा बल को आरक्षित की जा रही है, किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। उसे तत्काल रोका जाय तथा दूसरे ग्राम में भूमि को सुरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में।

10-बलहा विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों को विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

11-किसानों को सही समय पर खाद, पानी, बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा धान, गेहूं की खरीद में दलालों द्वारा गेहूं, धान के खरीद पर उनके विरुद्ध तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

12-सरकारी स्कूलों में रसोई बनाने वाली महिलाओं को जो पूर्व में कार्य किया है पुनः उसी महिलाओं को रसोई हेतु रखने के सम्बन्ध में।

13-सरकारी स्कूलों में पढ़ाई समय से हो तथा अच्छी पढ़ाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

14-ग्राम गंगापुर के क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

15-ग्राम कारीकोट सुज्जौली ग्राम में इंटर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

16-विधान सभा क्षेत्र बलहा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

17-मटेही कला बाजार से चौधरी गांव होते हुए नेपाल बार्डर ब्रस्थनवा गांव रोड तथा जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

18-मिही पुरवा बाजार की सड़क, नाली, विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

19-विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन हेतु ग्राम स्तर पर पात्र व्यक्तियों के चयन के सम्बन्ध में।

20-दलित, पिछड़े वर्गों, मलिन बस्तियों में आवासीय सुविधा नाली, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

21-कठवतिया ग्राम पंचायत में नाला नाली की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

22-मिहीपुरवा विकास खण्ड में एक चीनी मिल खोले जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपका ध्यान बलहा विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

मान्यवर, हमारा नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र 3 जंगल और चार नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र बलहा क्षेत्र पिछड़ी जाति थारू अनुसूचित जातियों की बस्ती की लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई गई।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

विषयः-संपर्क मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय, अनुरोध करना है कि ये विधान सभा जनपद में सबसे पिछड़ी विधान सभा है। संपर्क मार्गों के अभाव में लोगों को पास के ही ग्राम हेतु काफी चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ता है। जिससे जनमानस का समय श्रम व ईंधन का अपव्यय होता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि निम्नांकित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

1-अकिलपुर ऐराना के छीमी तक डामरीकरण।

2-चंद्रमापुर से टिकुरागढ़ रोड तक डामरीकरण।

3-किसुनपुर से पहाड़पुर तक डामरीकरण।

4-ग्राम उकाथू से ग्राम छीनी सम्पर्क मार्ग में डामरीकरण।

5-कुसभा से गोढवा तक डामरीकरण-2 किमी0

6-दामपुर से उरई राजकीय नलकूप तक वोल्डरचुला तक डामरीकरण।

7-किशनपुर में दमहा पुल कढला मार्ग पर आवश्यक।

मा0 अध्यक्ष जी-

विधान सभा (10) इटालीपुर ससुरखरेदी नदी पर पुल बना है (11) रावीगारा ससुरखरेदी नदी पर पुल बनना (12) ससुरखरेदी नदी पर पुल बनता है। कृ0 लोक निर्माण विभाग के बजट प्रस्ताव में मेरा उपरोक्त भाषण समिति के समक्ष रखा जाय।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से पी0डब्ल्यू0डी0 के माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। मैं वहेट विधान सभा जनपद सहारनपुर से आता हूं सहारनपुर की सड़कें टूटी हुई हैं हरियाणा, पंजाब से व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरान्त अस्थिकलश लेकर हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित करने के लिये आते हैं। दोबारा बनवाए। माँ शाकुम्भरी देवी का विशाल मंदिर है लाखों व्यक्ति दर्शन के लिये आते हैं। अतः यकनौसी मार्ग, कलोसिया में छूटकपर मार्ग के अन्य जिला मार्ग बनवाने, कार्य कराने की कृपा। इण्डोल प्रपत्रों के टोडर पर मिले जो भवन बेहट नं0-1 पुल बनवाने का कार्य कराने की आवश्यकता।

श्री बाबू खां-

मान्यवर,

मैं लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। मा0 मेरी विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद से सैदपुर मार्ग का निर्माण पिछले दो वर्षों से चल रहा है निर्माण कार्य के समक्ष पिछले वर्ष ठेकेदार मुन्ना मिश्र की हत्या कर दी गई थी। मान्यवर इसके बाद तत्कालीन विधायक बसपा ने जो कि नगर शाहाबाद के चेयरमैन भी थे ने एक करोड़ रुपये का मैक्सफाल्ट उठवाकर शाहाबाद नगर की सड़क निर्माण में जबरिया कर नगर पालिका परिषद् से भुगतान ले लिया ऐसी स्थिति में सड़क का निर्माण रुक गया था। अब इस समय सड़क कम सामग्री से बनायी गई, जो कि पीछे से टूटती जा रही है।

अतः मेरी मांग है कि सड़क की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने की कृपा करें।

श्री संजय कपूर-

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता से कराने की कृपा करें :-

(1) विलासपुर-चकफेरी मार्ग का निर्माण

(2) विलासपुर में ग्राम-खण्डिया पर पुल निर्माण भाखड़ा नदी पर

(3) विलासपुर-शीशगढ़ मार्ग का निर्माण

नये मार्गों का निर्माण

(1) पदपुरी से चन्दपुरा जदीद मार्ग तहसील-विलासपुर

(2) भोलापुर से ववनपुरा मार्ग तहसील विलासपुर

(3) धावनी बुजुर्ग से वहेड़ी तहसील की सीमा तक तहसील-विलासपुर

(4) भोजीपुरा से हल्दी मार्ग तहसील-मिलक

(5) टाहखुर्द मार्ग से माटखेड़ा मार्ग की ओर सड़क निर्माण तहसील विलासपुर

पुरानी सड़कों का निर्माण/मरम्मत

(1) विलासपुर-रूद्रपुर मार्ग से इसा नगर

(2) विलासपुर-रूद्रपुर मार्ग से जोसफ नगर

(3) मिलक-विलासपुर मार्ग से दुली चन्दपुर

(4) सराय कदीम से छावनी बुजुर्ग

(5) धनौरा से बंगाली कालोनी मार्ग

पुल तहसील-मिलक

(1) भंवरकी

(2) चैनपुर

(3) गदैया निकट हरसूनगला

(4) साहू नगला

श्री शाह आलम-

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में नेता विरोधी दल द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव में निम्नलिखित मांगे संशोधन के रूप में जोड़ दिया जाऐ।

(1) माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी विधान सभा ग्राम नैठी के पास मुठियार में एक निर्माणाधीन पूल जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराने की मांग करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी विधान सभा के ग्राम अमिलों के नेवादा से रसूलपुर तक रोड नहीं है जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से नेवादा से रसूलपुर तक रोड बनवाने की मांग करता हूं।

(3) मेरी विधान सभा के ग्राम सभा बसहर में टवस नदी पर पुल बन कर तैयार है पुल तो बन गया मगर रोड नहीं बन पाई ना ही मिट्टी की भराई हो पाई जिसकी वजह से वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है इसे पूरा कराने की मांग करता हूं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

माननीय अध्यक्ष जी विधान सभा धारेपुरा में गन्ना विकास विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों को लो0नि0वि0 में ले लिया जाय जिससे उनको गन्ना मुक्त बनाया जा सके एवं पी0डल्यू0डी0 द्वारा उनको रिपेयर एवं बनाया जा सके मुख्य सड़कें सरैया से सिगावर-कटौली व नैनापुर रकिया बेहड़ प्रमुख हैं।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

मा0 अध्यक्ष जी,

मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र 170 सरोजनी नगर लखनऊ के बारे में रखना चाहता हूं :-

1-कानपुर रोड हाइडिल से अमौसी-मौदा मार्ग जिसका निर्माण हो रहा है तथा अमौसी स्टेशन के ऊपर से पुल बनना है जिसका 55 करोड़ रुपये स्वीकृत है जो विभाग में मौजूद है, बनवाने की कृपा करें।

2-बंथरा मार्ग से पुराही खेड़ा मार्ग।

3-कृष्णा नगर-पारा मार्ग पर सादी खेड़ा मार्ग

4-उक्त दोनों मार्ग बड़े डम्फर के चलने के कारण टूट गयी है। कृपया निर्माण कराने का कष्ट करें। नारायनपुर वरमोता मार्ग पर सई नदी पर पुल का निर्माण रूका है।

5-नानमऊ में सई नदी पर बन रहे पुल का निर्माण रूका है।

उक्त दोनों पुलों का निर्माण कराने की कृपा करें।

6-फतेहगंज-नारायनपुर वरमोता मार्ग जो डबल मार्ग हो रहा है। काम रूका है, कृपया पूरा कराने की कृपा करें।

7-सोहरामऊ रहीमनगर पड़ियाना-गरवरखेड़ा मार्ग जो मण्डी परिषद् द्वारा बनाया गया है। उसे डबल रोड बनाया जाय। रोज- मुरैना मार्ग जिस पर नाले पर पुल बना है रोड बनाने की कृपा करें।

9-नीलमथा-नगराम रोड जिस पर जिला जेल बना है। कृपया इसे डबल रोड बनाने की कृपा करें।

10-मोहान रोड के गोडघुल्ली के तालाब से समरा दोना गहलवारा रेवरी मार्ग का निर्माण।

11-समरा-दोना मार्ग से गौरी मार्ग गौरी गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। कृपया इसे बनवाने की कृपा करें।

12-लखनऊ-मोहान मार्ग पर शारदा नहर पर बने पुल को चौड़ा कराने की कृपा करें।

13-परवट पश्चिम से दुर्गखेड़ा मल्ली पूरब मार्ग जिसके नाले पर पुल बना है। सड़क बनवाने की कृपा करें।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत विधान सभा से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। कृपया कार्यवाही में शामिल कर स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

1-ग्राम दौलतपुर में बन रहे जमुना का पुल जो निर्माणाधीन चल रहा है जो जल्दी ही चालू भी हो सकता है। लेकिन उससे जुड़ी सड़कों की हालत बहुत खराब है, जो गंगोह से लख्यैती होते हुए दौलतपुर तक व ग्राम सनौली से कुण्डा कला तक बांध का, चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण व हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जाये।

2-कस्बा गंगोह से वजीरपुर, दूधला, जेहरा होते हुए मुज्जफरनगर की सीमा तक चौड़ीकरण, उच्चीकरण व हॉट मिक्स प्लांट से शहीद राजेश कुमार मार्ग का निर्माण कराया जाये।

3-नानौता देवबन्द मार्ग से मौरा तिलफरा मार्ग की मरम्मत व चौड़ीकरण व हॉट मिक्स प्लांट से बनवा दी जाये।

4-गगोह नानौता मार्ग से टिकरौल के पास राजवाहे की पटरी जान्डखेड़ा स्लाम नगर होते हुए फन्दपुरी तक चौड़ीकरण व हॉट मिक्स रोड बनवाया जाये।

5-कस्बा गगोंह में अतिक्रमण होने के कारण कस्बे में जाम लगा रहता है। आने जाने वाले वाहनों की वजह से अव्यवस्था बनी रहती है। अतः अनुरोध है कि नानौता मार्ग से

तीतरो मार्ग, तीतरो मार्ग से गगोंह दूधवा मार्ग से होते हुए गगोंह लखभैट मार्ग होते हुए गगोंह सलारपुरा नकुड़ मार्ग होते हुए गगोंह, अम्बहैटा मार्ग तक बाईपास बनवाया जाय अति आवश्यक है।

मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं कि एक सड़क का अलग-अलग विभागों में प्रस्ताव दे दिये जाते हैं जिस कारण कुछ सड़कें दो-दो विभागों में स्वीकृत हो जाती है जिस कारण समय की बर्बादी व विकास कार्यों में विलम्ब होता है।

अतः अनुरोध करूंगा कि जिस विभाग में सबसे पहले प्रस्ताव जाये या जो विभाग स्टीमेट बनायें वह विभाग वहां पर अपना प्रस्तावित सड़क का बोर्ड लगवा देंगे तो ज्यादा आसानी से कार्य हो जायेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित ही यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास में पूर्ण सहयोग देगा। विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के अन्तर्गत अमिविया अमिलिया घाट गोमती नदी पर पुल का काम शुरू किया गया है। घटिया सामग्री के कारण तीन बार मैंने कार्य रूकवा दिया था। अब पुनः बन रहा है। निगाह लगाये रखना है जिसमें अच्छे ढंग से कार्य हो।

2-दोस्तपुर वेलवारे पक्की सड़क से कादीपुर दोस्तपुर मार्ग पर 5 कि0मी0 सड़क का बनना आवश्यक है।

3-फिरहिरी से गुहरा घाट तक पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाय जिससे विकास की दरें बढ़ें।

श्री अनिल कुमार-

मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ आज पी0डब्ल्यू0डी0 की बजट चर्चा अनुदान संख्याः- 54, 55, 56, 57, 58 में समय के अभाव में भाग नहीं ले सका हूँ, महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित समस्या है, जिनके विषय में मेरा आपसे अनुरोध है उक्त समस्या को विधान सभा की कार्यवाही में लाने का कष्ट करें।

1-बरला बसेडा मार्ग से वाया तेजलहेडा, खाईखेड़ी से तुगलकपुर कठहेडा मार्ग का नवीनीकरण।

2-मलीरा बस स्टैण्ड से गांव जट नगला तक नवीनीकरण।

3-ग्राम पचैण्डा कला से मेघ्याखेड़ी, पचैण्डा खुर्द से दतियाना से कासमपुर तक सड़क निर्माण (प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत)।

मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी वि0स0 क्षेत्र पुरकाजी, जि0 मुजफ्फरनगर के गाँव दीदाहेड़ी ब्लाक चरथावल के पास से बह रही काली नदी पर एक पुल बनाये जाने का अनुरोध करता हूँ, मान्यवर पूरा गाँव अल्पसंख्यक बहुल गाँव है। यह गाँव शहर के करीब होते हुये भी बहुत दूर है।

अतः आपसे निवेदन है कि जनहित में उक्त काली नदी पर जो पुल बनाया जाना है। वह बन जाने के बाद यह गांव सीधा जनपद मुख्यालय से जुड़ जायेगा। इसलिये मान्यवर उक्त पुल को बनवाये जाने हेतु मेरे इस अनुरोध को आज की विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

श्री संगीत सिंह सोम-

माननीय अध्यक्ष जी आपके आदेशानुसार मैं अपने क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याएं लिखकर दे रहा हूँ। उसे कार्यवाही का अंग बना दिया जाय।

-दौराला से वाया लावड़ मसूरी तक खत्म हो चुकी रोड बनवायी जाय।

-नानू से सरधना तक करीब 2 कि0मी0।

-राजपुर मोमन से रतनपुरी तक करीब 2 कि0मी0।

-खेड़ा से राजपुर फरीदपुर तक करीब 2 कि0मी0।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी पी0डब्ल्यू0डी0 के बजट में मेरा प्रस्ताव जोड़ दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र छावनी विधान सभा में न्यू आजाद नगर, के0डि0ए0 कानूनी देहली सुजानपुर, मंगला विहार। मंगला विहार, गंगा नगर, गिरजा नगर, गदियाना आदि क्षेत्रों में सड़क बिल्कुल नहीं है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां की सड़कें बनवाने की कृपा करें। सड़क बनने से जल भराव समाप्त हो जायेगा। जनता प्रसन्न हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद जो आपने हम नये सदस्यों का विचार लिखित में लिया।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

महोदय, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा रखे गये लोक निर्माण विभाग के बजट प्रस्ताव 2012-13 पर मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखना चाहती हूँः-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले पुराने जी0टी0 रोड सिकन्द्राबाद से खुर्जा सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण करते हुये पुनर्निर्माण किया जाय।

2-सिकन्द्राबाद गुलावठी मार्ग से भराना-गेसूपुर सम्पर्क मार्ग का पुनःनिर्माण कराया जाय।

3-वैर रेलवे स्टेशन के फाटक से हिरनौरी होते हुये मांट ब्रांच गंग नहर तक सम्पर्क मार्ग।

4-अगराई ग्राम से धमैड़ा नारा होते हुये बिरोडी फौलादपुर सम्पर्क मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।

5-सिकन्द्राबाद ककोड़ मार्ग से हसनपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण।

6-गांव हसनपुर से महमदपुर केहरी होते हुये गांव सुनपेड़ा सम्पर्क मार्ग।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, विधान सभा आंवला जनपद बरेली में ग्राम शिवपुरी के पास कैलाश गिरी की मढ़ी के निकट रामगंगा नदी पर पान्टून पुल बना है। यहीं पर पहले पुल बनना स्वीकृत हुआ था। यह मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार में ही मैंने नाव दुर्घटना होने से विधान सभा की कार्यवाही के माध्यम से कराया था। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि कैलाश गिरी मढ़ी के पास रामगंगा नदी पर पुल बनाया जाय। धन्यवाद

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी लोक निर्माण विभाग पर कटौती के बजट को बल देते हुए आपके निर्देशानुसार मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इन्हें कार्यवाही का हिस्सा बनवा देंगे।

1-हिन्ड से गढीपुख्ता तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

2-शामनी से लेकर मालेण्डी गढीपुख्ता होते हुए राझड ऊन-थानाभवन रोड तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

3-थाना भवन अस्पताल से ग्राम गौसगढ़ को जाने वाली सड़क पर कृष्णा नदी पर छोटा पुल का निर्माण।

4-मुजफ्फरनगर-खटीमा मार्ग से नहर की पटरी बुटराडा से भनेडाजट मार्ग तक लगभग 4 कि0मी0।

5-ग्राम हिरनवाडा में लगभग 1 कि0मी0 का बाईपास।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति के लिए आभार मान्यवर, सड़क निर्माण योजना में पू0 प्रधान मंत्री मा0 अटल जी सरीखा मन बनाकर किसी जाति धर्म की बात को आधार न बना जनसंख्या को आधार बनाकर तथा सक्षमतायुक्त मजबूत सड़क बनायेंगे तो अच्छा रहेगा। विधान सभा कैसरगंज का ग्राम मझारा तौवली बीस हजार (20,000) आबादी वाला ग्राम है, लेकिन पेन्टेड रोड नहीं है। केवल बांध पर स्पर्श मात्र

किया है। इस गांव को तहसील केन्द्र व जिला केन्द्र से जोड़ा जाय। घाघरा घाट पुल पर वसूली 30 वर्ष बीतने के बाद हो रही है, जबकि पूरा पैसा वसूल हो गया है। इसे समाप्त कर, कर मुक्त किया जाय। गुलरिहाघाट से भूपानीघाट तक तथा मरौचा से शिवपुर तक मार्ग का निर्माण कराया जाय तथा सरयू पर मलौना घाट पुल बनवाकर कैसरगंज से करनलगंज सड़क को पूरा कराया जाय।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मा0 सदस्यों को लिखकर दे दें कि कार्यवाही में आपकी मांग छप जायेगी और मा0 मंत्री संज्ञान लेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र-70 खुर्जा (बुलन्दशहर) में निम्नलिखित है। ये सभी मरम्मत व चौड़ीकरण के कार्य हैं।

1-जहांगीरपुर से मायड मार्ग-8 कि0मी0।

2-उदयपुर कलाखुरी मन्दिर से इब्राहिमपुर वाया छपना मार्ग-2 कि0मी0।

3-जहांगीरपुर-मायड मार्ग से उदयपुर 1 कि0मी0।

4-जहांगीरपुर मायड मार्ग से कलाम्बुरी उदयपुर मोड़ से- 1 कि0मी0।

5-जी0टी0 रोड खुर्जा अलीगढ़ N.H. 91 से रनियावली- 2 कि0मी0।

6-पलडा नहर से गंगावली होते हुये सूरतपुर पेट्रोल पम्प से मुनि तक-8 कि0मी0।

7-कहटौला से डावर तक नई सड़क-1½) कि0मी0।

8-समसपुर रेलवे स्टेशन से आगे-सिकन्दरपुर मार्ग-1½) कि0मी0।

9-समसपुर रेलवे स्टेशन से आगे से कमालपुर मार्ग-1½) कि0मी0।

10-दीनौल से उमराट से घराऊ मार्ग-2½) कि0मी0।

11-रामवास वम्वे से करौरा नहर तक मार्ग-8 कि0मी0।

12-सवितागढ़ मार्ग से पास से वाधऊ मार्ग-2 कि0मी0।

13-चिगरावली से उस्मानपुर मार्ग-2 कि0मी0।

14-खुर्जा झाइरट मार्ग से अखत्यारपुर मार्ग-1 कि0मी0।

15-जहांगीरपुर से झाझर मार्ग-4 कि0मी0।

श्री दयाशंकर वर्मा-

मान्यवर, आपको अवगत कराना है जनपद जालौन में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रस्ताव को जोड़ने की कृपा करें।

1-ओरइया फोर लाइन से जालौन होता हुआ फोर लाइन उरई से जोड़ने की कृपा करें।

2-उरई से कोंच का हॉड मिक्स से कराने की कृपा करें।

3-जालौन से वगरा मेन रोड को चौड़ी कराने की कृपा करें।

मान्यवर, आपके द्वारा मा0 मन्त्री जी को अवगत कराना चाहूँगा जनपद जालौन की पिछली सड़कें बनी और उखड़ने लगी है। मान्यवर आपसे अनुरोध है कि पिछली पांच वर्षों में बनी सड़कों को जरूर जांच करवा लें ताकि आपको हकीकत जानकारी हो जाय और दोषी अधिकारियों के साथ सख्त कार्यवाही का निर्देश दें ताकि भविष्य में जनपद जालौन की सड़कों की गुणवत्ता सुधर जाय और आने वाले समय में सरकार का सन्देश अच्छा जायेगा।

श्री दीपक पटेल-

महोदय, अनुरोध के साथ आज प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये निम्नलिखित सुझाव जो मेरी विधान सभा करछना इलाहाबाद से संबंधित है को बजट के कटौती प्रस्ताव में सम्मिलित करने का आपसे विशेष अनुरोध है-

1-रामपुर रेलवे क्रासिंग पर R.O.B. के निर्माण के सन्दर्भ में।

2-इलाहाबाद बांदा राजमार्ग से बागी होते हुये करमातर गड्ढा मुक्त करने के सन्दर्भ में।

3-ग्राम सभा खड़सरा जो कटान प्रभावित है तथा पूरे गांव का वजूद समाप्ति की ओर है। वहां पक्के घाट के निर्माण के सन्दर्भ में।

4-धरवाझारी सम्पर्क का चौड़ीकरण (दोहरा) करने के सन्दर्भ में।

श्री अनिल वर्मा-

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि लो0नि0 विभाग के बजट के समय पर कहते हुए मैं चाहूँगा, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न कार्यों को बजट पर जोड़ने की कृपा करें।

1-बालामऊ में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें।

2-वेनीगंज नगर से गौसगंज मार्ग का चौड़ीकरण।

3-क्वथावाँ से प्रतापनगर चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण।

इन कार्यों को बजट से जोड़कर बनवाने की कृपा करें।

श्री मदन गोपाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा लोक प्रिय बजट पेश किया गया है निश्चित उत्तर प्रदेश को नयी रोशनी मिली मैं अपने विभाग विधान सभा जहानाबाद के विकास में पूर्व सपा- सरकार में बारा गंगौल नदी जमना पुल पीपा का आप के द्वारा दिया था जो कार्यरत है और आप ने अगली सरकार बनते ही बारा गंगौल पुल को पक्का बनाया जाय साथ ही कहिंजरा नोन नदी में पक्का पुल का निर्माण तथा रूशी गाँव के पाण्डु नदी का

अपरोच बनाया जाय साथ ही रायपुर रिन्द नदी पर बने पुल का मार्ग निर्माण कराया जाय साथ ही पुराने मार्ग जहानाबाद क्षेत्र के जर्जर रोड का निर्माण किया जाय साथ ही खूँटा ग्राम गढ़ी रिन्द नदी पर रपटा पुल या पुल का निर्माण किया जाय तथा गंगोल नोल नदी पुल की 800 मीटर सड़क व दो नालों पर पुल का निर्माण कराकर पूर्व बने पुल का 800 मीटर मार्ग का निर्माण कराकर चाँदपुर लहुरी हमीरपुर जिला जुड़ जायेगा बहुत बड़ी समस्या का हल व समस्या का निदान हो जायेगा मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री के द्वारा बजट का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री मो0 आसिफ जाफरी-

माननीय अध्यक्ष जी,

महोदय जी हमारे विधान सभा 253 चायल में निम्न सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण का प्रस्ताव लोक निर्माण बजट में जोड़ा जायें।

(1) कसेंदा गाँव से तिल्हापुर होते हुए पुरखास से सरांय अकिल तक रोड के निर्माण एवं अनुरक्षण का काम,

(2) मकदूमपुर से बरेठी गाँव होते हुए तिल्हापुर मोड़ रोड का चौड़ीकरण एवं पुरानी पुलियों का निर्माण,

(3) ग्राम सभा काजू से बसबार तक सड़क के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य

(4) मनौरी बाजार में रेलवे ओवर ब्रिज का काम,

(5) पुरानी भरवारी बाजार में रेलवे ओवर ब्रिज काम,

उपरोक्त को सदन कार्यवाही मानकर जोड़ दिया जाये,

धन्यवाद

श्री सन्त प्रसाद-

मान्यवर गोरखपुर जनपद के खजनी विधान सभा के द0 किनारे में घाघरा नदी बहती है घाघरा नदी के कम्हरिया घाट पर एक पक्के पुल के निर्माण की आवश्यकता है यह घाट चार मण्डल आजमगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती के संगम स्थल पर स्थित है। वहाँ पीपे का पुल बना है वह भी समय से पहलें हटा दिया गया है।

खजनी क्षेत्र की पुरानी सड़कें जर्जर अवस्था में है उन सड़कों की तत्काल मरम्मत आवश्यक है खजनी विधान सभा में सिकरीगंज बेलघाट कूटी मार्ग का चौड़ीकरण किया जाये।

बेलघाट शाहपुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जायें हरनही, सिसवा कड़सहरा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाय।

महादेवा बाजार हुड़की हरिहरपुर मार्ग की मरम्मत करायी जाये। देवरा ढंकवा बाजार शिवपुर मार्ग की मरम्मत करायी जाये।

शंकरपुर पिपरझण्डी भिसिया मार्ग की भी मरम्मत करायी जाये।

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी आज प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट में मेरे जनपद में निम्न पर माननीय मंत्री जी को कार्य योजना में शामिल करने हेतु।

1. बरेली बीसलपुर मार्ग चौड़ीकरण व निर्माण।

2. आई0टी0 वीपी से फरीदपुर मार्ग का चौड़ीकरण व निर्माण।

3. बरेली महानगर में बढ़ते हुये जनसंख्या दबाव को देखते हुये श्यामगंज रेलवे स्टेशन से मानसिक चिकित्सालय तक फ्लाई ओवर का निर्माण।

4. बरेली महानगर के शान्ती विहार, भटीमथ, नेकपुर में सड़कों का निर्माण।

श्री विजय कुमार दूबे-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 329, खड्डा विधान सभा, में मार्गो के खस्ताहाल होने के कारण जनता को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। लो0नि0वि0 द्वारा किये गये कार्यो में भी काफी अनियमिततायें हैं, नेबुआ रायगंज से खड्डा के 14 केएम के जर्जर सड़क पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड के अन्तर्गत दो कम्पनियां आज वर्षों पूर्व शुरू किये, दोनों कम्पनी M/S जयहिन्द कन्सट्रक्सन-7 KM निर्माण एवं प्रभात कन्सट्रक्सन-7 KM निर्माण ने दो-दो करोड़ रूपये मोबलाइजेशन चार्ज के नाम पर विभाग से एडवान्स लिये प्रभात कन्सट्रक्सन ने तो 2 वर्ष के कार्य में 50% कार्य किसी तरह पूरा किये परन्तु M/s जयहिन्द कन्सट्रक्शन ने तो 2 करोड़ मोबलाइजेशन चार्ज लेने के बावजूद आज 2 वर्ष में कुछ भी नहीं कार्य शुरू किया, कोई मैटेरियल नहीं, कोई मशीनरी नहीं और आज उस बचे पैच जो भटिया से खड्डा के बीच का है चलना दूभर है, पिच होना है, इस लिए रिपेयरिंग भी नहीं होता और आगे बरसात में इस मार्ग पर जो प्रमुख पडरौरा खड्डा मार्ग का हिस्सा है, बरसात में चलना असम्भव हो जायेगा, हर वर्ष इस टूटे मार्ग पर दुघर्टना का शिकार कोई न कोई मौतों के रूप में होती हैं। बरसात पहले इस बचे पैच के मार्ग को बनवाने की कृपा करें और उस जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

हमारे खड्डा विधान सभा में 25 से 30 प्रमुख मार्ग जर्जर हालत में है, जिसका प्रस्ताव जिले स्तर पर लो0नि0वि0 के प्रमुख सचिव को दे चुका हूँ कृपया इन मार्गों का निर्माण कराने का कष्ट करेंगे। मरम्मती कार्य बिना भी सड़कें दिन प्रति दिन जर्जर होती जा रहे हैं जैसे-कौआसार से बनवारी छपटा, खोपा से मेन पिच, घुघली से कोरवा, बसडीला से डोमनपट्टी जैसे मार्गों पर मरम्मती कार्य अति आवश्यक है।

अतः निवेदन के साथ हमारे 329 खड्डा विधान सभा के प्रस्ताव पर सर्वे कार्य चल रहे हैं, आगे पिच कार्य पूर्ण कराने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी विनम्र निवेदन है कि बाँदा जनपद की वि0 स0 क्षेत्र ति0 (232) की निम्नलिखित सड़कें कार्यवाही में शामिल कराये जाने की कृपा करें।

(1) ग्राम बेंदा से जलालपुर होते हुए ग्राम काजीटोला तक उसरा व गड़रा नाले में छोटे पुल व सड़क निर्माण।

(2) ग्राम अमलीकौर (गड़ोलाडेरा) से माचाहार व टोलिया होते हुए ग्राम मझीवाँ तक सड़क व पुलिया निर्माण।

(3) ग्राम बेंदा के खगइया ताला से मुड़िया देव बाबा जी के स्थान से ग्राम भुजरख तक पुलिया एवं सड़क निर्माण।

(4) ग्राम दतरौली से ग्राम बविंया होते हुए ग्राम गुगौली तक सड़क व पुलिया निर्माण।

(5) ग्राम भड़ौली से बविंया तक पुलिया व सड़क निर्माण।

(6) ग्राम बेंदा से ग्राम जौहरपुर (चारकूरा) तक सड़क व पुलिया निर्माण।

(7) तिन्दवारी बबेरू मार्ग से नहर पटरी से ग्राम घौसड़ तक सड़क व पुलिया निर्माण।

(8) ग्राम पड़ेरी से ग्राम पचकौड़ी तक पुलिया एवं सड़क निर्माण।

(9) ग्राम मटौध ग्रामीण के मजरे, पटना, बनियाखोड़, झिंगाखोड़ कन्धीपुरवा, मुड़ेरी, खहरा, में पुलिया व सड़क निर्माण।

(10) ग्राम बेंदा के मजरा खेरीद्वार से गाड़ी क्योटरा, ढरकर डेरा बगईहार होते श्री देवपाल सिंह चौहान के डेरा तक।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर,

कृपया निम्न मार्गो का निर्माण कराने का कष्ट करें।

(1) धाता से लेहदरी घाट तक 4 लेन बनाया जाये।

(2) समदा (मंझनपुर) से अफजलपुर वारी नहर की पटरी से 2 लेन बनाया जाये।

(3) मंझनपुर से वाया नारा धाता रोड तक 2 लेन बनाया जाये।

(4) संयारा (सिकाथू) में रेलवे उपरगामी पुल निर्माण कराया जाये।

(5) गंगाजी पर कौशाम्बी से प्रतापगढ़ को जोड़ने पुल का अधूरा निर्माण पूर्ण कराया जाये।

(6) जी0टी0रोड अजूहा से अलीपुर जीता 2 लेन का निर्माण कराया जाये।

(7) गौवा (भरवारी) से संदीपन घाट की रोड बनाया जाये।

(8) टेड़ीमोड (धुलगुला) से हब्बूनगर से शहजादपुर की रोड बनाया जाये।

अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गों एवं पुलों का निर्माण 2012-13 में कराने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए श्री राम चन्द्र यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा रूदौली विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कों के नव निर्माण /मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण व पुलों के निर्माण व रूदौली रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज के निर्माण संबंधी मांगों को माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर रहा हूं:-

1. कसारी सम्पर्क मार्ग से बरवारी सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.0 कि0मी0 पेंटिंग स्तर तक,

2. उमापुर चौराहे से कदई होते हुए बदलेपुर गनेशपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण 5.0 कि0मी0,

3. रूदौली बाबा बाजार मार्ग से मत्था नेवादा सुल्तानपुर सरैया सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 7.0 किमी0,

4. बाबा बाजार चौराहे से उमापुर दुल्लापुर मार्ग को मिलाने वाले मार्ग का पेंटिंग कार्य लम्बाई लगभग 2.0 किमी0,

5. रूदौली नयागंज से ऐहार सधारपुर सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत,

6. रूदौली सैदपुर कामाख्या मंदिर होते हुए रामपुर हरिहरपुर बाबा बाजार मार्ग पर मरम्मत कार्य,

7. उमापुर दुल्लापुर नेवरा मार्ग का मरम्मत,

8. मवई पटरंगा मार्ग का मरम्मत कार्य,

9. भेलसर रूदौली बाबा बाजार शुक्लबाजार मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य,

10. उमापुर मार्ग से रामपुर जनक देवईत सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य,

11. रूदौली अमानीगंज मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण,

12. भेलसर रूदौली मार्ग पर रूदौली रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य,

13. गोमती नदी पर कछिया नेवरा मार्ग पर पुल निर्माण,

14. कल्याणी नदी पर अनारपट्टी के पास पुल निर्माण,

15. असरफपुर गंगरेला चकपुरवा सुल्तानपुर मार्ग पर भंवरिया नाले पर पुल निर्माण,

16. घाघरा नदी पर कैथी घाट पर पुल निर्माण,

17. बेतौली रसूलपुर मार्ग पर मड़हा नाले पर पुल निर्माण।

श्री बैजनाथ पासवान-

महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद जनपद मऊ के अन्तर्गत निम्न कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है जो निम्न है:-

1-मोहम्मदाबाद गोहना विकास क्षेत्र खोरहट टौंस नदी मीरपुर रहिमा घाट टौन्स नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-भैसही नदी सखनी बाबा कुटी के सामने भैसही नदी पर पुल (बभउर गांव) के पास पुल का निर्माण कार्य।

3-गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग मेन मार्ग होते हुए सरौदा गांव असलपुर होते हुए जाने वाली मार्ग कनकपुर कोडर जो मुख्यालय के मेन रोड को जोड़ती है। लगभग 4 किमी0।

4-सुल्तानीपुर मऊ मार्ग जो जिला मुख्यालय को जोड़ती है उक्त मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाय।

5-चिरैया कोट से सुल्तानपुर होते हुए सोहवल करहा होते हुए तहसील मोहम्मदाबाद गोहना को जोड़ती है। उक्त मार्ग को चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाना आवश्यक है।

6-सरसेना से काझा मार्ग होते हुए जो राम वन पिपरी स्टेशन होते हुए वन देवी जो मऊ मुख्यालय को जोड़ती है।

7-पलिया ग्राम सभा से होते हुए भरूकवा जो मेन मार्ग मुख्यालय को जोड़ती है लगभग 3 किमी0।

8-रानीपुर ब्लाक पलिया खोरहट मार्ग लगभग 12 कि0मी0 सड़क बहुत ही खराब है।

9-मोहम्मदाबाद चुंगी होते हुए देवलाश जोधोसी मार्ग है। 15 कि0मी0 सड़क बहुत ही जर्जर है जो बनाया जाना आवश्यक है।

10-सरसेना से होते हुए खिलवा होते हुए जो सवना विशुनपुर जाती है उस सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य जनहित में कराये जाने के आदेश देने का कष्ट करें।

श्री विजय मिश्र-

मा0 श्री अध्यक्ष जी आपने आज मा0 श्री लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा शानदार एवम् ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उस पर बल देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 श्री लो0नि0 मंत्री पूर्व में भी वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के प्रारम्भ में भी लोक निर्माण मंत्री रहे है और मेरे विधान सभा ज्ञानपुर जो जनपद सन्तरविदास नगर भदोही का मुख्यालय भी है में पूर्व में ही जीर्णशीर्ण सड़कें जो जगह-जगह टूट गई थीं, जिसमें (1) ज्ञानपुर से दुर्गागंज सम्पर्क मार्ग (2) सुरियावाँ से कलिंन्जरा मार्ग (3) वहिरानगर-ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग ऐतिहासिक ढंग से मरम्मत कर बनवाई थीं। अभी सुरियांवा कलिंन्जरा मार्ग कुछ अधूरा है जिसे मा0 श्री मंत्री जी को लिखकर अलग से दे दूंगा, उसे बनवाने की कृपा करेंगे। आज के बजट में जो भी पूर्व सरकार के मंत्री अधिकारी, ठेकेदार की मिलीभगत से हजारों करोड़ रुपये की लूट की गई सड़क जैसी थी वैसी ही रह गई वह बहुत शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई सड़कों के स्थान पर पार्कों और पत्थरों में लगाकर सरकार के धन को लूट लिया। उसकी जाँचकर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, मंत्री, ठेकेदारों को सरकार जेल भेजने का काम करेगी। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 श्री लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मेरे विधान सभा में ही रामपुरघाट पर गंगा नदी पर पक्कापुल जो तीन जिले भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद को जोड़ता है। बनाने की माँग करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जनपद में कोई भी सरकिट हाउस नहीं है। जनपद के मा0 अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसियेशन के लिए पुस्तकालय एवम् लाइयर चैम्बर बनवाने की कृपा करेंगे क्योंकि वर्ष 1994 मा0 श्री द्वारिकाधीश द्वारा (पूज्य मा0 श्री मुलायम सिंह यादव) जनपद का सृजन किया था। पूरी कचहरी नया बन रहा है। इसलिए उपरोक्त सभी आवश्यक है। इसलिये बनवाने की कृपा करेंगे। वाचनालय स्व0 स्वतन्त्रता सेनानी शीतल पाल के नाम से बनवाया जाय। साथ ही साथ स्व0 स्वतन्त्रता सेनानी पारसनाथ मौर्या के नाम पर राधास्वामी धाम (जी0टी0 रोड से) से घनश्यामपुर होते हुए एक पक्का पुल करीब लम्बाई 80 मी0 ग्राम सभा विरनई तक सम्पर्क मार्ग एवम् पक्का पुल बनवाया जाय और एक पार्क भी स्व0 मौर्य के नाम बनवाया जाय और भदोही में रेलवे लाइन पर एक ओवर ब्रिज रेल विभाग से अनुमति लेकर तत्काल बनवाया जाय। आभारी रहूँगा। शेष सम्पर्क मार्ग/महत्वपूर्ण सड़कें मा0 श्री लोक निर्माण मन्त्री जी को अलग से लिखकर दे दूँगा जिसे बनवाने की मा0 श्री मंत्री जी कृपा करेंगे। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सधन्यवाद।

श्री जयप्रकाश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि PWD विभाग के जो मानक हैं PWD जो मैटेरियल के रेट बनाये हैं। उसमें गुणवत्ता नहीं ठीक किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा चौरी-चौरा गोरखपुर में मोतीराम अड्डा से कुसुम्ही बाजार तक एवं फुटहवा इलार से सोनवरसा बाजार तक रोड में दो-दो फिट गड्ढे बने हैं, इसकी भी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाय।

मान्यवर, हमारे विधान सभा के घटुलीधार का पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। उसका भी जांच कराकर जो दोषी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये जाये। उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए उस अधूरे पुल का निर्माण कराया जाय। इसके साथ ही साथ ग्राम सभा हरैया (टोला झिरझिरवा) मझना नाले पर नया पुल का निर्माण कराया जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा में बरही से लेकर सरार मझगवां तक बन्धे को पिच कराया जाये।

मान्यवर, हमारे विधान सभा चौरी चौरा बृहन्त बाजार शहीद स्थली मानी जाती है। इस लिये मैं चाहूंगा कि रेलवे क्रासिंग पर दोनों तरफ उपरगामी मार्ग बनाये जायें। इसी के साथ कटौती का समर्थन करते हुए बल देता हूं।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा में सड़के सब लगभग खराब हैं। सड़कों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार हुआ था आपके माध्यम से एक बात कहना है कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिट्टी व मोरंग पूरे प्रदेश के लिए सप्लाई होती है चाहे गांव की रोड हो चाहे राज्य के मार्ग हो चाहे लिंक रोड हो सबके सब खराब है।

अतः मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेरी विधान सभा में सड़कों की हालत बहुत खराब है उन सभी सड़कों में काम की जरूरत है। एक बात आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमीरपुर और छोड़ने के लिए पुल बना रहा है। बहुत ही घटिया सामान लग रहा है। जिससे बनने के बाद कितने दिन तक चलेगा कि नहीं। पूरी विधान सभा में 17 छोटे बड़े मजरे अभी सड़क विहीन है।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट की सराहना करता हूं, यह बजट प्रदेश को विकास की गति प्रदान करेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। लखनऊ-बलिया राजमार्ग जो लखनऊ से पटना को जोड़ने वाला कम दूरी वाला रास्ता है को सुल्तानपुर से शाहगंज होते हुए आजमगढ़ तक दो लेन का तत्काल

बनवाना आवश्यक है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की कृपा करें। मान्यवर इसी के साथ दुद्धी लुम्बनी राजमार्ग पर अम्बेडकरनगर लो0नि0वि0 की सीमा पर बिलवाई बाजार से शाहगंज तक अत्यधिक जर्जर स्थित है, इसे प्राथमिकता के आधार पर बनवाना अति आवश्यक है। बिलवाई से शाहगंज होते हुए जौनपुर तक दो लेन में बनवाने की कृपा करें तथा शाहगंज नगर में जाम की स्थिति को देखते हुए नगर के बाहर से फैजाबाद रोड, आजमगढ़ रोड जौनपुर रोड को जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बाईपास बनवाने की कृपा करें मान्यवर इसी के साथ जिकौलिया अखण्डनगर मार्ग सरामोहिउद्दीनपुर-4 मार्ग, राम नगर-अर्सिया, बिलवाई मार्ग, सुरिस पखनपुर अर्गुपुर कलां व पटटीनरेन्द्रपुर नरपताहां मार्ग व पटैला अगासा रामनगर मार्ग व लोनिया पट्टी पटैला 7 मार्ग व मुख्य मार्ग से ऊसरदरा मुख्य मार्ग व आजाद स्कूल मुख्य से ढढवारा सहौल निजामपुर मार्ग, माडीह से अजमलपुर लवाएन, मरह मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण करते हुए पुनर्निर्माण प्लान्ट कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अंसार अहमद-

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ, इलाहाबाद में निम्नलिखित नव भागों का निर्माण होना है। जनहित में अति आवश्यक है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपा निम्न वर्णित भागों का डामरीकरण कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें:-

1-चकरी कमाल के घर से नीचे-नीचे पुरवा होते हुए ककरा गांव तक मिट्टी लेपन 03 पुलिया।

2-विशुनदास का पुरा जयतवार डीह उमाशंकर के घर से आगे कछार तक 02 कि0मी0 मिटटी लेपन।

3-पडिला से इस्मालगंज से त्रिभुवन यादव के घर होते हुए रामजी जायसवाल के घर पर 1.5 मिट्टी लेपन तक।

4-पडिला चमरौटी से विशुनदास का पुरा 39 नं0 रेलवे गेट तक 2 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

5-बलीपुर से पडिला महादेव रोड तक मिट्टी लेपन 3 कि0मी0।

6-अकबरपुर खत्री से महुआ के बाग के पास से महमतपुर बलवीर के घर तक मिट्टी लेपन 2 कि0मी0।

7-कौडिहार नरहा मार्ग से अहमदपुर पुरनबागपुर होते हुए हाई-वे तक 3.00 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

8-दादनपुर से गंगा नदी तक मिट्टी लेपन 2 कि0मी0।

9-सराय जयराम रोड से उधोपुर तक 01 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

10-नेवादा विद्यालय से जीतपुर विद्यालय होते हुए बहरापुर माइनर तक 02 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

11-बदर्नी गांव से चौबारा डीह पक्की सड़क तक 01 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

12-बहरापुर से सतनापुर नहर तक 2.5 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

13-सतनापुर से पप्पू यादव प्रधान मलकिया के घर तक मिट्टी लेपन 1 कि0मी0।

14-नानन सई मजार से बरईहरख स्कूल तक पक्की सड़क 1.5 कि0मी0।

15-मुबारकपुर पक्की सड़क से खिदिरपुर तक 1.5 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

16-लखरैया यादव प्रधान के घर के पास ओसाईका पुरा होते हुए भीखनपुर तक 4 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

17-तुलापुर रोड से घासीका पुरा बभनपुर तक 1.5 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

18-विगहियां नहर के पुल से सोरांव पक्की सड़क तक 02 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

19-जी0टी0 40 नं0 गोमती से रंगपुरा तक 2 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

20-बनकेसरी से बनकट सोहरवा तक 2.5 कि0मी0 लेपन कार्य।

21-कस्तूरीपुर कस्तूरी स्कूल से खखरी बाग पक्की सड़क 2 कि0मी0 मिट्टी लेपन।

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, मैं 90, आगरा ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्र से सदस्य हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित निर्माण कार्य कर विधान सभा कार्यवाही में सम्मिलित करते हुए कार्य कराने की कृपा करें।

1-मेरे निर्वाचन क्षेत्र जगनेर रोड अजीजपुर से सौहल्ला रेलवे फाटक तक नाली निर्माण एवं सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

2-मेरे निर्वाचन क्षेत्र जगनेर रोड अजीजपुर से टपरा नैनाना ब्रह्मण ग्वालियर रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

3-मेरे निर्वाचन क्षेत्र भोले बाबा डेयरी समसाबाद रोड से रजरई नोवरी, सैमरी इरादतनगर रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

4-मेरे निर्वाचन क्षेत्र कलाल खेडिया रोड से बगदा वरौली अहीर शमशाबाद रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

5-फतेहाबाद रोड वमरौली कटारा से हिगोट खेरिया नगला सवला महल बादशाही बत्तीसा समौर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

6-कौलक्खा पुलिया से पचगाई खेड़ा नहर की माइनर रोहता नहर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

7-नगला परमाल नहर की पटरी नगला कारे तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

8-कहरई रोड से कौलक्खा देवरी रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

9-शमशाबाद रोड से अकबरपुर बुढ़ेरा तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

10-नौमील जगनेर रोड से खालखलौआ बरारा तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

11-नेशनल हाई-वे रोड से अरतौनी तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

12-फतेहाबाद रोड बमरौली कटारा से नगला गाड़े परिक्रमा मार्ग तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

13-ग्राम कुण्डौर में परिक्रमा मार्ग तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

14-फतेहपुर सिकरी रोड से वायु विहार से ग्राम सुचेता सम्पर्क मार्ग सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

15-मलपुरा से नहर की पटरी बरारा मिढाकुर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

16-दिगनेर की पुलिया से पवावली तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

17-धनौली सब्जी मण्डी अजीजपुर मोड़ से सिरौली तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

18-कुण्डौल से कबीस तनौरा नूरपुर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

19-नधौता से बरौली गूजर मेहरा नाहरगंज तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

20-ग्राम कुमरगट कुई में परिक्रमा मार्ग तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

21-फतेहाबाद रोड से बिसारना होद तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

22-फतेहपुर सिकरी रोड से नानपुर बिचपुरी रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

23-बिचपुरी फाटक से सदरवन तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

24-सदर बन चौहटना से जऊपुरा तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

25-जऊपुरा से लखनपुर मौहम्मदपुर तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाय।

26-बरारा रोड से सहारा तक परिक्रमा मार्ग सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

27-ग्राम कौलक्खा से उखर्रा की नहर तक नव निर्माण सड़क कार्य।

28-नगला प्रताप से मलपुरा तक नव निर्माण कार्य लगभग 2 किलो मीटर।

29-ग्वालियर रोड रोहता इण्टर कालेज के सामने से बमरौली अहीर सिरौली मलपुरा रोड तक सड़क मरम्मत एवं लेपन कार्य कराया जाये।

30-मान्यवर,

31-90 आगरा ग्रामीण आगरा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत हुयीं जिनका टेन्डर भी पड़ चुके इन्हें शुरू कराया जाए।

32-मान्यवर,

33-मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेन सड़कों पर नहर की पुलिया टूट चुकी है। उसको भी तत्काल बनवाया जाए। जो निम्न प्रकार है।

1-वाई खेडा सिरौली मार्ग नहर की पुलिया

2-नगला परमाल एवं नगला कारे के बीच सम्पर्क मार्ग पर शंकरपुर के बीच नहर की पुलिया निर्माण कार्य।

3-पचगाई खेड़ा पर सम्पर्क मार्ग पर नहर की पुलिया।

माननीय अध्यक्ष जी,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र खारी नदी रामनगर पिरयानी पर पुल का निर्माण कार्य।

अतः माननीय अध्यक्ष जी मेरे निम्नलिखित कार्यों को प्रस्ताव में लाते हुए निर्माण कार्य कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री गयादीन अनुरागी-

महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण, पुनःनिर्माण एवं पुलिया निर्माण कराने का कष्ट करें।

नवनिर्माण

1-इटैतिया बसा से अतरा सम्पर्क मार्ग 6.00 Km. O to P2।

2-रावतपुर से नहदौरा मार्ग 2.50 2 w. to P2।

3-गौहान इसलामपुर से भखरौली मार्ग 5.00 K.m. to P2।

4-सिकरोधा मोड़ से बंगरा मार्ग 5.70 K.m. to 2 रपटे मी0 15 मी0/15 मी0 के

5-बरूआ से करगंवा लिंगा मार्ग 4.00 to रपटा .8 रौका।

6-रहक से गौहरण्ड इस्लान्डा शाखा बरगढ़ मोड़ तक मार्ग 1200 मी0 2.00 to P2।

7-अलवीरा से मडीयन मार्ग 3.00 K.m. to O to P.।

8-बसरिया से श्रीरामपुर का डेरा मार्ग 3.00 K.m.।

9-नौहाई बरौनी मार्ग से रौरों सम्पर्क मार्ग का निर्माण ल0 4.00 to 80 मीटर रपटा सहित।

10-कुपरा से भुजपुर मार्ग ल0 2.50 K.m. शून्य से लेप।

11-बंगरा से जिगनी मार्ग ल0 4.00 K.m. सोलिंग से लेपन।

12-भरखरी से दिवार मार्ग का शेष भाग ल0 1400 मी0 मिट्टी से लेपन।

13-हसऊपुर सेसा से रघुवर का डेरा भाग ल0 1.00 Km. ।

विधान सभा क्षेत्र राठ जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षतिग्रस्त/मरम्मत योग्य मार्गों/पुलियों की सूची

1-रौरो सम्पर्क मार्ग के किमी 1 से 5.8 किमी ल0 5.8 किमी में एक कोट पत्थर देकर लेपन का कार्य।

2-लिधौरा सम्पर्क मार्ग ल0 1.00Km एक कोट पत्थर देकर लेपन का कार्य।

3-गिरवर सम्पर्क मार्ग ल0 1.70Km मरम्मत/लेपन का कार्य।

4-इलावीरा सम्पर्क मार्ग ल0 3.00Km 4(500), 5, 6, 7 (500) एक कोट पत्थर देकर लेपन का कार्य।

5-राठ-चौपड़ा धमना मार्ग ल0 4.00Km पुनः निर्माण 2 कोट के साथ लेपन का कार्य।

6-राठ-कुछेछा मार्ग किमी 13 व 14 में मरम्मत कर लेपन का कार्य। (One coat balled).

7-राठ कुछेछा मार्ग के Km 1 में 6 मीटर Span RCC पुलिया का पुनः निर्माण।

8-राठ कुछेछा मार्ग के Km 12 में 2m Span RCC पुलिया का पुनः निर्माण।

9-राठ कुछेछा मार्ग के किमी 14 में 900m ह्यूम पाइप पुलिया का पुनः निर्माण।

10-कुल्हेडा-बसेला सम्पर्क मार्ग के किमी 2 आबादी भाग में 500 मीटर लम्बाई में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।

11-हमीरपुर-राठ-मझगवा (SH.42) मार्ग के किमी 68 में 2X4 मी0 Span एक किमी 82 में 2X3 मी0 Span RCC पुलियों का पुनः निर्माण कार्य।

12-बन्धौली सम्पर्क मार्ग ल0 6.50 Km में एक कोट पत्थर के साथ लेपन का कार्य उक्त मार्ग के चैनेज 0.700-1.20 किमी0=500 मी0 लम्बाई (आबादी भाग) में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।

13-मगरौठ से जिगनी सम्पर्क मार्ग (खदान मार्ग) ल0 6.20 Km से दो coat पत्थर के साथ लेपन का कार्य साथ ही मार्ग के किमी 2, 4 एवं 5 में 900 H.P. पुलियों का पुनः निर्माण।

14-राठ-जराखर बगरा मार्ग के कि0मी0 9 में 2 मीटर Span RCC पुलिया का पुनः निर्माण।

15-जराखर-बंगरा मार्ग के K.m. 4 में एक कोट पत्थर देकर लेपन का कार्य।

16-करगंवा-लिगां मार्ग ल0 2.810 K.m. में एक कोट पत्थर के साथ लेपन का कार्य।

17-अटगांव से सरगांव सम्पर्क मार्ग ल0 4.8 K.m. एक कोट पत्थर देकर लेपन का कार्य। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीकान्त (पप्पू) निषाद-

मा0 अध्यक्ष जी आप ने बोलने का अवसर दिये। श्रीमान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिये।

मा0 मंत्री जी ने लोक निर्माण का बजट बहुत शानदार है, उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी मेरे जनपद में जो भी सडकें बनी थी। मा0 मंत्री जी ने ही बनवाया वही रह गयी हैं। मेरे विधान सभा में निम्न काम बहुत जरूरी है।

1-खलीलाबाद जिला मुख्यालय से मेंहदावल रोड चौड़ीकरण किया जाय।

2-MRD रोड बखिरा-छपिया रोड चौड़ीकरण किया जाय।

3-करमैनी से बाघनगर रोड चौड़ीकरण किया जाय।

4-नन्दौर चौराहा का चारों तरफ डिवाइडर बनाकर इन्टरलाक एवं नाली निर्माण किया जाय।

5-भुसहरा से छोटहा के बीच पुल निर्माण कराया जाय।

6-धुसवा से जखिनिया ग्राम के बीच नाले पर पुल निर्माण कराया जाय।

7-आमी नदी गोनहाघाट पर बने पुल पर अप्रोच बनाया जाय।

8-मेहदावल से धुरापाली वाखेरा झील के किनारे नई सड़क निर्माण कराया जाय।

9-तमाम पुरानी सड़कों को मरम्मत एवं ठीक कराया जाय।

10-पिपरी गांव के किनारे पुल निर्माण अमी नदी पर।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ तथा हृदय से आभारी हूँ कि आय-व्ययक 2012-13 के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मुझे अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, जनपद पीलीभीत का विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर एक ऐसा परिक्षेत्र है जो कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से जगचर्चित इस परिक्षेत्र में राजा मोर ध्वज, राजा वेन, राजाबलि एवं राजा लीलहवड के अवशेष आज भी हैं, तथा भारी संख्या में पर्यटक का आना जाना रहता है। बीसलपुर से उत्तर में पीलीभीत दक्षिण में शाहजहाँपुर, पूर्व में गोला तथा पश्चिम में बरेली सभी नगरों की समान दूरी है। इसलिए बीसलपुर केन्द्रीय स्थल है। परन्तु खेद है मार्गों के अभाव में एवं मार्गों के जीर्णशीर्ण होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व कम होता चला जा रहा है।

बीसलपुर-पीलीभीत मार्ग, वीसलपुर-विलसंडा, वीसलपुर-बरेली मार्ग (चुरीसकतपुर तक) बीसलपुर-शाहजहाँपुर (खनका उचसिया तक) हॉट मिक्स से बने मार्ग टूट चुके हैं। जाँच कराकर कार्यवाही आवश्यक है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत, धरिगवां मार्ग, मुतिया कुंडरी मार्ग, मोहम्मदपुर ता0 रामपुर अमृत मार्ग, भीकमपुर प्रानपुर मार्ग, खानपुर उर्फ वीरमपुर मार्ग, बरेली रजबहा मार्ग, शाहजहाँपुर शाखा नहर मार्ग, खुदागंज मार्ग तथा वेनीपुर अल्पिका मार्ग की गुणवत्ता इतनी खराब है, तथा मार्ग सभी टूट चुके हैं। जाँच के आदेश के उपरान्त भी जाँच नहीं हुई।

मान्यवर, पुराना बीसलपुर-बरेली मार्ग (गाँव महदेवा से बीसलपुर तक) बनाने की आवश्यकता है तथा रिंग रोड इसी बरेली मार्ग से वायॉ बस अड्डा, मंडी समिति बीसलपुर चीनी मिल के पास बाईपास मार्ग से जोड़ना आवश्यक है। उक्त पुराना मार्ग पर डियोहा पर एक पुल तथा रिंग रोड पर बस अड्डा एवं चीनी मिल के पास दो ओवरब्रिज भी आवश्यक है। बीसलपुर-विलसंडा मार्ग पर कटना नदी पर पुल, माला नदी पर गाँव भवरन्दर रोशन सिंह, ढकिया संजीत एवं कुहिता के पास छोटे-छोटे पुलों की आवयकता है।

मान्यवर, एक पुल रपटुआ नाले पर गांव रायपुर के पास स्वीकृत है जिससे मात्र कि गाँव रायपुर ही लाभान्वित होगा जबकि यह पुल थोड़ा पश्चिम की ओर हटकर गाँव बौनी तथा रायपुर के मध्य बन जाये तो कम से कम 30 गाँव लाभान्वित हो सकेंगे तथा शाहजहांपुर जिले के खुदागंज नगर से सीधे आ जा सकेंगे, नवोदय विद्यालय से भी यह पुल सीधे लाभ प्रदान करेगा।

मान्यवर, अनेकों गाँव धरलिया, खाण्डेपुर (स्वतन्त्रता सेनानी) आदि बीसियों गाँव अभी तक पक्के सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। जोड़े जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मार्गों, पुलों तथा अन्य निर्माण के कार्यों के आगणन में 35% अधिक धन जुड़ा हुआ होता है। उसे भी कम करने की आवश्यकता है।

कटौती प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं।

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

महोदय, लोक निर्माण विभाग के बजट में मेरी सड़क एवं पुलिया जोड़ लिया जाये।

1-त्रिमोही पुल से राजेसुल्तानपुर होते हुए जहाँगीरखंड तक चौड़ीकरण।

2-गोपाल बाग राजेपुर सहरमारपुर में एक डाक बंगला बनवाया जाये जो अति आवश्यक है।

3-राजेसुल्तानपुर व्यापार मण्डल की जमीन पर एक अच्छा बरात घर बनवाया जाये।

4-तिहाइतपुर रोड से तरेम होते हुए अकमलपुर प्रधानमंत्री सड़क तक पिच।

5-मेन रोड गोपाल बाग से 12 पर पट्टी भीम सिंह का गाँव होते हुए कटया जनेसरी प्रधानमंत्री रोड तक पिच।

6-बलरामपुर निषाद बस्ती के आगे प्रधानमंत्री रोड से उसरा निषाद बस्ती पर सड़क पर पुलिया बनाते हुए घुसवा यादव बस्ती तक पिच।

***

पी0एस0यू0पी0-एल0 160 विधान सभा (292)-7-8-2012-813 प्रतियां ।